DR. A.P. SRIVASTAVA
D.Phil
Reader, Deptt. of Rural Economics
and Co-operation
Dean, Facuty of Arts
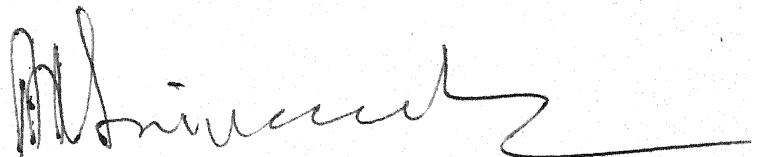
BUNDELKHAND UNIVERSITY
JHANSI.

CERTIFICATE

This is to certify that the thesis **'A Study of Socio-Economic conditions of Agricultural Women Labour in JHANSI District'** submitted by **Smt. Ranjana Shukla** previously known as Km. Ranjana Mishra for the award of Ph.D. degree in Economics is her original work. She has completed the above thesis under my guidance and the candidate has worked under me for the period of about thirty Six months and has put the attendence of 300 days in the department.

The candidate has developed a fresh approach towards the interprisation of facts or theory. It also shows the candidate's capacity for critical examination of the facts and she has delivered judgements and decision wherever necessary. No part of the thesis has been published and has been submitted elsewhere to obtain and the degree. She has incorporated the suggestions given by the research degree committee.

In view of the above I am of the opinion that the thesis is fit for the degree for which it has been submitI recommend that the degree of **Doctor of Philosophy in** Economics be awarded to the candidate.

(DR. A. P. SRIVASTAVA)

विषय सूची

क्र0सं0	विवरण		पृष्ठ संख्या

आभार प्रदर्शन

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध को वर्तमान स्वरूप देने में हमारे गुरूवर डा. ए. पी. श्रीवास्तव, रीडर, ग्रामीण अर्थशास्त्र एवं सहकारिता विभाग, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झांसी का अमूल्य योगदान रहा है। जिसके लिये मेरे पास उनके प्रति आभार प्रदर्शित करने के लिए शब्द नहीं है फिर भी शब्दो के माध्यम से ही हृदय के उद्‌गार प्रकट किये जा सकते हैं इसलिये इसी माध्यम का सहारा मैने लिया है। उन्होंने न केवल समय-समय पर मार्ग निर्देशन ही किया है बल्कि इसे पूरा कराने में आवश्यक सुझाव, सुधार एवं रचनात्मक स्वरूप भी प्रदान करने में सहयोग दिया है।

शोध प्रबन्ध के लिये आवश्यक फील्ड-सर्वेक्षण में विभिन्न ग्रामो के ग्राम प्रधानों द्वारा आवश्यक सहयोग एवं सहायता प्रदान की गई है। मैं व्यक्तिगत रूप से श्री हरिशंकर यादव, ग्राम प्रधान-छिरौना, श्री सुरेश कुमार पचौरी ग्राम-प्रधान पचार, श्री प्रकाश यादव ब्लाक प्रमुख चन्दवारी, श्री भगवान दास कुशवाहा ग्राम प्रधान पट्टी कुम्हर्रा एव श्री रामदास दीक्षित (भूतपूर्व प्रधान) अम्बरगढ़ के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ।

मैं जिला संख्या अधिकारी, झाँसी; विकास खण्ड अधिकारी चिरगांव और उन सभी श्रोतों के प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूं जिनसे वर्तमान शोध प्रबन्ध को पूरा करने में आवश्यक आँकड़े एवं सूचनाएं उपलब्ध हुये हैं।

अन्त में मैं उन सभी व्यक्तियों, स्रोतों, संस्थाओं एवं पुस्तकालयों के प्रति अपना आभार व्यवत करती हूँ जिन्होंने इस कार्य को पूरा करने में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से सहायता प्रदान की है।

(श्रीमती) रंजना शुक्ला
शोधकर्त्री

प्रस्तावना

वर्तमान अध्ययन झांसी जनपद के कृषि महिला श्रमिकों की सामाजिक-आर्थिक दशाओं से संबंधित है। उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र के अन्य जनपदो की भांति झाँसी जनपद की कृषि की आर्थिक दशा में भी पिछड़ी एवं परम्परागत स्थिति में है। कृषि की दशाओं में परिवर्तन की प्रक्रिया बहुत ही फीकी है। इस सम्बन्ध में यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि कृषि के क्षेत्र में विकास तो हुआ है पर कृषि श्रमिकों को उत्पादन में एक न्यायसंगत हिस्सा नहीं प्राप्त हो सका है। ऐसा ही अनुभव कृषि अर्थशास्त्रियों का देश के अन्य भागो के सम्बन्ध में रहा है। वर्तमान अध्ययन में उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र के कृषि अर्थव्यवस्था में कृषि महिला श्रमिको की सामाजिक एवं आर्थिक दशाओं का अध्ययन करके उनकी समस्याओं को ज्ञात करने का प्रयास किया गया है, विशेषकर झांसी जनपद को अध्ययन का क्षेत्र बनाकर जनपद के कृषि क्षेत्र में कार्यरत कृषि महिला श्रमिको की समस्याओं को समझने का एवं उनके हल करने के सम्भावित सुझाव भी देने का प्रयास किया गया है।

वर्तमान अध्ययन सात अध्यायों में विभाजित है। पहले अध्याय में झाँसी जनपद के ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सामाजिक एवं आर्थिक रूपरेखा द्वितीयक समको के आधार पर प्रस्तुत की गई है। दूसरे अध्याय में वर्तमान अध्ययन की विधि, सैंम्पुल डिजाइन, विकास खण्ड का चुनाव, गांव का चुनाव और परिवारो के चुनाव की विधि को स्पष्ट किया गया है। तीसरे अध्याय में ग्रामीण महिला श्रमिको की पारिवारिक एवं सामाजिक दशाओं को स्पष्ट किया गया है। चौथे अध्याय में सर्वेक्षण से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर उनकी आर्थिक दशाओं की व्याख्या की गई है। पांचवे अध्याय में उनके आय स्तर, रोजगार स्तर, उपभोग स्तर और गरीबी की रूपरेखा का विश्लेषण किया गया है। छठे अध्याय में ग्रामीणं क्षेत्रो में चल रहे महिलाओं से सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा और उसका ग्रामीण महिलाओं पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन किया गया है। सातवें अध्याय में जो कि अन्तिम अध्याय है, फील्ड सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों, सूचनाओं एवं

अनुभव के आधार पर निष्कर्षो को स्पष्ट किया गया है तथा ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक में सुधार तथा ग्रामीण क्षेत्रो में चल रहे विभिन्न कार्यक्रमो को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आवश्यक सुझाव दिये गए हैं।

आशा है कि यह शोध प्रबन्ध क्षेत्रीय आधार पर ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक एव सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए प्रतिपादित की जाने वाली नीतियों मे आवश्यक योगदान देने में पर्याप्त होगा।

रंजना शुक्ला
शोधकर्त्ती

सारणी सूची

सारणी सं0	विवरण	पृष्ठ स0

अध्याय - 2

सारणी सं0	विवरण	पृष्ठ सं0
22.	कृषि श्रमिको मे महिला कृषि श्रमिको का प्रतिशत	74
23.	कृषि श्रमिको मे महिला कृषि श्रमिको का अनुपात	75
24.	कृषि श्रमिक परिवार तथा कृषि श्रमिको का प्रतिशत	81
25.	वर्गानुसार महिला कृषि श्रमिको का प्रतिशत	76
26.	जातियों का वर्ग विभाजन	77
27.	कुल परिवारो में कृषि श्रमिक परिवार	78
28.	कुल कृषि श्रमिक परिवारो में कृषि श्रमिको का औसत	80
29.	कृषि श्रमिक परिवार तथा कृषि श्रमिको का प्रतिशत	81
30.	महिला कृषि श्रमिको की संख्या	82
31.	कृषि श्रमिको मे महिला कृषि श्रमिको का अनुपात	83
32.	वर्गानुसार महिला कृषि श्रमिक	84
33.	विभिन्न परिवारो में आश्रित व्यक्तियो का अनुपात	86
34.	परिवारो का वर्गीकरण	87
35.	गांव के श्रमिक परिवारो का विवरण	88
36.	कृषि श्रमिको का औसत	90
37.	श्रमिक परिवार तथा कृषि श्रमिको का प्रतिशत	91
38.	महिला कृषि श्रमिको का विवरण	92
39.	कृषि श्रमिको मे महिला कृषि श्रमिको का अनुपात	93
40.	महिला कृषि श्रमिको का वर्गानुसार विभाजन	94
41.	परिवार तथा काम करने वाले व्यक्तियो का प्रति परिवार अनुपात	97
42.	परिवारो का वर्गीकरण	98
43.	कुल परिवारो में कृषि श्रमिक परिवार का प्रतिशत	99
44.	कृषि श्रमिक परिवार में कृषि श्रमिको का औसत	100
45.	कृषि श्रमिक परिवार तथा कृषि श्रमिको का प्रतिशत	101
46.	कुल कृषि श्रमिको में से महिला कृषि श्रमिको काप्रतिशत	102
47.	कुल कृषि श्रमिको मे महिला कृषि श्रमिको का अनुपात	103
48.	वर्गानुसार महिला कृषि श्रमिको का प्रतिशत	104

अध्याय : 3

मानचित्र
जनपद - झाँसी
उत्तर
दक्षिण
1 इंच = 1 मील
कानपुर की
दिल्ली की
इलाहाबाद की
ललितपुर की
मोंठ
एरच
नदेसिया
बामौर
चिरगाँव
पारीछा
बड़ागाँव
पंडवाहा
गुरौठा
गुरसराय
मारकुआ
झाँसी
बेदौरा
पचवारा
स्यावरी
बरुआसागर
बंगरा
मऊरानीपुर
बबीना
काचनेव
मड़रा
कनेरा
रे. स्टे.
संकेत तालिका
क्र. सं.
विवरण
संकेत
1. जनपद मुख्यालय
2. तहसील मुख्यालय
3. विकास खण्ड मुख्या
4. सड़क
5. रेलवे लाइन
6.
7.
8.

विकासखण्ड-चिरगाँव जनपद - झाँसी

माप - 0.75 सें०मी० = 1 कि०मी०

पिछड़ी तीन ग्राम पंचायतें -

1. वघेरा
2. धमना खुर्द
3. चन्दवारी

क्र० सं०	विवरण	संकेत
1.	राज्य सीमा	
2.	जनपद सीमा	
3	विकास खण्ड सीमा	
4.	गाँव सीमा तथा मुख्यालय	
5.	विकास खण्ड मुख्यालय	
6	पक्की सड़क	
7	कच्ची सड़क	
8.	रेलवे लाइन	
9.	नदी	
	ग्राम पंचायत सीमा / मुख्यालय	
	बिक्री केन्द्र - कृषि विभाग - 3	
	" सहकारिता	
	" इफको	
	" प्राइवेट	
	संग्रहीत — बीज	
	- उर्वरक	
	- - कीटनाशक	
	प्रस्तावित केन्द्र - सहकारिता 2	
	प्राइवेट 3	
	राजकीय नलकूप -	

अध्याय-एक : पृष्ठभूमि

1. भूमिका:

झाँसी उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र का एक जनपद है। जालौन, हमीरपुर, बाँदा, ललितपुर एवं मद्योषा इस क्षेत्र के अन्य जनपद हैं। बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विभिन्न जनपदों की धरातलीय संरचना विषम है पर पूरा क्षेत्र मुख्य रूप से पर्वतीय एवं पठारी है और शेष भाग मैदानी है। पर्वतीय एवं पठारी धरातल वर्षा के जल संचय की दृष्टि से अनुपयुक्त है जो कृषि विकास में एक बाधक तत्व है। साथ ही तापमान की अधिकता प्राकृतिक सुविधाओं को कम करने में सहायक होती है जिसके कारण प्रदेशीय मानकों पर आधारित विकास नीति द्वारा यहाँ के निवासियों को पूर्णतया लाभान्वित नहीं किया जा सका है। परिणाम स्वरूप वर्तमान में भी औद्योगीकरण के विकास की दर बहुत धीमी तथा कृषि अभी भी क्षेत्र की 77.9 प्रतिशत जनसंख्या के जीविकोपार्जन का साधन बना है और जो परम्परागत तकनीक पर आधारित है।

उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल 29.4 हजार वर्ग किलोमीटर है जिसके 17 प्रतिशत क्षेत्र का विस्तार झाँसी, 17 प्रतिशत ललितपुर, 25.9 प्रतिशत बाँदा, 24.9 प्रतिशत हमीरपुर तथा 15.5 प्रतिशत क्षेत्र का विस्तार ललितपुर जनपद में है।[1] क्षेत्र की कुल कृषि योग्य भूमि शुद्ध बोया गया क्षेत्र 1887.6 हजार हेक्टेयर है जो कृषि योग्य भूमि का 90.0 प्रतिशत है। एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र

---

1. सांख्यकीय पत्रिका झाँसी (1994) पेज।

210.8 हजार हेक्टेयर है जो कुल कृषि योग्य भूमि का मात्र 10.1 प्रतिशत है। इस प्रकार क्षेत्र में अधिकांश कृषि योग्य भूमि पर मात्र एक फसल ही उगाई जाती है।

जनसंख्या :

सन् 1981 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 11.09 करोड़ थी। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रो में जिसके विभाजन को सारणी संख्या-एक में किया गया है।

सारिणी संख्या-1

उत्तर प्रदेश की जनसंख्या

क्र0सं0	क्षेत्र	जनसंख्या (लाख में)	राज्य की जनसंख्या से प्रतिशत	जनसंख्या घनत्व प्रतिवर्ग किलोमीटर
1.	पर्वतीय	48.5	4.3	95
2.	पश्चिमी	393.5	35.5	479
3.	केन्द्रीय	196.0	17.7	428
4.	पूर्वी	416.5	37.6	485
5.	बुन्देलखण्ड	54.3	4.9	185
	उत्तर प्रदेश	**11.09 (करोड़ में)**	100.00	377

सारिणी संख्या-1 सांख्यकीय डायरी उत्तर प्रदेश 1989 के आंकड़ों पर आधारित है। पेज सं.49

सारिणी संख्या-। में सन 1981 की जनगणना के अनुसार बुन्देलखण्ड की जनसंख्या प्रदेश की जनसंख्या का मात्र 4.9 प्रतिशत है। जनसंख्याक ` वितरण के अनुसार बांदा जनपद प्रथम तथा झाँसी जनपद का तीसरा स्थान है। अन्य जनपदों की जनसंख्या के विवरण सारणी संख्या -2 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या - 3

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में जनसंख्या

वर्ष 1981 [जनसंख्या हजार में]

क्र0सं0	जनपद	पुरूष	स्त्री	जनसंख्या	बुन्देलखण्ड क्षेत्र की जनसंख्या से प्रतिशत
1.	झाँसी	6.1	5.3	11.4	20.9
2.	ललितपुर	3.1	2.7	5.8	10.6
3.	जालौन	5.4	4.5	9.9	18.3
4.	हमीरपुर	6.4	5.5	11.9	21.8
5.	बाँदा	8.2	7.1	15.3	28.4
	योग	**29.2**	**25.1**	**54.3**	**100.0**

3. सारणी संख्या 2 सांख्यकीय पत्रिका झाँसी मण्डल 1990 पेज संख्या 1 पर आधारित है।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र की जनसंख्या का घनत्व 185 प्रति वर्ग किलोमीटर रहा है, विभिन्न जनपदो के घनत्व को सारणी संख्या 3 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या - 3

बुन्देलखण्ड क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व

(प्रति वर्ग किलोमीटर)

जनपद	जनसंख्या घनत्व
झाँसी	226
ललितपुर	115
जालौन	216
हमीरपुर	167
बाँदा	201
योग	185

सारणी संख्या-3 के अनुसार झाँसी जनपद में जनसंख्या घनत्व 226प्रति वर्ग किलोमीटर तथा जालौन जनपद का दूसरा स्थान है तथा बाँदा का तीसरा जो क्षेत्र की जनसंख्या के घनत्व से अधिक है। ज

---

4. सारिणी संख्या 3 सांख्यकीय पत्रिका झाँसी मण्डल वर्ष 190 पेज संख्या 8 पर आधारित है।

2. बुन्देलखण्ड क्षेत्र के परिप्रेक्ष में झाँसी जनपद :

सन् 1981 की जनगणना के अनुसार णँसी जनपद की जनसंख्या 11.37 लाख रही है जिसमें 62.1 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। झाँसी जनपद में चार तहसीले तथा आठ विकास खण्ड है इसमें जनसंख्या के वितरण को सारणी संख्या 4 में स्पष्ट किया गया है।[5]

सारणी संख्या-4

झाँसी जनपद की जनसंख्या का विवरण

क्र0सं0	विकास खण्ड	कुल जनसंख्या (हजार में)	जनपद की जनसंख्या से विकास खण्ड की जनसंख्या का प्रतिशत
1.	चिरगांव	8.5	74.6
2.	मोठ	9.7	85.1
3.	गुरसरांय	8.8	77.2
4.	बमौर	9.5	83.3
5.	मऊरानीपुर	9.4	82.5
6.	बंगरा	8.8	77.2
7.	बवीना	8.4	73.7
8.	बड़ागांव	7.5	65.8
	योग	70.5	618.4

5. सांख्कीय पत्रिका झाँसी (1981) पेज संख्या 28 पर।

सारणी संख्या 4 के अनुसार मोठ विकास की जनसंख्या सबसे अधिक है तथा बड़ा गांव विकास खण्ड की जनसंख्या सबसे कम तथा चिरगांव विकास खण्ड की जनसंख्या छठवे स्थान पर है। जनपद में जनसंख्या का घनत्व 144 प्रतिवर्ग किलोमीटर है। विभिन्न विकास खण्डो में जनसंख्या घनत्व को सारणी संख्या 5 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या - 5

विकास खण्डो में जनसंख्या घनत्व

(1981-प्रतिवर्ष किलोमीटर)

	विकास खण्ड	जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग किलोमीटर)
1.	चिरगांव	161
2.	मोठ	147
3.	गुरसरांय	120
4.	बामौर	120
5.	मऊरानीपुर	173
6.	बंगरा	166
7.	बवीना	150
8.	बड़ा गांव	142
	योग	**144**

5. सांख्यकीय पत्रिका झाँसी (1991) पेज संख्या 13 व 27

सारणी संख्या 5 से यह स्पष्ट होता है कि चिरगांव विकास खण्ड की जनसंख्या घनत्व 161 प्रतिवर्ग किलोमीटर है। मऊरानीपुर का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक व बमौर का सबसे कम जनसंख्या घनत्व है।

आयु के अनुसार जनसंख्या पर विचार करने पर यह बात स्पष्ट होती है कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र की जनसंख्या 41.3 प्रतिशत जनसंख्या 14 वर्ष से कम तथा 6.4 प्रतिशत जनसंख्या 60 वर्ष से अधिक आयु की रही है। विभिन्न आयु वर्ग के अनुसार क्षेत्र की जनसंख्या के वितरण की सारणी संख्या 6 पर स्पष्ट है।

सारणी संख्या - 6

बुन्देलखण्ड क्षेत्र की जनसंख्या का (1981)

आयु वर्ग के अनुसार विभाजन

लाख में

आयु वर्ग	पुरूष	पुरूष जनसंख्या में प्रतिशत	स्त्रियां	स्त्रियों में जनसंख्या प्रतिशत	कुल	जनसंख्या में प्रतिशत
0-14	12.2	43.0	10.4	41.1	22.6	41.3
15-19	2.9	10.2	2.1	8.3	5.0	9.1
20-24	2.3	8.1	2.1	8.3	4.4	8.0
25-29	2.0	7.0	1.8	7.1	3.8	6.9
30-39	3.3	11.6	3.3	13.0	6.6	12.2
40-49	2.8	9.9	2.4	9.6	5.2	9.5
50-59	1.0	3.6	1.6	6.3	3.6	6.6
670 और उससे अधिक	1.9	6.6	1.6	6.3	3.5	6.4
योग	**28.4**	**100.0 (51.9)**	**25.3**	**100.0 (46.3)**	**54.7**	**100.0**

सारणी संख्या 6 के अनुसार 28.4 लाख पुरूष तथा 25.3 लाख स्त्रियां हैं। आयु विभाजन के अनुसार पुरूष जनसंख्या में 0.14 वर्ष तक की आयु का 43.0 प्रतिशत है जो पुरूष जनसंख्या का सबसे अधिक प्रतिशत है तथा 50-59 तक के आयु वाले पुरूषों का सबसे कम 3.6 प्रतिशत है। स्त्रियों की जनसंख्या में भी 0-14 वर्ष तक की आयु में सबसे अधिक 41.1 प्रतिशत है तथा स्त्रियों में सबसे कम 6.3 प्रतिशत 50 तथा 60 से अधिक आयु वाली स्त्रियां हैं।

सन् 1981 की जनगणना के अनुसार झाँसी जनपद की जनसंख्या 11.37 लाख रही है जिसके आयु के अनुसार विभाजन को सारणी संख्या 7 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या-7

झाँसी जनपद में विभिन्न आयु जनसंख्या (1981) **(लाख में)**

आयु वर्ग	पुरूष	कुल पुरूष जनसंख्या में प्रतिशत	स्त्रियां	कुल स्त्रियों की जनसंख्या में प्रतिशत	कुल जनसंख्या	कुल जनसंख्या में प्रतिशत
0-14	2.5	40.3	2.2	40.7	4.7	40.5
15-19	0.6	9.6	0.5	9.3	1.1	9.5
20-24	0.6	9.6	0.5	9.3	1.1	9.5
25-29	0.4	6.5	0.4	7.4	0.8	6.9
30-39	0.7	11.3	0.6	11.1	1.3	11.2
40-49	0.6	9.7	0.5	9.3	1.1	9.5
50-59	0.4	6.5	0.3	5.6	0.7	6.0
60 और उससे अधिक.	0.4	6.5	0.4	7.4	0.8	6.9
योग	**6.2**	**(53.4)**	**5.4**	**(46.6)**	**11.6**	**100.0**

6. सारणी संख्या-6 सांख्यकीय पत्रिका 1990 झाँसी मण्डल पेज संख्या 31 से 35

7. तालिका संख्या 07 सांख्यकीय पत्रिका जनपद झाँसी पेज संख्या 35 पर आधारित है

सारणी संख्या 7 के अनुसार झाँसी जनपद की कुल जनसंख्या 11.6 लाख है जिसमें 53.4 प्रतिशत पुरूष तथा 46.6 प्रतिशत स्त्रियों की जनसंख्या है।

सन् 1981 की जनगणना के अनुसार झाँसी जनपद की 11.4 लाख कुल जनसंख्या में 7.1 लाख व्यक्ति ग्रामीण थे। जो कुल जनसंख्या के 62.3 प्रतिशत है। 4.3 लाख नगरीय व्यक्ति हैं जो कुल जनसंख्या के 37.7 प्रतिशत है। इनका विभिन्न आयु वर्ग में विभाजन को सारणी संख्या 12 में स्पष्ट किया गया है।[8]

सारणी संख्या-8

झाँसी जनपद में ग्रामीण नगरीय जनसंख्या (1981) (लाख में)

आयु	ग्रामीण	कुल ग्रामीण जनसंख्या में प्रतिशत	नगरीय	कुल नगरीय जनसंख्या से प्रतिशत	कुल जनसंख्या	कुल जनसंख्या से प्रतिशत
0-14	2.9	40.8	1.7	39.5	4.6	40.4
15-19	0.6	8.5	0.5	11.6	1.1	9.6
20-24	0.6	8.5	0.4	9.3	1.0	8.8
25-29	0.5	7.0	0.3	7.0	0.8	7.0
30-39	0.8	11.3	0.5	11.6	1.3	11.5
40-49	0.7	9.9	0.4	9.3	1.1	9.6
50-59	0.5	7.0	0.3	7.0	0.8	7.0
60 एवं उससे अधिक	0.5	7.0	0.2	4.7	0.7	6.1
कुल योग	**7.1**	**62.3**	**4.3**	**(37.7)**	**11.4**	**100.0**

8. सारणी संख्या 8 सांख्यकीय पत्रिका 1990 जनपद झाँसी पेज संख्या 35

जनसंख्या का आर्थिक वर्गीकरण

बुन्देलखण्ड की आय अर्जित करने वाले तथा आश्रित व्यक्ति पर विचार किया जाय, तो जनपद में 1981 की जनगणना के अनुसार आय अर्जित करने वाले व्यक्ति तथा आश्रित व्यक्तियों का अनुपात 1:3.5 रहा है। प्रतिशत के अनुसार आय अर्जित करने वाली जनसंख्या कुल जनसंख्या का 30.4 प्रतिशत है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में आय अर्जित करने वाली ग्रामीण जनसंख्या कुल जनसंख्या का 31.5 प्रतिशत तथा नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या का 26.1 प्रतिशत है। आय अर्जित करने वाली जनसंख्या क्षेत्र के जनपदो में अलग अलग है जिसे सारणी संख्या 9 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या-9

आय अर्जित करने वाली जनसंख्या (प्रतिशत में) वर्ष 1981

जनपद	आय अर्जित आश्रित अनुपात	ग्रामीण (प्रतिशत)	नगरीय (प्रतिशत)	योग
झाँसी	1:3.6	32.4	25.5	27.8
ललितपुर	1:3.2	32.3	26.7	31.5
जालौन	1:3.5	29.0	26.1	28.4
हमीरपुर	1:3.2	31.7	26.4	30.8
बाँदा	1:3	33.8	27.6	30.0
योग	-	**31.5**	**26.1**	**30.4**

सारणी संख्या 9 के अनुसार विभिन्न जनपदो में ललितपुर जनपद की आय अर्जित करने वालों की जनसंख्या और कुल जनसंख्या का 1:3.2 अनुपात रहा है। जालौन जनपद में यह अनुपात 1:3.5, हमीरपुर जनपद में 1:3.2 तथा बाँदा जनपद में अनुपात 1:3 का रहा है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में आय अर्जित करने वाली 16.5 लाख जनसंख्या हे तथा 37.8 लाख जनसंख्या आश्रित है। जिसके द्वारा यह स्पष्ट होता है कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र की 2 तिहाई जनसंख्या आश्रित जनसंख्या है और 1/3 जनसंख्या आय अर्जित करने वाली है।

झाँसी जनपद की आय अर्जित करने वाली जनसंख्या पर विचार करने पर यह ज्ञात हुआ हे कि जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में आय अर्जित करने वाली की जनसंख्या नगरीय क्षेत्र की तुलना में अधिक है। ग्रामीण क्षेत्र में आय करने वालों की जनसंख्या नगरीय क्षेत्र की तुलना में अधिक है। ग्रामीण क्षेत्र में आय अर्जित करने वाली जनसंख्या अधिक होने का कारण यह है कि गांव में मजदूरी दर कम है जिसके कारण परिवार के अधिक से अधिक सदस्यों को मजदूरी करने की आवश्यकता होती है। झाँसी जनपद के ग्रामीणं क्षेत्र में 32.4 आय अर्जित करने वाले हैं। जनपद के विभिन्न विकास खण्डो में आय अर्जित करने वाली जनसंख्या अलग अलग रही है। जिसे सारणी संख्या-10 में स्पष्ट कियां या है।

सारणी संख्या-10

आय अर्जित करने वाली जनसंख्या का कुल जनसंख्या से प्रतिशत

विकास खण्ड	आय अर्जित करने वालों का कुल जनसंख्या से प्रतिशत
चिरगांव	29.1
मोठ	27.5
गुरसरांय	28.7
बामौर	29.0
मऊरानीपुर	29.2
वंगरा	28.4
बवीना	32.2
बड़ागांव	30.3
योग	**26.8**

सारणी संख्या 10 के अनुसार जनपद झांसी के सभी विकास खण्डो में आय अर्जित करने वाली जनसंख्या 26.8 प्रतिशत है। चिरगांव विकास खण्उ में यह जनसंख्या 29.1 प्रतिशत है। मोठ विकास खण्ड में 27.5 प्रतिशत सबसे कम तथा बवीना विकास खण्ड में 32.2 प्रतिशत जो सभी विकास खण्डो में सबसे अधिक है।

जनसंख्या वृद्धि

प्रदेश स्तर पर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि हुई है। प्रदेश की जनसंख्या में सन 1901 से 1981 तक की जनसंख्या में होने वाली वृद्धि 148.7 प्रतिशत रही है। दशक के आधार पर 1901 से 1911 के दशक में जनसंख्या वृद्धि (-1.1) प्रतिशत, 1911 से 1921 में जनसंख्या की वृद्धि (-1.3) प्रतिशत थी। इसके पश्चात प्रत्येक दशक प्रदेश की जनसंख्या में होने वाली वृद्धि 8 से 9 प्रतिशत रही है।

सारणी संख्या - 1[1]

उत्तर प्रदेश में प्रति दशक जनसंख्या वृद्धि (प्रतिशत में)

वर्ष	जनसंख्या (लाख में)	प्रतिशत में प्रति दशक अंतर
1901	47.6	-
1911	48.2	-1.1
1921	46.7	-1.3
1931	49.8	9.4
1941	56.5	8.8
1951	63.2	9.0
1961	73.8	8.6
1971	88.3	8.2
1981	110.9	8.0
योग 1901-1981	-	**148.7**

11. सांख्यकीय डायरी उ0 प्र0 1989 पेज संख्या 22 पर आधारित है।

प्रदेश के साथ-साथ बुन्देलखण्ड क्षेत्र की जनसंख्या में भी निरन्तर वृद्धि हुई है। सन् 1901 से 1981 तक क्षेत्र की जनसंख्या में होने वाली वृद्धि 141.1 प्रतिशत रही है। दशक के अनुसार वही प्रवृत्ति क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि में विद्यमान रही है। क्षेत्र की जनसंख्या भी प्रत्येक दशक में 4 से 26 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि को सारणी संख्या-12 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या - 12

बुन्देलखण्ड क्षेत्र की जनसंख्या में प्रति दशक वृद्धि

वर्ष	जनसंख्या (लाख में)	प्रति दशक अन्तर प्रतिशत में
1901	22.5	-
1911	23.6	+4.8
1921	22.2	-5.8
1931	24.0	+8.2
1941	27.4	+13.8
1951	28.9	+21.1
1961	35.0	+21.3
1971	42.9	+26.6
1981	54.3	+22.5
	योग	+141.1

11. सांख्यकीय पत्रिका झांसी मण्डल 1990 पेज 25 से 27

सारणी संख्या 12 के अनुसार 1911 से 1921 में होने वाली वृद्धि -5.8 प्रतिशत रही है। इसके बाद जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि होती रही है। 1971 से 1981 के बीच जनसंख्या में होने वाली वृद्धि 22.5 प्रतिशत रही है। जो उत्तर प्रदेश की तुलना में अधिक रही है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 1971-1981 के दशक में 8.0 प्रतिशत तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र के इसी दशक में जनसंख्या का 22.5 प्रतिशत का अन्तर रहा है।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र की ग्रामीण जनसंख्या में होने वाली वृद्धि सन 1901-1981 में 141.1 प्रतिशत रही है तथा नगरीय जनसंख्या में होने वाली वृद्धि 148.7 प्रतिशत रही है। इस प्रकार ग्रामीण जनसंख्या में होने वाली वृद्धि अधिक तीव्र रही है। इन दोनों प्रकार की वृद्धियों को सारणी संख्या 13 में स्पष्ट किया गया है।[12].

सारणी संख्या 13

बुन्देलखण्ड के ग्रामीण नगरीय क्षेत्रो में प्रतिदशक जनसंख्या वृद्धि

वर्ष	ग्रामीण	नगरीय
1901	-	5
1911	+4.5	+7.3
1921	-6.3	-2.6
1931	+8.3	+7.1
1941	+12.1	+25.8
1951	+2.8	+23.1
1961	+24.5	+2.7
1971	+21.1	+32.2
1981	+18.7	+72.4
1901-1981	**+141.1**	**+148.7**

12. सारणी संख्या 12 सांख्यकीय पत्रिका झाँसी मण्डल 1990 पेज संख्या 25 से 27 पर आधारित है।

झाँसी जनपद

झाँसी जनपद के चार तहसीलों झाँसी, मऊरानीपुर, गरौठा एवं मोठ में बंटा हुआ है। प्रत्येक तहसील में दो विकास खण्ड है। झाँसी सदर में बवीना व बड़ा गांव। मऊरानीपुर तहसील में मऊरानीपुर व वंगरा गरौठा तहसील में बामौर व गुरसरांय तथा मोठ तहसील में मोठ व चिरगांव विकास खण्ड है जिनको सारणी संख्या 18 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या-14

झाँसी जनपद
(तहसील तथा विकास खण्ड)

क्र.सं.	तहसीलों के नाम	विकास खण्डो के नाम
1.	झाँसी सदर	(अ) बवीना
		(ब) बड़ागांव
2.	मऊरानीपुर	(अ) वंगरा
		(ब) मऊरानीपुर
3.	गरौठा	(अ) बामौर
		(ब) गुरसरांय
4.	मोठ	(अ) चिरगांव
		(ब) मोठ

झाँसी जनपद का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 2024 वर्ग किलोमीटर है, जिसे दो पृथक भौतिक इकाइयों में बांटा जा सकता है। उत्तर में निचला स्तर एवं उपजाऊ भूमि का भूभाग और दक्षिण में पठारी भाग। उत्तरी भू भाग की अधिकांश भूमि समतल व मैदानी हे, जिसमें कहीं कहीं छोटी छोटी पहाड़ियां फैली हुई हैं। इसमें झाँसी, मोठ, गरौठा व मऊरानीपुर तहसील का उत्तर पूर्वी भाग आता है।

दक्षिण भूभाग में झांसी और मऊरानीपुर का दक्षिण भाग सम्मिलित है, जिसमें उपलब्ध चट्टानी पहाड़ियां अपने आप में विविधता उत्पन्न करती हैं। पहाड़ियों पर कोई वनस्पति आदि नहीं आती है। उत्तरी भू भाग की मिट्टी चिकनी और काली है, जिसमें सूखने के बाद दरार पड़ जाती है। दक्षिण भू-भाग की मिट्टी प्रायः लाल रंग की ओर कम उपजाऊ है।

झाँसी जनपद उत्तर प्रदेश की दक्षिण पश्चिमी सीमा पर सिथत है। इस जनपद की उत्तरी सीमा से जालौन जनपद लगा हुआ है, वेतवा नदी इसी सीमा को रेखांकित करती है। पूर्वी सीमा पर हमीरपुर जनपद तथा पश्चिमी दक्षिण सीमाओं के दोनों ओर मध्य प्रदेश की सीमा केवल ललितपुर छोड़ कर लगी हुई है।

झाँसी जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल 5024 वर्ग किलोमीटर है। सन् 1981 की जनगणना के अनुसार झाँसी जनपद की जनसंख्या 11.4 लाख जिसकी 62.1 प्रतिशत ग्रामीण तथा 37.9 प्रतिशत नगरीय क्षेत्रो में निवास करती है। 1901-1981 के बीच जनपद की जनसंख्या में होने वाली वृद्धि 30.7% रही है, जबकि देश की जनसंख्या वृद्धि 24 प्रतिशत रही है। जनपद के प्रत्येक दशक की वृद्धि को सारणी

संख्या 15 में स्पष्ट की गई है।[15]

सारणी संख्या 15

झांसी जनपद की जनसंख्या तथा प्रति दशक वृद्धि प्रतिशत में

वर्ष	जनसंख्या (लाख में)	प्रतिदशक अंतर	बुन्देलखण्ड में प्रतिदशक अन्तर
1901	4.3	-	-
1911	4.7	+9.7	+4.8
1921	4.2	-9.9	-5.8
1931	4.8	+13.2	+8.2
1941	5.4	+12.2	+13.8
1951	5.7	+5.6	+21.1
1961	7.1	+26.2	+21.3
1971	8.7	+218	+26.6
1981	11.4	+30.7	+22.5
1901-1981	**-**	**+166.4**	**+141.1**

सारणी संख्या 15 के अंतर्गत 1971-1981 के बीच जनपदझाँसी

15. सारणी संख्या 15 सांख्यकीय पत्रिका जनपद झाँसी 1990 पेज संख्या 32 पर आधारित है।

में होने वाली वृद्धि का अंतर 9.1 प्रतिशत और बुन्देलखण्ड क्षेत्र में यही अंतर 4.1 प्रतिशत है। जनपद की ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या वृद्धि के प्रतिदशक अंतर को सारणी संख्या 16 में दर्शाया गया है।[16]

सारणी संख्या 16

जनपद की ग्रामीण नगरीय जनसंख्या की प्रतिदशक वृद्धि (प्रतिशत में)

वर्ष	जनसंख्या (लाख में)	ग्रामीण	नगरीय	कुल
1901	4.3	-	-	-
1911	4.7	+5.3	+22.5	+9.7
1921	4.2	-12.5	-3.4	-9.9
1931	4.8	+13.3	+13.0	+13.2
1941	4.4	+9.6	+18.3	+12.2
1951	5.7	-3.1	+24.0	+5.6
1961	7.1	+29.1	+21.5	+26.2
1971	8.7	+20.50	+24.0	+21.8
1981	11.4	+28.8	+34.3	+37.7
1901-1981	-	**+121.8**	**+296.7**	**+166.4**

16. सारणी संख्या 17 सांख्यकीय पत्रिका जनपद झाँसी 1990 पेज संख्या 32

सारणी संख्या 16 के अनुसार 1901-1981 में ग्रामीण जनसंख्या में होने वाली वृद्धि 121.8 प्रतिशत तथा नगरीय 296.7 प्रतिशत रही है। सारणी संख्या 19 के आंकड़ों के द्वारा जनपद की ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या में होने वाली वृद्धि से यह ज्ञात होता है कि ग्रामीण से नगरीय जनसंख्या की वृद्धि की गति तीव्र है।

उत्तर प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि, बुन्देलखण्ड की जनसंख्या तथा झाँसी जनपद की जनसंख्या वृद्धि के वितरण की सारणी संख्या 17 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या 17

उत्तर प्रदेश,बुन्देलखण्ड एवं झाँसी जनपद की प्रतिदशक जनसंख्या वृद्धि

(प्रतिशत में)

वर्ष	उत्तर प्रदेश	बुन्देलखण्ड	जनपद
1901	-	-	-
1911	-1.08	+4.8	+9.7
1921	-1.3	-5.8	-9.9
1931	+9.4	+8.2	+13.2
1941	+8.8	+13.8	+12.2
1951	+8.9	+21.1	+5.6
1961	+8.6	+21.3	+26.2
1971	+8.2	+26.6	+21.8
1981	+8.0	+22.5	+30.8
1901-1981	**+148.7**	**+131.1**	**+166.4**

यदि जनसंख्या वृद्धि का तुलनात्मक अध्ययन किया जाय तो सारणी संख्या 17 के अनुसार जनपद में प्रतिदशक जनसंख्या की वृद्धि सबसे अधिक हुई है। सन् 1971-1981 के बीच जनपद की जनसंख्या में होने वाली वृद्धि 30.7 प्रतिशत, बुन्देलखण्ड की 22.5 प्रतिशत और उत्तर प्रदेश की 8.0 प्रतिशत रही है। जिसके कारण यह स्पष्ट होता है कि झाँसी जनपद की जनसंख्या वृद्धि देश की जनसंख्या वृद्धि की तुलना में भी अधिक रही है।

जनसंख्या वृद्धि के द्वारा ही झाँसी जनपद देश में आर्थिक दृष्टि से अधिक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। सन् 1971-81 दशक में जनसंख्या वृद्धि देश के अन्य क्षेत्रों से जनपद झांसी में ही रही है 1971 के दशक में जनसंख्या वृद्धि 21.8 प्रतिशत थी जो 1981 में बढ़कर 30.7 प्रतिशत हो गई।

यदि झाँसी जनपद के ग्रामीण क्षेत्रो की जनसंख्या वृद्धि पर विचार किया जाय तो यह कहा जा सकता है कि जनपद में ऐसे विकास खण्ड भी हैं जिनमें जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत जनपद में अधिक है। बबीना विकास खण्ड में 1971-81 के बीच जनसंख्या में होने वाली वृद्धि 43.44 प्रतिशत रही है। विभिन्न विकास खण्डो की जनसंख्या वृद्धि को सारणी संख्या 18 में स्पष्ट किया गया है।

.....

सारणी संख्या 18.

विकास खण्डवार जनपद की 1971-81 की जनसंख्या वृद्धि (प्रतिशत में)

क्र.सं.	विकास खण्ड का नाम	1971-81 में जनसंख्या वृद्धि (हजार में)	दशक में वृद्धि (प्रतिशत में)
1.	चिरगांव	85.2	24.7
2.	मोठ	96.5	13.5
3.	गुरसरांय	87.6	10.7
4.	बामौर	95.4	15.7
5.	मऊरानीपुर	93.8	29.9
6.	वंगरा	87.6	20.8
7.	बबीना	84.2	43.4
8.	बड़ा गांव	75.4	10.5
	योग ग्रामीण	**705.7**	**19.4**

---

18. तालिका संख्या 18 सांख्यकीय पत्रिका जनपद झाँसी 1990, पेज संख्या 28

जनसंख्या का आर्थिक वर्गीकरण

सन् 1981 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 11.09 करोड़ थी, प्रदेश की जनसंख्या के आर्थिक वर्गीकरण के अनुसार 189.6 लाख कृषक, 51.7 लाख कृषि श्रमिक, 1.8 लाख पशुपालक, 0.2 खान खोदने वाले, 10.5 लाख पारिवारिक उद्योग, 16.6 लाख गैर पारिवारिक उद्योग 323.9 लाख कुल मुख्य कर्मकार, 16.6 लाख सीमान्त कर्मकार तथा 768.1 लाख कार्य न करने वाले व्यक्ति हैं। मुख्य कर्मकार कुल जनसंख्या के 29.2 प्रतिशत है।

यदि बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जनसंख्या के आर्थिक वर्गीकरण पर विचार किया जाय तो यह कहा जा सकता है कि सन 1981 की जनगणना के अनुसार कुल मुख्य कर्मकारों की जनसंख्या 30.5 प्रतिशत थी, मुख्य कर्मकारों का बुन्देलखण्ड में विवरण को सारणी संख्या 19 में स्पष्ट किया गया है।[19]

सारणी संख्या 19

मुख्य कर्मकार जनसंख्या (प्रतिशत में)

जनपद	ग्रामीण क्षेत्र में 1981	नगरीय क्षेत्र में 1981	कुल जनसंख्या का प्रतिशत वर्ष 1981
झाँसी	29.2	25.5	27.8
ललितपुर	32.3	26.7	31.5
जालौन	29.3	26.1	28.4
हमीरपुर	31.7	26.4	30.8
बाँदा	33.8	27.6	33.0
योग	31.8	26.1	30.4

19. सारणी संख्या 19 सांख्यकीय पत्रिका 1990 झाँसी मण्डल पेज सं. 9

सारणी संख्या 19 द्वारा स्पष्ट है कि कुल कर्मकार जनसंख्या का 27.8 प्रतिशत झाँसी जनपद में है बुन्देलखण्ड क्षेत्र की जनसंख्या का 31.5 प्रतिशत ग्रामीण कर्मकार तथा 26.1 प्रतिशत नगरीय कर्मकार है।

बुन्देलखण्ड में कुल कर्मकारों का 23.8 प्रतिशत भाग कृषि कर्मकारों का है तथा कुल जनसंख्या में 6.4 प्रतिशत कृषि श्रमिकों का है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में कृषि कर्मकारों तथा कृषि श्रमिकों का विवरण सारणी संख्या 20 में स्पष्ट किया गया है।[20]

सारणी संख्या-20

जनपदो में कृषि कर्मकार तथा कृषि श्रमिक जनसंख्या वर्ष 1981

जनपद	कृषि कर्मकारों का कुल जनसंख्या से प्रतिशत (कृषि मजदूर तथा कृषक सम्मिलित करते हुये)	कृषि श्रमिकों का कुल जनसंख्या से प्रतिशत
झांसी	17.0	3.4
ललितपुर	25.1	3.1
जालौन	22.4	5.7
हमीरपुर	25.2	8.7
बांदा	26.3	8.5
योग	23.8	6.5

सारणी संख्या 20 से यह स्पष्ट होता है कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र

में कृषक तथा कृषि मजदूरों की कुल जनसंख्या 23.8 प्रतिशत है तथा कुल जनसंख्या 23.8 प्रतिशत है तथा कुल जनसंख्याका 6.4 प्रतिशत कृषि श्रमिक हैं, झाँसी जनपद में कृषि कर्मकार 17.0 प्रतिशत है तथा कुल जनसंख्या का 3.4 प्रतिशत कृषि श्रमिक है झाँसी जनपद की कुल जनसंख्या में से 30.5 प्रतिशत व्यक्ति कुल मुख्य कर्मकार है जिसमें 89.1 प्रतिशत व्यक्ति कृषि कार्य में लगे हुये हैं। 2.8 प्रतिशत व्यक्ति उद्योग में लगे हुये है, इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि झाँसी की जनसंख्या अधिकांशतः कृषि कार्य पर ही केन्द्रित है कुल मुख्य कर्मकारों का 50.8 प्रतिशत कृषि, 18.8 प्रतिशत कृषि श्रमिक, 5.1 प्रतिशत उद्योग और 11.1 प्रतिशत अन्य कर्मकार है। विभिन्न उद्योगो में लगे कर्मकारों का प्रतिशत सारणी संख्या 21 में स्पष्ट किया गया है।[21]

सारणी संख्या 21

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में कुल मुख्य कर्मकारों का प्रतिशत

क्र.सं.	कर्मकार	प्रतिशत
1.	कृषक	50.8
2.	कृषि श्रमिक	18.8
3.	पशुपालन व जंगल लगाना	0.6
4.	खान खोदना	0.2
5.	उद्योग	5.1
6.	निर्माण कार्य	1.2
7.	व्यापार एवं वाणिज्य	3.6
8.	यातायात एवं संचार	2.1
9.	सीमान्त कर्मकार	6.5
10.	अन्य कर्मकार	11.1
	कुल मुख्य कर्मकार	30.5

21. सारणी संख्या 21 सांख्यकीय पत्रिका 1990 झांसी मण्डल पेज सं. 23

सारणी संख्या 21 के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में कृषक तथा कृषि मजदूरों को सम्मिलित करते हुये कुल जनसंख्या का लगभग 70 प्रतिशत भाग कृषि कर्मकारों का है।

झाँसी जनपद के आठों विकास खण्डो की जनसंख्या के आर्थिक वर्गीकरण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कुल मुख्य कर्मकारों का 48.5 प्रतिशत कृषक, 12.4 प्रतिशत कृषक मजदूर, 5.2 प्रतिशत पारिवारिक उद्योग एवं अन्य कर्मकार 34.0 प्रतिशत है। झांसी जनपद के आठों विकास खण्डो में आर्थिक वर्गीकरण के अनुसार कुल मुख्य कर्मकारों का वर्गीकरण सारणी संख्या 22 में स्पष्ट किया गया है।[22]

सारणी संख्या 22

झाँसी जनपद के कर्मकारों का वर्गीकरण-1981 (प्रतिशत में)

क्र0सं0	कर्मकार	संख्या (लाख में)	प्रतिशत
1.	कृषक	1.5	48.5
2.	कृषक मजदूर	0.4	12.4
3.	पारिवारिक उद्योग	0.2	5.2
4.	अन्य कर्मकार	1.1	34.0

22. सारणी संख्या 22 सांख्यकीय पत्रिका 1990 झाँसी जनपद पेज संख्या 3।

झाँसी जनपद के समस्त विकास खण्डो में कुल जनसंख्या का 29.2 प्रतिशत कर्मकार जनसंख्या थी। जिसका 85.5 प्रतिशत भाग कृषि में लगा हुआ था। जनपद के समस्त विकास खण्डो में अनुसूचित जाति, जनजाति जनसंख्या कर्मकार जनसंख्या का विवरण सारणी संख्या 23 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या 23

अनुसूचित जाति, जनजाति तथा कर्मकार जनसंख्या का वर्गीकरण

वर्ष 1981 (प्रतिशत में)

क्र.सं.	विकास खण्ड	अनुसूचित जाति एवं जनजाति	कुल मुख्य कर्मकार	कृषि में लगे कर्मकार
1.	चिरगांव	29.3	29.1	91.0
2.	मोठ	30.4	27.5	93.0
3.	गुरसरांय	34.9	28.7	88.6
4.	बामोर	33.0	29.0	90.1
5.	मऊरानीपुर	34.9	29.2	87.2
6.	बेगरा	34.7	28.4	87.4
7.	बवीना	29.2	32.2	73.3
8.	बड़ागांव	31.5	30.3	72.1
	योग	**32.4**	**29.2**	**85.5**

23. सारणी संख्या 23 सांख्यकीय पत्रिका 1990 झांसी जनपद पेज संख्या 12

सारणी संख्या 27 के अनुसार दिये गये आंकड़ों से यह ज्ञात होता है कि सबसे अधिक 29.2 प्रतिशत मुख्य कर्मकार मऊरानीपुर विकास खण्ड में है। कृषि कार्य में लगे कर्मकारों की संख्या 93.0 प्रतिशत मोठ विकास खण्ड में सबसे अधिक है। अनुसूचित जाति तथा जनजातियों की जनसंख्या दो विकास खण्ड गुरसरांय तथा मऊरानीपुर विकास खण्ड में है। झाँसी जनपद में आवासीय मकान परिवारों की संख्या, अनुसूचित जाति तथा जनजाति एवं काम न करने वाले कर्मकारों की सारणी संख्या 24 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या 24

जनसंख्या विभाजन लाख में

	आवासीय मकानों की संख्या (लाख में)	परिवारो की संख्या (लाख में)	अनुसूचित जातियां (लाख में)			अनुसूचित जनजातियां (लाखमें)			काम न करने वाले कर्मकार (लाख में)		
			स्त्री	पुरूष	योग	स्त्री	पुरूष	योग	स्त्री	पु.	योग
ग्रामीण	1.1	1.3	1.0	1.3	2.3	23	26	47	2.9	1.9	4.8
नगरीय	0.7	0.7	0.5	0.5	1.0	2	2	4	1.9	1.3	3.2
योग	1.8	2.0	1.5	1.8	3.3	25	28	53	4.8	3.2	8.0

सारणी संख्या 24 के आंकड़ों के अनुसार जनपद में लगभग 2.0 लाख परिवारों की संख्या, 3.3 लाख अनुसूचित जातियों, 53 कुल जनजातियां है तथा काम न करने वाले 8.0 लाख व्यक्ति हैं। यदि सारणी संख्या 28 पर विचार किया जाय

24. सारणी संख्या 24 जिला जनगणना हस्तपुस्तिका 1981 पेज संख्या 13, 14, 15 पर आधारित है।

तो यह कहा जा सकताहैं कि जनपद की कुल जनसंख्या 11.4 लाख में से 8.0 लाख व्यक्ति काम न करने वाले कर्मकार हैं।

सन् 1981 की जनगणना के अनुसार जनपद में 1.5 लाख कृषक हैं। जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में 1.4 लाख कृषक तथा 0.4 लाख कृषि श्रमिक निवास करते हैं। विभिन्न विकास खण्डो में कृषक तथा कृषि श्रमिकों का विवरण तालिका संख्या 29 में स्पष्ट किया गया है।[25]

सारणी संख्या 25

विकास खण्डो में कृषक तथा कृषि श्रमिकों की जनसंख्या (1981)

विकास खण्ड	कृषक (हजार में)	कृषि श्रमिक (हजार में)	कृषि श्रमिकों का कृषकों से प्रतिशत
चिरगांव	18.2	4.3	23.6
मोठ	20.2	4.5	22.2
गुरसरांय	17.6	4.7	26.7
बामौर	19.2	5.7	29.7
मऊरानीपुर	17.8	6.0	33.7
बंगरा	17.7	4.1	23.2
बबीना	17.7	2.1	11.9
बड़ा गांव	13.2	3.3	25.0
योग	141.6	34.7	24.5

25. सारणी संख्या 25 सांख्यकीय पत्रिका जनपद झांसी पेज संख्या 30

सारणी संख्या 25 के आंकड़ों के अनुसार जनपद के सभी विकास खण्डो में कृषकों तथा कृषि श्रमिकों की संख्या अलग अलग पाई गई है। मऊरानीपुर विकास खण्ड में सबसे अधिक कृषि श्रमिकों की संख्या है तथा बबीना विकास खण्ड में कृषि श्रमिक सबसे कम है। मोठ विकास खण्ड में 20.2 हजार कृषक है जो जनपद के ग्रामीण क्षेत्र के सबसे अधिक कृषक है तथा गुरसरांय विकास खण्ड में सबसे कम कृषक निवास करते हैं। झाँसी जनपद के 1.5 लाख कृषक में से 1.4 लाख कृषक ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं तथा जनपद के 0.4 लाख कृषि श्रमिक (मजदूर) ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि जनपद की लगभग 93 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर है।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति संख्या :

उत्तर प्रदेश की 11.9 लाख जनसंख्या में से 12.4 प्रतिशत अनुसूचित जाति या जनजाति निवास करती है जिसमें से 19.1 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा जनजाति ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। उत्तर प्रदेश की कुल अनुसूचित जाति तथा जनजाति का 25.6 प्रतिशत भाग बुन्देलखण्ड क्षेत्र में निवास करता है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति तथा जनजाति का 1/4 भाग बुन्देलखण्ड क्षेत्र में निवास करता है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जनपदो में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों का कुल जनसंख्या से प्रतिशत का विवरण सारणी संख्या 30 में स्पष्ट किया गया है।[26]

---

26. सारणी संख्या 26 सांख्यकीय पत्रिका झांसी मण्डल 1990 पेज संख्या 8

सारणी सं. - 26

अनुसूचित जाति तथा जनजातियों का कुल जनसंख्या से प्रतिशत (1981)

जनपद	कुल जनसंख्या (लाख में)	अनुसूचित जाति तथा जनजातियों का कुल जनसंख्या से प्रतिशत
झाँसी	11.4	28.7
ललितपुर	5.8	24.4
जालौन	9.9	27.2
हमीरपुर	11.9	24.6.
बाँदा	15.3	23.6
योग	**54.3**	**25.6**

झाँसी जनपद की 1981 की **जनगणना** के अनुसार कुल जनसंख्या का 28.7 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की है। जनपद की कुल अनुसूचित जाति एवं जनजातियों की **ग्रामीण** जनसंख्या 32.4 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। जिसका आठों विकास खण्ड में वितरण को सारणी संख्या 27 में स्पष्ट कियागया है।[27]

---

27. सारणी संख्या 27 सांख्यकीय पत्रिका झाँसी जनपद 1990 पेज संख्या 29

सारणी संख्या-27

अनुसूचित जाति तथा जनजाति का विकास खण्डो में वितरण (1981)

क्र.सं.	विकास खण्ड	जनसंख्या (हजार में)	अनुसूचित जाति एवं जनजाति की संख्या (हजार में)	जनसंख्या से प्रतिशत
1.	चिरगांव	85.2	24.9	29.3
2.	मोठ	96.5	29.3	30.4
3.	गुरसरांय	87.6	30.6	34.9
4.	वामौर	95.4	31.5	33.0
5.	मऊरानीपुर	93.7	32.7	34.9
6.	वंगरा	87.6	30.4	35.7
7.	ववीना	84.2	25.2	29.9
8.	बड़ा गांव	75.4	23.5	31.4
	योग	**705.6**	**228.3**	**32.4**

यदि झाँसी जनपद की अनुसूचित जाति तथा जनजाति जनसंख्या पर विचार किया जाय तो यह कहा जा सकता है कि गुरसरांय और मऊरानीपुर विकास खण्ड में अनुसूचित जाति तथा जनजातियों का 34.9 प्रतिशत सबसे अधिक प्रतिशत है। सबसे कम प्रतिशत 29.3 चिरगांव विकास खण्ड में है। झाँसी जनपद के आठों विकास खण्डो में अनुसूचित जाति तथा जनजातियों की 29.3 से 34.9 प्रतिशत तक जनसंख्या है।

झाँसी जनपद में अनुसूचित जाति तथा जनजातियों में आर्थिक वर्गीकरण के अनुसार काश्तकार, खेतीहर मजदूर, पारिवारिक उद्योग, अन्य काम करने वाले, सीमान्त काम करने वाले तथा काम न करने वाले व्यक्तियों के विवरण को सारणी संख्या 32 में स्पष्ट किया गया है।[28]

सारणी संख्या 28

अनुसूचित जाति एवं जनजातियो का आर्थिक वर्गीकरण

वर्ष 1981 **(हजार में)**

	काश्तकार (मुख्य काम करने वाले)			खेतीहर मजदूर			पारिवारिक उद्योग		
	कुल	पु0	स्त्री	कुल	पु0	स्त्री	कुल	पु0	स्त्री
ग्रामीण	38.0	36.2	1.8	21.6	16.8	4.8	3.1	2.5	0.6
नगरीय	1.5	1.4	0.1	1.5	1.2	0.3	5.2	3.5	1.8
योग	**39.5**	**37.6**	**1.9**	**23.1**	**18.0**	**5.1**	**8.3**	**6.0**	**2.3**

	अन्य काम करने वाले			सीमान्त काम करने वाले			काम न करने वाले		
	कुल	पु0	स्त्री	कुल	पु0	स्त्री	कुल	पु0	स्त्री
ग्रामीण	7.4	6.8	0.6	8.6	0.8	7.8	149.6	61.9	87.7
नगरीय	18.6	16.3	2.3	1.8	0.3	1.5	69.1	29.2	39.9
योग	**26.0**	**23.1**	**20**	**104**	**11**	**9.3**	**218.7**	**91.1**	**127.6**

सारणी संख्या 28 के आंकड़ों के अनुसार 39.5 हजार व्यक्ति काश्तकार है। 23.1 हजार व्यक्ति खेतीहर मजदूर, 8.3 हजार व्यक्ति पारिवारिक उद्योग में लगे है तथा 218 हजार व्यक्ति ऐसे हैं जो काम नहीं करते हैं। जिसमें से 91.1 हजार पुरूष तथा 127.6 हजार स्त्रियां हैं।

यदि ग्रामीण क्षेत्र की अनुसूचित जाति तथा जनजाति की जनसंख्या पर विचार किया जाय तो ग्रामीण क्षेत्र की कुल जनसंख्या 32.7 प्रतिशत भाग अनुसूचित जाति तथा जनजाति का है। अनुसूचित जाति तथा जनजाति की कुल मुख्य कर्मकार जनसंख्या का 85.5 प्रतिशत भाग कृषि पर ही निर्भर है। इस प्रकार जनपद की अधिकांश अनुसूचित जाति तथा जनजाति जनसंख्या परम्परागत कृषि पर ही केन्द्रित है।

****

अध्याय : दो - अध्ययन का प्रारूप एवं विधि

1. समस्या का प्रारूप :

भारत सरकार द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर सात ग्रामीण श्रमिकों से संबंधित जांच कराई जा चुकी है। पहली दो जांचे कृषि श्रम जांच के नाम से जानी जाती है जो 1950-51 तथा 1956-57 में कराई गई थी। अन्य पांच जाचें ग्रामीण श्रम जांच के नाम से है जो 1963-65, 1974-75, 1977-78, 1983 तथा 1987-88 में कराई गयी थी। अन्तिम पांच जांचों के अंतर्गत सभी ग्रामीण श्रमिक परिवारों को शामिल किया गया था। नेशनल सम्पुल सर्व के 32वें चक्र से (1977-78) ग्रामीण श्रम सर्वेक्षण को सामान्य रोजगार तथा बेरोजगार के सर्वेक्षण के साथ मिला दिया गया। इस समन्वय के पश्चात समय-समय पर श्रम संबंधी आंकड़ें नेशनल सम्पुल सर्वे द्वारा प्रदान किये जाते हैं।

वर्तमान में 644 लाख कृषि श्रमिक देश में है उनमें से 359 लाख पुरूष तथा लगभग 285 लाख महिला श्रमिक हैं। वे देश के कुल कार्यकारी जनसंख्या का 26.6 है और देश के कुल कृषि श्रमिकों का 38.5 प्रतिशत हैं। यदि अनुसूचित जाति एवं जनजाति की जनसंख्या को मिला दिया जाय तो कुल कृषि श्रमिक का लगभग 46 प्रतिशत है।

ग्रामीण श्रम संबंधी सभी जांचों का उद्देश्य ग्रामीण श्रमिकों की सामाजिक एवं आर्थिक दशाओं को स्पष्ट करना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों को स्पष्ट करना रहा है। इनमें कृषि श्रमिकों के रोजगार, उपभोग स्तर, आय स्तर आदि से संबंधित होते हैं।

पिछले दशक के प्रारम्भ (1979-80) से ग्रामीण क्षेत्र के गरीबी व बेरोजगारी की समस्या के निराकरण के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का प्रारम्भ पांचवीं पंचवर्षीय योजना में प्रारम्भ किया गया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबों की परिभाषा गरीबी की रेखा के आधार पर दी गई। गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों को आय सृजित सम्पत्तियां प्रदान करके उनके जीवन स्तर में सुधार का कार्यक्रम अपनाया गया। धीरे धीरे अनुभव यह किया जाने लगा कि गरीबों की गरीबी के निराकरण के लिऐ उन्हें केवल आय-सृजित सम्पत्तियों का प्रदान किया जाना मात्र पर्याप्त नहीं है। पुरूषों को आय का साधन देने के साथ साथ महिलाओ को भी आत्मनिर्भर बनाने, आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाने तथा परिवार की आय में पुरूषों के आय के साथ वृद्धि करने के लिए कृषि कार्य में लगी महिला श्रमिकों पर अलग से विचार करना आवश्यक हो गया। कृषि पुरूष श्रमिकों के सम्बन्ध में जब कभी भी जांच आयोग की स्थापना की गई उनकी समस्याओं पर विचार करते समय कृषि महिला श्रमिकों पर भी साथ-साथ विचार किया गया पर कृषि क्षेत्र के पुरूष श्रमिकों के साथ कृषि महिला श्रमिकों पर भी विचार कर लेना पर्याप्त नहीं है। उनकी आर्थिक समस्यायें पुरूष श्रमिकों की समस्याओं से कहीं अधिक भयावह है और उनपर अलग से विचार करना आवश्यक है।

कृषि महिला श्रमिकों में तीन प्रकार की महिला श्रमिक हैं। एक तो ऐसी महिला श्रमिक जो अपने पति के साथ साथ उनका हाथ बंटाती है जिससे उनके परिवार की आय बढ़ सके और पति के आय के साथ साथ उनके आय से परिवार का भरण-पोषण एक उपयुक्त तरीके से हो सके। दूसरी ऐसी कृषि महिला श्रमिक है जो परिवार की मुखिया के रूप में परिवार तथा अपना भरण पोषण के लिए मजदूरी का

कार्य करती है तथा अपने भरण पोषण या परिवार के साथ रहकर उनके दायित्व को हलका बनाती है। तीसरे प्रकार की महिला श्रमिकों में उन महिलाओं को रखा जा सकता है जो विभिन्न सामाजिक कारणों से वैवाहिक पारिवारिक जीवन व्यतीत करने से वंचित है तथा वे अपने पति से अलग अपना जीवन यापन मजदूरी के आधार पर कर रही है।

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के मुख्यतया दो अंग है। एक का संबंध ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं से तथा दूसरे का संबंध ग्रामीण युवकों से है जिन्हें आवश्यक प्रशिक्षण देकर विशिष्ट कार्य के योग्य बनाया जाता है।

वर्तमान प्रस्तावित अध्ययन में कृषि महिला श्रमिकों की सामाजिक एवं आर्थिक जीवन से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है।

2. कृषि महिला श्रमिकों पर प्राप्त साहित्य :

पिछले दशक से एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के प्रारम्भ होने के पश्चात इसका ग्राम्य जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का परीक्षण करने के लिए एक बड़ी संख्या में इस बात के अध्ययन का प्रयास किया गया है कि इस कार्यक्रम द्वारा समाज के कमजोर वर्ग के (कृषि श्रमिक तथा सीमान्त कृषकों) के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन को किस सीमा तक प्रभावित किया जा सकता है? इन अध्ययनों का क्षेत्र अलग अलग रहा है। अधिकांश अध्ययन अनुसूचित जाति के कृषि श्रमिकों या सीमान्त कृषकों से ही संबंधित रहे हैं। विभिन्न अध्ययनों के संबंध में संक्षेप में निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है।

कृषि श्रमिकों से संबंधित अध्ययन :

भारत में एक बड़ी संख्या में अध्ययन किए गये है (विशेष कर 60वें दशक के मध्य समय के पश्चात्) इनमें इस बात पर विचार किया गया है कि क्या नवीन कृषि तकनीक कृषि श्रमिकों के आर्थिक जीवन को किस सीमा तक प्रभावित किया है? इनमें से कुछ अध्ययन केवल नवीन तकनीको के कारण कृषि श्रमिकों के मांग में होने वाली कृषि पर विचार किया है। कुछ अध्ययन इसके परिणाम स्वरूप रोजगार के अवसरों पर विचार किया है। साथ ही कृषि क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रो में किस सीमा तक रोजगार के अवसरों का सृजन किया जा सकता है, कुछ शोध कार्यो में कृषि उत्पादकता एवं मजदूरी की दरों के संबंध को स्पष्ट किया गया है। कृषि मजदूरी की दरों में क्षेत्रीय असमानता का पाया जाना एक महत्वपूर्ण विषय इन अध्ययनों में रहता है। तुलनात्मक रूप से कुछ ही अध्ययन प्राप्त हो रहे है जिनके अन्तर्गत रहन-सहन के स्तर, उपयोग स्तर, आय के साधनों पर विचार किया गया है। इन अध्ययनों में कृषि श्रमिकों के खाद्य पदार्थो पर विचार किया गया है जिसके लिए नेशनल सैम्पुल सर्वे द्वारा प्रदत्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। यद्यपि इन अध्ययनों के बारे में विस्तार में नही स्पष्ट किया जा सकता है। विभिन्न अध्ययनों में पुरूष कृषि श्रमिकों को ध्यान में रखकर अध्ययन किया गया है महिला कृषि श्रमिकों पर अलग से विचार नहीं किया गया है। कुछ अध्ययनों के निष्कर्ष को निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है।

(1) वर्धन ने साठ के दशक में सामान्य कृषि सम्पन्नता में कृषि श्रमिकों को

प्राप्त होने वाले हिस्से पर विचार किया है।[1] उनका निष्कर्ष यह रहा है कि साठवें दशक के अन्त में लगभग 70 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या न्यूनतम स्वीकार योग्य रहन सहन के स्तर के नीचे जीवन व्यतीत कर रही थी। भारतीय स्तर पर न्यूनतम स्वीकार योग्य स्तर के नीचे रहने वाली ग्रामीण जनसंख्या साठवें दशक के अंत में बढ़कर दुगनी हो गई है। यह बात बिहार, गुजरात, जम्मू व कश्मीर, मैसूर तथा उत्तर प्रदेश राज्यों के संबंध में था। सन 1960-61, 67-68 के बीच पंजाब में न्यूनतम स्वीकार योग्य सतर के नीचे रहने वाली जनसंख्या में हरित क्रान्ति के परिणामस्वरूप कभी हुई है। सामान्य रूप से प्राय: सभी राज्यो में गरीबों के प्रतिशत में वृद्धि हुई है।

ग्रामीण रोजगार पर हरित क्रान्ति के प्रभाव का उत्तर प्रदेश के उत्तरी एवं पश्चिमी क्षेत्रों में पड़ने वाले प्रभा का अध्ययन शाह और सिंह द्वारा किया। लेखकों का यह निष्कर्ष रहा है कि श्रम का रोजगार (स्थायी एवं आकस्मिक श्रमिकों) प्रगतिशील कृषि क्षेत्रो में कम प्रगतिशील फार्मो की तुलना में अधिक रहा है।[2]

इसी प्रकार अधिक उपज देने वाली फसलों के रोजगार प्रभाव पर अध्ययन गर्ग[3] द्वारा किया गया तथा यह पाया गया कि धान, मक्का तथा गेहूँ के अधिक उपज

---

1. P. Bardhan-Green Revolution and Agricultural Labourers. Economic and Political weekly Vol. V No. 29, 30-31, Special No. July 97.

2. S.L.Shah and L.R.Singh - The Impact of New Agricultural Technology on Rural Employment in North West U.P. - Indian Journal of Agricultural Economics, Vol. 25, No. III, July-Sept. 1970.

3. GARG et.al. Impact of Modern Technology on Rural Unemployment Indian Journal of Agricultural Economics Vol. 27 No. 4, Oct. Dec. 1972.

वाली फसलों द्वारा रोजगार के अवसरों में 19.47, 15.31 और 19.42 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

इसी प्रकार सिंह ने सन 1971-72 में नवीन कृषि उत्पादन तकनीक का कृषि श्रमिकों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया। उन्होंने कृषि क्षेत्र में नवीनीकरण का श्रम रोजगार पर पड़ने वाले प्रभाव का भी अध्ययन किया उनका निष्कर्ष यह रहा है कि आधुनिक तकनीक द्वारा अधिक कृषि श्रमिकों को रोजगार दिया गया।

साधू और सिंह[4] ने श्रम के प्रति एकड़ आवश्यकता पर विचार किया तथा कुल परिवर्ती लागत में श्रम लागत के हिस्से पर नवीन कृषि रणनीति में विचार किया।

लेखकों ने इस परिकल्पना का परीक्षण किया कि नवीन कृषि रणनीति के कारण कृषि रोजगार के अवसरों में कमी हुई है या नही। उनका निष्कर्ष यह रहा है कि नवीन कृषि रणनीति में कृषि श्रमिकों के मांग में वृद्धि हुई है।

एम. एल. सिंह ने 1970-71 में बिहार के पालामऊ जिले के दो गांवों से संबंधित श्रम के बेरोजगार तथा उपलब्ध बेरोजगार को प्रभावित करने वाले तथा इनकी

4.a) Singh et al, Impact of New Agricultural Technology and Mechanization on Labour Employment. - Indian Journal of Agricultural Economics Vol. 27, No. 4, Oct.-Dec. 1972

b) A.N. Sadhu and A. Singh, Agricultural Growth and Farm Employment - Indian Journal of Agricultural Economics Vol. 21 No. 4 (I) Jan. 1979.

सीमा निर्धारित करने के लिए तथा उन तथ्यों के निर्धारण पर विचार किया जो श्रम उपभोग को प्रभावित करते हैं। उन्होंने यह अनुभव किया कि सिचाई के साधनों का विकास करके अल्प बेरोजगार तथा बेरोजगार को समाप्त किया जा सकता है।[5]

के. सिंह ने 1962-63 तथा 1967-68 के बीच सघन क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम में मजदूरी की दर तथा रोजगार की मात्रा में वृद्धि हुई है या कमी हुई है या स्थिर बना हुआ है। उनका निष्कर्ष यह रहा है वास्तविक मजदूरी में एक समय में कमी हुई है तथा प्रति हेक्टेयर श्रम के रोजगार में वृद्धि हुई है।[6]

उपरोक्त के अतिरिक्त कुछ अध्ययन ऐसे हैं जिनमें श्रम के सामाजिक एवं आर्थिक दशाओं पर विचार किया गया है। इन अध्ययनों में कुछ विशेष तथ्यों को स्पष्ट किया गया है।

[6(a)]जौहर तथा शर्मा ने पंजाब के अमृतसर जिले में कृषि श्रमिकों के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन का परीक्षण किया तथा नीति निर्धारकों का ध्यान उनकी गरीबी की

---

5. M.L. Singh - Unemployment in Rural Areas of Palamau District (Bihar) Indian Journal of Agricultural Economics Vol. 27 No. 4 Oct.-Dec. 1972.

6. A. K. Singh - The Impact of New Technology on Agricultural Wage rates and Employment in IADP District. Indian Journal of Agril. Econ. No. 4, Vol. 27, Oct. - Dec. 1997.

6(a) R.S. Johar and O.P. Sharma Agricultural Labour - A Socio-Economic Survey. Indian Journal of Labour Economic Vol. 21, No. III Oct. 1978.

ओर आकृष्ट किया। लेखकों के अनुसार कृषि श्रमिक अत्यन्त दयनीय स्थिति में जीवन यापन कर रहें है।

लक्ष्मी नारायण ने कृषि श्रमिकों के सामाजिक एवं आर्थिक दशाओं में एक निश्चित समय में होने वाले परिवर्तनों पर विचार किया है जिसमें उन्होंने पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तीन गांवों का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि शिक्षा का प्रचार व प्रसार कृषि श्रमिकों के जीवन को बाधित कर रही है। कृषि श्रमिकों के मजदूरी में कृषि क्षेत्र का एक हिस्सा मात्र रह गया है।[7]

इसी पर पानीकर ने कृषि श्रमिकों के रोजगार के स्तर, आय स्तर तथा खाद्य सामग्री पर विचार किया। उनका क्षेत्र केरल का चावल उत्पादक क्षेत्र रहा है। उनका निष्कर्ष यह रहा है कि कृषि श्रमिकों को बड़ी मात्रा में बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है यह कुल श्रम शक्ति का 34 प्रतिशत रहा है। आय स्तर भी न्यून रहा है भले ही मजदूरी स्तर अन्य क्षेत्रो की तुलना में ऊँचा रहा है।[8]

---

7. H. laxmi narayan Changing Conditions of Agril. Labourers Economic and Political Weekly Vol. 12 No. 31-32, 33, Aug. 1978.

8. P.G.K. Panikker - Employment Income and Food Intake among Selected Agril Labourer Households, Economic and Political weekly Vol 12. No. 31, 32, 33 Aug. 1978.

इसी प्रकार चट्टोपाध्याय ने कृषि श्रमिकों के रोजगार के कुछ पक्षों पर विचार किया है। इसके लिए उन्होंने वीर भूमि जिले के कुछ गांवो के कृषि श्रमिकों पर विचार किया जिसमें उन्होंने रहन के स्तर तथा कृषि विकास का उन पर पड़े प्रभाव पर विचार किया। उनका निष्कर्ष यह रहा है कि कृषि श्रमिकों को एक समान वर्ग के रूप में पहचान करना कठिन है। आय स्तर, उपभोग स्तर के आधार पर वे अलग अलग वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं।[9]

ज्ञान सिंह ने 1980-81 में कृषि श्रमिकों के आर्थिक दशाओं का अध्ययन रहन के स्तर, आय के स्रोत तथा उपभोग स्तर पर विचार किया। इनका अध्ययन पंजाब के विकसित जिलो से संबंधित है।[10]

उपरोक्त अध्ययनों से यह स्पष्ट है कि विभिन्न क्षेत्र के कृषि श्रमिकों की विभिन्न समस्याओं पर विचार किया गया है। कृषि महिला श्रमिकों पर अलग से विचार नही किया गया है।

3. प्रस्तावित शोध समस्या का औचित्य :

किसी भी शोध समस्या द्वारा मुख्यतया दो उद्देश्यों की पूर्ति होना आवश्यक होता है। एक तो इसके द्वारा ज्ञान के क्षेत्र में वृद्धि होनी चाहिए दूसरे यदि

---

9. M. Chatopadhyaya - Agril. Labourers of Birhhdun - Indian Journal of Agril. Economics Vol. 32. No. 3, JulySept. 1970.

10. Gyan Singh - Economic condition of Agril. Labourers and Managerial Farmer, B.R. B. R. Publishing Corporation - Delhi.

शोध समस्या का प्रारूप व्यय धारिक है तो समस्या पर विचार द्वारा ऐसे निष्कर्षो पर पहुँचा जा सके जिसके समाधान के लिए नीति या रणनीति में इसके द्वारा सहायता प्राप्त हो सके। जहां तक प्रथम उद्देश्य का प्रश्न है यह प्रस्तावित अध्ययन एक क्षेत्रीय अध्ययन है अतः इसके माध्यम से एक क्षेत्र विशेष की परिस्थितियों को समझने के लिए ज्ञान प्राप्त किया जा सकेगा। दूसरे, देश में आर्थिक नियोजन द्वारा सभी क्षेत्रों एवं वर्गो का एक रूप या सम रूप विकास नहीं किया जा सका है। बल्कि विभिन्न प्रकार के असन्तुलन विकसित हुआ है। क्षेत्र के अनुरूप क्षेत्रीय असनतुलन तथा समाज के वर्गो के अनुसार वर्गीय असन्तुलन का प्रादुर्भाव हुआ है। इन विभिन्न प्रकार के असन्तुलनों में ग्रामीण क्षेत्र का भूमिहीन वर्ग या कृषि श्रमिक वर्ग अधिक रूप से प्रभावित हुआ है। भूमिहीन कृषि श्रमिक होने के कारण कृषि क्षेत्र में होने वाले विकासों के लाभ से वंचित रहा है। कृषि विकास के स्तर के साथ साथ उसके मजदूरी स्तर में पर्याप्त वृद्धि नही हो सकी है बल्कि कुछ तकनीकी विकास कृषि क्षेत्र में ऐसे हुए हैं जिससे उसके रोजगार के अवसरों में वृद्धि के बजाय कमी हुई है और वह शेष रोजगार के अवसरों में कम मजदूरी के ही आधार पर कार्य करने को विवश हुआ है यही दशा कृषि महिला श्रमिकों की भी रही है। पुरूषों की अपेक्षा महिलाओं के मजदूरी स्तर के कम होने के कारण कृषि कार्यो में पुरूषों के स्थान पर महिला श्रमिकों को प्रतिस्थापित करने की प्रवृति पाई गयी है।

जहां तक क्षेत्रीय असन्तुलन का प्रश्न है उत्तर प्रदेश का बुन्देलखण्ड क्षेत्र प्रदेश के अन्य क्षेत्रों की तुलना में आर्थिक दृष्टि से अधिक पिछड़ा हुआ है या विकास के दृष्टिकोण से अल्पविकसित है। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों की तुलना में कृषि श्रमिकों

की संख्या अधिक है। इस बात का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि प्रदेश की लगभग 25 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं जनजाति की जनसंख्या बुन्देलखण्ड क्षेत्र में ही आवास करती है। अतः इस क्षेत्र से संबंधित अध्ययन का महत्व अपने आप स्पष्ट हो जाता है। उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में वर्तमान में सात जनपद (जो पहले छः थे) आते हैं, जो झाँसी, जालौन, हमीरपुर, बाँदा, ललितपुर व महोबा तथा चित्रकूट धाम कर्वी हैं। इन जनपदो में झाँसी जनपद का चुनाव अध्ययन क्षेत्र के रूप में किया गया है। सीमित समय व साधनों के परिवेश में सभी जनपदों पर विचार करना एक शोधार्थी के लिए कठिन है। अतः अध्ययन को झाँसी जनपद तक ही सीमित रखा गया है।

अध्ययन का योगदान :

प्रस्तावित अध्ययन का उद्देश्य एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप कृषि महिला श्रमिकों के आर्थिक एवं सामाजिक जीवनपर पड़ने वाले प्रभाव कृषि विकास में अपनाई गई उत्तम तकनीक, उन्नत बीज, यंत्र एवं अन्य आंकड़ों के परिणामस्वरूप कृषि महिला श्रमिकों के कार्यदशाओं, आय स्तर, रोजगार स्तर, आदि पर पड़ने वाले प्रभावों का मूल्यांकन करना है तथा इस ओर जो भी कमियां और शिथिलताओं के कारण उनके आर्थिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों को अवरूद्ध करने वाले तथ्यों को स्पष्ट करना है तथा ग्रामीण महिला कृषि मजदूरों के आर्थिक जीवन में सुधार के लिए उपयुक्त नीति या रणनीति के लिए आवश्यक सुझाव या उपायों को स्पष्ट किया जा सकेगा।

अध्ययन क्षेत्र :

वर्तमान अध्ययन झाँसी जनपद से संबंधित है। यह जनपद चार तहसीलों,

झाँसी, मोठ, मऊरानीपुर तथा गरौठा में विभाजित है। इन प्रत्येक तहसीलों में दो-दो विकास खण्ड हैं जो क्रम से झाँसी के अन्तर्गत बवीना, बड़ा गांव, मोठ में चिरगांव तथा मोठ, मऊरानीपुर में मऊरानीपुर तथा वंगरा, तथा गरौठा तहसील में गुरसरांय तथा वामौर विकास खण्ड हैं। जिले स्तर पर प्रत्येक विभिन्न तहसीलों के सभी विकास खण्डो में प्रत्येक कृषि महिला श्रमिक परिवारों का एक निश्चित समय के अन्तर्गत अध्ययन करना न तो सम्भव है और न ही वांछनीय है। इसलिए अध्ययन को सुगम बनाने के लिए तहसील, विकास खण्ड तथा विकास खण्ड के निश्चित गांवों को सांख्यकीय विधियों और प्रणालियों का प्रयोग करके अध्ययन के क्षेत्र को सुगम एवं प्रतिनिधित्व करने वाला बनाने का प्रयास किया गया है।

तहसील का चुनाव :

अध्ययन के लिए जनपद के मोठ तहसील को चुना गया है। जिले स्तर पर जनपद के सभी कृषि महिला श्रमिक परिवारों का अध्ययन एक सीमित समय तथा सीमित साधनों द्वारा कठिन है। जनपद स्तर पर श्रमिक परिवारों का सेम्पुल के आधार पर अध्ययन करना भी उपयुक्त नहीं होगा क्योंकि इसमें एक बड़ा सेम्पुल लेना होगा और इस बड़े सेम्पुल के अन्तर्गत अध्ययन की इकाई कृषि महिला श्रमिकों का परिवार का फेलाव पूरे जिले में होगा जिससे सर्वेक्षण का कार्य दुष्कर और कठिन होगा। अध्ययन को विशिष्ट, सुगम तथा उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए जनपद की विभिन्न तहसीलों में मोठ तहसील को चुना गया। तहसील का चुनाव निम्नलिखित तत्वों को ध्यान में रखकर किया गया है।

झाँसी जनपद में कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल में शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 60.8 प्रतिशत है। जिसमें मोठ तहसील में जनपद के प्रतिवेदित क्षेत्रफल में से शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 74.5 प्रतिशत है जो अन्य तहसीलों की तुलना में सबसे अधिक है जैसा कि सारणी संख्या-एक से स्पष्ट है।

सारणी संख्या-एक

झाँसी जनपद के विभिन्न तहसीलों में शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल (ह0है0 में)

तहसीलें	प्रतिवेदित क्षेत्रफल (ह0 है)	शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल (ह0है0)	प्रतिशत
झाँसी	116.8	40.7	34.8
मोठ	118.7	88.4	74.5
मऊरानीपुर	107.4	71.3	66.4
गरौठा	154.0	102.7	66.7
योग ग्रामीण	496.9	303.12	61.1
झाँसी जनपद	502.6	304.9	60.7

2 सिचिंत क्षेत्रफल के अनुसार विभिन्न तहसीलों में ये क्षेत्रफल अलग अलग रहा है। जनपद में कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल में से सिंचित क्षेत्रफल 19.9 प्रतिशत है। मोठ तहसील में जनपद का सबसे अधिक 24.6 प्रतिशत सिंचित क्षेत्रफल है जो अन्य तहसीलों की तुलना में अधिक है। जैसा कि सारणी संख्या-दो में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या-दो

विभिन्न तहसीलो में सिंचित क्षेत्रफल (हे0 हे0 में)

तहसीलें	प्रतिवेदित क्षेत्रफल	सिंचित क्षेत्रफल	प्रतिशत
झाँसी	116.9	25.8	22.1
मोठ	118.7	29.2	24.6
मऊरानीपुर	107.4	20.9	19.4
गरौठा	154.0	23.1	15.0
योग ग्रामीण	496.9	99.0	19.9
झाँसी जनपद	502.6	100.1	19.9

3. इसी प्रकार यदि सकल बोये गये क्षेत्रफल पर विचार किया जाय तो मोठ तहसील का सकल बोया गया क्षेत्र अन्य तहसीलों की तुलना में सबसे अधिक रहा है। यह 33.0 प्रतिशत रहा है। मोठ तहसील कृषि क्षेत्र एवं सिंचित क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भी जनपद की अन्य तहसीलों की तुलना में विकसित या सबसे अधिक सिंचित क्षेत्रफल भी कहा जा सकता है।

---

1. सारणी संख्या एक व दो सांख्यकीय पत्रिका 1991 पेज संख्या 46, 47, एवं 56 पर आधारित है।

जनपद में सकल सिंचित क्षेत्रफल से शुद्ध बोये गये क्षेत्र के प्रतिशत पर विचार करने पर मोठ तहसील में ही सबसे अधिक रहा है। जो सारणी संख्या तीन में स्पष्ट किया गया है।[2]

सारणी संख्या तीन

विभिन्न तहसीलो में शुद्ध बोया गया तथा सकल सिंचित क्षेत्रफल (ह0हे0में)

तहसील	शुद्ध बोया गया क्षेत्र	सकल सिंचित क्षेत्र	प्रतिशत
1. झाँसी	40.7	25.8	63.4
2. मोठ	88.4	29.2	33.0
3. मऊरानीपुर	71.6	20.9	29.2
4. गरोठा	102.8	23.1	22.3
झाँसी जनपद	305.7	100.0	32.7

4. यदि सकल सिंचित क्षेत्र के साथ साथ शुद्ध सिंचित क्षेत्र पर भी विचार किया जाय तो मोठ तहसील में शुद्ध सिंचित क्षेत्र 98.2 प्रतिशत रहा है जिसका

---

2. सारणी संख्या तीन सांख्यकीय पत्रिका 1991 पंज संख्या 47, 49 पर आधारित है।

विवरण तथा अन्य तहसीलों में शुद्ध सिंचित क्षेत्र 98.2% रहा है जिसका विवरण तथा अन्य तहसीलों का विवरण को सारणी संख्या चार में स्पष्ट किया गया है।[3] झाँसी जनपद में सकल सिंचित क्षेत्र 100.1 तथा शुद्ध सिंचित क्षेत्र 98.3 हजार हेक्टेयर है, जनपद का सकल सिंचित क्षेत्र से शुद्ध सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत 98.2 प्रतिशत आता है।

सारणी संख्या-चार

विभिन्न तहसीलो में सकल तथा शुद्ध सिंचित क्षेत्र **(ह0 हेक्टे0 में)**

तहसील	सकल सिंचित क्षेत्र	शुद्ध सिंचित क्षेत्र	शुद्ध सिंचित का प्रतिशत
1. झाँसी	26.8	24.9	96.5
2. मोठ	29.2	28.9	78.1
3. मऊरानीपुर	20.9	20.6	98.1
4. गरोठा	23.1	23.0	99.6
झाँसी जनपद	100.1	98.3	98.2

जनपद के कुल बोये गये क्षेत्रफल में 72.1 प्रतिशत भाग पर रवी की फसल बोई जाती है इस दृष्टिकोण से यदि विभिन्न तहसीलों पर विचार किया जाय तो मोठ तहसील में 75.2% भाग पर रबी की फसल तथा 24.8 प्रतिशत भाग पर

---

3. सारणी संख्या चार सांख्यकीय पत्रिका 1991 पेज संख्या 49 पर आधारित है।

खरीफ की फसल उगाई जाती है। रबी की फसल के क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से मोठ तहसील का गरोठा के बाद दूसरा स्थान है अन्य तहसीलों की तुलना में अधिक है जो सारणी संख्या पांच से स्पष्ट हो जाता है।[4]

सारणी संख्या-पांच

विभिन्न तहसीलों में कुल बोये गये क्षेत्र में रबी तथा खरीफ की फसल का क्षेत्र

(हजार हेक्टेयर में)

तहसील	कुल बोया गया क्षेत्र	रबी की फसल का क्षेत्र	खरीफ की फसल का क्षेत्र	रबी की फसल का क्षेत्र का प्रतिशत	खरीफ की फसल के क्षेत्र का प्रतिशत
झाँसी	53.4	30.1	22.7	56.4	42.5
मोठ	106.2	79.9	26.3	75.2	24.8
मऊरानीपुर	79.0	55.6	23.2	70.4	29.4
गरोठा	106.9	83.3	23.6	77.9	20.0
झाँसी जनपद	347.7	250.7	96.2	72.1	27.7

6. झाँसी जनपद 153.2 हजार कुल कृषि श्रमिकों में 25.6 प्रतिशत कृषि श्रमिक है तथा मोठ तहसील में कुल कृषको में 22.9 प्रतिशत कृषि श्रमिक है जो लगभग जनपद के प्रतिशत के बराबर है। यद्यपि मऊरानीपुर और गरोठा तहसील में

---

4. सारणी संख्या पांच सांख्यकीय पत्रिका 1991 पेज संख्या 62 पर आधारित है।

कृषि श्रमिकों का प्रतिशत जनपद से भी अधिक रहा है। पर मोठ विकास खण्ड में कृषि श्रमिकों की संख्या जनपद की तहसीलों में तीसरे स्थान पर है जो सारणी संख्या-छः में स्पष्ट होती है।[5]

सारणी संख्या-छः

विभिन्न तहसीलो में कृषक तथा कृषि श्रमिकों का विवरण (1981) (हजार में)

तहसील	कुल कृषक	कृषि श्रमिक	कृषि श्रमिकों का प्रतिशत
झाँसी	30.1	5.4	17.9
मोठ	38.4	8.8	22.9
मऊरानीपुर	34.9	10.1	28.9
गरौठा	36.7	10.4	28.3
झाँसी जनपद	153.2	39.2	25.6

7. यदि जनपद की कृषि महिला श्रमिक पर विचार किया जाय तो जनपद के 39.2 हजार कृषि श्रमिकों में 30.6 हजार पुरूष और 8.6 हजार स्त्रियां है। जनपद के कृषि श्रमिकों में पुरूष और स्त्रियों का अनुपात 3.6:1 है। मोठ तहसील में 8.8 हजार कृषि श्रमिक है जिनमें 7 हजार पुरूष तथा 1.8 हजार महिलायें है। जिनका3.9:1 का अनुपात रहा है जो सारणी संख्या-सात में स्पष्ट कियागया है।[6]

---

5. सारणी संख्या छः जिलाजनगणना हस्तपुस्तिका 1981

6. सारणी संख्या-सात जिला जनगणना हस्तपुस्तिका 1981

सारणी संख्या-सात

विभिन्न तहसीलो में कृषि श्रमिकों में

स्त्री पुरूष अनुपात (हजार में)

तहसील	कृषि श्रमिक	पुरूष	स्त्रियां	अनुपात
झाँसी	56.4	4.4	1.0	4.4:1
मोठ	8.8	7.0	1.8	3.9:1
मऊरानीपुर	10.1	7.7	2.4	3.2:1
गरौठा	10.4	7.9	2.5	3.2:1
योग	39.2	30.6	8.6	3.6:1

8. यदि जोतो के आकार के दृष्टिकोण से विचार किया जाय तो जनपद में 72.4 प्रतिशत जोते 2 हैक्टेयर से कम की जोते थी। जबकि मोठ तहसील एक ऐसी तहसील रही है जिसमें 65.6 प्रतिशत जोते 2 हेक्टेयर से अधिक की रही हैं। इस प्रकार मोठ तहसील के अंतर्गत बड़े आकार के जोतो की संख्या अधिक रही है जो कृषि श्रमिकों को रोजगार देने में समर्थ रही है। जैसा कि सारणी संख्या-आठ में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या-आठ

तहसीलों में क्रियात्मक जोतो का आकार में वर्गानुसार संख्या तथा क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

	झाँसी		मोठ		मऊरानीपर		गरौठा	
	संख्या	क्षेत्रफल	संख्या	क्षेत्रफल	संख्या	क्षेत्रफल	सख्या	क्षेत्रफल
1 हेक्टेयर से कम	35.5	6.7	60.7	17.8	41.7	9.8	48.1	13.8
1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर तक	33.7	21.4	19.1	16.6	28.6	19.6	23.6	16.9
योग	69.2	28.1	79.8	34.4	70.3	29.4	71.7	30.7
2 हेक्टेयर से 8 हेक्टेयर तक	13.3	14.6	9.1	12.8	12.5	13.8	11.3	14.0
3 हेक्टेयर से 5 हेक्टेयर तक	10.4	17.7	6.4	14.6	10.3	18.9	10.6	20.5
5 हेक्टेयर से अधिक	7.1	39.6	4.6	38.2	7.0	37.9	6.3	35.6

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर जनपद के विभिन्न तहसीलो में मोठ तहसील का चुनाव इसलिए किया गया है क्योंकि यह तहसील जिले के कृषि दशाओं का प्रतिनिधित्व करती है।

विकास खण्ड का चुनाव

मोठ तहसील दो विकास खण्डो में विभाजित है मोठ और चिरगांव। इन विकास खण्डो में कृषि महिला श्रमिकों के अध्ययन के लिए चिरगांव विकास खण्ड का चुनाव किया गया है। मोठ तहसील में चिरगांव विकास खण्ड का चुनाव कृषि की आर्थिक और कार्यातमक विशेषताओं के कारण कियागया है जिसके सम्बन्ध में निम्नलिखित तथ्य हैं।

1. मोठ विकास खण्उ में शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल और सकल बोया गया क्षेत्र चिरगांव विकास खण्ड की तुलना में अधिक है पर शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से चिरगांव विकास खण्ड की स्थिति मोठ विकास खण्ड से अच्छी है। सकल सिंचित क्षेत्र में शुद्ध सिंचित क्षेत्र मोठ विकास खण्ड में 98.2 प्रतिशत रही है जबकि चिरगांव विकास खण्ड में 99.6 प्रतिशत है। इसी प्रकार शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल से शुद्ध सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत मोठ विकास खण्ड में 27.8 तथा चिरगांव विकास खण्उ में 39 प्रतिशत रहा है। जैसा कि सारणी संख्या-नौ में स्पष्ट किया गया है।[7]

---

7. सारणी संख्या नौ सांख्यकीय पत्रिका 1991 पेज सं. 46,47,49 पर आधारित है।

सारणी संख्या-नौ

विकास खण्डो में कृषि सम्बन्धी विवरण **(हजार हेक्टेयर में)**

सिकास खण्ड	कुल प्रति-वेदित क्षेत्रफल	शुद्ध बोया गया	शुद्ध सिंचित क्षेत्र	सकल सिंचित क्षेत्र	सकल सिंचित क्षेत्र से शुद्ध सिंचित क्षेत्र काप्रतिशता	शुद्ध बोये गये क्षेत्र से शुद्ध सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत
बड़ा गांव	43.5	21.4	13.0	13.6	95.0	60.4
ववीना	73.4	19.3	11.9	12.1	98.1	61.7
चिरगांव	54.8	38.6	15.0	15.1	99.6	39.0
मोठ	63.9	49.9	13.9	14.2	98.2	27.8
मऊरानीपुर	54.4	39.6	10.8	10.9	99.3	27.3
वंगरा	53.1	32.0	9.8	10.0	97.8	30.6
गुरसरांय	71.5	50.9	7.4	7.4	100.0	14.6
बामौर	82.6	51.8	15.6	15.7	99.4	30.1
योग	497.2	303.5	97.4	99.0	98.3	32.1

विभिन्न फसलों के दृष्टिकोण से मोठ विकास खण्ड की तुलना में चिरगांव विकास खण्ड की सिथति अधिक संतुलित रही है। चिरगांव विकास खण्ड में कुल क्षेत्रफल के 69.7 प्रतिशत क्षेत्र पर रबी तथा 30.2 प्रतिशत भाग पर खरीफ

की फसल उगाई जाती हे जबकि मोठ विकास खण्ड में यह प्रतिशत क्रम में 79.7 तथा 20.3 रहा है जैसा कि सारणी संख्या-दस में स्पष्ट किया गया है।[8]

सारणी संख्या-दस

विकास खण्डवार मुख्य फसलों के क्षेत्रफल का विवरण

विकास खण्ड	कुल क्षेत्रफल (हजार हेक्टेयर में)	रबी की फसल का प्रतिशत	खरीफ की फसल का प्रतिशत
बड़ागांव	27.1	65.1	33.4
ववीना	26.3	47.4	51.8
चिरगांव	47.6	69.7	30.2
मोठ	58.6	79.7	20.3
मऊरानीपुर	43.1	72.6	27.4
बंगरा	35.9	67.7	31.9
गुरसरांय	53.6	77.4	22.6
बामौर	53.3	78.5	21.4
योग	345.5	72.0	27.7

यदि एक बार से अधिक बोये गये क्षेत्र पर विचार किया जाय तो चिरगांव विकास खण्ड की स्थिति मोठ विकास खण्ड की तुलना में अधिक अच्छी

---

8. सारणी संख्या दस सांख्यकीय पत्रिका 1991 पेज संख्या

है। यद्यपि यह क्षेत्र बहुत थोड़ा है फिर भी मोठ विकास खण्ड की तुलना में अधिक है। मोठ विकास खण्ड में कुल बोये गये क्षेत्र का केवल 2.4 प्रतिशत क्षेत्र ऐसा था जो एक मोठ विकास खण्ड में कुल बोये गये क्षेत्र का केवल 2.4 प्रतिशत क्षेत्र ऐसा था जो एक से अधिक बार बोया गया था, जबकि चिरगांव विकास खण्ड में कुल बोये गये क्षेत्र का 5.7 प्रतिशत भाग एक बार से अधिक बोया गया था एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र कृषि क्षेत्र में रोजगार की स्थिति को स्पष्ट करता है। जिन क्षेत्रो में केवल एक फसल बोई जाती है और उन क्षेत्र में जहां एक बार से अधिक फसल उगाई जाती है वहां की रोजगार स्थिति अच्छी है। इस दृष्टिकोण से चिरगांव विकास खण्ड का चुनाव कियागया अतः वर्ष में एक लम्बी अवधि तक कृषि में रोजगार के अवसर का प्राप्त होना स्वभाविक है।

जहां तक कृषि श्रमिकों की संख्या का प्रश्न है दो मोठ विकास खण्ड व चिरगांव विकास खण्ड में लगभग समान है पर चिरगांव विकास खण्ड में 23.6 प्रतिशत तथा फिर मौठ विकास खण्ड में 22.3 प्रतिशत कृषि श्रमिक है चिरगांव विकास खण्ड मोठ की तुलना में तुलनात्मक रूप से अधिक संख्या स्पष्ट करता हे।

यदि महिला श्रमिकों की संख्या पर विचार किया जाय तो मोठ तहसील के विभिन्न विकास खण्डो में चिरगांव में महिला श्रमिकों की संख्या मोठ की तुलना में अधिक है। चिरगांव विकास खण्ड में महिला श्रमिकों की संख्या 1981 की जनगणना के आधार पर 11,000 थी जबकि मोठ विकास खण्ड में 8,000 थी इस प्रकार श्रमिकों की संख्या के दृष्टिकोण से भी जनपद के अन्य विकास खण्डो की तुलना में अधिक प्रतिनिधित्व करता है।

अध्ययन के लिए गांवो का चुनाव

सर्वेक्षण कार्य के लिए यह निश्चय किया गया कि पांच उन गांवो को चुना जाय जिनमें महिला श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक है, इसके लिए विकास खण्ड के विभिन्न गांवो को कृषि महिला श्रमिकों की संख्या के अनुसार घटते हुये क्रम में लगाया गया है। जिस गांव में कृषि महिला श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक थी उसे सबसे ऊपर उससे कम वाले को उसके नीचे। इस प्रकार कम होती संख्या को क्रमशः नीचे लाया गया है। महिला श्रमिकों की जनसंख्या के आधार पर पट्टी, कुम्हर्रा, छिरौना, अमरगढ़, पचार तथा चन्दगरी गांवो का चुनाव किया गया। इन गांवो में कृषि श्रमिकों की संख्या को सारणी संख्या-ग्यारह में व्यक्त किया गया है।[9]

सारणी संख्या-ग्यारह

चिरगांव विकास खण्ड के गांवो की महिला श्रमिकों की संख्या का विवरण (1981 की जनगणना के अनुसार)

क्र0सं0	गांव का नाम	कृषि महिला श्रमिकों की संख्या
1.	पट्टी कुम्हर्रा	109
2.	छिटौना	109
3.	अम्बरगढ़	103
4.	चन्दगरी	76
5.	पचार	76
6.	इटौरा	70

क्र0सं0	गांव कानाम	कृषि महिला श्रमिकों की संख्या
7.	भिरौना	59
8.	धमनाखुर्द	57.
9.	सेमरी	50
10.	गड़का	47
11.	तर्री	38
12.	जरिभाई	38
13.	चिरगांव (देहात)	33
14	वकला बुजुर्ग	31
15.	नुजयॉन	26
16.	सिमथरी	25
17.	नन्दखास.	24
18.	मोडकला.	20
19.	पहाणी बुजुर्ग	19
20.	वरल	16
21.	वैरवई	15
22.	सारौल	14
23.	पिपरी	13
24.	वमनग	11

क्र0सं0	गाव का नाम	कृषि महिला श्रमिको की संख्या
25.	पाडेरी स्टेट	8
26.	मियापुर	8
27.	रामनगर.	6
28.	करगुंवा	5
29.	वंगरा	5
30.	वंगरी	4
31.	बझेरा	4
32.	रमपुरा	4
33.	सिकरी बुजुर्ग	3
34	औजरा	2
35.	खोह	1
36.	देवगुवां	1
37.	परगहना	1
38.	परसा	1
39.	बरौर.	1
40.	करगुवां	1
41.	दिनेरी	1
42.	बघेरा	1
43.	फूलरिवरिया	1

क्र0सं0	गांव का नाम	कृषि महिला श्रमिकों की संख्या
44.	देवरा	1
45.	मोड़खुर्द	1
46.	गुलारा	1
47.	महेवा	1
48.	पच्चरगढ़	1

सर्वेक्षण कार्य चुन गये विभिन्न गांव से संबंधित कृषि महिला श्रमिक परिवारों के संबंध में कुछ कहने से पहले सर्वेक्षण के लिए चुने गये गांव की सामाजिक आर्थिक दशाओं पर विचार करना आवश्यक है जो संक्षेप में निम्न प्रकार है।

ग्राम पट्टी कुम्हर्रा

ग्राम पट्टी कुम्हर्रा चिरगांव विकास खण्उ कार्यालय से 17 किलोमीटर दूर उत्तर में स्थित है। गांव से पक्की सड़क की दूरी लगभग 11 किलोमीटर दूर है। विकास खण्ड से गांव जाने का रास्ता मध्य प्रदेश से गुजरता है। गांव ऊँचाई पर बसा हुआ है तथा गांव के नीचे पहूज नदी बहती है जो गांव की फसलों के सिंचाई का कार्य करती है इसके अतिरिक्त कुआ द्वारा भी सिचांई की जाती है। सिंचाई के साधन

अच्छे होने के कारण यहां रबी, खरीफ व जायद की फसलें उगाई जाती हैं। गांव में बिजली की सुविधा तथा बच्चों की शिक्षा के लिए प्राइमरी पाठशाला तथा जूनियर हाई स्कूल है। गांव में भूमिहीन परिवारों को पट्टे पर भूमि प्रदान की गई है। जो लगभग तीन एकड़ तक है। लेकिन पट्टे की भूमि पर्याप्त न होने के कारण इन परिवारों द्वारा मजदूरी का कार्य भी किया जाता है। गांव में 29 भूमिहीन परिवार है विकास खण्ड के अन्य गांवो की अपेक्षा पट्टी कुम्हरागांव में सबसे अधिक महिलायें कृषि श्रमिक पाई गई। गांव में कुल 259 परिवार है जिनमें 947 वयक्ति आय अर्जित करने वाले पाये गये । प्रति परिवार आय अर्जित करने वालों के पीछे आश्रित व्यक्तियों का अनुपात 1:3.7 है। गांव में सबसे अधिक अनुसूचित जाति के 58 परिवार चमार जाति के हैं। 56 परिवार कुशवाहा जाति के तथा 35 परिवार ठाकुर जाति के है। गांव की विभिन्न जातियों के परिवार, परिवार में काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या तथा उनके प्रति परिवार आश्रित व्यक्तियों के अनुपात को सारणी संख्या-बारह में स्पष्ट किया गया है।

---

4. सारणी संख्या बारह ग्राम पट्टी कुम्हर्रा के सर्वेक्षण परआधारित है।

सारणी संख्या-बारह

परिवारों में काम करने वाले व्यक्तियों का अनुपात

क्र0सं0	जातियां	परिवार	काम करने वाले व्यक्ति	आय अर्जित करने वाले व्यक्तियों का अनुपात
1.	चमार	58	219	1:3.8
2.	कुशवाहा	56	205	1:3.7
3.	ठाकुर	35	145	1:4.1
4.	ढीमर	22	72	1:3.3
5.	पाल	10	31	1:4.9
6.	बरार	9	30	1:3.1
7.	ब्राम्हण	7	16.	1:3.3
8.	मुसलमान	6	25	1:2.3
9.	कोरी	6	27	1:4.2
10	साहू	6	13	1:4.5
11.	गोली	5	24	1:2.2
12.	कुम्हार.	5	14	1:4.8
13.	लोहार	4	17	1:2.8
14.	खंगार.	3	10	1:4.3
15.	नाई	3	5	1:3.3
16.	वैश्य	3	7	1:1.3
17.	कायस्थ	2	9	1:2.3
18.	धोबी	2	8	1:4.5
19.	बढ़ई	2	8	1:4.0
20.	वाल्मीकी	2	8	1:4.0
21.	सोनार	1	3	1:3.0
	योग	259	955	1:3.7

यदि गांव की जनसंख्या को वर्गीकृत किया जाय तो उच्च वर्ग के 50 परिवार, पिछड़े वर्ग के 121 तथा अनुसूचित वर्ग के 88 परिवार हैं तीनों वर्गो कायदि कुल परिवारों से प्रतिशत किया जाय तो उच्च वर्ग के 19.3 प्रतिशत परिवार, पिछड़े वर्ग के 47.7 प्रतिशत परिवार तथा अनुसूचित वर्ग के 34 प्रतिशत परिवार हैं। वर्ग का विभाजन तथा परिवारों का प्रतिशत को सारणी संख्या तेरह में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या-तेरह

परिवारों का वर्गानुसार विभाजन

वर्ग	परिवारों की संख्या	कुल परिवारो से प्रतिशत
उच्च वर्ग	50	19.3
पिछड़ा वर्ग	121	46.7
अनुसूचित वर्ग	88	34.0
योग	259	100.0

गांव के कुल परिवारो में से कृषि श्रमिक परिवारों पर विचार किया जाय तो यह पाया गया कि गांव में 50.2 प्रतिशत कृषि श्रमिक परिवार हैं। कुल परिवारों से कृषि श्रमिक परिवारों के प्रतिशत को सारणी संख्या-चौदह में स्पष्ट कियागया है।

सारणी संख्या-चौदह

कृषि श्रमिक परिवारों का प्रतिशत

क्र0सं0	जातियां	कुल परिवार	कृषि श्रमिक परिवार	प्रतिशत
1.	चमार	58	48	82.8
2.	कुशवाहा	56	22	39.3
3.	दीमर	22	20	90.9
4.	पाल	14	5	35.7
5.	बरार	10	10	100.0
6.	मुसलमान	7	7	100.00
7.	साहू	6	1	16.7
8.	गोली	6	5	83.3
9.	कुम्हार	5	2	40.0
10.	खंगार	4	2	50.0
11.	नाई	3	2	66.7
12.	धोबी	2	1	100.0
13.	बढ़ई	2	1	50.00
14.	वाल्मीकी	2	2	100.00
15.	सोनार	1	1	100.00
	योग	259	130	50.2

यदि अलग अलग जातियों के कृषि श्रमिक परिवारों से कृषि श्रमिकों का औसत किया जाय तो कुल 130 परिवारो में 432 कृषि श्रमिक हैं। जिनका प्रति परिवार औसत 33 है। चमार जाति में सबसे अधिक 170 कृषि श्रमिक है। औसत के अनुसार कृषि श्रमिकों का प्रति परिवार औसत जो सबसे अधिक 7 है गोली जाति में है। सभी जातियों का कृषि श्रमिक परिवार तथा उनमें कृषि श्रमिकों के औसत को सारणी संख्या पन्द्रह में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या-पन्द्रह
कृषि श्रमिकों का औसत

क्र0सं0	जातियां	कृषि श्रमिक परिवार	कृषि श्रमिक	औसत
1	चमार	48	170	3.5
2.	कुशवाहा	22	72	3.3
3.	ढीमर	20	60	3.0.
4.	पाल	5	18	3.6
5.	बरार	10	30	3.0
6.	मुसलमान	7	18	2.6
7.	साहू	1	7	7.0
8.	गोली	5	13	2.6
9.	कुम्हार	2	10	5.0
10.	खंगार	2	4	2.0
11.	नाई	2	9	3.0
12.	धोबी	2	4	4.5
13.	बढ़ई	1	4	4.0
14.	वाल्मीकी	2	8	4.0
15.	सोनार	1	3	3.0
	योग	130	432	3.3

सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति के कृषि श्रमिकों के परिवारों का कुल परिवारों से प्रतिशत करने पर गांव में पिछड़ी जाति के कृषि श्रमिक परिवार 23.6 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति के कृषि श्रमिक परिवार 23.6 प्रतिशत है पिछड़ी जाति के कृषि श्रमिक 45.8 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति के 54.2 प्रतिशत कृषि श्रमिक है। अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति के परिवार तथा कृषि श्रमिकों के प्रतिशत को सारणी संख्या सोलह में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या-सोलह

कृषि श्रमिक परिवार तथा कृषि श्रमिकों का प्रतिशत

वर्ग	कुल परिवार	कृषि श्रमिक परिवार	प्रतिशत
पिछड़ी जाति	-	61	23.6
अनुसूचित जाति	-	69	26.6
-	259	130	50.2
वर्ग	**कुल श्रमिक**	**कृषि श्रमिक**	**प्रतिशत**
पिछड़ी जाति	-	198	45.8
अनुसूचित जाति	-	234	54.2
	432	432	100.0

यदि महिला एवं पुरूष श्रमिको में से महिला कृषि श्रमिकों को वर्गीकृत किया जाय तो 432 कृषि श्रमिकों में 132 महिलायें कृषि श्रमिक है। गांव में 45 प्रतिशत महिलाएं कृषि श्रमिक है। कृषि श्रमिको में से महिला कृषि श्रमिकों की संख्या के अनुसार सबसे अधिक महिला कृषि श्रमिक चमार जाति में हैं। महिला श्रमिको के प्रतिशत को सारणी संख्या-सालह में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या-सोलह

कृषि श्रमिको में से महिला कृषि श्रमिकों का प्रतिशत

क्र0सं0	जातियां	कृषि श्रमिक	महिला कृषि श्रमिक	प्रतिशत
1.	चमार	170	77	45.3
2.	कुशवाहा	72	31	43.1
3.	ढीमर	60	28	40.6
4.	पाल	18	6	33.3
5.	बरार	30	15	50.0
6.	मुसलमान	18	9	42.9
7.	साहू	7	3	38.5
8.	गोली	13	3	30.0
9.	कुम्हार	10	2	50.0
10.	खंगार	4	3	50.0
11.	नाई	6	4	44.4
12.	धोबी	9	3	75.0
13.	बढ़ई	4	3	75.0
14.	वाल्मीकी	8	4	50.0
15.	सोनार	3	2	66.7
	योग	432	195	45.1

यदि विभिन्नजातियो के कृषि श्रमिको में से महिला कृषि श्रमिको का अनुपात किया जाय तो गांव में 432 कृषि श्रमिको में से 195 महिलायें कृषि श्रमिक हैं।

प्रति पुरूष कृषि श्रमिक पर महिला कृषि श्रमिकों का अनुपात 0.5 है। विभिन्न जातियो के भिन्न-भिन्न अनुपात को सारणी संख्या-72 में स्पष्ट किया गया है।

ग्राम-छिरौना

चिरगांव विकास खण्ड में छिरौना गांव है जो विकास खण्ड कार्यालय से । किलोमीटर दूर (उत्तरपश्चिम) दिशा में सिथत है। गांव में बस, स्वयं के वाहन तथा पैदल द्वारा पहुंचा जा सकता है। बालक तथा बालिकाओं के अध्ययन के लिए गांव में प्राथमिक पाठशाला है। पीने की पानी की सुविधाओं हेतु गांव में 8 हैण्डपम्प तथा एक सहकारी ट्यूबवेल तथा कुये हैं। गांव में फसलों की सिंचाई ट्यूबवेल तथा कुओं द्वारा खेती होती है। रबी तथा खरीफ की फसल वर्ष में पैदा की जाती है। गांव में कृषि कार्य के अलावा दूध बेचने तथा कुछ मुसलमान परिवारो में दरी बुनने का कार्य किया जाता है। भूमिहीन किसानों को भूमि पट्टे पर दी गई है। पट्टे की भूमि पर्याप्त न होने के कारण इन परिवारों द्वारा मजदूरी तथा परम्परागत कार्य किया जाता है। सर्वेक्षण में कृषक मजदूर परिवार अधिकांशतः अनुसूचित जाति के परिवारो में पाये गये हैं। गांव में संयुक्त परिवार प्रथा पाई गई है संयुक्त परिवार होते हुये भी गांव में 327 परिवार हैं। जिनमें से अधिक 97 चमार जाति के परिवार फिर 78 यादव परिवार तथा 4। कुशवाहा जाति के परिवार पाये गयें।

यदि गांव के परिवारो को तीन वर्गो में वर्गीकृत किया जाय तो ।। जातियो

उच्चवर्ग, 165 जातियां पिछड़े वर्ग तथा 151 जातियां निम्न वर्ग की गांव में निवास करती है। गांव के परिवारों के वर्गीकरण को सारणी संख्या अट्ठारह में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या-अट्ठारह

परिवारों का वर्गीकरण

क्र0सं0	वर्ग	परिवारों की संख्या	कुल परिवारों से प्रतिशत
1.	उच्च वर्ग	11	3.4
2.	पिछड़ा वर्ग	165	50.5
3.	अनुसूचित वर्ग	151	46.1
	योग	327	100.0

सर्वेक्षण में प्राप्त जानकारी के अनुसार छिरौना गांव के 327 परिवारों में 220 कृषि श्रमिक परिवार है। गांव की छः जातियां बरार, कुम्हार, लोहार, खंगार, सरदार तथा नाई जातियों के जितने भी परिवार है कृषि श्रमिक परिवार हैं। गांव में कुल 67.3 प्रतिशत कृषि श्रमिक परिवार हैं। गांव की विभिन्न जातियों के मजदूर परिवारों के प्रतिशत को सारणी संख्या उन्नीस में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या-उन्नीस

कृषि श्रमिक परिवारों का प्रतिशत

क्र0स0	जातियां	कुल परिवार	कृषि श्रमिक परिवार	प्रतिशत
1.	चमार	97	93	95.9
2.	यादव	78	26	33.3
3.	कुशवाहा	41	36	87.8
4.	कोरी	36	30	83.3
5.	लोधी	25	6	24.0
6.	बरार	15	15	100.00
7.	मुसलमान	5	15	40.00
8.	साहू	4	2	50.00
9.	बढ़ई	3	2	100.00
10.	लोहार	2	3	100.00
11.	धोबी	2	2	100.00
12.	खंगार	1	1	100.00
13.	सरदार	1	1	100.00
14.	नाई	1	1	100.00
	योग	327	220	67.3

प्रत्येक कृषि श्रमिक परिवारों में कृषि श्रमिकों की संख्या अलग अलग है। यकि इन विभिन्न जातियों के कृषि श्रमिक परिवारों में से कृषि श्रमिकों का औसत किया जाय तो क्षेत्र में प्रति परिवार कृषि श्रमिकों का औसत 3.5 है। कृषि श्रमिक परिवारो में कृषि श्रमिको के औसत को सारणी संख्या बीस में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या-बीस

कृषि श्रमिक परिवारो में कृषि श्रमिको का औसत

क्र0सं0	जातियां	कृषि श्रमिक परिवार	कृषि श्रमिक	औसत
1.	चमार	93	292	3.1
2	यादव	26	91	3.5
3.	कुशवाहा	36	136	3.8
4.	कोरी	30	140	4.7
5.	लोधी	6	28	4.7
6.	बरार	15	25	1.7
7.	मुसलमान	2	10	2.0
8.	साहू	2	4	2.0
9.	बढ़ई	3	9	3.0
10.	लोहार	2	5	2.5
11.	धोबी	2	9	4.5
12.	खंगार	1	9	2.0
13.	सरदार	1	5	5.0
14.	नाई	1	5	5.0
	योग	220	761	3.5

यदि अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति के कृषि श्रमिक परिवार तथा कृषि श्रमिकों का प्रतिशत ज्ञात किया जाय तो गांव में पिछड़ी जाति के 24.2 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति के 43.1 परिवार है। पिछड़ी जाति में कृषि श्रमिक के 38.5 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति के 61.5 प्रतिशत व्यक्ति है। जो कृषि श्रमिक के रूप में कार्य कर रहे हैं। गांव के कृषि श्रमिक के परिवार तथा कृषि श्रमिको के प्रतिशत को सारणी संख्या 21 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या-21

कृषि श्रमिक परिवार तथा कृषि श्रमिको का प्रतिशत

वर्ग	कुल परिवार	कृषि श्रमिक परिवार	प्रतिशत
पिछड़ी	-	79	24.2
अनुसचित	-	141	43.1
योग	327	220	67.3
वर्ग	कुल कृषि श्रमिक		प्रतिशत
पिछड़ी	-	293	38.5
अनुसूचित	-	468	61.5
योग	761	761	100.0

यदि कृषि श्रमिकों में से पुरूष तथा महिला कृषि श्रमिको को वर्गीकृत किया जाय तो गांव के कुल 761 कृषि श्रमिको में 297 महिलाएं है जो कुल कृषि रमिकों 761 की 39 प्रतिशत है। महिला कृषि श्रमिक सबसे अधिक चमार जाति मे 93 फिर कुशवाहा जाति में 65 तथा लोधी जाति में 64 है जो कृषि श्रमिक के रूप में कार्य करती हैं। विभिन्न् जातियों की महिला कृषि श्रमिको को सारणी संख्या 22 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या बाइस
कृषि श्रमिको में महिला कृषि श्रमिको का प्रतिशत

क्र0सं0	जातियां	कृषि श्रमिक	महिला कृषि श्रमिक	प्रतिशत
1.	चमार	292	93	31.8
2.	यादव	91	26	28.6
3.	कुशवाहा	136	65	47.8
4.	कोरी	140	64	45.7
5.	लोधी	28	10	35.7
6.	बरार	25	17	68.0
7.	मुसलमान	10	5	50.0
8.	साहू	4	2	44.4
9.	बढ़ई	9	4	50.0
10.	लोहार	5	2	44.4
11.	धोबी	9	4	50.0
12.	खंगार	2	1	50.0
13.	सरदार	5	2	40.0
14.	नाई	5	2	40.0
	योग	761	297	39.0

यदि विभिन्न जातियो के कृषि श्रमिको में से महिला कृषि रमिको का अनुपात लिया जाय तो गांव के कुल 761 कृषि श्रमिको में 297 महिला कृषि श्रमिक होने पर गांव में प्रति पुरूष 0.4 महिला कृषि श्रमिको का अनुपात आता है। विभिन्न जातियो में महिला कृषि श्रमिको का अनुपात अलग अलग रहा है जो सारणी संख्या तेईस में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या 23

कृषि श्रमिको में महिला कृषि श्रमिको का अनुपात

क्र0सं0	वर्ग	कृषि श्रमिक	महिला कृषि श्रमिक	प्रति श्रमिक पुरूष पर महिला श्रमिक अनुपात
1.	चमार	292	93	1:0.3
2.	यादव	91	26	1:0.2
3.	कुशवाहा	136	65	1:0.5
4.	कोरी	140	64	1:0.5
5.	लोधी	28	10	1:0.3
6.	बरार	25	17	1:0.7
7.	मसलमान	10	5	1:0.5
8.	साहू	4	2	1:0.5
9.	बढ़ई	9	4	1:0.4
10.	लोहार	5	4	1:0.4
11.	धोबी	9	4	1:0.4
12.	खंगार	2	1	1:0.5
13.	सरदार	5	2	1:0.4
14.	नाई	5	2	1:0.4
	योग	761	297	1:0.4

यदि महिला कृषि श्रमिकों को वर्ग मे विभाजित कर दिया जाय तो पिछड़ी जाति में 118 महिलाएं कृषि श्रमिक तथा अनुसूचित जाति में 179 महिलायें कृषि श्रमिक हैं। कुल कृषि श्रमिकों मे 15.5 प्रतिशत महिलाएं कृषि श्रमिक पिछड़ी जाति की है तथा 23.5 प्रतिशत महिलाएं कृषि श्रमिक अनुसूचित जाति की हैं। वर्गानुसार महिला कृषि श्रमिकों को सारणी संख्या 24 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या-चौबीस

वर्गानुसार महिला कृषि श्रमिकों का प्रतिशत

वर्ग	कुल कृषि श्रमिक	महिला कृषि श्रमिक	प्रतिशत
पिछड़ी जाति	-	118	15.5
अनुसूचित जाति	-	179	23.5
योग	761	297	39.0

ग्राम - अम्बरगढ़

चिरगांव विकास खण्ड कार्यालय से 16 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में ग्राम अम्बरगढ़ स्थित है। बालक-बालिकाओं की शिक्षा के लिए गांव में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है। अन्य सुविधायें जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पोस्ट आफिस, किसान सेवा सहकारी समिति तथा बिजली आदि की सुविधायें भी उपलब्ध हैं। गांव की कृषि

योय भूमि पर रबी तथा खरीफ की फसलें उगाई जाती हैं। फसलों की सिंचाई नहरों द्वारा की जाती है। अच्छी फसल के लिए गांव में खाद के गड्ढ़े भी हैं। कृषि कार्य के अलावा गांव में दूध, सब्जी, ईट तथा खपरैल बनाने का कार्य भी किया जाता है। मुर्गी तथा बकरी पालन का कार्य भी गांव में पाया गया।

भुमिहीन किसानों को निःशुल्क भूमि पट्टे पर प्रदान की गई, लेकिन पट्टे की भूमि पर्याप्त न होने के कारण कृषक परम्परागत कार्य तथा मजदूरी करते हैं। गांव में अन्दर जाने का रास्ता पक्का होने के कारण जाने-आने में कठिनाई नहीं होती है। सर्वेक्षण कार्य होते हुये भी ांव वासियों के सहयोग से कार्य में सरलता हो गई। यह चिरगांव विकास खण्ड का सबसे बड़ा गांव होने के कारण इसमें सबसे अधिक परिवार निवास करते करते हैं। इसलिए सर्वेक्षण कार्य सबसे अधिक समय में पूरा किया जा सका। गांव में सबसे अधिक महिलाये कृषि श्रमिक पाई गई।

सर्वेक्षण के समय गांव में 512 परिवार थे जिनमें 2335 व्यक्ति आय अर्जित करने वाले थे। प्रति परिवार आय अर्जित करने वाली जनसंख्या का अनुपात किया जाय तो, 512 परिवारो में 2335 व्यक्ति आय अर्जित करने वाले व्यक्तियों के अनुसार 4.6 प्रति परिवार व्यक्तियों का अनुपात आता है। प्रति परिवार आय अर्जित करने वाले व्यक्तियों के अनुपात को सारणी संख्या तेईस में दर्शाया गया है।

सारणी संख्या-चौबीस

जातियों का वर्ग विभाजन

वर्ग	परिवार	प्रतिशत
उच्च वर्ग	92	18.0
पिछड़ा वर्ग	251	49.0
अनुसूचित वर्ग	169	33.0
योग	512	100.0

सर्वेक्षण के समय गांव के कुल 512 परिवारों में 226 कृषि श्रमिक परिवार पाये गये जो कुल परिवारों के 52 प्रतिशत है। विभिन्न जातियों के परिवारो में मजदूरी करने वाले परिवारो के प्रतिशत को सारणी संख्या पच्चीस में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या-पच्चीस

कुल परिवारो में कृषि श्रमिक परिवार

क्र0सं0	जातियां	परिवार	कृषि श्रमिक परिवार	प्रतिशत
1.	कुशवाहा	78	54	62.2
2.	चमार	65	46	70.8
3.	कोरी	61	40	65.6
4.	मुसलमान	42	30	71.4
5.	लोधी	36	5	13.9
6.	ढीमर	21	12	57.1
7.	साहू	14	9	69.3
8.	बरार	13	13	100.0
9.	बढ़ई	11	9	82.0
10.	धोबी	10	7	70.0
11.	नाई	8	7	87.0
12.	खरीफ	8	8	100.0
13.	खंगार	8	5	62.5
14.	यादव	7	1	14.3
15.	माली	5	2	40.0
16.	लोहार	4	2	50.0
17.	कुम्हार	4	4	100.0
18.	वाल्मीकी	4	4	100.0
19.	पाल	3	2	66.7
20.	दर्जी	3	2	66.7
21.	लखेरै	2	2	100.0
22.	ताम्रकार	1	1	100.0
23.	कुर्मी	1	1	100.0
		512	266	52.6

कृषि श्रमिक परिवारो में कुछ 1056 कृषि रमिक पाये गये इस प्रकार यदि 226 कृषि श्रमिकों में से 1009 कृषि श्रमिकों का औसत किया जाए तो गांव में प्रति परिवार 3.8 कृषि श्रमिकों का औसत आता है। विभिन्न जातियों के कृषि श्रमिक परिवार तथा कृषि रमिकों के औसत को सारणी संख्या छब्बीस में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या-छब्बीस

कुल कृषि श्रमिक परिवारो में कृषि श्रमिकों का औसत

क्र0सं0	जातियां	कृषि श्रमिक परिवार	कृषि श्रमिक	औसत
1.	कुशवाहा	54	209	3.9
2.	चमार	46	220	4.8
3.	कोरी	40	168	4.2
4.	मुसलमान	30	88	2.9
5.	लोधी	5	21	4.2
6.	ढीमर	12	56	4.7
7.	बरार	9	33	3.7
8.	बढ़ई	13	22	4.8
9.	धोबी	9	33	3.7
10.	नाई	7	23	3.3
11.	खटिक	8	21	4.4
12.	खंगार	5	27	3.4
13.	यादव	1	23	4.6
14.	माली	2	3	3.0
15.	लोहार	2	3	1.5
16.	कुम्हार	4	4	2.0
17.	वाल्मीकी	4	12	3.0
18.	पाल	2	10	2.5
19.	दर्ज़ी	2	5	2.5
20.	लखेरे	2	8	4.0
21.	ताम्रकार	1	0	5.0
22.	कुर्मी	1	5	5.0
	योग	266	1009	3.8

सारणी संख्या-सत्ताइस

कृषि श्रमिक परिवार तथा कृषि श्रमिकों का प्रतिशत

वर्ग	कुल परिवार	कृषि श्रमिक परिवार	प्रतिशत
पिछड़ी जातियां	-	143	27.9
अनुसूचित जातियां	-	123	24.0
योग	512	266	52.0

वर्ग	कुल श्रमिक		प्रतिशत
पिछड़ी जातियां	-	516	51.1
अनुसूचित जातियां	-	493	48.9
योग	1009	-	100.0

सर्वेक्षण के समय 1009 कृषि श्रमिकों में 540 कृषि महिला श्रमिक पाई गई। संख्या के आधार पर चमार जातियो में सबसे अधिक महिलायें कृषि श्रमिक हैं। विभिन्न जातियों के कुल कृषि श्रमिक तथा महिला कृषि श्रमिक और उनके प्रतिशत को सारणी संख्या अट्ठाईस में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या-अट्ठाईस

महिला कृषि श्रमिकों की संख्या

क्र0सं0	जातियां	कृषि श्रमिक	महिला कृषि श्रमिक	प्रतिशत
1.	कुशवाहा	209	106	50.7
2.	चमार	220	126	57.3
3.	कोरी	168	76	45.2
4.	मुसलमान	88	41	46.6
5.	लोधी	21	10	47.6
6.	ढीमर	56	31	55.4
7.	साहू	33	15	45.5
8.	बरार	62	29	46.8
9.	बढ़ई	32	14	42.4
10.	धोबी	22	14	60.9
11.	नाई	31	15	48.4
12.	खटीक	27	20	74.1
13.	खंगार	23	14	60.9
14.	यादव	3	1	33.3
15.	माली	3	2	66.7
16.	लोहार	4	2	50.0
17.	कुम्हार	12	6	50.0
18.	वाल्मीकी	10	5	50.0
19.	पाल	5	1	20.0
20.	दर्जी	8	4	50.0
21.	लखेरे	10	3	30.0
22.	ताम्रकार	5	3	60.0
23	कुर्मी	5	2	40.0
	योग	1009	540	53.5

यदि महिला कृषि श्रमिकों का कुल कृषि श्रमिकों से अनुपात लिया जाय तो गांव में प्रति कृषि श्रमिक पुरूष पर 0-5 महिला कृषि श्रमिकों का अनुपात आता है। सभी जातियों की महिला कृषि श्रमिकों का अनुपात भिन्न-भिन्न है जो सारणी संख्या-उन्तीस में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या-उन्तीस

कृषि श्रमिकों में महिला कृषि श्रमिकों का अनुपात

क्रसं0	जातिया	कृषि श्रमिक	महिला कृषि श्रमिक	अनुपात
1.	कुशवाहा	209	106	1:0.5
2.	चमार	220	126	1:0.6
3.	कोरी	168	76	1:0.5
4.	मुसलमान	88	41	1:0.5
5.	लोधी	21	10	1:0.3
6.	ढीमर	56	31	1:0.6
7.	साहू	33	15	1:0.5
8.	बरार	62	29	1:0.5
9.	बढ़ई	33	14	1:0.4
10.	धोबी	23	14	1:0.6
11.	नाई	31	15	1:0.5
12.	खटीक	27	20	1:0.7
13.	खंगार	23	14	1:0.6
14.	यादव	3	1	1:0.3
15.	माली	3	2	1:0.7
16.	लोहार	4	2	1:0.5
17.	कुम्हार	12	6	1:0.5
18.	वाल्मीकी	10	5	1:0.5
19.	पाल	5	1	1:0.2
20.	दर्जी	8	4	1:0.5
21.	लखेरे	10	3	1:0.3
22.	ताम्रकार		3	1:0.6
23.	कुर्मी	5	2	1:0.4
	योग	1009	540	1:05

सर्वेक्षण में प्राप्त महिला कृषि श्रमिकों के वर्ग विभाजन में पिछड़ी जातियों के 256 महिलायें कृषि श्रमिक है जो कुल कृषि श्रमिकों की 25.4 प्रतिशत हैं। अनुसूचित जाति की 284 है जो कुल कृषि श्रमिकों की 28.1 प्रतिशत है। वर्गानुसार महिला कृषि श्रमिक तथा कुल कृषि श्रमिकों से प्रतिशत को सारणी संख्या-तीस में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या-तीस

वर्गानुसार महिला कृषि श्रमिक

वर्ग	कृषि श्रमिक	महिला कृषि श्रमिक
पिछड़ी जातियां	-	256
अनुसूचित जातियां	-	284
योग	1009	540

ग्राम - पचार

ग्राम पचार विकास खण्ड कार्यालय से 10 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। जिसकी न्याय पंचायत सिमथरी में स्थित है। बालक तथा बालिकाओं की शिक्षा के लिए जूनियर हाईस्कूल तक की व्यवस्था है। पक्की सड़क से गांव की दूरी लगभग 7 किलोमीटर है। कृषि योग्य भूमि बहुत अच्छी नहीं है। फिर भी गांव में रबी तथा खरीफ की फसलें उगाई जाती है। फसलों की सिंचाई नहर तथा कुओं द्वारा होती है तथा गांव में खाद के गड्ढ़े भी है। भूमिहीन कृषि श्रमिकों

को निःशुल्क भूमि पट्टे पर प्रदान की गई है। पट्टे पर प्राप्त भूमि जीवन यापन के लिए पर्याप्त न होने के कारण इन श्रमिकों के द्वारा परम्परागत उद्योग तथा मजदूरी का कार्य किया जाता है।

गांव की महिलायें अपनी आर्थिक स्थिति बताने में संकोच करती रही है परन्तु गांव के कुछ प्रभावशाली लोग तथा ग्राम प्रधान के सहयोग से वर्तमान सर्वेक्षण कार्य पूरा किया जा सका है। सर्वेक्षण से यह ज्ञात हुआ है कि महिला कृषि श्रमिक अधिकांशतः अनुसूचित जाति के परिवारो की है। सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव में अभी भी संयुक्त परिवार प्रभा प्रचलित है तथा गांव में कुल 173 परिवार हैं जिनमें सबसे अधिक 46 परिवार यादव जाति के है जिनके पास लगभग 442 एकड़ भूमि वर्गीकृत है। दूसरे स्थान पर कुशवाहा जाति के 33 परिवार जिनके पास लगभग 85 एकड़ भूमि है। तथा तीस परिवार चमार जाति के है जिनके पास लगभग 65 एकड़ भूमि है इसके अतिरिक्त गांव में 13 भूमिहीन परिवार पाये गये ।

यदि गांव के परिवारो की आश्रित जनसंख्या पर विचार किया जाय तो आप अर्जित करने वाले व्यक्तियों और आश्रितों का अनुपात 1:4.2 आता है पर यह अनुपात जाति तथा वर्ग के अनुसार अलग अलग रहा है। ब्राम्हण परिवारो में प्रति परिवार आय अर्जित करने का अनुपात 1:7.2 है। मुसलमान परिवारो में यह अनुपात 1:6.2 है। विभिन्न जातियो में प्रति परिवार आय अर्जित करने वाले व्यक्तियों का विवरण सारणी संख्या-इकत्तीस में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या-इकत्तीस

विभिन्न परिवारो में आश्रित व्यक्तियों का अनुपात

क्र0सं0	जातियां	परिवार	काम करने वाले व्यक्ति	एक व्यक्ति पर आश्रित व्यक्तियों का अनुपात
1.	यादव	46	210	1:4.6
2.	कुशवाहा	33	139	1:4.2
3.	चमार	30	127	1:4.2
4.	कुम्हार	9	38	1:4.2
5.	बरार	7	0	1:1.2
6.	लोधी	7	31	1:4.4
7.	कोरी	6	27	1:4.5
8.	ब्राहम्ण	5	36	1:7.2
9.	पाल	5	13	1:2.8
10.	मुसलमान	5	31	1:6.2
11.	बढ़ई	4	15	1:3.8
12.	कायस्थ	3	10	1:3.3
13.	खंगार	3	7	1:2.3
14.	नाई	2	11	1:5.5
15.	धोबी	2	9	1:4.5
16.	लोहार	2	3	1:1.5
17.	पेड़नी	1	4	1:4.0
18.	वैश्य	1	3	1:3.0
19.	सपेरा	1	3	1:3.0
20.	वाल्मीकी	1	3	1:5.0
	योग	173	732	1:4.2

यदि गांव के परिवारो को उच्च वर्ग, पिछड़ी जाति तथा अनुसूचित जाति में विभाजित किया जाय तो 9 परिवार उच्च जाति के है जो कुल परिवारो के 5.3 प्रतिशत है। 113 परिवार पिछड़े वर्ग के है जो कुल परिवारो के 65.3 प्रतिशत है। 51 परिवार अनुसूचित जाति के हैं जो कुल परिवारो के 29.4 प्रतिशत है। गांव में सबसे अधिक परिवार पिछड़ी जाति के फिर अनुसूचित जाति के तीसरे स्थान पर उच्च वर्ग के परिवारो की संख्या है। गांव के परिवारों का वर्गीकरण सारणी संख्या-बत्तीस में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या-बत्तीस

परिवारों का वर्गीकरण

वर्ग	परिवारों की संख्या	कुल परिवारों से प्रतिशत
उच्च वर्ग	9	5.2
पिछड़ी जाति	113	65.3
अनुसूचित जाति	51	39.5
योग	173	100.0

गांव में 97 श्रमिक परिवार हे जो कुल परिवारों के 56.1 प्रतिशत है। पिछड़ी जाति तथा अनुसूचित जाति में श्रमिक पाये गये है। अनुसूचित जाति के चमार जाति में सबसे अधिक श्रमिक परिवार हैं। 23 श्रमिक परिवार कुशवाहा जाति में तथा 12 श्रमिक परिवार यादव जाति में पाये गये है। सभी जातियों के कुल परिवार, श्रमिक परिवार तथा कुल परिवारो में श्रमिक परिवारो के प्रतिशत को सारणी संख्या-तैतीस दर्शाया गया है।

सारणी संख्या-तैंतीस

गांव के श्रमिक परिवारों का विवरण

क्र.सं.	जातियां	कुल परिवार	मजदूरी करने वाले परिवार	कुल परिवारों से प्रतिशत
1.	यादव	46	12	26.1
2.	कुशवाहा	33	23	69.7
3.	चमार	30	25	83.4
4.	कुम्हार	9	8	88.9
5.	बरार	7	3	43.0
6.	लोधी	7	6	100.0
7.	कोरी	6	4	80.00
8.	ब्राहम्ण	5	1	20.00
9.	पाल	5	4	100.0
10.	मुसलमान	5	3	100.0
11.	बढ़ई	4	2	100.0
12.	कायस्थ	3	1	50.00
13.	खंगार	3	2	100.0
14.	नाई	2	1	100.0
15.	धोबी	2	1	100.0
16.	लोहार	2	1	100.0
17.	पेड़नी	1	-	-
18.	वैश्य	1	-	-
19.	सपेरा	1	-	-
20.	वाल्मीकी	1	-	-
	योग	173	97	56.1

गांव में कुल 97 कृषि श्रमिकों के परिवार हैं इन परिवारों में 354 कृषि श्रमिक है। यदि कृषि श्रमिक परिवारो में मजदूरी करने वाले की संख्या पर विचार किया जाय तो गांव में यह पाया गया कि चमार जाति में 99 सबसे अधिक कृषि श्रमिक है। इसके पश्चात 88 कृषि श्रमिक कुशवाहा जाति में तथा यादव जाति में 41 कृषि श्रमिक पाये गये हैं। कृषि श्रमिक परिवारो में श्रमिकों की संख्या के आधार पर औसत ज्ञात करने पर यह प्रति परिवार 3.7 आता है। विभिन्न जातियों में प्रति परिवार कृषि श्रमिकों का औसत सारणी संख्या चौतीस में स्पष्ट किया गया है।

क्रमशः..... तालिका संख्या चौतीस

सारणी संख्या-चौतीस

कृषि श्रमिकों का औसत

क्र0सं0	जातियां	कृषि श्रमिक परिवार	कृषि श्रमिक	प्रति परिवार कृषि श्रमिकों का औसत
1.	यादव	12	41	3.4
2.	कुशवाहा	23	88	3.8
3.	चमार	25	92	3.7
4.	कुम्हार	28	27	3.4
5.	बरार	13	11	3.7
6.	कोरी	6	27	4.5
7.	पाल	4	9	2.3
8.	मुसलमान	1	4	4.0
9.	बढ़ई	4	15	3.8
10.	खंगार	13	14	4.7
11.	नाई	2	7	3.5
12.	धोबी	1	4	4.0
13.	लोहार	2	3	1.5
14.	बेड़नी	1	4	4.8
15.	सपेरा	1	3	3.0
16.	वाल्मीकी	1	5	5.0
	योग	97	354	3.7

सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त आंकड़ों के आधार पर गांव में अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति के कृषि श्रमिक परिवारों का कुल परिवारों से औसत करने पर इनका औसत 23.7 तथा 32.4 क्रमशः आता है। श्रमिक परिवार तथा कृषि श्रमिकों की दृष्टि से गांव में 54.8 प्रतिशत कृषि श्रमिक पिछड़ी जाति के तथा 45.2 प्रतिशत कृषि श्रमिक अनुसूचित जाति के है जिसे सारणी संख्या 35 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या-पैंतीस

श्रमिक परिवार तथा कृषि श्रमिकों का प्रतिशत

वर्ग	कुल परिवार	कृषि श्रमिक परिवार	प्रतिशत
पिछड़ी जाति	173	56	32.4
अनुसूचित जाति	173	41	23.7
योग	173	97	56.1
वर्ग	कुल श्रमिक	कृषि श्रमिक	प्रतिशत
पिछड़ी जाति	354	194	54.8
अनुसूचित जाति	354	160	45.2
योग	354	354	100.0

गांव के कुल 354 कृषि श्रमिकों में से 160 महिला कृषि श्रमिक है जो कुल कृषि श्रमिकों की 45.2 प्रतिशत है। जातियों के आधार पर विभाजित

करने पर 66 महिला कृषि श्रमिक चमार जाति में, 30 कुशवाहा जाति में तथा 19 यादव जाति की है। शेष जातियों में महिला श्रमिकों को सारणी संख्या-36 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या-छत्तीस

महिला कृषि श्रमिकों का विवरण

क्र0सं0	जातियां	कृषि श्रमिक	महिला कृषि श्रमिक	प्रतिशत
1.	यादव	41	19	46.3
2.	कुशवाहा	88	30	340
3.	चमार	92	46	50.0
4.	कुम्हार	27	17	63.0
5.	बरार	11	9	81.8
6.	कोरी	27	10	37.0
7.	पाल	9	3	33.3
8.	मुसलमान	4	1	25.0
9.	बढ़ई	15	6	40.0
10.	खंगार	14	5	42.8
11.	नाई	7	2	71.4
12.	धोबी	4	1	50.0
13.	लोहार	4	1	33.3
14.	बेड़नी	3	1	25.0
15.	सपेरा	3	3	33.3
16.	वाल्मीकी	5	3	60.0
	योग	354	160	45.2

यदि विभिन्न जातियों के कृषि श्रमिको में से महिला कृषि श्रमिकों का अनुपात ज्ञात किया जाय तो गांव में प्रति पुरूष कृषि श्रमिक पर 1:0.5 महिला कृषि श्रमिकों का आता है। प्रति पुरूष कृषि श्रमिक पर सबसे अधिक महिला कृषि श्रमिकों का अनुपात बरार जाति में 1:0.8 है। यही अनुपात नाई जाति में 1:0.7 तथा कुम्हार जाति में 1:0.6 आता है शेष जातियो के पुरूष कृषि श्रमिकों पर महिला कृषि श्रमिकों के अनुपात को सारणी संख्या-सैतीस में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी संख्या-सैतीस

कृषि श्रमिको में महिला कृषि श्रमिकों का अनुपात

क्र0सं0	जातियां	कृषि श्रमिक	महिला कृषि श्रमिक	प्रति श्रमिक पुरूष पर महिला श्रमिक अनुपात
1.	यादव	41	19	1:0.5
2.	कुशवाहा	88	30	1:0.3
3.	चमार	92	46	1:0.5
4.	कम्हार	27	17	1:0.6
5.	बंरार	11	9	1:0.8
6.	कोरी	27	10	1:0.4
7.	पाल	9	3	1:0.3
8.	मुसलमान	4	1	1:0.3
9.	बढ़ई	15	6	1:0.4
10.	खंगार	14	6	1:0.4
11.	नाई	17	5	1:0.7
12.	धोबी	4	2	1:0.5
13.	लोहार	3	1	1:0.3
14.	बेड़नी	4	1	1:0.3
15.	सपेरा	3	1	1:0.3
16.	वाल्मीकी	5	3	1:0.4
	योग	354	100	1:0.5

यदि 160 महिला कृषि श्रमिकों को वर्ग में विभाजित किया जाय तो 82 महिलायें कृषि श्रमिक पिछड़ी जाति में तथा 78 कृषि महिला कृपि श्रमिक अनुसूचित जाति की हैं। पिछड़ी जाति के कुल कुल कृषि श्रमिको में 23.2 प्रतिशत महिला कृषि श्रमिक हैं तथा अनुसूचित जाति के कुल कृषि श्रमिको में 20.0 प्रतिशत महिला कृषि श्रमिक है। वर्गानुसार महिला कृषि श्रमिकों के विभाजन को सारणी संख्या-अड़तीस में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या-अड़तीस

महिला कृषि श्रमिकों का वर्गानुसार विभाजन

वर्ग	कृषि श्रमिक	महिला कृषि श्रमिक	प्रतिशत
पिछडी जाति	-	82	23.2
अनुसूचित जाति	-	78	20.0
योग	354	160	45.2

ग्राम - चन्दवारी

ग्राम चन्दवारी विकास खण्ड कार्यालय से पूर्व दिशा में लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित है। गांव में पहुँचने का साधन सड़क वाहन, पैदल व स्वयं के वाहन है गांव

से पक्की सड़क की दूरी 5 किलोमीटर है पक्की सड़क से गांव जाने का रास्ता निर्माणाधीन है।

सन् 1981 की जनगणना के अनुसार चन्दवारी गांव में कुल 165 परिवार थे। लेकिन सर्वेक्षण के दोरान 182 परिवार पाये गये। अधिकांशतः गांव में कृषि संयुक्त परिवार के आधार पर की जाती है। परिवार के सबसे बड़े व्यक्ति या परिवार के मुखिया के नाम भूमि है। भूमि का विभाजन परिवार के सदस्यों के नाम नहीं है। भूमि का विभाजन परिवार के सदस्यों के नाम न हो सका और न ही लोग भूमि का विभाजन प्रत्येक के नाम चाहते हैं।

यद्यपि ऐसा कहा जाता है कि गांव में संयुक्त परिवार प्रणाली का ह्रास हो रहा है और कहीं कहीं तो यह पूरी तरह समाप्त सी हो चुकी है। पर सर्वेक्षण में यह पाया गया कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में संयुक्त परिवार प्रणाली अभी भी विद्यमान है। गांव में कृषि कार्य संयुक्त रूप से किया जाता है। परन्तु खाने-पीने का प्रबन्ध एक ही घर के अन्दर अलग अलग करते हैं कृषि करने वाले परिवारों में भूमि का बटवारा परिवार के सदस्यों में अलग अलग हो जाने पर भी नहीं हुआ है। इस प्रकार संयुक्त परिवार प्रणाली अभी भी किसी न किसी रूप में विद्यमान है। यदि संयुक्त परिवार प्रणाली के कारण की गई परिभाषा पर विचार किया जाय तो यह कहा जा सकता है कि टी.एन. मुल्ला के अनुसार **"हिन्दू कानून में एक संयुक्त परिवार में वें सब व्यक्ति आते हैं जो एक सामान्य पूर्वज के वंशज है। इसमें उनकी पत्नियां और अविवाहित लड़कियां भी आती है विवाहित लड़कियां अपने पिता के संयुक्त परिवार की सदस्य नहीं रहती वरन पति के संयुक्त परिवार की सदस्य बन जाती है। हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य भोजन**

पूजा की दृष्टि से भी संयुक्त रहते हैं। और सम्पत्ति की दृष्टि से भी। परन्तु कभी कभी भोजन पूजा एवं सम्पत्ति का संयुक्त होना आवश्यक नहीं है। परिवार की संयुक्ता जन्म से ही मानी गयी है। संयुक्त सम्पत्ति केवल परिवार की संयुक्तता को सहारा देती है। कानूनी दृष्टिकोण से संयुक्त परिवार तभी विभाजित माना जायेगा जब सम्पत्ति के हिस्सेदारों के हित भी विभाजित हो गये हैं।"[1]

वर्तभान में संयुक्त परिवार प्रथा इन सभी विशेषताओं को पूरा नहीं करती, बल्कि भूस्वामित्व का संयुक्त होना ही इसकी एक विशेषता बनी है। यदि गांव में रहने वाले परिवारों का विश्लेषण किया जाय तो यह कहा जा सकता है कि चन्दतारी गांव में कुशवाहा परिवारों की संख्या सबसे अधिक है। फिर चमार जाति के परिवारों की संख्या दूसरे स्थान पर है। फिर यादव जाति के परिवार गांव में तीसरे स्थान पर हैं। गांव के सभी जातियों के परिवारों का विवरण सारणी संख्या-उनतालिस में स्पष्ट किया गया है।

---

1. मुल्ला- डी.एफ. - हिन्दू लॉ के सिद्धान्त, 1960.

सारणी संख्या-उन्तालीस

परिवार तथा काम करने वाले व्यक्तियों का प्रति परिवार अनुपात

क्र0सं0	जातियां	परिवार	काम करने वाले व्यक्ति	अर्जित आश्रित अनुपात
1.	कुशवाहा	44	170	1:3.9
2.	चमार	43	198	1:4.6
3.	यादव	36	172	1:4.8
4.	गड़रिया	15	62	1:4.1
5.	बरार	11	44	1:4.0
6.	ब्राहम्ण	8	25	1:3.1
7.	कुम्हार	6	29	1:4.8
8.	धोबी	5	13	1:2.6
9.	वाल्मीकी	5	10	1:2.0
10.	छीपा	4	10	1:2.5
11.	दर्जी	4	12	1:3.0
12.	बढ़ई	1	5	1:5.0
	योग	182	750	1:4.1

सारणी संख्या उन्तालीस गांव के 182 परिवारों में सर्वेक्षण के अनुसार 750 काम करने वाले व्यक्ति पाये गये हैं। इस आधार पर एक परिवार में कमाने वालो

की संख्या चार आती है। जातियो के आधार पर एक परिवार में आय अर्जित करने वाले व्यक्तियों का अनुपात अलग अलग रहा है जो सारणी संख्या-चालीस में स्पष्ट है।

यदि गांव की जनसंख्या को वर्गीकृत किया जाय तो गांव के सभी परिवारों को तीन वर्गो उच्च जाति, पिछड़ी जाति तथा अनुसूचित जाति में वर्गीकृत किया जा सकता 182 परिवारो में 8 परिवार उच्च जाति के, 110 पिछड़ी जाति के तथा 64 परिवार अनुसूचित जाति के हैं। तीन वर्गो के परिवारो की संख्या तथा कुल परिवारो से प्रतिशत को सारणी संख्या-चालीस में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या-चालीस

परिवारो का वर्गीकरण

क्र0सं0	वर्ग	परिवार संख्या	कुल परिवारो से प्रतिशत
1.	उच्च वर्ग के परिवार	8	4.4
2.	पिछड़ी जाति के परिवार	110	60.4
3.	अनुसूचित जाति के परिवार	64	35.2
	कुल परिवार	182	100.0

सारणी संख्या-चालीस के अनुसार उच्च वर्ग के 8 परिवारो का कुल परिवारो से प्रतिशत 4.4 है। पिछड़ी जाति के 110 परिवार गांव के कुल परिवारो के 60.4 प्रतिशत है। अनुसूचित जाति के 64 परिवार कुल परिवारो के 35.2 प्रतिशत है।

पेशे के आधार पर विभाजन करने पर गांव के 182 परिवारो में 120 कृषि श्रमिक परिवार है जिनमें 427 कृषि श्रमिक हैं। प्रत्येक जाति के कृषि श्रमिकों की संख्या अलग है। कुल कृषि श्रमिक परिवारो का यदि कुल परिवारो से प्रतिशत किया जाय तो यह कहा जा सकता है कि कुल परिवारो में कृषि श्रमिक परिवारो का प्रतिशत 65.8 है। गांव के विभिन्न जातियो के परिवारो में कृषि श्रमिक परिवारों के प्रतिशत को सारणी सख्या-इकतालिस में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या-इकतालीस

कुल परिवारो में कृषि श्रमिक परिवार का प्रतिशत

क्र0सं0	जातियां	कुल परिवार	कृषि श्रमिक परिवार	प्रतिशत
1.	चमार	43	39	90.7
2.	कुशवाहा	44	30	68.2
3.	गड़रिया	15	14	93.3
4.	बरार	11	11	100.0
5.	कुम्हार	6	6	100.0
6.	वाल्मीकी	5	5	100.0
7.	धोबी	5	4	80.00
8.	छीपा	4	4	100.0
9.	दर्जी	4	4	100.0
10.	यादव	36	2	56.0
11.	बढ़ई	1	1	100.0
12.	ब्राहमण	8	0	0.0
	योग	182	120	65.8

सारणी संख्या-इकतालीस के अनुसार दिये गये विभिन्न परिवारो के कुल परिवारो से प्रतिशत के अनुसार यह पाया गया कि गांव की 6 जातियां बरार, कुम्हार, वाल्मीक, छीपा, दर्जी तथा बढ़ई जाति से 100 प्रतिशत परिवार कृषि श्रमिक हैं। फिर दूसरे स्थान पर गड़रिया जाति के परिवारो में 93.3 प्रतिशत कृषि श्रमिक परिवार हैं। तीसरे स्थान पर चमार जाति के 90.7 प्रतिशत कृषि श्रमिक परिवार है।

यदि विभिन्न जातियो के कृषि श्रमिक परिवारो में से कृषि श्रमिको का औसत ज्ञात किया जाय तो 120 कृषि श्रमिक परिवारो में 427 कृषि श्रमिक हैं जिनका प्रति परिवार औसत 3.6 है। विभिन्न जातियो के कृषि श्रमिक परिवारो में कृषि श्रमिको का औसत अलग अलग हे जो सारणी संख्या बियालिस में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या-बियालिस

कृषि श्रमिक परिवार में कृषि श्रमिको का औसत

क्र.सं.	जातियां परिवार	कृषि श्रमिक	कृषि श्रमिक	औसत
1.	चमार	39	150	3.8
2.	कुशवाहा	30	97	3.2
3.	गड़रिया	14	52	3.7
4.	बरार	11	44	4.0
5.	कुम्हार	6	29	4.8
6.	वाल्मीक	5	10	2.0
7.	धोबी	4	9	2.1
8.	छीपा	4	10	2.5
9.	दर्जी	4	11	2.8
10.	यादव	2	10	5.0
11.	बढ़ई	1	5	5.0
	योग	120	427	3.6

सारणी संख्या ब्यालीस के अनुसार कृषि श्रमिक परिवारो में कृषि श्रमिकों का सबसे अधिक औसत यादव तथा बढ़ई जाति का है। जिसमें प्रति परिवार औसतन 5 व्यक्ति कृषि श्रमिक है। सबसे कम प्रति परिवार कृषि श्रमिकों का औसत वाल्मीक जाति में 2 व्यक्ति का है।

सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त आंकड़ों के अनुसार अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति के कृषि श्रमिक परिवारो का कुल परिवारो से प्रतिशत ज्ञात किया गया है। अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति के कृषि श्रमिकों का कुल श्रमिको से प्रतिशत ज्ञात किये जाने पर गांव में पिछड़ी जाति के कृषि श्रमिक परिवार कुल परिवारो के 33.5 प्रतिशत है। अनुसूचित जाति के 32.4 प्रतिशत परिवार कुल कृषि श्रमिक परिवारो में है पिछड़ी जाति के कृषि श्रमिक कुल कृषि श्रमिको के 50.2 प्रतिशत है। अनुसूचित जाति के कृषि श्रमिक कुल कृषि श्रमिकों के 49.8 प्रतिशत है। कृषि श्रमिक परिवार तथा कृषि श्रमिको के प्रतिशत को सारणी संख्या 43 में दर्शाया गया है।

सारणी संख्या-तिरालीस

कृषि श्रमिक परिवार तथा कृषि श्रमिको का प्रतिशत

वर्ग	कृषि श्रमिक परिवार	कुल परिवार	प्रतिशत
पिछड़ी जाति	61	182	33.5
अनुसूचित जाति	59	182	32.4
योग	120	182	65.9

वर्ग	कृषि श्रमिक	कुल	प्रतिशत
पिछड़ी जाति	215	427	50.2
अनुसूचित जाति	212	427	49.8
योग	-	-	100.0

यदिं कृषि श्रमिको में से पुरूष एवं महिला कृषि श्रमिकों को वर्गीकृत किया जाय तो कुल 427 कृषि श्रमिको में 190 महिला कृषि श्रमिक है। सर्वेक्षण द्वारा ज्ञात करने पर चमार जाति में सबसे अधिक महिला कृषि श्रमिक है। कुशवाहा जाति में महिला कृषि श्रमिक दूसरे स्थान पर है तथा तीसरे स्थान पर गड़रिया जाति में है। सभी जातियो की कृषि महिला श्रमिकों तथा कुल कृषि श्रमिको से महिला कृषि श्रमिको के प्रतिशत को सारणी संख्या-चौवालिस में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या-चौवालिस

कुल कृषि श्रमिको मे से महिला कृषि श्रमिको का प्रतिशत

क्र0सं0	जातियां	कुल कृषि श्रमिक (पुरूष एवं महिला)	महिला कृषि श्रमिक	प्रतिशत
1.	चमार	150	65	43.3
2.	कुशवाहा	97	42	43.2
3.	गड़रिया	52	24	46.1
4.	बरार	44	21	47.7
5.	कुम्हार	29	13	44.8
6.	वाल्मीक	10	4	40.0
7.	धोबी	9	4	44.4
8.	धीपा	10	4	40.0
9.	दर्जी	11	6	54.5
10.	यादव	10	5	50.0
11.	बढ़ई	5	2	40.0
	योग	427	190	44.5

सारणी संया चौवालिस के अनुसार कुल कृषि श्रमिको में सबसे अधिक महिला कृषि श्रमिकों का प्रतिशत दर्जी जाति के श्रमिक परिवारो में है। दूसरे स्थान पर यादव जाति में कृषि महिला श्रमिक है तथा तीसरे स्थान पर बरार जाति में कृषि महिला श्रमिक है। सबसे कम कृषि महिला श्रमिक वाल्मीक, छीपा बढ़ई जाति के श्रमिक परिवारो में है।

यदि विभिन्न जातियो के कृषि महिला श्रमिको का कृषि श्रमिको से अनुपात किया जाय तो गांव के कुल 427 कृषि श्रमिकों में 190 कृषि महिला श्रमिक है जिनका अनुपात 1:0.4 रहा है। गांव की सात जातियो के परिवारो में 1:0.4 का अनुपात आता है अन्य सभी जातियो के अनुपात को सारणी संख्या-पैतालिस में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी संख्या-पैतालिस

कुल कृषि श्रमिको में महिला कृषि श्रमिको का अनुपात

क्रसं.	जातियां	कृषि श्रमिक	कृषि श्रमिक महिलाये	एक पुरूष अधिक पर महिला कृषि श्रमिक का अनुपात
1.	चमार	150	65	1:0.4
2.	कुशवाहा	97	42	1:0.4
3.	गड़रिया	52	24	1:0.5
4.	बरार	44	21	1:0.5
5.	कुम्हार	29	13	1:0.4
6.	वाल्मीक	10	4	1:0.4
7.	धोबी	9	4	1:0.4
8.	छीपा	10	4	1:0.4
9.	दर्जी	11	6	1:0.6
10.	यादव	10	5	1:0.5
11.	बढई	5	2	1:0.4
	योग	427	190	1:0.4

सारणी संख्या-पैतालिस के अनुसार यदि परिवारों की संख्या के दृष्टिकोण से विचार किया जाय तो यह कहा जा सकता है कि चमार जाति की अधिकांश महिलायें कृषि रमिक के रूप में कार्य कर रही हैं। कुल कृषि श्रमिकों में महिला कृषि श्रमिकों के अनुपात के अनुसार गांव में 1:0.4 का अनुपात रहा है। गांव की सात जातियां-चमार, कुशवाहा, कुम्हार, वाल्मीक, धोबी, छीपा व बढ़ई जातियो में 1:0.4 का अनुपात रहा है।

यद्यपि गांव की विभिन्न जातियो में 190 स्त्रियां कृषि श्रमिक के रूप में कार्य कर रही है लेकिन महिला कृषि श्रमिकों को यदि वर्गो में विभाजित किया जाय तो पिछड़ी जाति में 96 महिलायें कृषि श्रमिक हैं। 94 महिला कृषि श्रमिक अनुसूचित जाति में हैं। पिछड़ी जातियो के कुल श्रमिको में 22.5 प्रतिशत स्त्रियां कृषि श्रमिक हैं। अनुसूचित जातियो के कुल कृषि श्रमिको में 20 प्रतिशत महिलायें कृषि श्रमिक है। पिछड़ी जातियो तथा अनुसूचित जातियों के तथा उनमें महिला कृषि श्रमिको के प्रतिशत को सारणी संख्या-छियालिस में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या-छियालिस

वर्गानुसार महिला कृषि श्रमिकों का प्रतिशत

वर्ग	कुल कृषि श्रमिक	महिला कृषि श्रमिक	प्रतिशत
पिछड़ी जातियां	96	96	22.5
अनुसूचित जातियां		94	20.0
योग	427	190	44.5

यदि गांव की कृषि योग्य भूमि पर विचार किया जाय तो सर्वेक्षण के अनुसार सभी जातियो के पास लगभग 930.10 एकड़ भूमि है। गांव वालो को अपनी भूमि की सही जानकारी देने में कठिनाई हो रही थी इसी कारण लगभग में कृषि योग्य भूमि की जानकारी प्राप्त हुई। लगभग 930:10 एकड़ भूमि विभिन्न जातियो में वर्गीकृत है। यादव जातियो में सबसे अधिक भूमि हे जो लगभग 523 एकड़ है जो 36 यादव परिवारो मं विभाजित है यादव जातियों के परिवारो में भूमि का औसत 11.8 एकड़ भूमि प्रति परिवार है। दूसरे स्थान पर ब्राहमण जातियो में प्रति परिवार भूमि का औसत 5.8 एकड़ का हे। तीसरे स्थान पर कुशवाहा जातियो के पास लगभग 174.80 एकड़ भमि है जो कुशवाहा जातियो के 44 परिवारो में विभाजित है कुशवाहा जातियो में प्रति परिवार भूमि का औसत 4 एकड़ भूमि का है। गांव की सभी जातियो में भूमि विभाजन का आंकड़ा अग्रलिखित है।

अध्ययन के लिए चुने गये गांवो की सामान्य दशायें

चिरगांव विकास खण्ड में सर्वेक्षण के लिए चुने गये पांचो गांवो क्रमशः पट्टी कुर्म्हेरा, छिरौना, अमरगढ़, पचार और चन्दवारी। ये सभी गांव अलग अलग दिशाओं में स्थित है। सभी गांवो में पहुॅचने का साधन पैदल तथा स्वयं के वाहन द्वारा है। सर्वेक्षण कार्य कठिन होते हुये भी गांववासियों के सहयोग से सरलता से पूरा किया गया। सभी गांवो में महिलाओं ने अपनी आर्थिक स्थिति बतलाने में कठिनाई उत्पन्न की, इसका प्रमुख कारण यह है कि आर्थिक स्थिति की सही जानकारी देने से उनको आर्थिक नुकसान हो सकता है। ऐसा भय उनके अंदर विकसित हुआ है।

यद्यपि ऐसा कहा जाता है कि गांवो में संयुक्त परिवार प्रथा समाप्त हो चुकी है। लेकिन सर्वेक्षण के दौरान सभी गांवो में संयुक्त परिवार प्रणाली किसी न किसी रूप में विद्यमान पायी गयी है। गांवो में कृषि अधिकांशतः संयुक्त परिवार के आधार पर ही की जाती है। गांव में परिवार के सबसे बड़े व्यक्ति या परिवार के मुखिया के नाम भूमि होती है। भूमि का विभाजन परिवार के सदस्यों के नाम नहीं है न ही वो प्रत्येक के नाम भूमि का विभाजन चाहते हैं। अधिकांशतः खाने-पीने का प्रबन्ध एक ही घरक अन्दर अलग अलग है, लेकिन कृषि कार्य संयुक्त रूप से ही किया जाता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में अभी भी संयुक्त परिवार प्रणाली किसी न किसी रूप में विद्यमान है।

चुने हुए गांवो के कृषि श्रमिकों का विवरण:

चिरगांव विकास खण्ड के चुने हुये गांवो में कुल 1453 परिवार है जिसमें चमार जातियो के परिवार 293 है जो सबसे अधिक है। दूसरे स्थान पर कुशवाहा जातियों के 252 परिवार तथा फिर यादव जाति के 157 परिवार है। पांचो गांवो में सबसे अधिक काम करने वाले 1189 व्यक्ति चमार जाति के परिवारो में, फिर 1041 व्यक्ति कुशवाहा जाति में 751 व्यक्ति यादव जाति के परिवारो में है।

यदि गांव के परिवारो में काम करने वाले व्यक्तियो का आश्रित व्यक्तियों से अनुपात लिया जाय तो प्रति परिवार आय अर्जित करने वाले 4.22 व्यक्ति है सबसे अधिक प्रति परिवार आय अर्जित करने वाले 5 व्यक्तियों का अनुपात है। दूसरे स्थान पर 4.8 व्यक्ति प्रति परिवार फिर 4.7 व्यक्ति प्रति परिवार का अनुपात आता है।

गांवो की जनसंख्या का वर्ग विभाजन के अनुसार उच्च वर्ग के 170 परिवार है। जो कुल परिवारो के 11.7 प्रतिशत है। पिछड़े वर्ग के 760 परिवार हैं जो कुल परिवारो के 52.3 प्रतिशत है। अनुसूचित जाति के 523 परिवार हैं। जो कुल परिवारो के 36 प्रतिशत है। पांचो गांव में पिछड़ी जाति के सबसे अधिक परिवार निवास करते हैं दूसरे स्थान पर अनुसूचित जाति के परिवार तथा सबसे कम परिवार उच्च वर्ग के हैं। पांचो गांव के वर्गानुसार परिवारों की संख्या तथा कुल परिवारो से प्रतिशत को सारणी संख्या-सैतालिंस में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या-सैतालिस

परिवारो का वर्गीकरण

क्र0सं0	वर्ग	परिवार संख्या	कुल परिवारों से प्रतिशत
1.	उच्च वर्ग के परिवार	170	11.7
2.	पिछड़ी जाति के परिवार	760	52.3
3.	अनुसूचित जाति के परिवार	523	36.0
	योग	1453	100.0

सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त आंकड़ों के अनुसार पांचो गांवो में 1953 परिवार हैं। जिनमें 833 परिवार कृषि के है। श्रमिकों का कुल परिवारों से प्रतिशत ज्ञात करने पर कृषि श्रमिक 57.3 आता है। जातियो के अनुसार विभाजन करने पर चमार जाति में 251 परिवार है जो कुल परिवारो का 85.7 कृषि श्रमिक कोरी जाति में है। कुल

सभी जातियो के कुल परिवारो में कृषि श्रमिक परिवारों के प्रतिशत को सारणी संख्या अड़तालिस में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या-अड़तालिस
कृषि श्रमिक परिवारो का प्रतिशत

क्र0सं0	जातियां	कुल परिवार	कृषि श्रमिक परिवार	प्रतिशत
1.	चमार	293	2511	85.7
2.	कुशवाहा	252	165	65.5
3.	यादव	167	41	24.6
4.	कोरी	109	76	69.7
5.	लोधी	68	11	16.2
6.	मुसलमान	59	40	67.8
7.	बरार	56	52	92.9
8.	ढीमर	43	32	74.4
9.	पाल	41	25	60.9
10.	कुम्हार	27	20	76.9
11.	साहू	24	12	50.0
12.	बढ़ई	21	18	85.7
13.	धोबी	21	17	76.2
14.	खंगार	17	11	68.6
15.	नाई	14	12	85.7
16.	लोहार	13	6	46.2
17.	वाल्मीकी	12	12	100.0
18.	सोनार	9	1	12.5
19.	खटीक	9	8	100.0
20.	दर्जी	8	6	85.7
21.	गोली	7	5	83.3
22	माली	6	2	40.0
23.	छीबा	4	4	100.0
24.	लखेरे	2	2	100.0
25.	कुर्मी	1	1	100.0
26.	सरदार	1	1	100.0
27.	बैड़नी	1	1	100.0
28.	सपेरा	1	1	100.0
29.	ताम्रकार	1	1	100.0
	योग	1453	853	57.3

गांव के 1453 परिवारो में 833 कृषि श्रमिक परिवार जिनमें 2983 कृषि श्रमिक पाये गये हैं 924 कृषि श्रमिक हैं। चमार जातियो में 602 कृषि कृषि श्रमिक कुशवाहा जाति में है। 335 कृषि श्रमिक कोरी जाति में है। इन विभिन्न जातियो के कृषि श्रमिक परिवारो में से कृषि श्रमिकों का औसत लिया जाय तो प्रति परिवार का औसत 3.6 व्यक्तियों का आता है। गांवो के श्रमिक परिवारो में कुछ श्रमिक परिवारो में यह औसत 5 व्यक्ति का है, कुछ परिवारो में 4.5 है कुछ परिवारो में 4.4 प्रति परिवार कृषि श्रमिकों का औसत आता है। विभिन्न जातियो के कृषि श्रमिक परिवारो में कृषि श्रमिको के औसत को सारणी संख्या उन्चास में स्पष्ट किया गया है।

क्रमशः..... सारणी

सारणी संख्या-उन्चास

कृषि श्रमिकों का प्रति परिवार औसत

क्र.सं.	जातिया	कृषि श्रमिक परिवार	कृषि श्रमिक	औसत
1.	चमार	251	924	3.7
2.	कुशवाहा	165	602	3.6
3.	यादव	41	145	3.5
4.	कोरी	76	335	4.4
5.	लोधी	11	49	4.5
6.	मुसलमान	40	120	3.0
7.	बरार	52	132	2.5
8.	ढीमर	32	117	3.6
9.	पाल	26	94	3.4
10.	कुम्हार	20	89	3.9
11.	साहू	12	44	3.7
12.	बढ़ई	19	77	3.4
13.	धोबी	17	64	3.9
14.	खंगार	11	43	2.6
15.	नाई	12	39	2.0
16.	लोहार	6	12	2.6
17.	वाल्मीकी	12	33	3.0
18.	सोनार	1	3	3.4
19.	खटीक	9	28	3.2
20.	दर्जी	7	10	2.6
21.	गोली	5	13	3.0
22	माली	2	3	3.4
23.	छीबा	4	10	3.2
24.	लखेरे	2	10	2.6
25.	कुर्मी	1	5	1.5
26.	सरदार	1	5	2.5
27.	बैड़नी	1	4	5.0
28.	सपेरा	1	3	5.0
29.	ताम्रकार	1	5	5.0
	योग	833	2983	3.6

यदि सभी प्राप्त आंकड़ों के अनुसार पिछड़ी जाति तथा अनुसूचित जाति के कृषि श्रमिक परिवारों तथा कृषि श्रमिकों का प्रतिशत किया जाय तो सभी गांवो में पिछड़ी जाति के 400 कृषि श्रमिक परिवार है जो कुल परिवारों के 27.5 प्रतिशत है। अनुसूचित जाति के 433 परिवार है जो कुल परिवारों के 29.8 प्रतिशत हैं इस प्रकार कुल कृषि श्रमिक कुल परिवारों के 57.3 प्रतिशत है। कृषि श्रमिकों का प्रतिशत करने पर पिछड़ी जाति में 1416 कृषि श्रमिक है जो कुल कृषि श्रमिकों के 47.5 प्रतिशत है। अनुसूचित जाति के 1568 कृषि श्रमिक हैं जो कुल कृषि श्रमिकों के 52.5 प्रतिशत है। सभी गांवो के अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति के कृषि श्रमिक तथा उनके परिवारों का विवरण सारणी संख्या-पचास में स्पष्ट किया जा चुका है।

सारणी संख्या-पचास

कृषि श्रमिकों का वर्गानुसार प्रतिशत

वर्ग	कुल परिवार	कृषि श्रमिक परिवार	प्रतिशत
पिछड़ी जाति	-	400	27.5
अनुसूचित जाति	-	433	29.8
योग	1453	833	100.0

वर्ग	कुल श्रमिक	कृषि श्रमिक	प्रतिशत
पिछड़ी जाति	-	1416	47.5
अनुसूचित जाति	-	1561	52.5
योग	2983	2983	100.0

सभी गांवो के श्रमिक परिवारो में 2983 कृषि श्रमिक हैं जिनमें 1382 महिला कृषि श्रमिक सर्वेक्षण के समय पाई गई। यदि कुल कृषि श्रमिको में से महिला कृषि श्रमिकों का प्रतिशत किया जाय तो यह प्रतिशत 46.3 आता है। संख्या के अनुसार सबसे अधिक 407 महिलाएं कृषि श्रमिक चमार जाति की हैं, 274 महिलाएं कृषि श्रमिक कुशवाहा जाति में है, 150 कृषि श्रमिक महिलाएं कोरी जाति के परिवारो में कृषि श्रमिक के रूप में कार्य कर रहीं है विभिन्न जातियो के कृषि श्रमिको में महिला कृषि श्रमिको के प्रतिशत को सारणी संख्या इक्वायन में स्पष्ट किया गया है।

क्रमश..... सारणी संख्या इक्यावन

सारणी संख्या-इक्वायन
महिला कृषि श्रमिकों का प्रतिशत

क्रसं0	जातियां	कृषि श्रमिक	महिला कृषि श्रमिक	प्रतिशत
1.	चमार	924	407	44.0
2.	कुशवाहा	602	274	45.5
3.	यादव	145	51	35.2
4.	कोरी	335	150	44.8
5.	लोधी	49	20	40.8
6.	मुसलमान	120	56	46.7
7.	बरार	132	91	68.9
8.	ढीमर	116	59	50.9
9.	पाल	84	34	40.5
10.	कुम्हार	78	39	50.0
11.	साहू	44	20	45.5
12.	बढ़ई	66	29	43.9
13.	धोबी	54	28	51.9
14.	खंगार	43	23	53.5
15.	नाई	39	25	64.1
16.	लोहार	12	5	41.7
17.	वाल्मीकी	33	16	48.5
18.	सोनार	3	2	66.7
19.	खटीक	27	20	74.1
20.	दर्जी	19	10	52.6
21.	गोली	13	5	38.5
22	माली	3	2	66.7
23.	छीबा	10	4	40.00
24.	लखेरे	10	3	30.00
25.	कुर्मी	5	2	40.0
26.	सरदार	5	2	40.0
27.	बेड़नी	4	1	25.0
28.	सपेरा	3	1	33.3
29.	ताम्रकार	6	3	60.0
	योग	2983	1392	46.3

यदि सभी जातियों को कृषि श्रमिकों में से स्त्री श्रमिकों का औसत लिया जाय तो प्रति पुरूष कृषि श्रमिक पर 0.5 महिला कृषि श्रमिक का औसत है सबसे अधिक महिला श्रमिको का प्रति पुरूष पर औसत 0.7 चार जातियो मे है दूसरे स्थान पर महिला कृषि श्रमिकों का 0.6 का औसत तथा तीसरे स्थान पर 0.5 का महिला कृषि श्रमिकों का औसत लिया गया है। सभी जातियो में महिला कृषि श्रमिकों के औसत को सारणी संख्या-बासठ में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या-बावन

महिला कृषि श्रमिकों का प्रति पुरूष अनुपात

क्र.सं.	जातियां	कृषि श्रमिक	महिला कृषि श्रमिक	प्रति पुरूष पर महिला कृषि श्रमिक का अनुपात
1.	चमार	924	407	1:05
2.	कुशवाहा	602	207	1:05
3.	यादव	145	51	1:04
4.	कोरी	335	150	1:04
5.	लोधी	49.	20	1:04
6.	मुसलमान	120	56	1:05
7.	बरार	132	91	1:×07
8.	ढीमर	1161	59	1:05
9.	पाल	84	34	1:04
10.	कुम्हार	78	39	1:05
11.	साहू	44	20	1:04
12.	बढ़ई	66	29	1:05
13.	धोबी	54	28	1:05
14.	खंगार	43	23	1:04
15.	नाई	39	25	1:05
16.	लोहार	12	5	1:05
17.	वाल्मीकी	33	60	1:06
18.	सोनार	3	2	1:04
19.	खटीक	27	20	1:05
20.	दर्जी	19	2	1:07
21.	गोली	13	10	1:07
22	माली	3	5	1:05
23.	छीबा	10	2	1:0=
24.	लखेरे	10	4	1:07
25.	कुर्मी	5	3	1:04
26.	सरदार	5	2	1:03
27.	बेड़नी	4	2	1:04
28.	सपेरा	3	1	1:04
29.	ताम्रकार	5	3	1:03
	योग	2983	1382	1:05

सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त महिला कृषि श्रमिकों का यदि वर्ग विभाजन किया जाय तो 1383 महिला कृषि श्रमिको में 640 महिलाएं कृषि श्रमिक के रूप में पिछड़ी जाति के परिवारो में काम कर रही है। 743 महिलाएं कृषि श्रमिक के रूप में अनुसूचित जाति के परिवारो में कार्य कर रही है। महिला कृषि श्रमिकों का वर्गानुसार विभाजन से यह ज्ञात होता है कि अनुसूचित जाति के परिवारो में सबसे अधिक महिला कृषि श्रमिक हैं कुल कृषि श्रमिकों में 21.5 प्रतिशत महिलाएं कृषि श्रमिक पिछड़ी जाति के परिवारो में है। तथा कुल कृषि श्रमिकों में 24.9 प्रतिशत महिलायें कृषि श्रमिक अनुसूचित जाति के परिवारो में है। कुल महिला कृषि श्रमिकों के अनुसार 46.3 प्रतिशत महिलाएं सभी गांवो में कृषि श्रमिकों के रूप में जीवन यापन कर रही हैं। वर्गानुसार महिला कृषि श्रमिकों के प्रतिशत को सारणी संख्या-तिरपन में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या-तिरपन

वर्गानुसार महिला कृषि श्रमिक

वर्ग	कृषि श्रमिक	महिला कृषि श्रमिक	प्रतिशत
पिछड़ी जाति	-	640	21.5
अनुसूचित जाति	-	742	24.9
योग	2983	1382	46.3

यदि गांवो की कृषि योग्य भूमि पर विचार किया जाय

तो पांचो गांवो की सभी जातियो के परिवारो में लगभग 7125.45 एकड़ भूमि है।

सभी गांवो के अनुसार यादव जाति के परिवारो में सबसे अधिक भूमि 1421 एकड़ है। दूसरे स्थान पर कुशवाहा जाति के परिवारो के पास 928.30 एकड़ भूमि है।

तीसरे स्थान पर 897 एकड़ भूमि ब्राहमण जाति के परिवारो में है।

यदि विभिन्न जातियो में प्रति परिवार भूमि का औसत सात किया जाय तो कुल 1453 परिवारो में 7125.45 एकड़ भूमि का औसत सात किया जाय तो कुल 1453 परिवारो में 7125.45 एकड़ भूमि का प्रति परिवार 4.9 एकड़ भूमि का औसत आता है। ठाकुर जाति के परिवारो में 13.9 का औसत प्रति परिवार है जो सबसे अधिक है। विभिन्न जातियो के भूमि के औसत को सारणी संख्या चौवन में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या-चौवन
भूमि का प्रति परिवार औसत

क्रस.	जातियां	परिवार	भूमि एकड़ में	प्रति परिवार औसत
1.	चमार	293	726.15	2.5
2.	कुशवाहा	252	928.30	3.7
3.	यादव	167	1421.00	8.5
4.	कोरी	109	381.00	3.5
5.	ब्राहमण	68	897.00	13.1
6.	लोधी	68	545.00	8.0
7.	मुसलमान	59	182.0	3.1
8.	बरार.	56	64.0	1.1
9.	ठाकुर	56	776.00	13.9
10.	ढीमर	43	132.00	3.1
11.	पाल	41	160.00	3.9
12.	कुम्हार.	26	63.00	2.4
13.	कायस्थ	25	220.00	8.8
14.	साहू	25	114.00	4.8
15.	बढ़ई	21	42.00	2.0
16.	धोबी.	21	55.00	2.6
17.	वेश्य	20	154.00	7.7
18.	खंगार	16	57.00	3.6
19.	नाई	14	21.00	1.5
20.	लोहार	13	70.00	5.4
21.	वाल्मीकी	12	9.00	0.8
22.	सोनार	8	42.00	5.3
23.	खटीक	8	4,00	0.5
24.	दर्जी	7	15.00	2.1
25.	गोली	6	7.00	1.2
26.	माली	5	8.00	1.6
27.	छीपा	4	9.00	2.3
28.	चौरसिया	2	12.00	6.0
29.	कलार	2	10.00	5.0
30.	लखेरे	2	-	-
31.	कुर्मी	1	-	-
32.	सरदार	1	-	-
33.	बेड़नी	1	-	-
34.	सपेरा	1	1.00	1.00
35.	ताम्रकार	1	-	-
योग		1453	7125.45	4.9

सारणी संख्या-110 के अनुसार प्रति परिवार भूमिका का औसत उच्च जाति में सबसे अधिक पाया गया। इसका प्रमुख कारण यह है कि उच्च वर्ग के परिवारों की संख्या गांवो में कम है। दूसरे स्थान पर पिछड़े वर्ग के परिवार तथा तीसरे स्थान पर अनुसूचित जाति के परिवारो में सबसे कम है। अनुसूचित जाति के पास कम भूमि होने से ही सबसे अधिक कृषि श्रमिक पाये गये।

गांवो की कृषि योग्य भूमि तथा परिवारो में 6 भागो में वर्गीकृत किया गया है (0-1, 1-3, 3-6, 6-10 तथा 10 से अधिक) इन वर्गीकृत भूमि वाले परिवारों में 164 परिवार भूमिहीन थे जो कुल परिवारो के 11.3 प्रतिशत है। 320 परिवार (1 एकड़ तक की भूमि वाले हैं)। जो कुल परिवारों के 20 प्रतिशत है। 1 से 3 एकड़ भूमि वाले 427 परिवार जो 29.4 प्रतिशत है। उसे 6 एकड़ भूमि वाले 246 परिवार है जो कुल परिवारो के 16.9 प्रतिशत है। 6 से 10 एकड़ तक की भूमि वाले 148 परिवार जो 10.2 प्रतिशत है। 10 एकड़ से अधिक भूमि वाले 148 परिवार जो 10.2 प्रतिशत है। भूमि के वर्गीकरण को सारणी संख्या-पचपन में वर्गीकृत किया गया है।

सारणी संख्या-पचपन

भूमि का वर्गीकरण

क्र0सं0	भूमि (एकड़ में)	परिवार	प्रतिशत
1.	भूमिहीन	164	11.3
2.	0-1	320	20.0
3.	1-3	427	29.4
4.	3-6	246	16.9
5.	6-10	148	10.2
6.	10 से अधिक	148	10.2
	योग	1453	100.0

सारणी संख्या-पचपन के अनुसार 0-3 एकड़ तक की भूमि वाले पांचो गांवो में सबसे अधिक परिवार हैं। सभी गांवो में जिन परिवारों के पास 3 एकड़ तक की भूमि पाई गई है वो अधिकांशतः कृषि श्रमिक परिवार पाये गये हैं। यही कारण है कि चन्दवारी, पचार पट्टी, कुम्हर्रा, छिरौना तथा अम्बरगढ़ गांव में कृषि श्रमिको की संख्या सबसे अधिक है।

सैम्पुल डिजाइन

सर्वेक्षण के लिए चुने गये गांव में कृषि श्रमिकों के 833 परिवार पाये गये जो अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति वर्ग जिसमें 433 परिवार अनुसूचित जाति के और 400 परिवार पिछड़ी जाति के थे। विभिन्न गांव में जिनके वितरण की सारणी संख्या-छप्पन में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या-छप्पन

चुने हुए गांव में कृषि श्रमिक परिवारों का विवरण

क्र0सं0	गांवो का नाम	कृषि श्रमिक परिवारों की संख्या	अध्ययन के लिए चने गये परिवारो की संख्या
1.	पट्टी कुम्हर्रा	130	32
2.	छिरौना	220	55
3.	अम्बरगढ़	266	60
4.	पचार	97	25
5.	चन्दवारी	120	30
	योग	833	210

अध्ययन के लिए यह निश्चित किया गया कि प्रत्येक वर्ग में 25% परिवारों को रेण्डम सैम्पलिंग के आधार परचुनाव किया जाय विभिन्न गांवो में कृषि श्रमिक परिवारो की संख्या अलग अलग रहने के कारण 25% के आधार पर अध्ययन के लिए चुने गये परिवारों को सारणी संख्या 66 में स्पष्ट किया गया है। विभिन्न गांव में कृषि श्रमिक परिवारों की संख्या अलग अलग होने के कारण उनकी संख्या अलग अलग रही है। अध्ययन के लिए चुने गये 210 परिवारो में से 1100 परिवार अनुसूचित जाति के तथा 100 परिवार पिछड़ी जाति के चुने गये।

अध्ययन के लिए गांव के प्राथमिक सर्वेक्षण में गांवो में रह रहे कुल परिवारो में से कृषि श्रमिक परिवारो की सूची तैयार की गई और अध्ययन के लिए चुने गये आवश्यक परिवारो की संख्या के आधार पर लाटरी प्रणाली के अनुसार उतनी ही क्रम संख्या के परिवारों का चुनाव किया गया और उनका अध्ययन पूरा किया गया। इस प्रकार यह अध्ययन 210 कृषि श्रमिक परिवारो पर आधारित है।

इन परिवारों की महिला कृषि श्रमिकों से सम्बन्धित आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियों को ज्ञात किया गया।

अध्ययन की विधि :

विभिन्न गांव के अध्ययन के लिए चुने गये आवश्यक संख्या के परिवारों से संबंधित विभिन्न आंकड़े एवं सूचनायें प्राप्त करने के लिए एक प्रश्नावली का निर्माण किया गया और इस प्रश्नावली को व्यक्तिगत साक्षात्कार विधि द्वारा पूरा किया गया।

इस प्रकार प्रस्तावित अध्ययन के अंतर्गत कृषि महिला श्रमिकों से संबंधित जो आंकड़े दिये गये है। उनका सम्बन्ध 210 परिवारो से है।

अग्रगामी सर्वेक्षण

प्रस्तावित अध्ययन के लिए सर्वेक्षण का कार्य प्रारम्भ करने से पहले सर्वेक्षण के कार्य में आने वाली कठिनाईयों को ज्ञात करने के लिए और उसी के अनुसार प्रश्नावली में आवश्यक सुधार के लिए छिरौना गांव के 10% कृषि महिला श्रमिक परिवारों से संबंधित अग्रगामी सर्वेक्षण किया गया। अग्रगामी सर्वेक्षण के समय इस बात का अनुभव किया गया कि कृषि महिला श्रमिको में शिक्षा का स्तर न्यून होने के कारण अपने परिवार की आर्थिक परिस्थितियो के सम्बन्ध में कुछ भी बाते सही स्पष्ट करने में संकोच करती थी। अतः उनके परिवार से सम्बन्धित आर्थिक प्रश्नो में सुधार करके उन्हें परोक्ष रूप से पूछे जाने का प्रयास किया गया।

अध्ययन में लगा समय

प्राथमिक समको को एकत्र करने के लिए दो प्रकार के सर्वेक्षण का कार्य किया गया। पहला सर्वेक्षण सामान्य प्रकार का है। जिसके अन्तर्गत 210 परिवारो के सम्बन्ध में सभी सूचनायें प्रदान की गई। सामान्य सर्वेक्षण के अतिरिक्त एक दूसरे प्रकार का सघन सर्वेक्षण या विशिष्ट प्रकार का सर्वेक्षण भी किया गया।

विशिष्ट प्रकार का सर्वेक्षण विशिष्ट उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया गया

यह एक क्षेत्रीय अध्ययन है और क्षेत्र विशेष में कृषि महिला श्रमिकों को कृषि क्षेत्र में कितने दिन रोजगार प्राप्त होता है तथा उन्हें कितनी मजदूरी प्राप्त होती है। आदि बातो की जानकारी के लिए सर्वेक्षण के लिए चुने गये 210 परिवारों में से 50 परिवारो का विशेष सर्वेक्षण किया गया जो विभिन्न गांवो के थे। इन परिवारो में प्रत्येक माह की एक तारीख तथा 15 तारीख को जाकर विशेष महिला कृषि श्रमिक से उसके रोजगार, मजदूरी अंतर तथा कार्य की प्रकृति के बारे में जानकारी की गई जिसके लिए एक एक अन्य प्रश्नावली का प्रयोग किया गया इस प्रकार सामान्य सर्वेक्षण तथा विशिष्ट सर्वेक्षण दोनो प्रकार के सर्वेक्षणों को साथ साथ पूरा किया गया और सर्वेक्षण के कार्य में पूरा एक वर्ष लगा, विशिष्ट सर्वेक्षण 15 मई 1995 से 1 मई 1996 तक के समय से संबंधित है।

अध्ययन की परिकल्पनायें

वर्तमान प्रस्तावित अध्ययन निम्नलिखित परिकल्पनायें के सन्दर्भ में पूरा किया जायेगा।

(1) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कृषि श्रमिक परिवारों को जो आय सृजित सम्पत्तियां प्रदान की गई है वे उन्हें गरीबी की रेखा के ऊपर लाने में समर्थ रही है।

(2) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण महिलाओं के विकास के लिए जो प्रयास किये गये हैं उनके द्वारा महिला कृषि श्रमिको में आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भरता प्राप्त हो सकी है।

(3) ग्रामीण क्षेत्रो में चल रहे महिला विकास कार्यक्रमों के माध्यम से इन परिवारों के रहन-सहन के स्तर में सुधार हुआ है।

(4) ग्रामीण क्षेत्रो में कार्यरत कृषि महिला श्रमिको के आय स्तर, उपभोग स्तर, रोजगार स्तर इत्यादि में वृद्धि हुई है। जिसके कारण परिवार के बच्चों का भरण-पोषण एक न्याययुक्त स्तर पर किया जा रहा है।

अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तावित अध्ययन सन 1995-96 से संबंधित है, वर्तमान अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य कृषि महिला श्रमिकों के रहन-सहन के स्तर, आय के स्रोतों तथा आय के ढांचे, उपभोक के बढ़ाबे का अध्ययन करना है। इसके अतिरिक्त कृषि श्रमिकों के परिवारो के सम्पत्ति एवं दायित्वों के स्वरूप का अध्ययन किया गया है। साथ ही इन परिवारो की गरीबी का अध्ययन किया गया है। मुख्यतः प्रस्तावित अध्ययन निम्न उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया गया है।

(1) प्रति कृषि महिला परिवार के आय स्तर का अनुमान लगाना है।

(2) उनके आय में ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न क्रियाओं से प्राप्त होने वाले आय के हिस्से का तुलनात्मक अध्ययन करना है।

(3) प्रति कृषि महिला परिवार और व्यक्ति उपभोग स्तर का अनुमान लगाना है।

(4) परिवार के कुल उपभोग में विभिन्न वस्तुओं के महत्व को स्पष्ट करना है।

(5) कृषि महिला श्रमिकों के गरीबी के स्तर का अनुमान लगाना।

(6) कृषि महिला श्रमिक परिवारो के सम्पत्तियों और दायित्वों के ढांचे पर विचार करना प्रमुख उद्‌देश्य है।

अध्ययन में प्रयुक्त संमक

यह अध्ययन मुख्यतः प्राथमिक समको पर आधारित है। जो सर्वेक्षण के दौरान दरवाजे से दरवाजे जाकर एकत्र किये गये है। जनपद तहसील और विकास खण्डो के अतिरिक्त विकास खण्डो के विभिन्न गांव की जनसंख्या से संबंधित समक द्वितीयक स्रोतो से प्राप्त किये गये है।

अध्ययन की सीमायें

वर्तमान अध्ययन बुन्देलखण्ड क्षेत्र के एक जिले के एक विकास खण्ड के कुछ गांव तक ही सीमित है। यह एक क्षेत्रीय अध्ययन है। और विभिन्न क्षेत्रो में अंतर होने के कारण एक विशेष क्षेत्र के लिए नीति निर्धारण मे सहायक होगा।

******

अध्याय-तीन

पारिवारिक एवं सामाजिक दशायें :

झाँसी जनपद के चिरगांव विकास खण्ड के पांच सबसे अधिक जनसंख्या वाले गांवो को अध्ययन के लिए चुना गया। इन गांवो में परिवार की संख्या कुल परिवारों की संख्या 1453 थी जिसमें कृषि श्रमिकों के परिवारों की संख्या 833 पाई गई जो गांव के कुल परिवार के संख्या का 57.3% थी। विभिन्न गांव में कृषि श्रमिक परिवारों का प्रतिशत कुल परिवारों की संख्या से अलग अलग रही है। जिसे सारणी संख्या -एक के द्वारा स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या-एक

कुल परिवारो में कृषि श्रमिक परिवार

क्र.सं.	गांव का नाम	कुल परिवार	कुल कषि श्रमिक परिवार	कुल परिवारो में कृषि श्रमिक परिवार का प्रतिशत
1.	पट्टी कुर्मरहा	259	130	50%
2.	छिरौना	327	220	60%
3.	अम्बरगढ़	512	266	52%
4.	पवार	173	97	51%
5.	चंदवारी	182	120	66.6%
	योग	1453	833	

सारणी संख्या एक से यह बात स्पष्ट होती है कि सभी गांव में आधे से अधिक या 57% परिवार कृषि श्रमिक वर्ग के है। विभिन्न गांव में यह प्रतिशत घटता बढ़ता है। कोई भी गांव ऐसा नही है। जिसमें कृषि श्रमिकों का प्रतिशत 50% से कम रहा है।

कृषि श्रमिकों के 833 परिवारो में विचार करने पर यह बात स्पष्ट होती है कि अधिकांशतः अनुसूचित जाति वर्ग के लोग कृषि श्रमिक के रूप में कार्यरत है। पर पिछड़ी जाति में भी श्रमिकों की संख्या कम नही है। कृषि श्रमिक परिवारो में ऐसे बहुत से परिवार पाये गये जिसमें स्त्री और पुरूष श्रमिक के रूप में कार्यरत थे। कृषि श्रमिको में महिला कृषि श्रमिकों का अनुपात प्रायः सभी गांवो में लगभग आधा रहा है।

अध्ययन के लिए चुने गये गांव के कुछ श्रमिक में महिला कृषि श्रमिक का प्रतिशत अलग रहा है। जिसे सारणी संख्या दो में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या-2

कुल कृषि श्रमिको में महिला कृषि श्रमिको का अनुपात

क्र0सं0	गांव का नाम	कुल श्रमिको मे महिला श्रमिक का प्रतिशत
1.	पट्टी कुम्हर्रा	45.1
2.	छिरौना	67.3
3.	अम्बरगंज	52.6
4.	पवार	56.1
5.	चदवारी	65.8

सारणी संख्या 2 से यह बात स्पष्ट होती है कि महिला कृषि श्रमिक वर्ग पुरूष श्रमिक वर्ग के समान ही उनके अनुपात के लगभग आधे भाग की संख्या में प्राप्त है। यदि 5 गांव पर सम्पूर्ण रूप से विचार किया जाये तो महिला कृषि श्रमिक कुल कृषि श्रमिक की संख्या में 57.3.% तक है। इस प्रकार महिला कृषि श्रमिको का कृषि श्रमिक वर्ग में एक महत्वपूर्ण स्थान है। पांचो गांव में कृषि श्रमिको के 833 परिवार वाले पाये गये, इन कुल परिवारो में कोई भी ऐसा परिवार नही मिला जिसमें महिला कृषि न हो, इन 833 परिवारों में कुल मिलाकर 1504 कृषि महिला श्रमिक पाई गई विभिन्न गांव में कृषि श्रमिक परिवारो में कुल महिला श्रमिक परिवारो की संख्या को सारणी संख्या तीन में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या-3

कृषि श्रमिक परिवारो में महिला कृषि श्रमिकों की संख्या

गांव का नाम	कुल श्रमिक परिवार	महिला कृषि श्रमिको की संख्या
1. पट्टी कुर्म्हरा	130	265
2. छिरौना	220	335
3. अम्बरगढ़	266	530
4. पचार	97	184
5. चरवारी	120	190
योग	833	1504

सारणी संख्या 3 से यह स्पष्ट है कि अध्ययन में चुने गये गांवो में 833 कृषि श्रमिक परिवार में कुल महिला कृषि श्रमिकों की संख्या 1504 है। इस प्रकार यदि प्रति श्रमिक परिवार में महिला कृषि श्रमिको का औसत ज्ञात किया जाय तो प्रति परिवार में औसतन 2 महिला श्रमिक आती है। विभिन्न गांव में यह प्रतिशत अलग अलग रहा है। जिसे सारणी संख्या 4 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या-चार

विभिन्न गांव में प्रति कृषि श्रमिक परिवार में महिला कृषि श्रमिकों का औसत

क्र.स.	गांव का नाम	प्रति श्रमिक परिवार में महिला कृषि श्रमिकों का औसत
1.	पट्टी कुम्हर्रा	2.4
2.	छिरौना	1.6
3.	अम्बरगढ़	2.4
4.	चदवारी	1.6

सारणी संख्या 4 से यह बात स्पष्ट होती है कि प्रति कृषि श्रमिक परिवार के पीछे कृषि महिला श्रमिकों का औसत सबसे अधिक अम्बरगढ़ और पट्टी कुम्हरी में है। जो 2 से अधिक है। शेष गांव का औसत 1 से अधिक और 2 से कम रहा है। जो इस बात को स्पष्ट करता है कि प्रत्येक कृषि श्रमिक परिवार बिना महिलाओं के मजदूरी किये बिना अपना जीवन यापन करने में समर्थ नही है। यदि इन श्रमिक परिवारो

को महिला कृषि श्रमिक परिवारो की संख्या के आधार पर विभाजित किया जाय तो है तो स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि अधिकांश कृषि श्रमिक परिवार ऐसे हे जिनमें 2 और 3 कृषि महिला श्रमिक प्राप्त है जैसा कि सारणी संख्या 5 से स्पष्ट होता है।

सारणी संख्या-5.

कृषि महिला श्रमिको के आधार पर परिवारो का विभाजन

महिला श्रमिको की संख्या	परिवारो की संख्या	कुल श्रमिक परिवारो से प्रतिशत
1	426	51.0
2	238	29.0%
3	111	13.4
4	45	5.4
5	13	1.2
योग	833	100.0

सारणी संख्या 5 से यह बात स्पष्ट है कि कुल कृषि श्रमिक परिवारो में आधे ऐसे परिवार है जिनमें अनिवार्य रूप से एक कृषि महिला श्रमिक है। इसके अतिरिक्त 42.4% कृषि श्रमिक परिवार ऐसे है जिनमें 2 से 3 कृषि महिला श्रमिक हे ऐसे भी परिवार पाये गये जिनमें 5 महिला कृषि श्रमिक भी है। भले ही उनकी संख्या बहुत कम है।

यदि विभिन्न गांव पर अलग विचार किया जाय तो यह बात स्पष्ट होती हे कि इन गांव में महिला कृषि श्रमिकों की संख्या के आधार पर स्थिति अलग अलग रही है जिसे सारणी संख्याछः में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या-6 से स्पष्ट है कि पट्टी कुम्हरी के 58.46 परिवारो में एक महिला कृषि श्रमिक पाई गई है। इसी प्रकार छिरौना में 63.6% परिवारो में, अम्बरगढ़ के 33.08, पचार में 40.21 और बदवारी गांव के 62.5% परिवारो में एक महिला कृषि थी

क्रमशः सारणी संख्या 6

महिला श्रमिक के आधार पर परिवारों का विभाजन

महिला श्रमिको की सं0	पट्टी कुर्म्हेरा		छिरौना		अम्बरगढ़		पचार		चंदवारी		कुल परिवार
	परिवार की सं0	कुल में प्रतिशत	परिवार की संख्या	कुल में प्रतिशत	परिवार की सं0	कुल में प्रतिशत	परिवार की सं0	कुल में प्रतिशत	परिवार की सं0	कुल में प्रतिशत	
1	76	58.46	140	63.63	78.88	33.08	39	40.21	75	62.5	426
2	26	29.79	50	22.72	96	36.9	33	34.03	37	30.83	238
3	19	14.96	21	9.54	52	19.59	13	13.4	6	5	111
4.	7	5.38	6	2.72	25	79.39	91	9.27	2	1.67	45
5.	1	79	213	1.39	5	1.89	3	3.09	-	-	13
योग	130	100	220	100	266	100.00	97	100.00	120	100.00	833

सारणी संख्या-6

महिला श्रमिक के आधार पर परिवारों का विभाजन

महिला श्रमिको की सं0	पट्टी कुम्हेरा		छिरौना		अम्बरगढ़		पचार		चंदवारी		कुल परिवार
	परिवार की सं0	कुल में प्रतिशत	परिवार की संख्या	कुल में प्रतिशत	परिवार की सं0	कुल में प्रतिशत	परिवार की सं0	कुल में प्रतिशत	परिवार की सं0	कुल में प्रतिशत	
1	76	58.46	140	63.63	78.88	33.08	39	40.21	75	62.5	426
2	26	29.79	50	22.72	96	36.9	33	34.03	37	30.83	238
3	19	14.96	21	9.54	52	19.59	13	13.4	6	5	111
4.	7	5.38	6	2.72	25	79.39	91	9.27	2	1.67	45
5.	1	79	213	1.39	5	1.89	3	3.09	-	-	13
योग	130	100	220	100	266	100.00	97	100.00	120	100.00	833

इसी प्रकार 2 और 3 (तीन) महिला श्रमिक परिवार पट्टी कुमहर्रा में 34.8 प्रतिशत, छिरौता में 32.26 प्रतिशत, अम्बरगढ़ में 56.45 प्रतिशत तथा कदवारी गांव में 35.83 प्रतिशत पाये गये। ऐसे भी परिवार भी पाये गये जिनमें पाचं महिला श्रमिक पाई गइ्र थी।

विभिन्न गांव के 833 कृषि श्रमिक परिवारो में कुल महिला श्रमिको की संख्या 1504 पाई गई है। सर्वेक्षण के दौरान चार प्रकार की कृषि महिला श्रमिक पाई गई उन्हें विवाहिता, अविवाहिता विधवा और परित्याक्ता चार वर्गो में विभाजित किया गया।[1] इन चारो वर्गो में सबसे अधिक संख्या उन कृषि महिला श्रमिको की है जो अपने पतियो या संयुक्त परिवार मे अपने परिवार के पुरूष श्रमिको के साथ श्रम करके परिवार के आय में वृद्धि करती है। कुल महिला कृषि श्रमिको में इस प्रकार के महिला श्रमिको का 80 प्रतिशत भाग रहा है। अन्य प्रकार के महिला श्रमिको के वर्गीकरण को सारणी संख्या 7 में स्पष्ट किया गया है।

(अ) विवाहिता कृषि महिला श्रमिक:

विवाहिता कृषि महिला श्रमिक के अन्तर्गत इन महिला श्रमिकों को रखा गया है। जो अपने पति के घर पर रह कर या संयुक्त परिवार में रहकर श्रम का कार्य दूसरो के खेत या घर पर करती है। और परिवार या अपने पति के आय में अपना योगदान देती है। इसके अन्तर्गत सास एवं बहुओं को और पत्नी को रखा गया है।

(ब) अविवाहिता कृषि महिला श्रमिक:

इस वर्ग के अन्तर्गत परिवार के पुत्रियां को रखा गया है। जो अपने पिता के घर रहकर मजदूरी का कार्य करती है और पिता के आप में अपना योगदान देती हैं।

(स) विधवा :

इस वर्ग के अन्तर्गत उन महिला कृषि श्रमिको को रखा गया है। जो विधवा हो जाने के पश्चात् अपने ससुराल में रहकर श्रमिक का कार्य करती है तथा अपने वर्ग का भरण पोषण करती है।

(इ) परित्यक्ता:

इस वर्ग के अंतर्गत उन महिला श्रमिकों को रखा गया है जो अपने पति से तलाक लेकर या उनसे अलग रहकर रहती है।

सारणी संख्या-7

कृषि महिला श्रमिको का वर्गीकरण.

क्र0सं0	पारिवारिक स्तर	संख्या	कुल मे प्रतिशत
1.	विवाहिता	1333	88.0
2.	अविवाहिता	93	6.2
3.	विधवा	53	3.51
4.	परित्यक्ता	25	2.3
	योग	1504	100.0

सारणी संख्या सात से यह स्पष्ट है कि अधिकांश कृषि महिला श्रमिक ऐसी हे जो अपने विवाहित जीवन में अपने पति के साथ कृषि श्रमिक का कार्य करती है और अपने पति के आय में अपनां येागदान देती है। इस प्रकार की महिलाओ का प्रतिशत सर्वेक्षण में प्राप्त आंकड़ों के आधार पर 88 आता है। विवाहित कृषि महिला रमिको के अपने पति के साथं श्रमिक के रूप में कार्य करने से यह बात स्पष्ट होती हे कि उनके पतियो की आय उतनी पर्याप्त नही है कि बिना महिलाओ को श्रमिक के रूप में लगाये बिना उस आय से परिवार का भरण पेाषण हो सके ऐसी स्थिति में परिवार के भरण पोषण का एक ही विकल्प शेष रह जाता है कि उस परिवार की महिलाओं द्वारा श्रमिक का कार्य किया जाय और परिवार के आय को सरल बनाया है। जिन परिवारो में अविवाहित कृषि महिला श्रमिक पाई गई उनमें यह पाया गया कि उस परिवार की पुत्रियां (अविवाहित) भी अपने माता पिता के साथ श्रमिक के रूपम में कार्य करके परिवार की आय में वृद्धि करती है। भले ही ऐसे कृषि महिला श्रमिको की संख्या 6.2 प्रतिशत पाई गई है। कृषि महिला श्रमिक का तीसरा वर्ग विधवा का है जिनके परिवार में कोई पुरूष आय अर्जित करने वाला नही है। ऐसे स्थिति मे दूसरे के खेतो में मजदूरी के आधार पर कार्य करके अपने परिवार का भरण पोषण करके कार्य करती है। उनका मजदूरी करना अनिवार्य है। ऐसे श्रमिक की संख्या 3.5 प्रतिशत रही है तथा चौथा वर्ग उन कृषि श्रमिको का है जो अपने पति या परिवार से अलग रहकर अपना और अपने परिवार का भरण पेाषण मजदूरी करके करती है ऐसे महिला श्रमिको की संख्या 2.3 प्रतिशत रही है।

इन विभिन्न प्रकार के महिला श्रमिको का विवरण विभिन्न गांव में अलग अलग रहा है। जिसे सारणी संख्या 8 में स्पष्ट किया गया है। जहां तक विवाहित महिला कृषि श्रमिको का प्रश्न है महिला श्रमिको मे इनका प्रतिशत पट्टी कुमहर्रा में 89.8 तथा चरवारी 85.7 रहा है। अविवाहित कृषि महिला श्रमिको को सम्बन्ध में विभिन्न गांव में 4 और 7 के बीच रहा है। विधवा एवं परित्क्यता कृषि महिला श्रमिक सभी एक सी रही है।

सारणी संख्या-8

विभिन्न गांवो में कृषि महिला श्रमिकों का वैवाहिक स्तर

वैवाहिक स्तर	गांव के नाम										योग
	पट्टी कुम्हर्रा		छिरौना		अम्बरगढ़		पवार		चंदवारी		
	संख्या	कुल प्रतिशत	संख्या	कुल प्रतिशत	संख्या	कुल प्रतिशत	संख्या	कुल प्रतिशत	संख्या	कुल प्रतिशत	
विवाहित	238	89.81	301	89.86	469	88.49	162	88.04	163	85.79	1333
अविवाहित	13	4.90	19	5.67	35	6.61	11	5.98	15	7.89	93
विधवा	10	3.77	11	3.28	18	3.39	5	2.72	9	4.74	53
परित्ज्या	4	1.50	4	1.19	8	1.50	6	3.26	3	1.58	25
	265	100	335	100	530	100	184	100	190	100	1504

यदि कृषि महिला श्रमिकों को विभिन्न जाति वर्गो में विभाजित किया जाय तो यह बात स्पष्ट होती है कि अधिकांश महिला कृषि श्रमिक अनुसूचित जाति वर्ग के अन्तर्गत आती है। कुल महिला श्रमिक का लगभग 65% अनुसूचित जाति वर्ग के अन्तर्गत और महिला पिछड़ी जाति वर्ग के अन्तर्गत पाई गई है जिसे सारणी संख्या 9 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या 9

जाति वर्ग के अनुसार कृषि महिला श्रमिकों का विभाजन

जाति वर्ग	संख्या	कुल में प्रतिशत
पिछड़ी जाति	550	35.0
अनुसूचित जाति	954	65.0
योग	1504	100

विभिन्न जाति वर्ग की महिला कृषि श्रमिकों की स्थिति विभिन्न गांव में अलग अलग रही है जिसे सारणी संख्या 10 द्वारा स्पष्ट किया गया है। पिछड़ी जाति वर्ग के अन्तर्गत कृषि महिला श्रमिकों का अनुपात 32 से लेकर 45 प्रतिशत तक रहा है। यह प्रतिशत 32 पचार मे है और छिरौना गांव का प्रतिशत 45 रहा है। अन्य गांव में इनका प्रतिशत इन्ही के बीच रहा है। अनुसूचित जाति की कृषि महिला श्रमिकों का प्रतिशत सबसे कम 54 प्रतिशत छिरौना का तथा सबसे अधिक 67 प्रतिशत जो पचार का है अन्यग ांवो का प्रतिशत इन दोनो के बीच रहा है।

सारणी संख्या 10

विभिन्न गांवो में जाति वर्ग के अनुसार कृषि महिला श्रमिको का विवरण

जाति वर्ग	पट्टी कुम्हर्रा		छिरौना		अम्बरगढ़		पचार		चरवारी		योग
	संख्या	कुल प्रतिशत	संख्या	कुल प्रतिशत	संख्या	कुल प्रतिशत	संख्या	कुल प्रतिशत	संख्या	कुल प्रतिशत	
1. पिछड़ी जाति वर्ग	92	33.45	154	45.97	175	33.01	59	32.06	70	36.84	550
2. अनुसूचित जाति वर्ग	185	66.55	183	54.03	357	66.99	127	67.94	122	63.16	954
योग	275	100	335	100	530	100	184	100	190	100	1504

शैक्षिक स्तर:

कृषि महिला श्रमिकों को उनके शिक्षा शैक्षिक स्तर के आधार पर विभाजित किया गया और इन्हें मुख्यतः शिक्षित और अशिक्षित वर्ग के अन्तर्गत बांटा गया।[2] उनके शिक्षा के स्तर को सारणी संख्या 11 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या-11

कृषि महिला श्रमिकों का शैक्षिक स्तर

शैक्षिक स्तर	सख्या	कुल में प्रतिशत
शिक्षित	614	41.0
अशिक्षित	890	59.0
योग	1504	100

सारणी संख्या 11 से स्पष्ट है कि 40 महिला ऐसी है जिन्हें शिक्षित वर्ग में रखा जा सकता है। इनके शिक्षा के स्तर के अनुसार विभिन्न गांव के विवरण को सारणी संख्या 12 में स्पष्ट किया गया है।

---

2. शिक्षित वर्ग के अंतर्गत उन सभी महिलाओं को रखा गया है जो अपना नाम लिख लेती थी और अशिक्षित महिलाओं के अंतर्गत उन्हें रखा गया है जो अपना नाम भी लिखने में असमर्थ थी और अभी भी अगूँठा निशानी लगाती है।

सारणी संख्या-12

कृषि महिला श्रमिको की विभिन्न गांव में स्थिति

शैक्षिक स्तर	पट्टी कुम्हर्रा		छिरौना		अम्बरगढ़		पचार		पचार		चरवारी	योग
	संख्या	कुल प्रतिशत	संख्या	कुल प्रतिशत	संख्या	कुल प्रतिशत	संख्या	कुल प्रतिशत	संख्या	कुल प्रतिशत		
शिक्षित	55	20.75	63	18.9	124	23.39	16	8.69	147	77.36		614
अशिक्षित	210	79.25	272	81.1	406	76.61	168	91.31	43	22.64		890
योग	265	100	335	100	530	100	184	100	190	100		1504

सारणी संख्या 12 से यह स्पष्ट है कि पचार में केवल 8.7 प्रतिशत कृषि महिला श्रमिक शिक्षित वर्ग में थी, इनके शिक्षा का स्तर 20.7 प्रतिशत पट्टी कुम्हर्रा में रहा है जो सबसे अधिक है। अन्य गांव का प्रतिशत इन दोनों के बीच में रहे हैं।

पारिवारिक स्थिति :

कृषि श्रमिको में 833 परिवारो 1509 कृषि महिला श्रमिक पाई गई थी जिनमे से 1114 महिलायें ऐसी थी जिनके बच्चे थे, बच्चे वाली महिलाओं परितज्या, विधवा और विवाहिता तीनो वर्ग में पाई गई थी। जिनका सम्बन्ध 780 परिवारो तक था इनमें कुल बच्चों की संख्या 3364 पाई गयी, यदि प्रति परिवार बच्चो की औसत ज्ञात की जाय तो प्रति परिवार औसत बच्चो की संख्या 4.4 आती है। जिसे 4 भाग में बांटा जा सकता है। यदि परिवारो को बच्चो के संख्या के आधार पर वर्गीकृत किया जाय तो इनमें 97 परिवार ऐसे है जिनमें बच्चो की संख्या 1 थी। 1031 परिवारो में बच्चो की संख्या 2 पाई गई। 138 परिवारो में 3, 183 परिवारो में बच्चो की संख्या 4, को सारणी संख्या 13 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या-तेरह

बच्चो की संख्या के आधार पर परिवार का विभाजन

बच्चो की संख्या	परिवारो की संख्या	कुल परिवारों का प्रतिशत
1	97	11.1
2	103	13.4
3	138	18.2
4	183	25.8
5	259	31.5
योग	780	100

विभिन्न परिवारो में अलग अलग उम्र के बच्चे पाये गये विभिन्न उम्र के बच्चो में उन बच्चो की संख्या ज्ञात की गई जो बच्चे स्कूल जाते हैं और जो नही जाते है। जिन्हें सारणी संख्या-चौदह में सपष्ट किया गया है।

सारणी संख्या-14

स्कूल जाने वाले बच्चे

उम्र के अनुसार बच्चों का वर्गीकरण	कुल बच्चे	कुल में प्रतिशत
3 वर्ष से कम	773	23.1
3 से 5	800	23.9
5-120	967	28.9
10-15	824	24.1
योग	3364	100%

सारणी संख्या 14 से स्पष्ट है कि कुल बच्चो में 23.1 प्रतिशत बच्चे 3 वर्ष से कम थे, 5 वर्ष से कम उम्र का प्रतिशत 47 प्रतिशत था और शेष बच्चे 5 वर्ष के थे, 10-15 वर्ष के बीच का प्रतिशत 24.1 प्रतिशत रहा है। उपरोक्त के आधार पर कहा जा सकता हे कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को स्कूल जाने वाले योग्य माना जा सकता है। जिनकी संख्या 1891 है इन कुल बच्चो में से से 62.8 प्रतिशत बच्चे ही स्कूल जाते है। शेष नही जाते है। स्कूल न जाने वाले बच्चों का कारण पूछने पर घरपर परिवार की आर्थिक स्थिति का खराब होना पाया गया है।

यदि स्कूल जाने वाले योग्य बच्चों पर विचार किया जाय तो यह कहा जा सकता है कि कुल बच्चों में 2571 बच्चे स्कूल जाने ले आयु सीमा के अन्तर्गत आते हैं। जिनमें से 62.8 बच्चे स्कूल जाया करते है, शेष बच्चे स्कूल जाने योग्य आय में होते हुए भी स्कूल नहीं जाते स्कूल जाने वाले बच्चे परिवारो से सम्बन्धित है या यह कहा जा सकता है कि कृषि महिला श्रमिकों के बच्चों वाले परिवारो में 75.6 प्रतिशत परिवार ऐसे है जिनमें स्कूल जाने योग्य आयु सीमा के बच्चे हैं। कुल परिवारो में से 62.5 प्रतिशत परिरो के बच्चे ही स्कूल जाते है और लगभग 38 प्रतिशत परिवारो के बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। सर्वेक्षण के समय स्कूल न जाने का कारण पूछने पर महिला श्रमिको ने गम्भीरता से जवाब नहीं दिया जिससे कारण ज्ञात न हो सका। स्कूल जाने वाले बच्चे तथा स्कूल न जाने वाले बच्चों का पूर्ण विवरण सारणी संख्या-15 तथा 16 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या-15

स्कूल जाने तथा स्कूल न जाने वाले बच्चों का प्रतिशत

बच्चों की संख्या	स्कूल जाने वाले बच्चे	स्कूल जाने वाले बच्चों के परिवार
1	90	90
2	204	102
3	300	100
4	520	130
5	465	93
6	28	9
7	9	2
योग	1615	526

सारणी संख्या 16

स्कूल जाने योग्य पर स्कूल नही जाते, बच्चो का प्रतिशत

बच्चों की सख्या	स्कूल जाने वाले योग्य बच्चे पर स्कूल नही जाते	स्कूल न जाने वाले बच्चों के परिवार
1	51	51
2	126	63
3	201	67
4	292	73
5	254	51
6	30	10
7	2	1
योग	956	316

यदि तीन वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या के आधार पर परिवारों को विभाजित किया जाय तो यह बात ज्ञात होती है कि 35 प्रतिशत बच्चे ऐसे परिवारो से हैं जिन परिवारो में बच्चों की संख्या 1 थी। 48.9 प्रतिशत बच्चे ऐसे थे जिन परिवारो में बच्चो की संख्या 2 से 3 रही है। 83.9 प्रतिशत ऐसे परिवार थे जिनमे बच्चो की संख्या 4 से लेकर7 थी, इसे सारणी संख्या 17 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या-17

तीन वर्ष से कम उम्र के बच्चो का प्रतिशत

बच्चों की संख्या	कुल बच्चें	तीन वर्ष से कम उम्र के बच्चे	तीन वर्ष से कम उम्र के बच्चों का प्रतिशत
1	217	76	35.0
2	466	136	29.2
3	624	123	19.7
4	236	224	21.6
5	315	197	21.5
6	72	14	19.4
7	14	3	21.4
योग	3344	733	23.1

तीन वर्ष से कम् उम्र के बच्चों के परिवारो को वर्गीकरण करने पर कुल परिवारो में से 300 या 26.9 प्रतिशत परिवार ऐसे थे जिनमें 3 वर्ष से कम उम्र के बच्चे थे। इन परिवारो में 35 प्रतिशत परिवार ऐसे हैं जिनमें एक एक बच्चा था। 29.2 प्रतिशत परिवारो में 2 बच्चे, 23.6 प्रतिशत परिवारो में 3 बच्चे थे। इस प्रकार 87.8 प्रतिशत परिवार ऐसे थे जिनमें बच्चो की संख्या 1 से लेकर 3 तक रही है। जिसका विवरण सारणी संख्या 18 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या-18

तीन वर्ष से कम उम्र के बच्चो के परिवारो का प्रतिशत

बच्चो की संख्या	कुल परिवार	3 वर्ष से कम उम्र के बच्चोंके परिवार	तीन वर्ष से कम उम्र के बच्चों के परिवारों का प्रतिशत
1	217	76	35.0
2	233	68	29.2
3	208	49	23.6
4.	259	56	21.6
5.	183	40	21.9
6.	12	9	75.0
7.	2	2	100.0
योग	1114	300	26.9

स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का यदि अनुपात ज्ञात किया जाय तो कुल बच्चो में से 48.3 प्रतिशत बच्चे स्कूल जाते हैं इन परिवारो में सबसे अधिक बच्चे उन परिवारो में है जिनमें बच्चो की संख्या 7 तक है जैसा कि सारणी संख्या 19 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या 19

स्कूल जाने वाले बच्चो का प्रतिशत

बच्चो की की संख्या	कुल बच्चे	स्कूल जाने वाले बच्चे	स्कूल जाने वाले बच्चो का प्रतिशत
1	217	90	41.5
2	466	204	43.8
3	624	300	48.1
4	1036	520	50.,2
5	915	464	50.7
6	72	28	38.9
7	14	9	64.3
योग	3344	1615	48.3

यदि कुल परिवारो में स्कूल जाने वाले बच्चों के परिवारों का वर्गीकरण किया जाय तो स्कूल जाने वाले बच्चों के 526 या 47.2 प्रतिशत परिवार है। सबसे अधिक उन परिवारो में बच्चो की संख्या रही है जिनमें 6 से 7 तक रही है जिसे सारणी संख्या 20 में स्पष्ट किया गया है।

148

सारणी संख्या-20

स्कूल जाने वाले बच्चो के परिवारो का प्रतिशत

बच्चों की संख्या	कुल परिवार	स्कूल जाने वाले बच्चो के परिवार	स्कूल जाने वाले बच्चों के परिवारों का प्रतिशत
1	217	90	41.5
2	233	102	43.8
3	208	100	48.1
4	259	130	50.2
5	183	93	50.8
6	12	9	75.0
7	2	2	100.0
योग	1114	526	47.2

कुल बच्चो में स्कूल न जाने वाले बच्चे 28.6 रहे हैं स्कूल न जाने वाले बच्चों का प्रतिशत उन परिवारो में अधिक है जिनमें बच्चो की संख्या 6 तक रही है। इसे सारणी संख्या 21 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या-21

स्कूल न जाने वाले बच्चो का प्रतिशत

बच्चों की संख्या	कुल बच्चे	स्कूल जाने योग्य बच्चे पर स्कूल नही जाते	स्कूल न जाने वाले बच्चों का प्रतिशत
1	217	51	23.5
2	466	126	27.0
3	624	201	32.2
4	1036	292	28.2
5	915	254	27.8
6	72	30	41.7
7	14	2	14.3
योग	3344	956	28.6

कुल परिवारो में से ऐसे परिवार भी है जिनमें स्कूल जाने वाले बच्चों तो हैं पर स्कूल नहीं जाते है जो 28.4 प्रतिशत है। स्कूल न जाने वाले बच्चे सबसे अधिक उन परिवारो में है जिनमें बच्चों की संख्या 6 तक है। परिवार के विवरण को सारणी संख्या-22 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या 22

कुल परिवारो में स्कूल न जाने वाले बच्चो के परिवारो का प्रतिशत

बच्चों की संख्या	कुल परिवा	स्कूल न जाने वाले बच्चो के परिवार	कुल परिवारो में स्कूल न जाने वाले बच्चों के परिवारों का प्रतिशत
1	217	51	23.5
2	233	63	27.0
3	208	67	32.2
4	259	73	28.2
5	183	51	27.8
6	12	10	83.3
7	2	1	50.0
योग	1114	316	28.4

उपरोक्त सारणी से यह बात स्पष्ट होती है कि जिन परिवारो में बच्चों की संख्या कम है उन परिवारो के अधिकांश बच्चे स्कूल जाते हैं। जिनमें बच्चो की संख्या 1 से 3 तक है। बच्चों की संख्या अधिक होने पर स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या में वृद्धि होना इस बात को स्पष्ट करता है कि इन परिवारो में शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव तथा शिक्षा के प्रति तटस्थता है।

विभिन्न गांवो में बच्चो की स्थिति

यदि सर्वेक्षण किये गये पांचो गांवो के बच्चों की संख्या वितरण पर विचार किया जाय तो यह कहा जा सकता है कि पचार गांव में कुल बच्चों का 10 प्रतिशत, पट्टी कुम्हर्रा में 10.8 प्रतिशत, चन्दवारी 12 प्रतिशत, छिरौना 19.8 प्रतिशत तथा अम्बरगढ़ गांव में 47.4 प्रतिशत बच्चे पाये गये हैं। अम्बरगढ़ गांव में पांचो गांव के बच्चों के लगभग आधे बच्चे पाये गये हैं। यद्यपि बच्चों की संख्या जनसंख्या के वितरण के आधार पर निर्भर है। सर्वेक्षण के लिए चुने गये गांवो में सबसे अधिक जनसंख्या एवं कृषि महिला श्रमिकों की संख्या अम्बरगढ़ में थी। इसलिए बच्चों की संख्या का अधिक होना स्वभाविक है। पांचो गांव के बच्चो के प्रतिशत को सारणी संख्या 23 में स्पष्ट किया गया है।2

सारणी संख्या-23
विभिन्न गांवो के बच्चों का कुल बच्चों से प्रतिशत

गांव	बच्चे	कुल बच्चों से प्रत्येक गांव के बच्चों का प्रतिशत
पचार	337	10.1
पट्टी कुम्हर्रा	10.8	
चन्दवारी	400	12.0
छिरौना	658	19.7.
अम्बरगढ़	1587	47.4
योग	3344	100.0

यदि कुल बच्चो में से तीन वर्ष के कम उसके बच्चों की संख्या तथा प्रतिशत किया जाय तो तीन वर्ष से कम उम्र के बच्चे छिरौना गांव में इसके पश्चात पट्टी कुम्हर्रा और अम्बरगढ़ तब अन्य गांव में रहा है तथा वर्ष से कम उम्र के 23.1 प्रतिशत कुल बच्चे सभी गांवो में रहे हैं। तीन वर्ष से कम उम्र के बच्चो की संख्या तथा प्रतिशत को सारणी संख्या-24 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या-24

तीन वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या तथा प्रतिशत

गांव	बच्चे	तीन वर्ष से कम उम्र के बच्चे	तीन वर्ष से कम उम्र के बच्चों का प्रतिशत
पचार	337	66	19.6
पट्टी कुम्हर्रा	362	86	23.8
चन्दवारी	400	78	19.5
छिरौना	658	205	31.2
अम्बरगढ़	1587	338	21.3
योग	3344	773	23.1

यदि इन बच्चों में स्कूल जाने वाले बच्चों पर विचार किया जाय तो स्कूल जाने वाले बच्चों का अनुपात कुल बच्चो में 43.3 प्रतिशत रहा है। विभिन्न गांवो में प्रायः आधे बच्चे स्कूल जाते रहे हैं स्कूल जाने वाले बच्चो में सबसे कम छिरौना के बच्चे है जो 14.9 प्रतिशत है। स्कूल जाने वाले बच्चे तथा उनके प्रतिशत को सारणी संख्या-25 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या-25

स्कूल जाने वाले बच्चों का प्रतिशत

गांव	कुल बच्चे	स्कूल जाने वाले बच्चे	कुल बच्चों में स्कूल जाने वाले बच्चों का प्रतिशत
पचार	337	177	52.5
पट्टी कुम्हर्रा	362	165	45.6
चन्दगारी	400	198	49.5
छिरौना	658	98	14.9
अम्बरगढ़	1587	813	51.2
योग	3344	1451	43.4

3 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के परिवारों का वर्गीकरण करने पर यह ज्ञात हुआ है कि 300 या 26.9 प्रतिशत परिवारों में तीन वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं। जो सबसे अधिक छिरौना गांव में है यही कारण है कि छिरौना गांव में स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या अन्य गांवो से तीन गुना कम रही है जैसा कि सारणी संख्या 26 में है।

सारणी संख्या-26

3 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के परिवार का प्रतिशत

गांव	कुल परिवार	3 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के परिवार	कुल परिवारो से प्रतिशत
पचार	133	29	21.8
पट्टी कुम्हर्रा	127	34	26.8
चन्दवारी	148	31	20.9
छिरौना	261	97	37.2
अम्बरगढ़	445	109	24.5
योग	1114	300	26.9

स्कूल जाने वाले बच्चों के परिवारों का विभाजन करने पर विभिन्न गांवो के कुल परिवारो में 52.6 या 47.2 प्रतिशत परिवारो के बच्चे स्कूल जाते हैं। चार गांवो के लगभग 50 प्रतिशत के आसपास परिवारो के बच्चे स्कूल जाते हैं। छिरौना गांव में स्कूल जाने वाले बच्चो के कम होने के कारण स्कूल जाने वाले परिवारो का प्रतिशत भी सबसे कम 37.5 प्रतिशत रहा है। सभी गांवो स्कूल जाने वाले बच्चों के परिवारो के प्रतिशत को सारणी संख्या-27 में दिया गया है।

सारणी संख्या-27

स्कूल जाने वाले बच्चों के परिवारो का प्रतिशत

गांव	कुल परिवार	स्कूल जाने वाले बच्चो के परिवार	कुल परिवारों से प्रतिशत
पचार	133	71	53.4
पट्टी कुम्हर्रा	127	60	47.2
चन्दगरी	148	72	48.6
छिरौना	261	98	37.5
अम्बरगढ़	445	225	50.6
योग	1114	526	47.2

यदि ऐसे बच्चों पर विचार किया जो स्कूल जाने योग्य आयु के हे पर स्कूल नही जाते तो कुल बच्चो में ऐसे बच्चो की संख्या 956 या 28.6 प्रतिशत रही हे विभिन्न गांवो के दृष्टिकोण से चन्दगरी गांव के बच्चे जो स्कूल जाने योग्य हैं पर स्कूल नहीं जाते। 31 प्रतिशत, पट्टी कुम्हर्रा के 30.7 प्रतिशत तथा छिरौना गांव के 29 प्रतिशत बच्चे हैं। सभी गांवो के स्कूल जाने योग्य पर स्कूल नही जाते वाले बच्चो के प्रतिशत को सारणी संख्या-28 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या-28

स्कूल जाने योग्य बच्चे पर स्कूल नहीं जाते का प्रतिशत

गांव	कुल बच्चे	स्कूल जाने योग्य बच्चे पर स्कूल नही जाते	कुल बच्चों से प्रतिशत
पचार	337	94	27.9
पट्टी कुम्हर्रा	362	111	30.7
चन्दगरी	400	124	31.0
छिरौना	658	191	29.0
अम्बरगढ़	1587	436	27.5
योग	3344	956	28.6

यदि स्कूल जाने योग्य आयु सीमा के अंतर्गत आने वाले बच्चों के परिवारों पर विचार किया जाय तो इन पांचो गांवो में 316 परिवार या 28.4 प्रतिशत परिवार ऐसे हें ज़िनमें इस प्रकार के बच्चे हैं। सबसे अधिक परिवार चन्दगरी गांव में 52.4 प्रतिशत है, अन्य सभी गांवो के प्रतिशत को सारणी संख्या-29 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या-29

स्कूल जाने योग्य पर स्कूल न जाने वाले बच्चों के परिवार का प्रतिशत

गांव	परिवार	स्कूल जाने योग्य पर स्कूल जाने वाले बच्चों का परिवार	कुल परिवारों से प्रतिशत
पचार	133	35	26.3
पट्टीकुम्हर्रा	127	37	29.1
चन्दवारी	148	48	32.4
छिरौना	261	67	25.7
अम्बरगढ़	445	129	29.6
योग	1114	316	28.4

महिला कृषि श्रमिकों की पारिवारिक स्थिति पर विस्तृत रूप से जानकारी के लिए सर्वेक्षण में चुने गये (महिला श्रमिकों की घटती हुई संख्या के आधार पर) पारिवारिक तथा सामाजिक स्थिति पर विभिन्न गांवो पर अलग-अलग विचार करना आवश्यक है। संक्षेप में इन गांवो में कृषि महिला श्रमिकों का विवरण इस प्रकार है।

ग्राम - अम्बरगढ़

सर्वेक्षण के समय ग्राम-अम्बरगढ़ में 571 कृषि महिला श्रमिक पाई गई तथा यह ज्ञात किया गया कि 1 परिवार से एक महिला चुनी गई जो कृषि क्षेत्र में मजदूरी अर्जित करती है इसलिए यह कहा जा सकता है कि इस गांव में 571 कृषि महिला श्रमिक परिवार हैं। इसके अतिरिक्त 448 परिवार ऐसे भी पाये गये जिनके पुरूष भी कृषि श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं कृषि महिला श्रमिकों में 30 प्रतिशत महिलायें शिक्षित और लगभग 70 प्रतिशत महिलायें अशिक्षित पाई गई। पुरूष कृषि श्रमिको में लगभग 50 प्रतिशत श्रमिक शिक्षित थे जो सारणी संख्या-30 से स्पष्ट हो जाता है।

सारणी संख्या-30

कृषि श्रमिक महिला एवं पुरूष कृषि श्रमिको का प्रतिशत

कृषि महिला श्रमिक		कुल से प्रतिशत	पुरूष कृषि श्रमिक	कुल से प्रतिशत
शिक्षित	174	30.5	217	49.5
अशिक्षित	397	69.5	221	50.5
योग	571	100.0	438	100.0

बच्चों के विवरण के अनुसार 571 कृषि महिला श्रमिको में 1587 बच्चे थे, इस प्रकार प्रति परिवार बच्चों का औसत 3 आता है। इन विभिन्न परिवारो में बच्चों की संख्या 1 से 7 तक रही है। 571 परिवारो में 126 या 22.1 प्रतिशत

परिवार ऐसे थे जिनमें बच्चे नहीं थे। 30 प्रतिशत परिवारो में 6 बच्चे ओर 29 प्रतिशत परिवारो में 5 बच्चे थे। इस प्रकार लगभग 61 प्रतिशत परिवारो ने 5 से लेकर 6 बच्चे थे। अम्बरगढ़ में बच्चों के वितरण में यह बात स्पष्ट होती है कि इस गांव में श्रमिक परिवारो के बच्चों की संख्या आदर्श परिवार के आकार से अधिक रही है जिसे सारणी संख्या-31 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या-31

बच्चों के कुल परिवारो से बच्चो का प्रतिशत

बच्चों वाले परिवार	परिवारो की सं0	बच्चो के कुल परिवारो से बच्चो का प्रतिशत	कुल बच्चे	कुल बच्चो से बच्चो का प्रतिशत
0	126	-	-	-
1	59	13.3	59	3.7.
2	57	12.8	114	7.2
3	52	11.7	156	9.8.
4	113	29.9	532	33.6
5	139	31.2	695	43.8
6	4	0.9	24	1.5
7	1	0.2	7	0.4
योग	571	100.0	1587	100.0

यदि बच्चो का उम्र के आधार पर वर्गीकरण किया जाय तो यह बात ज्ञात होती है कि कुल बच्चों में 21.3 प्रतिशत बच्चे 3 वर्ष से कम उम्र के है। 26.4 प्रतिशत बच्चे 3-5 वर्ष के बीच 30.9 प्रतिशत बच्चे 5-10 वर्ष के बीच के थे। 10 से 15 वर्ष के बीच 21.4 प्रतिशत बच्चे थे, जिन्हें स्कूल जाने योग्य आयु सीमा में रखा जा सकता है लेकिन गांव में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे भी स्कूल जाते हैं। उम्र के अनुसार वर्गीकरण को सारणी सं0-32 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या-32

उम्र के अनुसार बच्चो की संख्या

उम्र के अनुसार बच्चों का वर्गीकरण	बच्चों की संख्या	कुल बच्चों से प्रतिशत
3 वर्ष से कम	338	21.3
3-5	419	26.4
5-10	490	26.4
10-15	340	21.4
योग	1587	100.0

अम्बरगढ़ गांव में 447 परिवारो में 1587 बच्चे थे। 126 परिवारो में बच्चे नहीं थे। 21.3 प्रतिशत भाग उन बच्चो का था जो 3 वर्ष से कम उम्र के थे जो 6.7 प्रतिशत परिवारो से सम्बन्धित थे, जिनका विवरण सारणी संख्या-33 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या-33

तीन वर्ष से कम उम्र के बच्चें की संख्या

बच्चे वाले परिवार	तीन वर्ष से कम उम्र के बच्चे	3 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के परिवार
1	16	16
2	22	11
3	30	18
4	120	30
5	145	29
6	4	4
7.	1	1
योग	338	109

यदि कुल बच्चों में स्कूल जाने वाले बच्चों का अनुपात ज्ञात किया जाय तो यह बात स्पष्ट होती है कि कुल बच्चों में 51.2 प्रतिशत बच्चे स्कूल जाते हैं जो 225 या लगभग 50 प्रतिशत परिवारो से सम्बन्धित हैं। स्कूल जाने वाले आयु सीमा से अधिक स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या का अधिक होना अस्वभाविक स्थिति को स्पष्ट करता है पर इन दोनों में अन्तर का मुख्य कारण यह है कि इन परिवारो में गरीबी के कारण तथा स्कूलो में मध्यान के समय स्वल्पाहार की व्यवस्था का लाभ

उठाने के दृष्टिकोण से 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे भी स्कूल जाते हैं। बच्चों की संख्या उम्र बढ़ने के साथ कम होती जाती है इसका कारण यही है कि एक निश्चित आयु सीमा के पश्चात बच्चों के स्वल्पाहार की व्यवस्था नही होती है, स्कूल जाने वाले बच्चों के विवरण को सारणी संख्या-34 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या-34

स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या

बच्चों की संख्या	कुल बच्चे	स्कूल जाने वाले बच्चे	कुल बच्चो में स्कूल जाने वाले बच्चों का प्रतिशत
1	59	26	44.1
2	114	56	49.1
3	156	72	46.2
4	532	268	50.4
5	695	375	54.0
6	24	12	50.0
7	7	4	57.1
योग	1587	813	51.2

यदि स्कूल जाने योग्य बच्चों पर वे स्कूल नहीं जाते इन बच्चों का प्रतिशत किया जाय तो 27.5 प्रतिशत आता है। इस प्रकार लगभग चौथाई भाग

बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। जिसे सारणी संख्या 35 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या-35

3 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का परिवार का विवरण

बच्चों की संख्या	कुल परिवार	3 वर्ष से कम उम्र के बच्चोंका परिवार	कुल परिवारो से प्रतिशत
1	59	16	27.1
2	57	11	19.3
3	52	18	34.6
4	133	30	22.6
5	139	29	20.7
6	4	4	100.0
7	1	1	100.0
योग	445	109	24.5

कुल बच्चों में स्कूल जाने वाले बच्चों के परिवारो का प्रतिशत ज्ञात किया जाय तो 225 या 50.6 प्रतिशत परिवारों के बच्चे स्कूल जाते हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों के परिवारों के प्रतिशत को सारणी संख्या-39 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या-36

स्कूल जाने वाले बच्चों के परिवारों का विभाजन

बच्चों की संख्या	कुल परिवार	स्कूल जाने वाले बच्चों के परिवार	कुल परिवारो से प्रतिशत
1	59	26	44.1
2	57	28	49.1
3	52	24	46.1
4	133	67	50.4
5	139	75	54.0
6	4	4	100.0
7	1	1	100.0
योग	445	225	50.6

यदि स्कूल न जाने वाले बच्चों के परिवारों का वर्गीकरण किया जाय तो 129 या 29.0 प्रतिशत परिवारों के बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। जैसा कि सारणी संख्या-37 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या-37

स्कूल न जाने वाले बच्चों के परिवार का विभाजन

बच्चों की संख्या	कुल परिवार	स्कूल न जाने वाले बच्चों के परिवार	कुल परिवारो से प्रतिशत
1	59	17	28.8
2	57	18	31.6
3	52	18	34.6
4	133	36	27.1
5	139	35	25.2
6	4	4	100.0
7	1	1	100.0
योग	405	129	29.0

सारणी संख्या-38

कुल महिला एवं पुरूष श्रमिकों का प्रतिशत

कृषि महिला श्रमिक		कुल में प्रतिशत	पुरूष कृषि श्रमिक	कुल में प्रतिशत
शिक्षित	43	12.8	203	68.8
अशिक्षित	292	87.2	92	31.2
योग	335	100.0	295	100.0

सारणी संख्या-39

कुल बच्चो वाले परिवारो का प्रतिशत

बच्चों की संख्या	परिवार	बच्चों वाले परिवारो से प्रतिशत	कुल बच्चे	कुल बच्चों में प्रतिशत
0	74	-	-	-
1	62	23.8	62	9.4
2	78	29.9	156	23.7
3	70	26.8	210	31.9
4	31	11.9	124	18.8
5	15	5.7	75	11.4
6	4	1.5	24	3.6
7	1	0.4	7	1.2
कुल	335	100.0	658	100.0

(261 बच्चों वाले परिवार)

सारणी संख्या-40

स्कूल जाने वाले बच्चों के उम्र का प्रतिशत

उम्र के अनुसार वर्गीकरण	कुल बच्चे	कुल बच्चों में प्रतिशत
3 वर्ष से कम	205	31.2
3-5	123	18.7
5-10	172	26.1
10-15	158	24.0
कुल बच्चे	658	100.0

यदि कुल बच्चो में से स्कूल जाने वाले बच्चों का अनुपात ज्ञात किया जाय तो यह बात ज्ञात होती है कि कुल बच्चों के 49.5 प्रतिशत बच्चे स्कूल जाते है जो कुल परिवारो के या 48.6 प्रतिशत या 72 परिवारो से सम्बन्धित हैं। इस गांव में भी आयु सीमा से अधिक स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या का अधिक होना मध्याँन के समय स्वल्पाहार की व्यवस्थाका लाभ उठाने के लिए 5 वर्ष से कम बच्चों को भी स्कूल भेज दिया जाता है। बच्चों की संख्या उम्र बढ़ने के साथ-साथ कम होती जाती है क्योंकि एक निश्चित आयु सीमा के बाद स्कूल में स्वल्पाहार की व्यवस्था नहीं होती है। स्कूल जाने वाले बच्चों के विवरण को सारणी संख्या 39 में स्पष्ट किया गया है।

यदि स्कूल जाने योग्य आयु सीमा के बच्चों में स्कूल न जाने वाले बच्चों

का अनुपात ज्ञात किया जाय तो कुल बच्चों में इनका अनुपात 31.0 आता है। इस प्रकार स्कूल जाने योग्य आयु सीमा के बच्चों में लगभग 1/3 भाग बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं जिसे सारणी संख्या 40 में स्पष्ट किया गया है।

यदि तीन वर्ष से कम उम्र के बच्चों के परिवारों का प्रति परिवार प्रतिशत ज्ञात किया जाय कुल परिवारो में 20.9 प्रतिशत बच्चों के परिवार 3 वर्ष से कम उम्र के थे। इनकी संख्या उन परिवार में अधिक पाई गई जिस परिवारो में 1 बच्चा ही था अन्य 3 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के परिवारो के प्रतिशत को सारणी संख्या-41 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या-41

3 वर्ष से कम उम्र के बच्चो के परिवारा का प्रतिशत

कुल बच्चों की संख्या	कुल बच्चों परिवार	3 वर्ष से कम उम्र के परिवार	कुल परिवारों से प्रतिशत
1	29	8	27.6
2	37	6	16.2
3	35	5	14.3
4	44	10	22.7
5	2	1	50.0
6	6	1	100.0
योग	148	31	20.9

सारणी संख्या-42

स्कूल जाने वाले बच्चो के परिवारो का प्रतिशत

बच्चों की संख्या	कुल परिवार	स्कूल जाने वाले बच्चों के परिवार	कुल परिवारों से प्रतिशत
1	29	12	44.3
2	37	17	45.9
3	35	18	54.4
4	44	23	52.3
5	2	1	50.0
6	1	1	100.0
योग से प्रतिशत	148	72	48.6

सारणी संख्या-43

स्कूल जाने योग्य पर स्कूल नही जाते के बच्चो के परिवारो का प्रतिशत

बच्चों की संख्या	कुल परिवार	स्कूल जाने योग्य पर नही जाते के बच्चों के परिवार	कुल परिवारों से प्रतिशत
1	29	9	31.0
2	37	14	37.8
3	35	12	34.3
4	44	11	25.0
5	2	1	50.0
6	1	1	100.0
योग से प्रतिशत	148	48	32.4

कुल परिवारो में स्कूल जाने वाले बच्चों के परिवार 48.6 प्रतिशत है तथा कुल बच्चों में स्कूल जाने वाले बच्चों का प्रतिशत 49.9 प्रतिशत है और स्कूल जाने वाले बच्चे उन परिवारो में सबसे अधिक है जिस परिवार में 4 बच्चे हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों के परिवारों का विवरण सारणी संख्या-44 में स्पष्ट होता है।

स्कूल न जाने वाले बच्चे अधिकांश उन परिवारो से सम्बन्धित है जिनमें बच्चों की संख्या 3 से 4 है। स्कूल जाने वाले बच्चों के परिवारों का विवरण सारणी संख्या-45 में स्पष्ट होता है।

सारणी संख्या-44

स्कूल जाने वाले बच्चो के परिवारो का विवरण

	महिला कृषि श्रमिक	कुल में प्रतिशत	पुरूष कृषि श्रमिक	कुल में प्रतिशत
शिक्षित	38	21.3	106	41.7
अशिक्षित	140	78.7	148	58.3
कुल	178	100.0	254	100.0

सारणी संख्या-45

परिवारो के योग से बच्चो का प्रतिशत

बच्चों की सं0	कुल परिवार	परिवारों के योग से प्रतिशत	कुल बच्चे	बच्चों के योग से प्रतिशत
1	51	-	-	-
2	34	26.8	34	9.4
3	23	18.1	46	12.8
4	21	16.5	63	17.4
5	28	22.0	112	30.9
6	19	15.0	95	26.2
योग	178	100.0	362	100.0

सारणी संख्या-46

उम्र के अनुसार बच्चो का वर्गीकरण

उम्र के अनुसार बच्चों का वर्गीकरण	कुल बच्चे	कुल बच्चों में प्रतिशत
3 वर्ष से कम	86	23.8
3-5	76	21.0
5-10	105	29.1
10-15	95	26.1
कुल बच्चे	362	100.0

ग्राम पट्टी कुम्हर्रा

सर्वेक्षण के समय ग्राम पट्टी कुम्हर्रा में 178 कृषि महिला श्रमिक पाई गई तथा एक परिवार से एक महिला का चुनाव किया गया जो कृषि क्षेत्र में मजदूरी अर्जित करती है इसलिए यह भी कहा जासकता है कि इस गांव में कृषि महिला श्रमिकों के 178 परिवार हैं। इसके अतिरिक्त 254 परिवारो में पुरूष भी कृषि श्रमिक पाये गये। कृषि महिला श्रमिको में 21.3 प्रतिशत महिलायें शिक्षित थी, 78.7 प्रतिशत महिलायें अशिक्षित पाई गई। पुरूष कृषि श्रमिकों में 41.7 प्रतिशत शिक्षित तथा 58.3 प्रतिशत पुरूष अशिक्षित पाये गये। जिसे सारणी संख्या-47 में स्पष्ट किया गया है।

यदि कृषि महिला श्रमिको के बच्चों का विवरण दिया जाय तो चन्दवारी गांव में 127 कृषि महिला श्रमिको में 362 बच्चे थे। इस प्रकार प्रति परिवार बच्चों का औसत लगभग 3 आता है। इन विभिन्न परिवारो में बच्चों की संख्या 1 से लेकर 6 तक रही है इन 178 परिवारो में 51 परिवार ऐसे भी थे जिनमें बच्चे नहीं थे इन 127 बच्चों वाले परिवारो में 26 प्रतिशत परिवारो में 1 बच्चा तथा 22 प्रतिशत परिवारो में 4 बच्चे थे। जिन परिवारो में 5 और 6 बच्चे थे वे लगभग 60 प्रतिशत थे। गांव के बच्चों के विवरण के अनुसार श्रमिक परिवारो में बच्चों की संख्या आदर्श परिवार के आकार में नहीं रही है। जिसे सारणी संख्या 48 में स्पष्ट किया गया है।

यदि बच्चों का उम्र के आधार पर वर्गीकरण किया जाय तो कुल बच्चों में 23.8 प्रतिशत बच्चे तीन वर्ष से कम, 21 प्रतिशत बच्चे तीन वर्ष से कम

21 प्रतिशत बच्चे तीन वर्ष से कम 5 वर्ष तक के 29.1 प्रतिशत बच्चे 5 से 10 वर्ष के बीच तथा 26.1 प्रतिशत बच्चे 10 से 15 वर्ष के बीच पाये गये जो सारणी संख्या-49 में स्पष्ट किये गये हैं।

सारणी संख्या-47

तीन वर्ष से कम उम्र के बच्चो का प्रतिशत

बच्चों की संख्या	कुल बच्चों की संख्या	3 वर्ष से कम उम्र के बच्चे	कुल बच्चों से प्रतिशंत
1	34	11	32.4
2	46	10	21.7
3	63	15	23.8
4	112	28	25.0
5	95	20	21.1
6	12	2	16.7
योग से प्रतिशत	362	86	23.8

सारणी संख्या-48

स्कूल जाने वाले बच्चो का प्रतिशत

बच्चों की संख्या	कुल बच्चे	स्कूल जाने वाले बच्चे	कुल से प्रतिशत
1	34	16	47.1
2	46	24	52.2
3	63	27	42.9
4	112	52	46.4
5	95	40	42.1
6	12	6	50.0
योग से प्रतिशत	362	165	45.6

सारणी संख्या-49

स्कूल जाने योग्य पर स्कूल नही जाने वाले बच्चो का प्रतिशत

बच्चों की संख्या	कुल बच्चे	स्कूल जाने योग्य बच्चे पर स्कूल नहीं जानते	कुल बच्चों से प्रतिशत
1	34	7	20.6.
2	46	12	26.1
3	63	21	33.3
4	112	32	28.6
5	95	35	36.8
6	12	4	33.3
योग से प्रतिशत	362	111	30.7

चन्दगरी गांव में बच्चों वाले कुल परिवार 127 जिनमें 362 कुल बच्चे थे इनमें 86 बच्चे या 23.8 प्रतिशत बच्चे 3 वर्ष से कम उम्र के थे जो 34 परिवारो से सम्बन्धित थे जिसे सारणी संख्या-50 में स्पष्ट किया गया है।

यदि कुल बच्चों में स्कूल जाने वाले बच्चों का प्रतिशत ज्ञात किया जाय तो 45.6 प्रतिशत बच्चे स्कूल जाते हैं। जो 47.2 प्रतिशत परिवारो से सम्बन्धित हैं, स्कूल जाने वाले आयु सीमा से कम स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या का अधिक होना इस बात को स्पष्ट करता है कि स्कूल में मध्यांन के समय स्वल्पाहार

की व्यवस्था का लाभ उठाने के उद्देश्य से 5 वष्र से कम उम्र के बच्चों को स्कूल भेज दिया जाता है। निश्चित आयु सीमा के पश्चात स्व्ल्पाहार की व्यवस्था न होने के कारण ये संख्या क्रमशः कम होती जाती हे। स्कूल जाने वाले बच्चों के विवरण को सारणी संख्या 51 में स्पष्ट किया गया है।

यदि स्कूल न जाने वाले बच्चों का कुल बच्चों में प्रतिशत ज्ञात किया जाय तो कुल बच्चों में 30.7 पतिशत बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। स्कूल न जाने वाले बच्चों के विवरण को सारणी संख्या 52 में स्पष्ट किया गया है।

यदि 3 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के परिवारों को वर्गीकरण किया जाय तो कुल बच्चों के परिवारो में 26.8 प्रतिशत बच्चे 3 वष्र से कम उम्र के परिवारो के थे। तीन वर्ष से कम उम्र के बच्चे उन परिवारो में अधिक पाये गये हैं जिन परिवारो में । बच्चा तथा 4 बच्चे हैं, बच्चों के परिवारो के विवरण को सारणी संख्या-53 में स्पष्ट किया गया है।

यदि कुल बच्चों में स्कूल जाने वाले बच्चो के परिवारो का प्रतिशत किया जाय तो 47.2 प्रतिशत परिवारो के बच्चे स्कूल जाते हैं। ये बच्चे अधिकांश उन परिवारो के हैं जिनमे 2 बच्चे हैं जिसे सारणी संख्या-54 में स्पष्ट किया गया है।

यदि स्कूल न जाने वाले बच्चों के परिवारो का प्रतिशत किया जाय तो 29.1 प्रतिशत परिवारो के बच्चे स्कूल नहीं जाते ये बच्चे उन परिवारो में अधिक है जिनमें उसे 6 बच्चे तक है जिसे सारणी संख्या-55 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या-50

3 वर्ष के कम उम्र के बच्चो के परिवारो का प्रतिशत

बच्चों की संख्या	बच्चों वाले कुल परिवार	3 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के परिवार	बच्चे वाले कुल परिवारों का प्रतिशत
1	34	11	32.4
2	23	5	21.7
3	21	5	23.8
4	28	7	25.0
5	19	4	21.1
6	2	2	16.7
योग	127	34	26.8

सारणी संख्या-51

स्कूल जाने वाले बच्चो के परिवारो का प्रतिशत

बच्चों की संख्या	बच्चों वाले कुल परिवार	स्कूल जाने वाले बच्चों के परिवार	कुल परिवारो से प्रतिशत.
1	34	16	47.1
2	23	12	52.2
3	21	9	42.9
4	28	13	46.4
5	9	8	42.1
6	2	2	100.0
योग से प्रतिशत	127	60	47.2

सारणी संख्या-52

स्कूल न जाने वाले बच्चो के परिवारो का प्रतिशत

बच्चों की संख्या	बच्चो वाले	स्कूल न जाने वाले बच्चों के परिवार	कुल परिवारो से प्रतिशत
1	34	7	20.6
2	23	6	26.1
3	21	7	33.3
4	28	8	28.6
5	9	7	36.8
6	2	2	100.0
योग	127	37	29.1

ग्राम-पचार

ग्राम पचार में सर्वेक्षण के समय 171 कृषि महिला श्रमिक पाई गई तथा एक परिवार से 1 महिला का चुनाव किया गया जो कृषि क्षेत्र में मजदूरी अर्जित करती है। इसलिए यह भी कहा जा सकता है कि गांव में 171 कृषि महिला श्रमिक परिवार हैं। इनके अतिरिक्त 185 परिवारो में पुरूष कृषि श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं। कृषि महिला श्रमिकों में 18.1 प्रतिशत महिलायें शिक्षित तथा 81.9 प्रतिशत महिलाएं अशिक्षित पाई गई। पुरूष कृषि श्रमिको में 45.4 प्रतिशत शिक्षित तथा 54.6 प्रतिशत अशिक्षित पाये गये जिनका विवरण सारणी संख्या-53 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या-53

शिक्षित एवं अशिक्षित श्रमिको का प्रतिशत

महिला कृषि श्रमिक		कुल से प्रतिशत	पुरूष कृषि श्रमिक	कुल से प्रतिशत
शिक्षित	31	18.1	84	45.4
अशिक्षित	140	81.9	101	54.6
योग	171	100.0	185	100.00

महिला कृषि श्रमिको के बच्चों के विवरण के अनुसार 38 परिवारो में बच्चे नहीं थे जिसके कारण 153 परिवारो में 337 बच्चे थे इस आधार पर प्रति परिवार बच्चों की संख्या 1 से लेकर 6 तक रही है। गांव के 50 प्रतिशत बच्चे लगभग 6 प्रतिशत परिवारो में पाये गये, श्रमिक परिवारो के बच्चों का विवरण सारणी संख्या-54 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या-54
बच्चो वाले श्रमिक परिवारो का प्रतिशत

बच्चों की संख्या	कुल परिवार	बच्चों वाले कुल परिवारों से प्रतिशत	कुल बच्चे	कुल बच्चों में प्रतिशत
0	38	- -	-	-
1	33	24.8	33	9.8.
2	38	28.6	76	22.6
3	38	28.6	76	22.6
4	23	16.2	92	27.3
5	8	6.0	40	11.8
6	1	0.8	6	1.8
योग	171	100.0	337	100.0

यदि बच्चों के उम्र का वर्गीकरण किया जाय तो यह कहा जा सकता है कि कुल बच्चो में 19.7 प्रतिशत बच्चे 3 वर्ष से कम उम्र के 26.4 प्रतिशत बच्चे 3 से 5 वर्ष के बीच 22.3 प्रतिशत 5 से 10 वर्ष के बीच तथा 10 से 15 वर्ष के बीच उम्र वाले लगभग 31 प्रतिशत बच्चे थे जिनका विवरण सारणी संख्या-55 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या-55

उम्र के अनुसार बच्चो का वर्गीकरण

उम्र के अनुसार बच्चों का वर्गीकरण	कुल बच्चे	कुल बच्चों का प्रतिशत
3 वर्ष से कम उम्र	66	19.7
3-5	89	26.3
5-10	75	22.3
10-15	107	31.7
कुल बच्चे	337	100.0

इन 133 परिवारो में 337 बच्चें जिनमें लगभग 19 प्रतिशत भाग उन बच्चों का था जिनकी उम्र 3 वर्ष से कम थी। जो 21.8 परिवारो से सम्बन्धित थे जिनका विवरण सारणी संख्या-56 में में स्पष्ट किया गया है।

तालिका संख्या56

कुल बच्चो में से 3 वष्र से कम उम्र के बच्चो का प्रतिशत

बच्चों की संख्या	कुल बच्चे	3 वर्ष से कम उम्र के बच्चे	कुल बच्चों से प्रतिशत
1	33	9	27.3
2	76	16	21.1
3	90	18	20.0
4	92	12	13.0
5	40	10	25.0
6	6	1	16.7
योग से प्रतिशत	337	66	19.6

यदि कुल बच्चों में से स्कूल जाने वाले बच्चों का अनुपात ज्ञात किया जाय तो यह बात ज्ञात होती है कि कुल बच्चो में 52.5 प्रतिशत बच्चे स्कूल जाते हैं जो कुल परिवारो के 71 परिवार या 53.4 प्रतिशत परिवारो से सम्बन्धित है। स्कूल जाने वाले आयु सीमा से कम स्कूल जाने वाले बच्चों का अधिक होना इस स्थिति को स्पष्ट करता है कि इन परिवारो में गरीबी के कारण स्कूलों को मध्यॉंन के समय स्वल्पाहार का लाभ उठाने के दृष्टिकोण से 5 वष्र से कम उम्र के बच्चों को स्कूल भेज दिया जाता है। जिससे स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या अधिक हो जाती है। लेकिन एक निश्चित आयु सीमा के पश्चात स्वल्पाहार की व्यवस्था न होने के कारण सकूल न जाने वाले बच्चों की संख्या कम हो जाती है। स्कूल जाने वाले बच्चों के विवरण को सारणी संख्या 57 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या-57

स्कूल जाने योग्य बच्चो का प्रतिशत

बच्चों की संख्या	कुल बच्चे	स्कूल जाने वाले बच्चे	कुल बच्चों में प्रतिशत
1	33	18	45.5
2	76	40	52.6
3	90	45	50.0
4	92	52	56.5
5	40	20	50.0
6	6	2	33.3
योग से प्रतिशत	337	177	52.5

यदि स्कूल न जाने वाले बच्चों का कुल बच्चों में प्रतिशत किया जाय तो कुल बच्चो में इनका प्रतिशत 27.9 आता है। इस प्रकार स्कूल न जाने वाले बच्चों का विवरण सारणी संख्या 58 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या-58

स्कूल जाने योग्य पर स्कूल नही जाने वाले बच्चो का प्रतिशत

बच्चों की संख्या	कुल बच्चे	स्कूल जाने योग्य बच्चे पर स्कूल नहीं जाते	कुल बच्चों से प्रतिशत
1	33	6	18.2
2	76	20	26.3
3	90	27	30.0
4	92	28	30.4
5	40	10	25.0
6	6	3	50.0
योग से प्रतिशत	337	94	27.9

यदि 3 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का वर्गीकरण किया जाय तो कुल बच्चों के लगभग 19.6 प्रतिशत 3 वर्ष से कम उम्र के बच्चे पाये गये हैं। अधिकांश बच्चे उन परिवारों के हैं जिनमें 2 से 5 वष्र के बच्चे हैं जिसे सारणी संख्या 59 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या-59

कुल परिवारो मे से 3 वर्ष से कम उम्र के बच्चो की सख्या का प्रतिशत

बच्चों की संख्या	बच्चो वाले कुल परिवार	3 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के परिवार	बच्चो वाले कुल परिवारो से प्रतिशत
1	33	9	27.3
2	38	8	21.1
3	30	6	20.0
4	23	3	13.0.
5	8	2	25.0
6	1	1	16.7
योग से प्रतिशत	133	29	21.8

कुल बच्चो में स्कूल जाने वाले बच्चों का प्रतिशत 52.5 है और स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या उन परिवारो में अधिक है जिनमें 4 बच्चे हैं जिसे सारणी संख्या-60 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या-60

आयु एवं सं0 के अनुसार स्कूल जाने वाले बच्चो का प्रतिशत

बच्चों की संख्या	बच्चो वाले कुल परिवार	स्कूल जाने वाले बच्चों के परिवार	बच्चो वाले कुल परिवारो से प्रतिशत
1	33	18	54.5
2	38	20	52.6
3	30	15	50.0
4	23	13	56.5
5	8	4	50.0
6	1	1	100.0
योग से प्रतिशत	133	71	53.4

स्कूल न जाने वाले बच्चो में अधिकांश बच्चे उन परिवारो के हैं जिनमें बच्चों की संख्या 3 से 4 है। जिसे सारणी संख्या-61 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या-61

3-4 बच्चे वाले परिवारो मे स्कूल न जाने बच्चो का प्रतिशत

बच्चों की संख्या	बच्चों वाले कुल परिवार	स्कूल न जाने वाले बच्चों के परिवार	बच्चो वाले कुल परिवारो से प्रतिशत
1	33	6	18.2
2	38	10	26.3
3	30	9	30.0
4	23	7	30.44
5	8	2	25.0
6	1	1	100.0
योग से प्रतिशत	133	35	26.3

आवासीय मकानों का विवरण

कृषि महिला श्रमिकों से उनके आवासीय मकानो के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गई और सभी परिवार की महिलाओं ने यह स्पष्ट किया कि जिस मकान में रहती है। वह स्वयं का है इसके लिए उन्हें किसी प्रकार का किराया नही देना होता है। मकान बनाने के लिए भूमि कहां से प्राप्त किया, इस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने

विभिन्न प्रकार के स्रोत स्पष्ट किये हैं। इस सम्बन्ध में विभिन्न प्रकार के स्रोत स्पष्ट किये गये इन स्रोतो को सारणी संख्या 62 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या-62

आवासीय मकानो के भूमि प्राप्ति के स्रोत

स्रोत	परिवार की संख्या		कुल में प्रतिशत
पुराना पैतृक	764	521	91.5
न्याय पंचायतु	31	169	3.7
पट्टे की भूमि	38	123	4.8
कच्चा मकान	780		94.5
पक्का मकान	53		5.5

सारणी संख्या-62 से स्पष्ट है कि 91.5 प्रतिशत परिवारो के पास आवासीय मकान पैतृक है, 3.7 परिवारों का मकानो के लिए जमीन न्याय पंचायत की ओर से, 4.8 प्रतिशत परिवारो को भूमि पट्टे पर प्राप्त हुई थी, मकानों के प्रकार पर विचार करने से 94.5 प्रतिशत मकान कच्चे है तथा शेष पक्के हैं।

यदि आवासीय मकानो के भूमि के स्रोत पर विभिन्न स्रोत से विचार किया जाय तो यह बात स्पष्ट होती हे कि अधिकांश कृषि महिला श्रमिकों के

पास मकान उन्हें पैतृक सम्पत्ति के रूप में प्राप्त हुआ है। विभिन्न गांव की स्थिति को सारणी संख्या-63 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या-63

आवासीय भूमि के विभिन्न स्रोत

गांव का नाम	पैतृक मकान	न्याय पंचायत	पट्टे की भूमि पर	कुल परिवार
पचार	73	11	13	97
पट्टी कुम्हर्रा	101	19	10	130
चन्दवारी	79	23	18	120
छिरौना	169	43	8	220
अम्बरगढ़	119	73	74	266
योग	521	169	123	

मकानो के प्रकार:

मकानो के प्रकार के अन्तर्गत इस बात की जानकारी की गई कि मकान कच्चे या पक्के हैं। अधिकांश महिला श्रमिको के पास कच्चे मकान है जिन्हें सारणी संख्या-64 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या-64 (क)

मकानो के प्रकार

प्रकार	संख्या	कुल में प्रतिशत
1. कच्चे मकान	780	94.5
2. पक्के मकान	53	5.5
	833	100

मकान का क्षेत्रफल:

आवासीय मकानो के सम्बन्ध में यह पूछा कि मकान आपका है या किराये का पर्याप्त नही है और अपना मकान होने पर भी उसके उपर छत का होना अनिवार्य नही होता है। बने मकान के अन्तर्गत कितनी जगह है तथा उस जगह में कितने लोग रहते हैं। इसे ज्ञात करने के पश्चात् कुछ निष्कर्ष निकाला जा सकता है। यह ज्ञात करने के लिए मकान में कितनी जगह है या कितनी वर्ग फिट जगह है। ज्ञात किया जाता है। मकान का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए रसोई गृह, स्थान गृह और शौचालय को छोड़ दिया गया था। मकान का क्षेत्रफल जितना आता है इसे मकान का अनुमानित क्षेत्र कहा जा सकता है। यद्यपि 82.3 प्रतिशत महिलाओं ने इस बात को स्पष्ट किया था कि उनके पास अपना मकान है। पर इन मकानो में रहने की पर्याप्त जगह नही रही है। सर्वेक्षण के दौरान ऐसा पूछा गया कि उनके मकानो में केवल एक ही कमरा है। उसी कमरे द्वारा परिवारो के सभी आवश्यकताओं की पूत्रि की जाती है। कृषि महिला श्रमिको के परिवार का औसत 2 से 6 व्यक्तियों का रहा है और वह किसी एक कमरे के मकान में गुजर बसर करता है। यह एक सामान्य बात रही है कि इनके घरो में स्थानाभाव के कारण परिवारो के कुछ सदस्य उन कमरो का प्रयोग सोने के लिए करते रहे है जिनमें पशु बांधे जाते हैं। सारणी संख्या-64 द्वारा कृषि महिला श्रमिकों के मकान के क्षेत्र को दर्शाया गया है।

सारणी संख्या-64 (ख)

कृषि महिला श्रमिको के मकानों का क्षेत्र

मकान का क्षेत्र	परिवारो की संख्या	कुल में प्रतिशत
1 वर्ग से कम	18	2.16
1 वर्ग	68	8.16
2-4 वर्ग	344	41.29
5-7 वर्ग	139	16.68
8-10 वर्ग	72	8.64
11 से अधिक वर्ग	181	22.72
मकान नही है।	11	1.32
योग	833	100

सारणी संख्या-64 से यह स्पष्ट है कि 2 से 4 वर्ग के अन्तर्गत क्षेत्रफल के मकानो में कृषि महिला श्रमिकों के 41.29 प्रतिशत परिवार रहते हैं तथा 22.72 परिवारो में से 11 से अधिक वर्ग के मकानो में रहते हैं।

निर्माण का वर्ष:

मकान के निर्माण के सम्बन्ध में जितना समय उत्तर देने वाली महिलाओं से प्राप्त हुआ उसके आधार पर कहा जा सकता है। कुछ ऐसे मकान मिलेगे जो 25 वर्ष से पुराने थे यद्यपि कुछ जवाब देने वाली महिलाआएं अपने निर्माण के वर्ष को स्पष्ट नहीं कर सकी। नियोजित ढंग से बने हुए मकानो की संख्या बहुत कम रही है। मकानों के सम्बन्ध में कृषि महिला श्रमिकों के ज्ञात स्तर के आधार पर सूचनायें प्राप्त की गई थी मकान के स्तर के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए स्थान घर, रसोई घर और शौचालय को शामिल नहीं किया गया था। लगभग 74 प्रतिशत मकान चार कमरो के थे। लगभग 36.3 प्रतिशत मकानो में केवल एक ही कमरा था जिसे पर्दा लगाकर विभाजित करके काम चलाया जाता है। 14.7 मकानो में 3 कमरे थे। अतिरिक्त स्थान सर्वेक्षण से यह बात ज्ञात हुई कि अधिकांश कृषि महिला श्रमिकों के मकानो में विभिन्न प्रकार की सुविधाओं की कमी रही है। ग्रामीण क्षेत्रो में रहने वाले परिवारों को उनके मकान के साथ कुछ खुली भूमि की आवश्यकता होती है। जिसमें वे अपने जानवरो को बांधते हैं। तथा कृषि से प्राप्त होने वाले उत्पादो को रखने, जलाने के लिए ईंधन रखे तथा जानवरो के लिए चारा इत्यादि रखने के लिए प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त उनके पास जो भी कृषि से प्राप्त होने वाली फसल प्राप्त होती है उसे साफ करने के लिए और मड़ाई के लिए प्रयोग की जाती है। सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 90 प्रतिशत कृषि महिला श्रमिको के पास अतिरिक्त भूमि नही रही है। यद्यपि अधिकांश कृषि महिला श्रमिकों के पास अपनी भूमि नही रही है और अधिकांश महिलायें भूमिहीन कृषिहीन महिला वर्ग के अंतर्गत आती है। ऐसी दशा में मकान के साथ अतिरिक्त भूमि के होने का प्रश्न ही नही उठता है। इसी में 74.9 प्रतिशत कृषि महिला श्रमिको के परिवारो के पास जानवरो को बांधने के लिए अलग

से स्थान नही है। 18.5 प्रतिशत परिवारो के पास पशुओ का बांधने की जगह थी और केवल 5.6 प्रतिशत परिवार ने यह स्पष्ट किया कि वे अपने परिवारो को उसी कमरे मे रखते हैं जहां वे स्वयं रहते हैं।

मकानो में कमरो के आधार पर कृषि महिला परिवार को सारणी संख्या-65 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या-65

मकानो में कमरो की संख्या

	परिवारो की संख्या	कुल से प्रतिशत
एक कमरे	277	318.96
दो कमरे	263	32.77
तीन कमरे	177	21.24
पांच कमरे	36	4.32
छः कमरे	23	2.76
सात से अधिक कमरे	22	2.64
लागू नही होता है।	35	4.20
योग	833	100

सारणी संख्या-65 से यह बात स्पष्ट है कि कृषि महिला श्रमिको के सबसे अधिक परिवार 32.77 प्रतिशत दो कमरो में रहते हैं तथा 31.96 प्रतिशत परिवार एक कमरे के मकान में रहते हैं। इस प्रकार दो कमरो में लगभग 63 प्रतिशत परिवार रहते हैं तथा 21 प्रतिशत परिवार तीन कमरो में रहते हैं।

स्नानघर तथा अन्य सुविधायें:

आवासीय मकानो के स्वयं स्नानघर और शौचालय की सुविधाओं को जोड़ा जाता है। इन आवासीय मकानो में इन सुविधाओं का प्राप्त होना कुछ महत्वपूर्ण बाते स्पष्ट करती है। सामान्यतः स्नानघर और शौचालय की सुविधायें घरो के साथ प्राप्त होने वाले जल के आपूर्ति पर निर्भर करती है। लगातार जल आपूर्ति के आधार पर स्वच्छता बनाये रखने की आशा करना इस सम्बन्ध मे बेंकार होता है। ग्रामीण क्षेत्र में स्नान गृह के सम्बन्ध में कुछ कहना आवश्यक हो जाता है। सर्वेक्षण के दौरान ऐसा पाया गया कि अधिकांश मकानो स्थानगृह की सुविधाओं का अभाव है। महिलायें एवं बच्चे घर में खुले स्थान को स्नान घर के रूप में प्रयोग करते हैं। और इसे पर्दा आदि लगाकर महिलायें उसका प्रयोग स्नान घर के लिए किया जाता है। ऐसी स्थिति में स्थान करने वाले स्थान के पास गंदगी बनी रहती है। क्योंकि इस पानी के बहने के लिए उपयुक्त नाली की व्यवस्था नही होती है।

इसके अतिरिक्त अधिकांश लोगो द्वारा गांवो के तालाब को अपने स्थान तथा सफाई, पशुओं को धोने, बर्तन इत्यादि धोने के लिए प्रयोग किया जाता है और जब वे काम करने जाती है तो उन्हें अपनी स्वच्छता के लिए अधिक समय नही मिल पाता है। इसलिए स्नान तथा सफाई का कार्य उनके द्वारा कभी कभी किया जाता है। नियमित रूप से करने के लिए उनके पास समय होता है। ऐसी स्थिति में कृषि महिला श्रमिक परिवारो में अपने स्वास्थ्य के प्रति अज्ञानता और तटस्थता का दृष्टिकोण अपनाया जाता है और स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान नही दिया जाता है। ऐसी स्थिति यदि उन्हें कोई बीमारी लग जाती है तो उसके प्रति विशेष ध्यान नही देते हैं और वे इसे अपने

भाग्य का एक अंग समझकर उसके बीच अपना जीवन यापन करते हैं। सर्वेक्षण के दौरान ऐसा पाया गया कि 91.7 प्रतिशत कृषि महिला परिवारो के मकानो में शौचालय की सुविधायें नहीं प्राप्त थी। सामान्यत: ग्रामीण क्षेत्रो में लोगो के आवासीय मकानो में शौचालय नही हुआ करते है। यह बात विशेषकर भूमिहीन मजदूरो और सीमान्त कृषको के बारे में लागू होती है। अधिकांशत: लोग खुले मैदानो को शौचालय के रूप में प्रयोग करते हैं। कृषि महिला श्रमिको के अधिकांश परिवार प्राय: इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। कृषि महिला परिवारो के मकानो में प्राप्त होने वाले विभिन्न सुविधाओं के आधार पर परिवार के वर्गीकरण को सारणी संख्या-66 मे स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या-66

कृषि महिला श्रमिक परिवारा जिसके पास विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध है

	परिवारो की संख्या	कुल में प्रतिशत
1. पशुओ को बांधने की जगह है।		
हां	65	7.80
ना	686	82.35
लागू नही होता है	44	5.12
घर के अन्दर	38	4.40
योग	833	100.00
2. स्नानघर की सुविधायें		
अलग (स्वयं का)	321	47.00
सम्मिलित रूप से	68	8.16
स्नानघर नही है	374	45
योग	833	100.00
3. शौचालय की सुविधायें		
अलग (स्वयं का)	231	27.73
सम्मिलित रूप से	71	8.52
शौचालय नहीं है	531	63.74
योग	833	100.00

कृषि महिला श्रमिकों के मकानो में प्राप्त विभिन्न सुविधाओं जैसे पशुओ को रखने की अलग व्यवस्था, स्नान घर की सुविधा और शौचालय की सुविधा को स्पष्ट किया गया है। जहां तक पशुओं के रखने की जगह का प्रश्न है। 82.3 प्रतिशत परिवारो में पशुओं को रखने के लिए अलग जगह नहीं है। इसी प्रकार यदि स्नानघर की सुविधा पर विचार किया जाय तो यह कहा जा सकता है कि 47 प्रतिशत मकानों में स्नानघर की सुविधायें प्राप्त हैं। 63.74 प्रतिशत परिवारो में शौचालय की व्यवस्था नहीं है।

कृषि महिला श्रमिकों द्वारा स्पष्ट किये गये उत्तरों के निष्कर्षो को यदि ग्रामीण क्षेत्र के सामान्य जनसंख्या से तुलना की जाये तो यह कहा जा सकता है कि सामान्य जनसंख्या के पास जल संसाधनो की प्राप्ति इन महिला श्रमिक परिवारो की तुलना में अधिक अच्छी होती है। जेसा कि इस सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ है कि अधिकांश कृषि महिला श्रमिक अनुसूचित जाति वर्ग के अन्तर्गत आती है और इन महिला श्रमिकों को पानी के लिए गांवो में सामान्य रूप से प्राप्त साधनो को प्रयोग करने की स्वतंत्रता नही है। सर्वेक्षण में ऐसे भी परिवार मिले है जिन्हें अपना भोजन बनाने के लिए पानी लगभग आधा किलोमीटर दूर से लाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में यह निष्कर्ष रूप में कहना सही होगा कि इनके द्वारा प्रतिदिन स्नान कपड़ों की पूरी तरह सफाई आदि रखने की आशायें इनसे नहीं रखी जा सकती है।

जलापूर्ति के साधन:

टयूमेन्ट ने अपने अध्ययन में इस बात का अध्ययन किया है कि जलापूर्ति

एक ऐसा तथ्य है जिसकी प्राप्ति के लिए गांव के गरीब लोगो को बहुत सी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है जल ही एक ऐसी वस्तु है जो जातिवाद के प्रणाली को अधिक मजबूत करती है। जल ही ग्रामीण क्षेत्र में उच्च और निम्न वर्ग में लोगो को विभाजित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।[1]

यह कहा जा सकता है कि अधिकांश महिला श्रमिक अनुसूचित जाति वर्ग की है और इस वर्ग के समक्ष स्वच्छ जल प्राप्ति एक विकट समस्या है। आवास के लिए मकान और जलापूर्ति दोनो एक साथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए घरेलू और अन्य कार्यो के लिए जल प्राप्त होने वाले स्रोतो के सम्बन्ध में उनसे यह प्रश्न पूछा गया कि क्या आपको गांव में जलापूर्ति के जो सामान्य रूप से साधन उपलब्ध है उसे जलापूर्ति होती है या नही। यद्यपि यह समस्या उन कृषि महिला श्रमिकों के साथ नही रही है। जो पिछड़े वर्ग की थी पर अनुसूचित जाति की महिला के साथ छुआछूत की समस्या अब भी जुड़ी है। सभी कृषि महिला श्रमिको में 45.6 प्रतिशत परिवारो ने यह स्पष्ट किया कि उन्हें जल प्राप्ति के लिए अलग से उनके लिए कुछ जिनसे वे अपने घरेलू कार्य के लिए जल प्राप्त करते है तथा 12.3 प्रतिशत परिवारो ने यह स्पष्ट किया कि वे जल प्राप्ति के लिए गांव के पोखरे तथा तालाबो पर निर्भर है। 21 प्रतिशत अनुसूचित जाति की कृषि महिला श्रमिकों ने यह स्पष्ट किया कि वे गांव में सामान्य रूप से प्राप्त तथा तालाब से जल प्राप्त करती है। सर्वेक्षण में इस बात का अनुभव किया गया कि अनुसूचित जाति परिवारो को केवल उन्हीं गांवो में सामान्य रूप से प्राप्त जलापूर्ति

---

1. ड्मेन्ट लुइस 1966, होमो हाइकारकी, विकास पब्लीकेशन, पेज 141, नई दिल्ली

के साधनो को प्रयोग करने की स्वतंत्रता है। जिन गांवो में अनुसूचित जाति के परिवारो की संख्या बहुतायत रूप मे है। इस स्थिति को सारणी संख्या-67 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या-67

गांव में परिवारो के बीच में जलापूर्ति के स्रोतो का विवरण

जलापूर्ति के स्रोत		परिवार की संख्या	कुल में प्रतिशत
(क) घरेलू कार्य के लिए :			
1.	सरकारी कुएं	95	10.21
2.	निजी कुएं	7	0.81
3.	सरकारी नल	97	11.59
4.	निजी नल	97	5.04
5.	अनुसूचित जाति के लिए अलग से कुएं	42	45.65
6.	अनुसूचित जाति के लिए	19	2.28
7.	नदी झरने या नहरे	76	9.07
8.	तालाब तथा पोखर	103	12.34
	योग	833	100.00 प्रतिशत
अन्य कार्यो के लिए:			
1.	सरकारी कुएं	61	7.36
2.	निजी कुएं	23	2.64
3.	सरकारी नल	94	11.20
4.	निजी नल	39	4.68
5.	अनुसूचित जाति के लिए अलग से कुएं	176	20.12
6.	अनुसूचित जाति के लिए अलग से	16	1.92
7.	नदी झरने तथा नहर	207	24.86.
8.	तालाब औरपोखर	213	27.21
	योग	833	100.00

सारणी संख्या 67 से स्पष्ट है कि कुल कृषि महिला श्रमिक के 45.65 प्रतिशत परिवार निजी नलो से घेरलू कार्यो के लिए जल प्राप्त करते हैं। तथा 12.34 प्रतिशत परिवार तालाब और पोखरे से घेरलू जल की आपूर्ति प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार घेरलू कार्यो के अतिरिक्त अन्य कार्यो के लिए 27.21 प्रतिशत परिवार तालाब और पोखरो से जल प्राप्त करते हैं और 24.86 प्रतिशत नदी, झरने और नहर पर अन्य कार्यो के लिए जल प्राप्त करने के लिए निर्भर रहते हैं। घेरलू कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य के अन्तर्गत जैसे मकान निर्माण आदि कार्यो को रखा जाता है।

सर्वेक्षण के दौरान यह ज्ञात हुआ कि अधिकांश कृषि महिला श्रमिको ने इस बात को स्पष्ट किया कि घेरलू कार्यो में प्रयोग किये जाने वाले जल के अतिरिक्त अन्य कार्यो के जल प्राप्ति के लिए उन्हें नदियो, झरनो , तालाबों तथा गांव के पोखरो पर निर्भर रहना होता है। इसके अतिरिक्त एक बड़ी संख्या में कृषि महिला श्रमिकों का परिवार इन्हीं साधनो का प्रयोग घेरलू तथा अन्य साधनो के लिए करते हैं। यहां पर यह भी कहा जा सकता है कि अनुसूचित जाति के परिवारो को इस सम्बन्ध में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। लगभग अनुसूचित जाति के 64 प्रतिशत परिवारो को गांव के बाहर जल लेने के लिए जाना पड़ता है। सर्वेक्षण के दौरान यह पाया गया कि अनुसूचित जाति के कृषि महिला परिवारो को गांव के सामान्य कुओं से अभी भी जल लेने के लिए मना किया जाता है और उन्हें इसके लिए समाज की तरह ये यातनायें भुगतनी पड़ती है। सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित जाति के 56.3 प्रतिशत परिवारो ने यह स्पष्ट किया कि उनहें गांव के सामान्य रूप से प्राप्त कुओं पर जल भरने नहीं दिया जाता है। इसके अतिरिक्त 19.5 प्रतिशत परिवारो ने यह स्पष्ट किया है कि उनके

साथ भेदभाव का व्यवहार किया जाता है। जिस प्रकार उच्च वर्ग के जातियों में विभिन्न जातियां और उपजातियां पाई जाती है उसी प्रकार कृषि महिला श्रमिकों ने इस बात को स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जाति के अंतर्गत बहुत सी जातियां जिनके साथ भेदभाव किया जाता है उसमें से कुछ ऐसी उपजातियां होती है जिन्हें छुआछूत की दृष्टि से निकृष्ट समझा जाता है और उनसे कार्य लिया जाता है जो निकृष्ट हुआ करते हैं। इस स्थिति को सारणी संख्या 68 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या-68

अनुसूचित जाति के कृषि महिला श्रमिक जो सामान्य नलों, कुओं और तालाब तथा पोखरो से जल प्राप्त कर सकती हैं।

सामान्य स्रोत से जल प्राप्त कर सकती हैं।		परिवारो की संख्या	कुल में प्रतिशत
1. हां	127	23.68	
2. नहीं	302	56.34	
3. भेदभाव के आधार पर जल प्राप्त कर सकती हैं।		107	19.97
4. जो भेदभाव के आधार पर भी नही प्राप्त कर सकती हैं।		.85	0.16.
5. अन्य	0.2[illegible]	0.214	0.04
योग		5.37	100.00

सारणी संख्या 68द से यह स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं

.34 प्रतिशत परिवारों को गांव में उपलब्ध सामान्य स्रोतो से जल प्राप्त नहीं होता है। इसके अतिरिक्त 19.97 परिवारों को अनुसूचित जाति में होने के बावजूद भी उन जातियों को निष्कृष्ट जातियों की तुलना में उत्कृष्ट समझा जाता है और उन्हें सामान्य स्रोतो से जल प्राप्त करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। केवल 0.16 प्रतिशत परिवार ऐसे हैं जिन्हें किसी भी दशा में सामान्य स्रोतों से जल प्राप्त नहीं होता है।

यहां यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि वर्तमान अध्ययन 833 कृषि महिला श्रमिक परिवारों से सम्बन्धित है। इनमें से 537 या लगभग 65 प्रतिशत कृषि महिला श्रमिक अनुसूचित जाति के अंतर्गत तथा शेष पिछड़ी जाति के अंतर्गत थी। जल प्राप्ति के सम्बन्ध में पिछड़ी जाति के लोगो के सम्बन्ध में कोई विशेष समस्या नहीं पाई गई।

अध्याय - चार

सम्पत्तियां एवं दायित्व

वर्तमान अध्याय के अंतर्गत कृषि महिला श्रमिकों की आर्थिक स्थिति पर विचार किया जायेगा जिसके अंतर्गत उनके परिवारों की सम्पत्तियां परिवार के आय स्तर तथा परिवार के दायित्व पर विचार किया जायेगा दायित्व के अंतर्गत इन परिवारों के ऋण से सम्बन्धित स्थिति पर विचार करके इनके गरीबी की स्थिति पर विचार किया जायेगा।

कृषि महिला श्रमिकों की आर्थिक दशाओं को स्पष्ट करने के लिए उनके परिवार में प्राप्त सम्पत्तियों एवं दायित्वों को स्पष्ट करना आवश्यक होता है। सम्पत्तियों के अंतर्गत चल और उन चल सम्पत्तियों को स्पष्ट किया जाता है। चल और अचल सम्पत्तियां किसी भी व्यक्तियों परिवार के आर्थिक स्थिति को स्पष्ट करने में सहायक होती है। किसी व्यक्ति या परिवार की आर्थिक सम्पन्नता को उस परिवार में प्राप्त भूमि जोत, विभिन्न सम्पत्तियां जेसे ट्रेक्टर, पम्पिंग सेट, बेलगाड़ी, पशुधन आदि द्वारा स्पष्ट होती है। उन सम्पत्तियों की मात्रा तथा इनका मूल्य जितना ही अधिक होता है उतना ही अधिक एक परिवार या वह परिवार आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न माना जाता है। एक व्यक्ति जिसकी वित्तीय सिथति अच्छी होती है। वह आराम की अधिक से अधिक वस्तुएं प्राप्त करने में सहायक होता है। एक कृषक के पास कृषि करने के विभिन्न ओजार और यंत्रों का होना आवश्यक होता है। जिसके अभाव में वह अपनी कुशलता तथा धन दोनों का उपयोग नहीं कर सकता है इन सम्पत्तियों का स्वामित्व तथा इनका प्रभावी ढंग से उपयोग किये जाने पर ही उसकी आर्थिक सम्पन्नता निर्भर करती है।

यह स्वाभाविक है कि किसी व्यक्ति या परिवार की वित्तीय सम्पन्नता के द्वारा ही उत्पादक तथा अनुत्पादक दोनो प्रकार की सम्पत्तियों तथा सुख-सुविधाओं को प्राप्त कर सकता है जिसके द्वारा उसका समाज में स्तर निर्धारित होता है और उसी के आधार पर उसे समाज में सम्मान प्राप्त होता है।

उपरोक्त सम्पत्तियों के अतिरिक्त किसी परिवार में पशुधन की मात्रा तथा प्रकार जैसे गाय, भैस, बकरी, भेड़, सूअर तथा मुर्गी पालन आदि कृषि अर्थव्यवस्था में सम्पत्तियां मानी जाती है। क्योंकि इन पशुओं द्वारा परिवार के आय में विभिन्न प्रकार से वृद्धि की जाती है। सके अतिरिक्त इन पशुधनों द्वारा आर्थिक तुगी के समय में आय के साधन प्रदान करने का कार्य किया जाता है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में कृषि महिला श्रमिकों के विभिन्न प्रकार की सम्पत्तियों को ज्ञात करने का प्रयास किया गया जिससे उनकी आर्थिक स्थिति एवं दशाओं को निर्धारित किया जा सके। इसके लिए उनकी सम्पत्तियो को तीन वर्गो के अंतर्गत विभक्त किया गया (1) पशुधन (2) विभिन्न प्रकार की वस्तुएं (3) कृषि औजार। इन विभिन्न प्रकार की सम्पत्तियों को सर्वेक्षण में प्राप्त आंकड़ों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है।

पशुधन

(क) बैल:

कृषि महिला श्रमिकों के लगभग 80 प्रतिशत परिवारो में बैल नहीं पाये गये, शेष में से 14.9 परिवारो के पास प्रत्येक परिवार में एक जोड़ी बैल इसके अतिरिक्त प्रत्येक परिवार में केवल एक बैल पाया गया। जिन परिवारो में एक बैल रहने की

सूचना थी उनका दूसरा बैल मर चुका था या उसे परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बेच दिया गया था केवल 1.8 प्रतिशत परिवारो में दो जोड़ी बैल पाये गये। इन परिवार के पास बैलो की संख्या कम होने का कारण इनके पास कृषि योग्य भूमि का कम होना है। कुछ परिवार ऐसे भी पाये गये जिनके पास कृषि योग्य भूमि थी पर बैल नही थी, यद्यपि भूमि के साथ बैल का रखनाएक आवश्यक आवश्यकता है। इस प्रकार कुछ ऐसे भी परिवार पाये गये जिनके पास बैल है पर भूमि नही रही है। ऐसे परिवारो में जिनके पास बैल है पर भूमि वे अपने बैलो को किराये पर देकर आय प्राप्त करते हैं। इस स्थिति को सारणी संख्या-1 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या-1

कृषि महिला श्रमिको के परिवार जिनके पास बैल हैं।

जिनके पास बैल हैं	परिवारो की संख्या	कुल में प्रतिशत
केवल एक बैल वाले परिवार	18	2.22
एक जोडी वाले परिवार	125	14.98
दो जोडी बैल वाले परिवार	15	1.80
तीन जोडी बैल वाले परिवार	2	0.18
चार से छः जोडी बैल/या अधिक जोड़ी	1	0.12
लागू नही होता	672	80.69
योग	833	100

सारणी संख्या-1 से स्पष्ट है कि कृषि महिला श्रमिकों के 80.69 प्रतिशत ऐसे है जिनके पास कोई भी बैल नहीं है। शेष में 15.98 प्रतिशत परिवार ऐसे हैं

जिनके पास एक जोड़ी बैल पाये गये। 2.2 प्रतिशत परिवार ऐसे हैं जिनके पास केवल एक बैल पाया गया।

(ख) अन्य पशु धन:

बैल के अतिरिक्त अन्य पशुओं का भी आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि इनके द्वारा दिये जाने वाला दूध और अन्य उपायो का परिवार में उपयोग के अतिरिक्त इसे बेचकर आय प्राप्त की जाती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विभिन्न वर्ग के परिवारो के लिए पशुओं का अलग महत्व है। किसान परिवारो द्वारा बेलगाड़ी खोलने के लिए दूध प्राप्ति के लिए कृषि कार्यो के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त इन जानवरो के गोबर से कृषि हेतु खाद्य तेयार की जाती है तथा इसे घरेलू ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार कृषक परिवारो द्वारा पशुओं का उपयोग विभिन्न कार्यो के लिए किया जाता है।

विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुओं की संख्या सबसे अधिक है पर गुणात्मक दृष्टिकोण से भारत अन्य देशों की तुलना में बहुत पीछे है। गाय और बैल इनमें से सबसे पवित्र माने जाते है तथा इनके गोश्त का प्रयोग करना हिन्दू परिवारो में अच्छा नही समझा जाता है और न ही इन परिवारो को बिना समय मार डालना ही धार्मिक दृष्टिकोण से उचित नही माना जाता है। ऐसी स्थिति में पशुओ के खिलाने वाले चारे का एक बड़ा भाग वृद्ध और अनुत्पादक पशुओं को खिलाने में बर्बाद हो जाता है। बैलो के अतिरिक्त कृषि महिला श्रमिक परिवारो में अन्य पशुओं को पाया गया लगभग 8.95 प्रतिशत परिवारो में प्रत्येक परिवारो में दो गाये पाई गई। और 7.75 प्रतिशत परिवारो में एक गाय पाई गई। और 67.3 प्रतिशत परिवारो में

या तो एक भी गाय नही थी या उन पर यह लागू नही होता है। इस स्थिति को सारणी संख्या-2 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या-2

कृषि महिला श्रमिक परिवारो में गायो का विवरण

गायो की संख्या	परिवारो की संख्या	कुल में प्रतिशत
अन्य पशु:		
एक पशु	65	7.75
दो	75	8.95
तीन	20	2.40
चार	18	2.13
पांच	7	0.81
छ:	5	0.63
7 या सात से अधिक	7	0.96
लागू नही होता है	636	76.37
योग	833	100.00

सारणी संख्या-2 से यह स्पष्ट है कि 76.37 प्रतिशत कृषि महिला श्रमिकों के पास गाय नही थी, 8.95 प्रतिशत परिवारो के पास दूध देने वाले दो पशु या गाय थे। 7.75 प्रतिशत परिवारो के पास एक गाय थी। तथा 2.4 प्रतिशत परिवारो के पास तीन गाय तथा शेष के पास तीन गाय से अधिक थी।

भेड़ व बकरियां :

विभिन्न प्रकार के पशुओं को विभिन्न परिवारो में रखना या पालना जाति के साथ सम्बन्धित है। भेड़ और बकरी पालन कुछ विशेष जाति के द्वारा ही किया जाता है भेड़ और बकरियां मुख्यतया गड़ेरिया जाति के परिवारो द्वारा किया जाता है पर बकरी पालन अन्य जाति के द्वारा भी किया जाता है। जो आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर होते हैं। भेड़ बकरिया पालन का कार्य पिछड़ी जाति की कृषि महिला श्रमिको के परिवारो में पाया गया पर पालन का कार्य एक निश्चित मात्रा में महिला कृषि श्रमिक के परिवार में पाया गया है। लगभग 76 प्रतिशत अनुसूचित जाति की कृषि महिला श्रमिको के परिवार में न तो भेड़ और न ही बकरिया पालन का कार्य किया जाता है। शेष परिवारो में बकरी पालन का कार्य मुख्य रूप से पाया गया है इसे सारणी संख्या-3 में स्पष्ट किया गया है :-

सारणी संख्या-3
पिछड़ी जाति की कृषि महिला श्रमिक परिवारो में भेड़ बकरिया

पशुओ की संख्या	परिवार	कुल में प्रतिशत
भेड़ व बकरियां :-		
एक	6	1.4
दो	13	3.2
तीन	16	4.1
चार	21	5.3
पांच	29	7.4
छः	46	11.7
सात	84	21.3
आठ	14.7	37.2
नौ से अधिक	34	8.58.
योग	396	100

सारणी संख्या 3 में पिछड़ी जाति के कृषि महिला श्रमिकों के परिवारो के पास प्राप्त होने वाले पशुओं का विवरण दिया गया है। सपरिवारो में 45.7 प्रतिशत ऐसे है जिनके पास पशुओं की संख्या 9 या उससे अधिक रही है। इसके अतिरिक्त 21.3 प्रतिशत परिवारो के पास 8 पशु हैं। 11.7 प्रतिशत परिवारो के पास सात पशु है तथा 7.4 प्रतिशत परिवार के पास 6 पशु है। इसके अतिरिक्त केवल 1.4 प्रतिशत परिवार ऐसे थे जिनके पास एक पशु था।

इसी प्रकार अनुसूचित जाति की कृषि महिला परिवारो में भेड़ व बकरी पालने को सारणी संख्या-4 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या-4

अनुसूचित जाति की कृषि महिला श्रमिक परिवारो में भेड़ व बकरी की स्थिति

संख्या		परिवारो की संख्या	कुल में प्रतिशत
भेड़-बकरी	एक	11	3.6
	दो	14	3.60
	तीन	58	11.37
	चार	39	8.18
	पांच	19	4.08
	छः	37	7.52
	सात	8	2.48
	लागू नही होता है।	351	67.3
	योग	537	100

सारणी संख्या - 4 में अनुसूचित जाति के कृषि महिला श्रमिको के पास भेड़ बकरियों की संख्या को स्पष्ट किया गया है। इन परिवारो में 67 प्रतिशत परिवार है जिनके पास न ही भेड़ थी और न ही बकरी थी जिन परिवारो के पास भेड़ बकरी थी उनमें 11.37 प्रतिशत परिवारो के पास 3 बकरिया थी, 2.48 प्रतिशत परिवारो के पास सात या उससे अधिक बकरियां थी तथा 3.06 प्रतिशत परिवारो के पास एक बकरी पाई गई।

कृषि सम्बन्धी सम्पत्तिया

(क) भूमि :

किसी भी वर्ग या परिवार की वित्तीय स्थिति ज्ञात करने का एक तरीका उस परिवार के पास स्वामित्व ज्ञात करना है। वर्तमान अध्ययन में भूमि की मात्रा का अध्ययन उस मात्रा से लगाया हे जो कृषि कार्य में लगायी जाती है। भूमि की मात्रा ज्ञात करने में इसे दो भागो में बांटा गया है। (1) ऐसी भूमि की मात्रा जिसपर किसी परिवार के मुखिया का स्वामित्व है। (2) ऐसी भूमि जो दूसरो से लीज के आधार पर या किराये के आधार पर प्राप्त की जाती है या बटाई के आधार पर भूमि प्राप्त करके कृषि की जाती है। इस विभाजन के अतिरिक्त कृषि में योग्य भूमि को पुनः तीन वर्गो में बांटा गया है। (1) सिंचित, असिंचित, बागो में प्रयुक्त भूमि, सिंचित भूमि का अर्थ उस भूमि से जिसमें सिचाई की सुविधायं वर्ष भर प्राप्त होती है। इसी प्रकार सूखी भूमि का अर्थ ऐसे भूमि से है जिसपर की जाने वाली कृषि वर्षा के जल पर निर्भर है। बाको में प्रयुक्त भूमि के लिए पूरे वर्ष भर जल की आवश्यकता होती है।

यद्यपि कृषि महिला श्रमिकों से इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी नही प्राप्त की जा सकी है। फिर भी उनसे इस बात की जानकारी प्राप्त हुई है कि उनके पास खेती की भूमि है अथवा नही तथा खेती के कार्य के लिए सिंचाई की सुविधायें प्राप्त है या नहीं, इसी आधार पर कृषि महिला श्रमिकों में भूमि की मात्रा को ज्ञात किया गया है।

भारत वर्ष एक कृषि प्रधान देश है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भू-सम्पत्ति एक ऐसी सम्पत्ति है जो किसी परिवार के आर्थिक सम्पन्नता को स्पष्ट करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। सामान्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रो में जिन परिवारो के पास बचत होती है वे अपने बचत का विनियोग भूमि क्रय पर करते हैं। भूमि का आर्थिक तथा सामाजिक दोनो दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण स्थान है। भूमि को ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इतना अधिक महत्व देने के कारण बहुत सामाजिक बुराईयां उत्पन्न हुई है। भूमि या कृषि योग्य भूमि सभी कृषि करने वाले के पास समान मात्रा में नही हो सकती है। भूमि के साथ सामाजिक महत्व लगा होने के कारण सामाजिक व्यवस्था परम्परा आदि द्वारा लोगो का सामाजिक जीवन प्रभावित होता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कुछ विशेष वर्ग के पास भू-स्वामित्व न होने के कारण ही अपने सभी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समाज के उस वर्ग पर आश्रित है।

कभी कभी भूसम्पत्ति से संचित वर्ग या परिवारों जिन मकानो में निवास किया जाता है। वह भी उस व्यक्ति का होता है जिसके भूमि पर कृषि का कार्य करते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जाति के आधार पर समाज में विभाजित वर्ग में व्यक्तिगत गतिशीलता का अभाव पाया गया है। ऐसी बहुत से प्रमाण जिनके अंतर्गत एक जाति

या वर्ग में गतिशीलता पाई गई है। जबकि एक वर्ग या जाति द्वारा एक उत्तम सामाजिक स्तर को प्राप्त करने के लिए एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान को जाया जाता है। ऐसी गतिशीलता का उदाहरण वर्तमान अध्ययन में छोटे पैमाने पर पाया गया है। जहां पर विशेष कर अनुसूचित जाति के लोग आसपास के गांव से आकर गांव के एक विशेष क्षेत्र में मकान बनाने की भूमि प्राप्त करके निवास करने लगे हैं। जहां तक भूमि के प्रकार सम्बन्धी वितरण का सम्बनध है 87 प्रतिशत परिवारो के पास कृषि की ऐसी भूमि है जिसपर सुविधायें नहीं प्राप्त है। तथा 13 प्रतिशत कृषि महिला श्रमिको के पास जो कृषि योग्य भूमि है वह सिंचित थी। जिन लोगो के पास सिंचित भूमि है उसमें से 5.5 प्रतिशत लोगो के एक एकड़ से कम की भूमि है और अन्य 3.9 प्रतिशत परिवारो के पास 2 एकड की भूमि थी। सूखी भूमि के सम्बन्ध में स्थिति कुछ अधिक अच्छी है। 35 प्रतिशत कृषि महिला परिवारो के पास सूखी भूमि थी। जिसमें अधिकांश 17.4 प्रतिशत परिवारो के पास 2 एकड़ से कम भूमि थी। 9.8 प्रतिशत परिवारो के 3-4 एकड़ तक की भूमि थी। जहां तक बकान कृषि के अंतर्गत प्रयोग की जाने वाली भूमि का सम्बन्ध है। केवल 3 प्रतिशत परिवारो ने स्पष्ट किया कि उनके पास बगीचे हैं। पर इन बागो का आकार 1 एकड़ से कम कारण है।

कृषि महिला श्रमिकों द्वारा मजदूरी किये जाने का मुख्य कारण परिवार के उन सदस्यों की आय का कम होना स्पष्ट किया गया। अतः अधिकांश परिवारो ने अपने पति या अन्य सदस्यों की आय में वृद्धि के लिए मजदूरी का कार्य किया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ कृषि महिलाएं श्रमिक परिवार में से परिवार प्राप्त हुए है। ऐसे परिवारो में पुरूष सदस्य नहीं है। इन कृषि महिला श्रमिको के परिवार में अधिकांश परिवार भूमिहीन परिवार पाये गये। कुछ ऐसे परिवार ऐसे मिले जिनके पास कुछ मात्रा में भूमि पाई गई जिसपर वे कृषि का कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त कृषि का कार्य

करते हुए अन्य लोगो के घरो पर श्रम का कार्य कर अपने परिवार के पुरूष वर्ग के आय में वृद्धि करके या अपना जीवन यापन किया जाता है। सर्वेक्षण के लिए क्षेत्र में विभिन्न गांव में 833 कृषि महिला श्रमिक के परिवार है। इन परिवारो में कृषि योग्य भूमि या तो नही है और है भी तो बहुत कम मात्रा में है।

सारणी संख्या-6 में कृषि महिला श्रमिकों के परिवारो में भूमि की मात्रा को स्पष्ट किया गया है। भूमि में यदि सिंचित भूमि पर विचार किया जाय तो केवल 13 प्रतिशत परिवार ऐसे है जिनके पास सिंचित भूमि है और इन परिवारो में 9.13 परिवारो के पास 2 एकड़ भूमि है। सिंचित भूमि की तुलना में सूखी भूमि की मात्रा अधिक परिवारो में है। सूखी भूमि लगभग 34.17 प्रतिशत परिवारो के पास है। जिसमें से 16.42 प्रतिशत परिवारो के पास 2 एकड़ भूमि रही है।

कृषि महिला परिवारो के भूमि सम्बन्धी विवरण को सारणी संख्या-पांच में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या-5

कृषि महिला श्रमिक परिवारो में भूमि का विवरण

भूमि की मात्रा एकड़ में	सिंचित भूमि		असिंचित भूमि		बाग/बगीचे	
	परिवारों की सं0	प्रतिशत	परिवारो की सं0	प्रतिशत	परिवारों की सं0	प्रतिशत
एक एकड़ या कम	45	5.35	60	7.54	19	2.43
दो एकड़	34	3.96	80	9.88	2	0.39
तीन एकड़	110	1.32	70	5.32	1	0.18
चार एकड़	6	0.63	30	3.84	1	0.15
पांच एकड़	5	0.54	14	1.89	1	0.03
छः एकड़	2	0.21	14	1.89	0	-
सात एकड़	2	0.15	7	0.84	0	-
आठ या इससे अधिक एकड़ भूमि	6	0.63	26	3.39	1	0.03
लागू नही होता है। (जिनके पास भूमि नहीं है)	722	87	560	65.38	806	96.79
योग	833	100	833	100	833	100

कि कृषि महिला श्रमिकों के सर्वेक्षण के दौरान लीज पर कृषि योग्य भूमि प्राप्त कर उस पर खेती करने का एक भी उदाहरण सामने नही आया। जिन परिवारो द्वारा भूमि कार्य किया जाता है। उनमें 97 प्रतिशत परिवारों ने यह जवाब

दिया था कि उनके द्वारा लीज या किराये पर भूमि प्राप्त करके कृषि नही की जाती है। यही बात बटाई प्रथा पर प्राप्त होने वाली भूमि पर भी है । कोई भी ऐसा परिवार नही मिला जिनके द्वारा बटाई प्रथा के आधार पर कृषि कार्य किया जाता है।

कृषि महिला श्रमिक परिवारो में सर्वेक्षण के लिए चुने गये गांवो की स्थिति अलग अलग रही है। सम्पूर्ण दृष्टिकोण से विचार करने के अतिरिक्त यदि विभिन्न गांवो पर वयक्तिगत रूप से विचार किया जाय तो यह बात स्पष्ट होती है कि अधिकांश कृषि महिला परिवार कृषिहीन भूमि परिवार रही है। यद्यपि सम्पूर्ण दृष्टिकोण से ऐसे परिवार जिनके पास भूमि नही है। सिंचित भूमि के दृष्टिकोण से 87 प्रतिशत और सूखी भूमि की दृष्टिकोण से 65.38 प्रतिशत रहे। पर विभिन्न गांवो में यह प्रतिशत अलग अलग रहा है जिसे सारणी संख्या-6 में विभिन्न गांव में सिचिंत भूमि के वितरण को स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या-6 से यह स्पष्ट है कि पट्टी कुम्हर्रा गांव में 11 प्रतिशत परिवारों के पास सिंचित भूमि है, छिरौना में 22 प्रतिशत परिवारो अम्बरगढ़ में 22 प्रतिशत पचार में भी 22 प्रतिशत तथा चदवारी गांव में 14 प्रतिशत कृषि महिलाओं के पास सिंचित भूमि है।

सारणी संख्या-6

सर्वेक्षण के लिए चुने गये गांव में सिंचित भूमि का वितरण

भूमि की मात्रा एकड़ मे	[illegible]टी कुम्हर्रा		छिरोना		अम्बरगढ़		पनार		चंदवारी	
	परिवार की सं0	प्रतिशत	परिवार की सं0	प्रतिशत	परिवार की सं0	प्रतिशत	परिवार की सं0	प्रतिशत	परिवार की सं0	प्रतिशत
एक एकड़ या कम	6	5.35	18	5.35	14	5.35	4	5.35	6	5.35
दो एकड़	4	3.96	13	3.96	10	2.96	3	3.96	4	3.96
तीन एकड़	2	1.32	5	1.32	3	1.32	2	1.32	2	1.32
चार एकड़	1	0.63	3	0.63	0.01	0.63	1	0.63	1	0.63
पांच एकड़	1	0.54	3	0.54	0.01	0.54	1	0.54	1	0.54
छः एकड़	1	0.21	2	0.21	0.01	0.21	1	0.21	1	0.21
सात एकड़	1	0.15	1	0.15	1	0.15	1	0.15	1	0.15
आठ एकड़ या इससे अधिक	1	0.63	3	0.63	0.01	0.63	1	0.63	1	0.63
लागू नही होता है (जिनके पास भूमि नही है)	113	89	172	78	234	88	83.0	88	103	0.86
योग	130	100	220	100	266	100	97	100	120	100

कृषि महिला श्रमिक के ऐसे परिवार जो किराये की भूमि प्राप्त करके कृषि करते हैं वह दूसरे जातियों से प्राप्त हुई है ऐसे उदाहरण नही प्राप्त हुए है जिसमें किराये की भूमि अपने ही जाति के लोगो से प्राप्त की गई हो इसका कारण स्पष्ट है कि इन परिवारो के पास किसी भी परिवार में इतनी अधिक भूमि की मात्रा नही रही है कि वे अपनी भूमि को किराये पर कृषि के लिए दे सके।

बहुत से अर्थशास्त्रियों ने इस बात को स्पष्ट किया है कि कृषि भूमि का विभाजन उपविभाजन और उपखण्डन की प्रक्रिया प्रत्येक पीढ़ी में कार्य कर रही है। जिसके परिणामस्वरूप किसी परिवार की भूमि उसके उत्तराधिकारियों में बढ़ती जाती है और परिणामस्वरूप कृषि की जोत अनार्थिक हो जाती हे और यही देश में कृषि के पिछड़े होने का एक प्रमुख कारण है। इसके अतिरिक्त उत्तराधिकार का नियम भी दोषपूर्ण रहा है क्योंकि इस नियम के अंतर्गत किसी परिवार के सदस्य को उस परिवार में हिस्सा प्राप्त होने की गारंटी देता है और पिता की सम्पत्ति में लड़कियों का भी हिस्सा होने के कारण यह स्थिति और भी ख़राब हो जाती है इसके अतिरिक्त देश में बढता हुआ औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, पश्चिमी देशों की शिक्षा एक सभ्यता के कारण व्यक्तिवाद को बढ़ावा मिला है। जिसके परिणामस्वरूप संयुक्त कृषि प्रणाली समाप्त हो गई है। जिसके परिणामस्वरूप देश की परम्परा पर आधारित संयुक्त परिवार प्रणाली में परिवर्तन हुआ है। परिणामस्वरूप भूमि छोटी छोटी टुकड़ो में बढ़ती गई है। और जोत का आकार अनार्थिक होता गया है।

अध्ययन के लिए चुनी गई कृषि महिला श्रमिक परिवार इस समस्या से अछूते रहे हैं। क्योंकि इनके पास कृषि कार्य के लिए या तो भूमि ही नही है या यदि है भी तो वह उतनी पर्याप्त नही है कि उसे और छोटे टुकड़ो में विभाजित किया जा

सके तथा बहुत कम प्रतिशत परिवार केवल 3 प्रतिशत परिवार किराये की भूमि प्राप्त करके खेती का कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त जिनके पास भूमि है वह मात्र 2 या 3 एकड़ तक सीमित है। इतनी छोटी जोत की मात्रा होने पर यह नही कहा जा सकता है कि उनकी भूमि छोटे छोटे टुकड़ो में कई स्थानो में बंटी हुई है। जिनके पास भूमि है उनमें से 36.9 प्रतिशत परिवारो की भूमि एक ही स्थान पर थी।

5.1 प्रतिशत परिवारो की भूमि दो स्थानो पर पाई गई थी। भूमि के प्रकारो के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि अधिकांश परिवार के पास सूखी भूमि है तथा 13 प्रतिशत परिवारो के पास सिंचित भूमि है। ऐसी दशा में यह स्वभाविक है कि जिनके पास कृषि के लिए भूमि है उसमें 32.2 प्रतिशत परिवार कृषि कार्य के लिए प्रकृति की वर्षा पर निर्भर है। और कृषि के लिए जल की आपूर्त्ति के लिए वर्षा ही उनका प्रमुख स्रोत है। शेष भूमि जो बाग बगीचो में लगी है उनमें से 5 प्रतिशत परिवार इसकी सिंचाई के लिए नहरों द्वारा जल प्राप्त करते हैं, 4.4 प्रतिशत परिवार अपने बगान कृषि की सिंचाई तालाब तथा पोखरो से तथा 1.8 प्रतिशत परिवार सिंचाई के लिए कुओं पर निर्भर है। जिसे सारणी संख्या-7 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या-7
कृषि के लिए जल आपूर्ति के स्रोत

स्रोत	परिवार की संख्या	कुल में प्रतिशत
प्राकृतिक वर्षा	269	32.28
तालाब	37	4.41
नदिया	1	0.12
सोते	4	0.48
कुएं	15	1.83
नहरे	42	5.02
अन्य	1	0.03
लागू नही होता है	464	55.82
योग	833	100.0

सारणी संख्या-7 से यह स्पष्ट है कि 32.28 प्रतिशत परिवारो के पास सिंचाई का कोई भी साधन नही है। वे अपनी कृषि के लिए वर्षा पर निर्भर करते हैं।

उपरोक्त विवरण के आधार पर कृषि महिला श्रमिक परिवारो के कृषि की पिछड़ी हुई और निकृष्ट स्थिति को स्पष्ट किया जा सकता है। अतः यह कहा जा सकता है कि देश के विभिन्न भागो में कृषि क्षेत्र में चल रहे "हरि क्रान्ति" का प्रभाव कृषि महिला श्रमिक परिवारो के कृषि कार्य पर बिलकुल नही पड़ा है। उसका कारण स्पष्ट है कुल परिवारो में 45 प्रतिशत परिवारो के कुछ मात्रा में भूमि है जिसमें से 32 प्रतिशत परिवार के पास सूखी भूमि है जो वर्षा पर निर्भर है और वर्षा की मात्रा पर आधारित है। इसके विपरीत इन परिवारो के स्त्री और पुरूष भूमिहीन कृषि मजदूरी के रूप में कृषि क्षेत्र और गैर कृषि क्षेत्र दोनो में कार्यरत है और कृषि क्षेत्र में कार्य करके हरित क्रान्ति के विचार को सार्थक बनाने में अपना योगदान कर रहे हैं।

:: निष्कर्ष ::

सम्पत्तियों के दृष्टिकोण के आधार पर यह कहा जा सकता है कृषि महिला के श्रमिक के परिवार बहुत ही गरीब है इनमें से बहुत ही बड़ी संख्या में परिवार भूमिहीन कृषि श्रमिक परिवार है। जिसके परिणाम स्वरूप कृषि कार्य में प्रयोग किये जाने वाले यंत्र और औजारों तथा ऐसे यंत्र और औजार जिनका प्रयोग कृषि के लिए होता है, रखने का प्रशन ही नही होता है। इसके अतिरिक्त उनके पास ऐसे पालतू पशुओं की संख्या अधिक नही जिनके द्वारा परिवार की आय में वृद्धि की जा सके। ऐसी स्थिति में कृषि महिला श्रमिकों का गरीबी के स्तर में रहना स्वाभाविक हो जाता है। ऐसी स्थिति में उनके पास आरामदायक और विलासिता की वस्तु पाना असम्भव है। लगभग 95 प्रतिशत

महिला श्रमिक परिवारो के पास साईकिल, घड़ी और स्कूटर, रेड़ियो, ट्रांजिस्टर, टी. वी. सेट कार तथा घरो में फर्नीचर इत्यादि नही पाये गये।

इसी प्रकार इन परिवारो में अधिकांश परिवार भूमिहीन परिवार थे। केवल 13 प्रतिशत परिवारो के पास सिंचित भूमि थी और 32 प्रतिशत परिवारो के पास सूखी भूमि थी। इनकी आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय है कि वो दूसरो से बटाई प्रथा या लीज के आधार पर भूमि प्राप्त कर सके। ऐसे व्यक्तियों की संख्या भी इस अध्ययन में बहुत ही कम पाई गई । गांव के कृषि भूमि अधिकांश गांव के प्रभावशाली व्यक्तियों के पास होती है।

उपरोक्त तथ्य इन परिवारों की कृषि श्रमिक आकस्मिक श्रमिक बने रहने के लिए बाध्य करते है। यहां तक कि परिवार के महिला सदस्यों को भी मजदूरी करने के लिए बाध्य करते हैं।

वित्तीय स्थिति

आय स्तर:

वर्तमान अध्याय में कृषि महिला श्रमिको के आय स्तर तथा आय स्त्रोतों की व्याख्या करना है इसके अंतर्गत विशेषकर (1) कृषि महिला श्रमिको की कुल आय तथा प्रति व्यक्ति आय को ज्ञात करना है। (2) कुल आय के आधार पर उन्हें विभिन्न आय गुण के अंतर्गत विभंजित करना है। (3) प्राप्त आय स्तर के आधार पर इन परिवारो के गरीबी स्तर का अनुमान लगाना है।

आय का स्तर एवं आय का ढांचा :

सर्वेक्षण से प्राप्त आंकडो के आधार पर विभिन्न परिवारो के औसत आय ज्ञात किया गया है। सारणी संख्या-8 से यह स्पष्ट है कि कृषि महिला श्रमिक परिवारो द्वारा प्रतिवर्ष औसत आय 5817 रूपये की आय अर्जित की जाती है। यद्यपि विभिन्न परिवारो द्वारा अर्जित की जाने वाली आय अलग अलग रही है। तथा इन परिवारो की स्तर में महत्वपूर्ण अन्तर रहा है। सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ो के आधार पर इन 833 कृषि महिला श्रमिक परिवारो को 3 वर्ग के अंतर्गत बांटकर अलग अलग औसत ज्ञात किये गये है। जिसे सारणी संख्या-8 मे स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या-8

कृषि महिला श्रमिको के आय स्तर

आय वर्ग	वार्षिक औसत आय (रू में)	परिवारो की संख्या	कुल परिवारो से प्रतिशत
4000 रू से कम	3224	379	47.0
4000 से 8000 रू तक	5743	405	49.7
8000 से ऊपर	10277	49	3.3
सभी वर्ग	5817	833	100

सारणी संख्या-8 से यह स्पष्ट है कि 40 प्रतिशत कृषि महिला श्रमिकों के पास वार्षिक औसत आय 3224 रू आती है जिसे पहले वर्ग या 4000 रू. से कम वार्षिक आय प्राप्त करने वाले परिवारो के अंतर्गत रखा गया है। 4000 से 8000 रू आय वर्ग के अंतर्गत 49.7 प्रतिशत परिवार आते है। जिनकी वार्षिक आय 5743 के करीब आती है और केवल 3.3 प्रतिशत परिवार ऐसे है जिनकी वार्षिक आय 8000 रूपये से अधिक आय वर्ग के अंतर्गत आती है। जिसका औसत 10277 आता है। यदि सम्पूर्ण दृष्टिकोण से विचार किया जाय तो सभी परिवारो की वार्षिक आय का औसत 5817 आता है।

वार्षिक औसत आय ज्ञात करने के लिए मासिक आय को आधार बनाया गया है और मासिक औसत आय ज्ञात करने के लिए कुल कृषि महिला श्रमिक परिवारो में से विभिन्न गांव में इन परिवारो के 20 प्रतिशत परिवारो के कैण्डम सैम्पलिंग के आधार पर चुनाव करके इन परिवारों में प्रत्येक 15 दिन में एक बार जाकर पिछले 75 दिनो में उनके द्वारा किये गये कार्य और उससे प्राप्त होने वाली आय को ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। 20 प्रतिशत के आधार पर यह संख्या 210 आती है। पर इन चुने हुए परिवारो में से केवल 200 परिवारो में केवल एक वर्ष तक प्रत्येक 15वें दिन या महीने में दो बार जाकर उनको प्राप्त होने वाली आय एवं किये गये रोजगार के सम्बन्ध में सूचनायें एकत्र की गई।

इस प्रकार 5 सैम्पुल में चुने गये 200 परिवारो के मासिक आय ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। वर्तमान अध्ययन के अंतर्गत कृषि महिला श्रमिकों के सामाजिक एवं आर्थिक दशाओं को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। इसलिए आय ज्ञात करने

के सम्बन्ध में कोई विशेष विधि का प्रयोग नही किया गया है। बल्कि प्रश्नों का उत्तर देने वाली कृषि महिला श्रमिको से पिछले 15 दिनो में लगभग प्राप्त होने वाली आय के बारे में पूछा गया। इस सम्बन्ध में नगद और वस्तु के रूप में प्राप्त होने वाली दोनो आमदनी को पूछा गया इस सम्बन्ध में उनके द्वारा प्राप्त होने वाली अय की सत्यता को किसी भी तरीके से ज्ञात करने का प्रयास नही किया गया अतः उन्होंने जो स्पष्ट किया। उसी को सही मानकर उसी के आधार पर व्याख्या की गई है। आय की व्याख्या करने के लिए आय सम्बन्धी प्राप्त आंकड़ों को आवश्यकतानुसार मासिक आय में परिवर्तित कर दिया गया। इस सम्बन्ध में उनके द्वारा किये गये कार्यो के प्रकृति पर विचार नही किया गया। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जा सकता है कि आय के सम्बन्ध में महिला श्रमिको द्वारा स्वैच्छिक रूप से जो रकम बताई गई उसी को आधार माना गया। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जा सकता है कि कृषि महिला श्रमिको द्वारा आय के सम्बन्ध कोई विशेष रिकार्ड नहीं रखा जाता है और वे आय के सम्बन्ध में कोई विस्तृत जानकारी ही न दे सकी है। इस सम्बन्ध में जब वे आय के सम्बन्ध में नही बता सकी तो उनके द्वारा किये गये व्यय के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया।

"फील्ड सर्वेक्षण के दौरान ऐसा अनुभव किया गया कि परिवार की आय सम्बन्धी प्रश्नों का उत्तर देने में आय को कम स्पष्ट करने की प्रवृति पाई गई। क्योंकि मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार का डर बना हुआ था कि आय स्पष्ट करने पर सरकार द्वारा उनकी आय पर कर लगाया जा सकता है या सरकार से मिलने वाली सहायता कम हो जायेगी या बन्द हो जायेगी। जैसा कि यह स्पष्ट किया जा चुका है कि एक बड़ी संख्या में कृषि महिला श्रमिक भूमिहीन परिवार से सम्बन्धित है। इसलिए वे दूसरो

के खेतो पर मजदूरी करके आय प्राप्त करती है और ऐसा भी पाया गया कि उन्हें कृषि में वर्ष भर रोजगार प्राप्त नही होता है जो महिला श्रमिक कृषि आकस्मिक श्रमिक के रूप में कार्य करती है उसमें लगभग 80 प्रतिशत महिला के वर्षभर कार्य नही मिल पाता है। इसके अतिरिक्त इन महिला श्रमिको को प्राप्त होने वाली मजदूरी कार्य की प्रकृति, मौसम, लिंग तथा आयु वर्ग पर निर्भर है। इन तथ्यों को ध्यान में रखकर मासिक आय ज्ञात की गई। सैम्पुल परिवारो के मासिक आय को विभिन्न वर्गो में बांटा गया लगभग 73 प्रतिशत परिवारो की मासिक आय 2000 या उससे कम रही है2 27.9 प्रतिशत परिवारो की मासिक आय 1000 से 1500 रू मासिक आय प्राप्त करने वाले वर्ग में थे। इसके अतिरिक्त 5 प्रतिशत परिवार 500 से 1000 रूपये के बीच के वर्ग में आते है। लगभग 9.2 प्रतिशत कृषि महिला श्रमिक के परिवार 500 रूपये से कम आय वर्ग में आती है। इन परिवारो के आय वर्ग में बांटकर इनकी संख्या को सारणी संख्या-9 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या-9
आय वर्ग के अनुसार परिवारो का विभाजन

आय वर्ग	परिवारो की संख्या	कुल में प्रतिशत
500 से कम	18	9.21
501-1000	41	20.54
1001-1500	56	27.92
1501-2000	32	16.07
2001-2500	16	7.69
2501-3000	9	4.60
3001-3500	9	4.60
3501-4000	4	2.10
4001-4500	11	5.50
4501 से अधिक	4	1.87
योग	200	100

कृषि श्रमिकों द्वारा कृषि क्षेत्र में विभिन्न रूपो में कार्य किया जाता है। इनके द्वारा प्राप्त की जाने वाली आय लगभग 33 प्रतिशत आय कृषि में स्थायी रूप से कार्य करने में प्राप्त होती है। तथा 41 प्रतिशत आय कृषि क्षेत्र के रूप में आकस्मिक श्रमिक के रूप में कार्य करने को प्राप्त होती है। यदि विभिन्न आय समूह के परिवारो पर अलग अलग विचार किया जाय तो यह स्थिति अलग अलग स्पष्ट होती है। निम्न आय वर्ग जिसे ए.बी.सी. में बांटा गया है। ए और बी वर्ग के परिवार अपनी अपनी अधिक आय कृषि क्षेत्र में आकस्मिक रूप से आय प्राप्त करते हैं। सी आय वर्ग में परिवारअपने आय का बड़ा भाग स्थाई रूप से कार्य करके प्राप्त करते हैं।

इस अध्याय में कृषि महिला श्रमिक परिवारो को तीन आय वर्ग के अंतर्गत बांटागया है। (1) 4000 रूपये से कम आय वर्ग के परिवार (2) 4000 से 80000 के बीच के परिवार (3) 80000 रूपये से अधिक आय के परिवार। इन्हें व्याख्या में क्रमशः ए. बी. सी. के नाम से स्पष्ट किया गया है।

ए तथा बी वर्ग के परिवारो द्वारा क्रमशः 69 और 5.7 प्रतिशत आय आकस्मिक श्रमिक के रूप में कार्य करके प्राप्त की जाती है जबकि दूसरी ओर सी वर्ग आय के परिवारो द्वारा कृषि क्षेत्र में आकस्मिक श्रमिक रूप में कार्य करके। 44 प्रतिशत आय प्राप्त की जाती है। जबकि दूसरी ओर स्थाई रूप से कृषि क्षेत्र में कार्य करनक के सम्बन्ध में स्थिति बिल्कुल उल्टी है। ए और बी आय वर्ग के परिवारो के द्वारा कृषि क्षेत्र में स्थाई श्रमिक के रूप में कार्य करके कुल आय का क्रमशः 31 प्रतिशत तथा 43 प्रतिशत आय प्राप्त की गई थी। जबकि सी आय वर्ग के परिवारो द्वारा कृषि

क्षेत्र में स्थाई श्रमिक के रूप में कार्य करके कुल आय का 56 प्रतिशत भाग प्राप्त किया गया था। औसत के रूप में यह कहा जा सकता है कि कृषि महिला श्रमिकों द्वारा अपनी आय का 44 प्रतिशत आय कृषि क्षेत्र में कार्य करके प्राप्त की गई थी।

आय की संरचना पर विचार करने का एक दूसरा तरीका नगर और वस्तु के रूप में प्राप्त होने वाली मात्रा को आधार बनाकर उस पर विचार किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि कृषि क्षेत्र में कार्य करने पर लगभग 61 प्रतिशत आय नगद रूप में प्राप्त हुई है। यही स्थिति विभिन्न वर्ग (ए बी सी) के सम्बन्ध में रही है। ए आय वर्ग के परिवारो को प्राप्त कुल आय का 63.77 प्रतिशत भाग नगद के रूप में प्राप्त हुआ था। जबकि बी आय वर्ग के परिवारो द्वारा उनकी कुल आय का 59.39 / 3 प्रतिशत तथा सी आय वर्ग के कुल आय का 61.80 प्रतिशत भाग नगद रूप प्राप्त हुआ था। कृषि क्षेत्र के स्थाई तथा आकस्मिक आय के ढांचे में कोई गुणात्मक अंतर नहीं है। क्योंकि सभी आय वर्ग के परिवारों द्वारा चाहे स्थाई श्रमिक के रूप में आकस्मिक श्रमिक के रूप मे कार्य किये हुए है। उनके द्वारा आय का अधिक भाग नगद रूप में प्राप्त किया गया था। इसे सारणी संख्या-10 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या-10

कृषि महिला श्रमिको की मजदूरी से प्राप्त

आय की संरचना

(मजदूरी आय प्रतिशत के रूप में)

आय के स्रोत	ए	बी	सी	सम्पूर्ण आय वर्ग
1. कृषि में स्थाई श्रमिक के रूप में कार्य करने से प्राप्त आय।				
अ) नगद	19.53	23.83	32.40	25.60
ब) वस्तु के रूप में (अनाज)	11.25	18.85	23.26	18.76
	30.78	**42.68**	**55.66**	**44.36**
खरीफ फसल				
2. आकस्मिक श्रमिक के रूप में प्राप्त आय (प्रतिशत में)				
अ) नगद रूप में	19.62	14.93	12.34	15.06
ब) वस्तुओ के रूप में	16.14	13.57	9.75	13.03
	35.76	**28.82**	**22.09**	**28.09**
3. रबी फसल				
अ) नगद	24.62	20.58	17.06	20.28
ब) वस्तुओ के रूप में	8.84	7.92	5.19	7.27
	33.46	**28.50**	**22.25**	**27.55**
योग	100	100	100	100
नगद	63.77	59.39	61.80	60.94
वस्तु	36.23	40.61	38.20	39.06

सारणी संख्या दस से यह बात स्पष्ट है कि विभिन्न आय वर्ग की महिला श्रमिकों की आय की संरचना में समानता है। कृषि महिला श्रमिको के श्रमिक होने के कारण उनकी आय का मुख्य स्रोत श्रम द्वारा मजदूरी प्राप्त करना है। विभिन्न आय वर्ग की कृषि महिला श्रमिको की आय संरचना में गुणात्मक अंतर है। सी आय वर्ग की कृषि महिला श्रमिकों द्वारा मजदूरी के रूप में स्थाई श्रमिक के रूप में कार्य करके अधिक आय प्राप्त करने में समर्थ है। क्योंकि उन्हें एक तरह से रोजगार की गारन्टी प्राप्त होती है। कृषि श्रमिक परिवारो को मजदूरी के रूप में प्राप्त होने वाली आय कई तथ्यों पर आधारित है। उदाहरण के लिए मजदूरी की दर रोजगार की समय अवधि तथा परिवार में कमाने वालो की संख्या आदि सी आय वर्ग की कृषि महिला श्रमिको की आय दूसरे आय वर्ग महिला श्रमिको की तुलना में अधिक इसलिए है क्योंकि उन्हें कृषि में स्थाई श्रमिक के रूप में एक लम्बे समय तक रोजगार प्राप्त होता है। विभिन्न आय वर्ग की कृषि महिला श्रमिको के मजदूरी दर में नाममात्र का अंतर है जो निम्न आय वर्ग की महिलाओ के प्रतिकूल नहीं है। उच्चत्तम आय वर्ग की महिला श्रमिक परिवारो में आय अर्जित करने वाले श्रमिकों की संख्या तथा उनपर आश्रित रहने वाली व्यक्तियों की संख्या निम्न आय वर्ग की महिला श्रमिकों की तुलना में अधिक है। अतः मजदूरी की मात्रा आय अर्जित करने वाले की संख्या तथा रोजगार की अवधि दोनो के अधिक होने के कारण उच्च आय वर्ग में अधिक और निम्न आय वर्ग में कम होती है।

:: प्रति व्यक्ति आय ::

कृषि महिला श्रमिकों की कुल आय तथा आय संभावना की व्याख्या करने के पश्चात प्रति व्यक्ति आय पर विचार किया जा सकता है। सैम्पुल में चुनी गई कृषि महिला श्रमिक परिवारों का औसत आकार छः सदस्यों का आता है। विभिन्न आय वर्ग

में विभाजित कृषि महिला श्रमिकों के परिवार अलग अलग रही है। सी आय वर्ग की कृषि महिला परिवारो का आकार 8 सदस्यों का आता है। बी और ए आय वर्ग के महिला श्रमिकों के परिवारों का आकार छः और 5 क्रमशः आता है। विभिन्न आय वर्ग के परिवार में भिन्नता होने के कारण इन परिवारो के प्रति व्यक्ति आय पर विचार करना आवश्यक होता है। सारणी संख्या-।। में विभिन्न आय वर्ग की कृषि महिला श्रमिक के परिवारो के औसत प्रति व्यक्ति आय को स्पष्ट किया गया है। कृषि महिला श्रमिको के परिवारो की औसत प्रति व्यक्ति आय 989 रू आती है पर विभिन्न आय वर्ग के परिवारो पर अलग अलग विचार करने पर यह अलग अलग आती है। सी आय वर्ग या उच्चतम आय वर्ग की कृषि महिला श्रमिक परिवारों की प्रति वयक्ति आय 1313.34 रू है जबकि बी या मध्यम आय वर्ग और ए या निम्न आय वर्ग के परिवारो की औसत प्रति व्यक्ति आय क्रमशः 976.72 रूपये तथा 684.58 रूपये औसत प्रति व्यक्ति आय थी। प्रति व्यक्ति आय के ढांचे की संरचना औसत प्रति व्यक्ति आय के ही समान है। पर जब इसपर तुलनात्मक रूप से विचार किया जाता है तब औसत प्रति व्यक्ति आय तथा विभिन्न आय वर्ग के औसत परिवार की आय में अंतर पाया गया। उच्चतम आय वर्ग की प्रति व्यक्ति आय । न्यूनतम आय वर्ग के आय वर्ग की तुलना में 1.92 गुना अधिक रही है। जबकि दूसरी ओर अधिकतम आय वर्ग के परिवार की औसत आय निम्न आय वर्ग के परिवार के औसत आय की तुलना में 3.17 गुना अधिक रही है। विभिन्न आय वर्ग के व्यक्ति आय के स्रोतो में भी महत्वपूर्ण अंतर रहा है। यद्यपि परिवार की आय में वृद्धि परिवार के आकार में वृद्धि के कारण होती है। इसके साथ प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि स्पष्ट होती है। कृषि महिला श्रमिक परिवारो द्वारा अर्जित की जाने वाली आय को सारणी संख्या-।। में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या-11

कृषि महिला श्रमिक परिवारो की प्रति व्यक्ति आय (रूपये में)

आय के स्रोत	ए	बी	सी	सभी आय वर्ग के लिए
1. कृषि में स्थाई श्रमिक के रूप में कार्य करने पर प्राप्त आय				
अ) नगद	115.78	169.42	302.17	188.58
ब) वस्तु	66.70	134.05	216.83	138.16
	182.48	303.47	519.00	326.74
2. रबी फसल कृषि में आकस्मिक श्रमिक के रूप में कार्य करने से प्राप्त आय:				
अ) नगद	116.34	106.55	115.00	110.90
ब) वस्तु	95.67	98.36	90.9	96.00
	212.01	204.91	206.90	206.90
3. खरीफ फसल आकस्मिक श्रमिक के रूप में कार्य करने से प्राप्त आय				
अ) नगद	145.95	146.42	159.10	149.38
ब) वस्तु	52.47	56.27	48.39	53.54
	198.42	202.69	207.49	202.92

कृषि महिला श्रमिको की गरीबी का प्रारूप

गरीबी शब्द का अर्थ किसी व्यक्ति द्वारा एक वांछनीय रहन सहन के स्तर के लिए न्यूनतम आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करने के असमर्थता से लगाया जा सकता है। दूसरे शब्दो में यह कहा जा संकता है कि एक वांछनीय रहन सहन के स्तर पर कोई परिवार या व्यक्ति उस रहन सहन के स्तर को आय के अभावम े पूरा करने में असमर्थ रहता है या उसके आवश्यक न्यूनतम आवश्यकता को पूरा नही कर पाता है तो उस व्यक्ति या परिवार को गरीब कहा जा सकता है। इस वांछनीय न्यूनतम रहन सहन के स्तर के नीचे जो व्यक्ति या परिवार रहते है उन्हें गरीबी के रेखा के नीचे रहने वाले परिवार कहा जाता है। डाडेकर और राठ ने गरीबी की रेखा को व्यय के रूप में 180 रूपया प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष व्यय को 1960-61 के कीमतों के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए निश्चित किया था।[1] सन 1980-81 वर्ष के लिए गरीबी की रेखा को सामान्य उपभोक्ता सूचकांक के आधार पर रेखा 736.20 पैसे प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आती है। इस आय का जिन कृषि श्रमिक परिवारों की आय 736.20 पैसे से कम रही है उन्हें गरीबी की रेखा के नीचे माना गया है। इसके अतिरिक्त समय समय पर गरीबी की रेखा के लिए निश्चित की गई धनराशि में परिवर्तन होता रहा है। सातवीं पंचवर्षीय योजनाओं में 6000 रू से कम आय के ग्रामीण क्षेत्र के परिवारो को गरीबी के रेखा पर माना गया था इसी प्रकार आठवीं पंचवर्षीय योजना में 11400 रूपये प्रतिवर्ष

---

1. V.M. Dandokar and N. Rath, Poverty in India, Indian School of Political Economy (Pune 1971).

2. Reserve Bank of India, Reserve Bank of India Bulletin (Bombay 1982).

आय वाले परिवारों को गरीबी की रेखा पर माना गया है। वर्तमान अध्ययन में सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अध्ययन के लिए चुनी गई कृषि महिला श्रमिक परिवारो की आय सातवीं पंचवर्षीय योजना में निर्धारित मानदण्ड को आंशिक रूप से पूरा करती है। पर इस अध्ययन में कृषि महिला श्रमिकों को निम्न मध्यम और उच्च आय वर्ग की श्रेणी में विभाजित करने के लिए 4000 रू तक वार्षिक आय के परिवारों को निम्न आय वर्ग (ए), 4000 से 8000 रूपये प्राप्त करने वाले को मध्यम वर्ग (बी) और 8000 रू से अधिक वार्षिक आय वाले परिवार को उच्च आय वर्ग (सी) में रखा गया है। इस दृष्टिकोण से इन विभिन्न आय वर्ग के परिवारो में बहुत अंतर है। न्यूनतम आय वर्ग के अंतर्गत 53.16 प्रतिशत परिवार तथा मध्यम आय वर्ग के 14.88 प्रतिशत परिवार इस न्यूनतम आय स्तर के नीचे आय प्राप्त करने वाले थे और उच्च आय स्तर वर्ग के अंतर्गत कोई भी परिवार गरीबी की रेखा के नीचे सांतवी पंचवर्षीय योजना के मानदण्डो के नीचे नही है। गरीबी के रेखा के नीचे रहने वाले सभी परिवार को समान रूप से गरीब नही माना जाता है। क्योंकि प्रतिशत के आधार पर ज्ञात करने की प्रणाली सामान्य प्रमुख काउन्टिंग विधि पर आधारित है क्योंकि इसके अंतर्गत किसी परिवार के आय के कम होने पर विचार नही किया जाता है। जिसके कारण वह परिवार गरीबी की रेखा के नीचे आ जाता है। गरीबी रेखा को ज्ञात करने की यह प्रणाली सेन द्वारा स्पष्ट की गई है।[3] अतः सेन की इस विचारधारा पर संक्षेप में विचार करना आवश्यक हो जाता है।

---

3. A'Sen - "Poverty An ordinal approachto measurement Econonoctrica Vol. 44 No. 2, March 1976.

सेन की गरीबी मापने की प्रणाली

सेन की गरीबी मापने की प्रणाली गिनी के मापक से बहुत कुछ मिलती जुलती है। गिनी प्रणाली के अंतर्गत कोटि अंतर भार (रैंक आर्डर वेट्स) का प्रयोग गरीबी मापने के लिए किया गया है। जिसके अंतर्गत किसी परिवार के गरीबी की रेखा के नीचे के आय गरीबी की रेखा के स्तर के बीच अंतर को स्पष्ट किया जाता है। अतः इसके अंतर्गत प्रति इकाई आय को अधिक महत्व प्रदान किया जाता है। जो गरीबी की रेखा के नीचे होती है। गरीबी की रेखा के नीचे के परिवारो के संख्या कमी जाती है जैसे जैसे यह अंतर कम होता जाता है। पर जब उच्च आय वर्ग से निम्न आय वर्ग के परिवारों को आय का हस्तान्तरण होता है। तो इस प्रकार के हस्तांतरण को इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। क्योंकि इसके अंतर्गत केवल उन्ही स्थितियों पर विचार किया जाता है। क्योंकि इसके अंतर्गत केवल उन्हीं स्थितियों पर विचार किया जाता है। जिसके अंतर्गत गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले कुछ परिवार कल्याणकारी योजनाओं के कारण गरीबी की रेखा के ऊपर उठ जाते हैं। सेन द्वारा इस प्रणाली में भारप्रणाली अपनाने के कारण इस समस्या से छुटकारा मिल जाता है। सेन के गरीबी मापने के प्रणाली के अंतर्गत केवल गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्ति की संख्या पर ही विचार किया जाता है। बल्कि इन परिवारों की आय गरीबी की रेखा की आय से कितनी कम है। इस पर भी विचार किया जाता है। इसके अंतर्गत जिस परिवार की आय गरीबी की रेखा के स्तर के आय से जितनी ही अधिक कम होती है उसे उतना ही अधिक भार प्रदान किया जाता है। इस प्रकार सेन के गरीबी मापने के प्रणाली गिनी के विधि से दो रूपो में अलग हो जाती है। (ए) ऐसे लोगो की संख्या से सेन की प्रणाली सम्बन्धित है। जो गरीबी की रेखा के नीचे होते हैं। (बी) गरीबी की रेखा के स्तर

और परिवार के आय के स्तर के बीच के अंतर को उसने की विधि के अंतर्गत ज्ञात किया जाता है। जबकि गिनी की प्रणाली के अंतर्गत केवल विवरण के औसत आय पर विचार किया जाता है।

सेन के गरीबी के मापक को निम्न सूत्र द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है।

$$P = \frac{(Z)}{(q+1)\ nz} \quad \sum_{S=1}^{P} (Z-yi) \quad (q + 1-S)$$

P गरीबी की माप है।

n जनसंख्या का आकार

Y s उन व्यक्तियों के आय स्तर को स्पष्ट करता है जिन्हें आय स्तर के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में लगाया गया है।

q गरीबी के रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या

Z गरीबी का स्तर

डा. ज्ञान सिंह ने अपने अध्ययन के पंजाब के कृषि श्रमिकों के गरीबी स्तर को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्पष्ट किये गये 736.20 रूपये के स्तर पर सेन द्वारा दिये सूत्र के आधार पर मापा है।[4]

यदि सेन के ही मापक का प्रयोग इस अध्ययन में किया जाय तो सातवीं पंचवर्षीय योजना में दिये गये मापक के गरीबी के मापदण्ड के आधारपर कृषि महिला श्रमिकों के 47 प्रतिशत निश्चित रूप से गरीबी की रेखा के नीचे आते हैं। क्योंकि इन परिवारों की आय 4000 रू प्रतिवर्ष से कम रही है। इसके अतिरिक्त 4000 से 8000 आय स्तर के बीच 49.7 प्रतिशत कृषि महिला श्रमिक परिवार वर्गीकृत किये गये हैं जबकि सातवीं योजना में गरीबी के रेखा का स्तर 6000 रूपये माना गया था। अतः इनमें से आधे परिवार को यदि 6000 रू. के स्तर के नीचे मान लिया जाय तो लगभग 70 प्रतिशत कृषि महिला श्रमिक के परिवार गरीबी की रेखा के नीचे आते हैं।

सर्वेक्षण में प्राप्त आंकड़ों के आधार पर विभिन्न आय वर्ग की कृषि महिला श्रमिकों की गरीबी के प्रारूप को सारणी संख्या ग्यारह (ए) में सपष्ट किया गया है।

सारणी संख्या-11(ए)

सेन के गरीबी मापक के आधार पर प्रति व्यक्ति आय स्तर

विवरण	ए	बी	सी	सभी वर्ग
1. गरीबी की रेखा के नीचे के व्यक्तियों का अनुपात	53.16	14.48	-	23.08
2. गरीबी की रेखा के नीचे के व्यक्तियों की प्रति व्यक्ति आय	537.82	627.02	-	567.57
3. गरीबी मापक. (सेन का गरीबी मापक)	0.236	0.048	0.056	

सारणी संख्या-11(ए) से स्पष्ट है कि गरीब व्यक्तियों का अनुपात-ए आय वर्ग में सबसे अधिक है। जो 53.16 प्रतिशत है जो कि बी आय वग्र में 14.48 है लेकिन गरीबी की रेखा के नीचे वाले व्यक्तियों में प्रति व्यक्ति औसत आय बी आय वर्ग में ए आय वर्ग की तुलना में अधिक है। जिसके परिणामस्वरूप सेन द्वारा दिया गरीबी मापक गरीबी गुणांक ए आय वर्ग के लिए 0.236 तथा बी आय वर्ग के लिए 0.048 है तथा सभी परिवारो पर एक साथ विचार करने के बाद सम्पूर्ण रूप से कोष महिला श्रमिक परिवारों के लिए सेन का गरीबी गुणांक 0.056 आता है।

ऋण ग्राहृता

कृषि महिला श्रमिकों से उनके तथा उनके परिवार के सदस्यों द्वारा लिए गये ऋण के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। अधिकांश महिलाओं ने इस बात को स्पष्ट किया कि वे अधिकांशतः उन्हीं महाजनों से या गांव के भूस्वामियों जिनके यहां वे या उनके घर के अन्य सदस्य कार्य करते हैं। ऐसे परिवारों की संख्या कुल संख्या का 38.7 प्रतिशत रहा है। बैंक और सहकारी समितियों से ऋण प्राप्त करने की बात केवल 6 प्रतिशत महिला परिवारों द्वारा स्पष्ट किया गया। इसके अतिरिक्त 2.5 प्रतिशत लोगो का विचार था कि आपसी लेनदेन, दोस्तों से ऋण लेना रिश्तेदारों से ऋण लेने की तुलना में अधिक उपयुक्त समझे गये। 2.5 प्रतिशत महिला परिवारों का जवाब यह था कि वे किसी भी स्रोत से ऋण प्राप्त कर सकती हैं जहां से समय पर प्राप्त हो जाय। सर्वेक्षण में यह पाया गया कि 45.9 प्रतिशत कृषि महिला परिवारों में यह स्पष्ट किया गया कि उनके परिवार द्वारा किसी से भी ऋण नहीं लिया गया पर इसका अर्थ यह नही है

है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रही है बल्कि कारण यह रहा है कि उनमें से अधिकांश परिवारों द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि उनके द्वारा किसी भी स्त्रोत से ऋण नहीं प्राप्त किया जा सका है। क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं था जिसे सुरक्षा देकर ऋण प्राप्त किया जा सके तथा न ही वे इसके लिए अपने रिश्तेदारों से व दोस्तों पर निर्भर हो सकते थे। इस स्थिति को सारणी संख्या - 12 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या-12

ऋण के स्त्रोत

क्र0सं0	स्त्रोत	परिवारो की संख्या	प्रतिशंत
1.	बैंक	36	4.4
2.	सहकारी समिति	34	34.1
3.	महाजन	310	37.00
4.	सगे सम्बन्धी	5	0.7
5.	दोस्त	12	1.9
6.	अन्य	4	0.5.
7.	लागू नही होता या कोई ऋण नही लिया	361	46.1
8.	भूस्वामी	25	3.1
9.	बैंक/सहकारी समिति/ व महाजन	30	3.6
	योग	833	100.00

लगभग आधे परिवार या 25 प्रतिशत परिवार जिन्होंने ऋण लिया था उनपर प्रतिवार ऋण 2500.00 रूपये से अधिक रकम नहीं थी। बहुत से परिवारों द्वारा बहुत अधिक मात्रा में ऋण नहीं लिया गया पर ऋण पर ली जाने वाली ब्याज की दर के अधिक होने के कारण ऋण में ली जाने वाली रकम क्रमशः बढ़कर कई गुनी हो जाती है। एक बार जो ऋण के जाल में फँस जाते हैं उनका बाहर निकलना कठिन होता है। अधिकतर नये ऋण पुराने ऋणों का भुगतान करने के लिए लिया जाता है। इन परिवारों का लेनदेन अधिकांशतः महाजनों के साथ रहता है। जिसके ऋण के ब्याज की दर प्रायः बहुत अधिक होती है ऐसी स्थिति में ऋण के पूरी अदायगी हमेशा कठिन या स्वप्न मात्र रह जाता है। ऐसे भी उदाहरण मिले हैं जिसमें इन परिवारों द्वारा अपनी भूमि पर कृषि की जाती है उसका स्वामित्व भी महाजन के हाथ होता है। कुछ परिवारों द्वारा जो भूमि सरकार द्वारा इन्हें दी गई थी उसे भी या तो गिरवी रख दिया गया है या बेच दिया गया है। इस स्थिति को सारणी संख्या-13 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या-13

कृषि महिला परिवारों द्वारा
ली गई ऋण की रकम

रकम (रूपये में)	परिवार	प्रतिशत
100-500 238	238	28.6
500-1000 112	112	13.4
1000-2500 383	383	10.8
2500-5000 10	10	1.2
लागू नहीं होता है कोई ऋण नही है	90	46.0
योग	833	100.00

ऋण प्रायः विश्वास पर ही प्राप्त किया जाता है। विश्वास के आधार पर ऋण 33.3 प्रतिशत परिवारों ने ऋण प्राप्त किया था इसके अतिरिक्त 10.9 प्रतिशत परिवारों ने अपनी भूमि ऋण प्राप्त करने के लिए सुरक्षा के रूप में रखा था। इसके अतिरिक्त 2.4 प्रतिशत परिवारों ने प्रतिज्ञापत्र (प्रोमेशरी नोट) के आधार पर ऋण प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त मकान, घरेलू वस्तुओं जैसे जेवरात आदि को सुरक्षा के रूप में रखना बहुत ही कम रहा है। विश्वास के आधार पर अधिक लोगों द्वारा ऋण प्राप्त करना उनकी कमजोर आर्थिक स्थिति को स्पष्ट करता है। ऋण की रकम तथा उसके लिए सुरक्षा देना दोनो एक दूसरे से आपस में सम्बन्धित है। जिन परिवारों द्वारा थोड़ी रकम ऋण के रूप में प्राप्त की गई थी उनकी संख्या लगभग आधी थी इसके अतिरिक्त जिन लोगों ने कोई सुरक्षा नहीं दी उनकी भी संख्या अधिक रही है। लगभग 10 प्रतिशत परिवारों ने अपनी भूमि को सुरक्षा के आधार पर 2500 रूपये से अधिक का ऋण प्राप्त किया था।

इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जब इन परिवारों को केवल विश्वास के आधार पर ऋण दिया जाता है तो उनकी स्थिति का शोषण होना स्वाभाविक है। यद्यपि इनके द्वारा ली गई ऋण की मात्रा थोड़ी है पर यह ऋण अदायगी नहीं हो पाता है। इसका मुख्य कारण यह हे कि वे जो अपना श्रम अपने महाजन के यहां मजदूरी के आधार पर किया जाता है उसकी कीमत बहुत कम निश्चित की जाती है। इस स्थिति को सारणी संख्या-14 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या-14

ऋण के लिए दी गई सुरक्षा

क्र0सं0	सुरक्षा के प्रकार	परिवार की संख्या	प्रतिशत
1.	भूमि	91	10.9
2.	मकान	5	0.7
3.	जेवरात	1	0.12
4.	विश्वास	278	33.4
5.	प्रोनोट	20	12.5
6.	मजदूरी/श्रम	5	0.5
7.	घरेलू वस्तुएं	1	0.1
8.	लागू नहीं होता/कोई ऋण नही है	383	45.9
9.	भूमि/जमीन/विश्वास/ प्रोनोट	49	5.8
	योग	833	100.00

यदि ऋण प्राप्त करने के उद्देश्यों पर विचार किया जाय तो यह बात स्पष्ट होती है कि सामाजिक धार्मिक कारण मुख्य रूप से महत्वपूर्ण रहा है। लगभग 43.2 प्रतिशत परिवारों ने सामाजिक कार्यों जैसे विवाह और मृत्यु के कार्यों के लिए ऋण लिया था इससे यह स्पष्ट होता है कि इन परिवारो में अभी भी परम्परागत विचारों की प्रधानता है। अतः यह कहा जा सकता है कि समाज के निम्न जाति वर्णों का

झुकाव अभी भी परम्परागत विचारों एवं रूढ़िवादियों के प्रति अधिक है। दूसरी ओर इन्हें सभी सामाजिक दायित्वों को पूरा करना आवश्यक होता है जिसके लिए व्यय करना आवश्यक तथा अनिवार्य हो जाता है जिसके लिए उन्हें महाजनों के पास जाना उनकी बाध्यता होती है। केवल 4.5 प्रतिशत परिवारों ने अपनी भूमि को सुधारने के लिए ऋण लिया है तथा 1.5 प्रतिशत परिवारो में बैल तथा कृषि के लिए आवश्यक यंत्रों की खरीद के लिए ऋण लिया था। 2.6 प्रतिशत परिवारों ने मकान निर्माण या मकान के लिए भूमि खरीदने के लिए भूमि खरीदने के लिए ऋण लिया गया था तथा 0.3 प्रतिशत परिवारों ने अपने बच्चों की शिक्षा के लिए ऋण लिया था। लगभग 0.7 प्रतिशत परिवारों ने अपने परिवार के सदस्यों के बीमारी का इलाज कराने के लिए ऋण लिया था जिसे सारणी संख्या-15 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या-15

ऋण के उद्देश्य

क्रमांक	उद्देश्य	परिवारों की संख्या	प्रतिशत
1.	भूमि सुधार/कुआं खोदना	38	4.6
2.	व्यवसाय	2	0.2
3.	बैंल/यंत्र खरीदना	13	1.6
4.	विवाह/मृत्यु/घरेलू परेशानियां	361	43.3
5.	बीमारी	6	0.7
6.	मकान बनाना/भूमि खरीदना	21	2.6
7.	बच्चों की शिक्षा	3	0.3
8.	अन्य	2	0.2
9.	लागू नही होता	383	45.9
10.	कोई ऋण नही है।	5	0.6
	योग	833	100.0

उपरोक्त से यह स्पश्ट है कि कृषि महिला श्रमिकों के परिवारों द्वारा मुख्यतया सामाजिक-धार्मिक कार्यो के लिए ऋण लिया गया है और ऐसे अवसरों पद प्रायः थोड़ी रकम की आवशयकता होती है। उनके पास उनके श्रम के अतिरिक्त अन्य कोई भी संसाधन नहीं है ऋणों का वापस करना कठिन हो जाता है। इनमें से अधिकांश परिवार प्रायः अर्ध भुखमरी की स्थिति में है अतः वे ऋण के ब्याज का ही भुगतान कठिनाई से कर पाते हैं और ऋण देने वाले भूसवामी/महाजन उनसे केवल ब्याज के भुगतान की बात करते हैं। समय के दृष्टिकोण से विचार करने पर यह ज्ञात होता है कि 31.0 प्रतिशत परिवारों ने गत तीन वर्षो के पूर्व ऋण लिया था। इसके अतिरिक्त 13.6 प्रतिशत परिवारों ने 4 से 6 वर्ष पूर्व ऋण लिया था तथा 6 प्रतिशत परिवारों ने 7 या उससे अधिक वर्षो पहले ऋण लिया था। सामान्तया महाजन बहुत अधिक समय तक ऋणों को चलने नही देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इन परिवारों द्वारा तुलनात्मक रूप से थोड़ी रकम का ऋण लिया जाता है। जिन परिवारों द्वारा 7 वर्ष पहले ऋण लिया गया था उनके द्वारा अपनी भूमि सुरक्षा के रूप में रखा गया था पर वे ऋण की अदायगी नही कर पा रहे हैं।

इसी प्रकार यदि ब्याज की दर पर विचार किया जाय तो यह कहा जा सकता है कि इन परिवारों द्वारा आयी ब्याज की दर देना पड़ता है यहां तक कि ऋण प्राप्तकर्ता परिवारों में लगभग आधे परिवारों को 19 प्रतिशत तक ब्याज देना पड़ता है। अन्य 12 प्रतिशत परिवारों द्वारा 10 से 18 प्रतिशत तक ब्याज की दर का भुगतान किया है तथा 1.1 प्रतिशत परिवारों को 1 से 5 प्रतिशत ब्याज की दर देना पड़ता है। 4.9 प्रतिशत परिवारों द्वारा 6 से 9 प्रतिशत ब्याज की दर दी है तथा 6.4 प्रतिशत परिवारों द्वारा कोइ्र भी ब्याज की दर का भुगतान नहीं किया था। यह एक लाभदायक स्थिति

नही है बल्कि उन्होंने यह स्पष्ट किया था कि इस ऋण के बदले उन्हें ऋणदाता के यहां बिना कोई मजदूरी प्राप्त किये ही काम करना पड़ता है जिसे सारणी संख्या-16 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या-16

ऋणों पर दी जाने वाली ब्याज की दर

क्र.सं.	ब्याज की दर	परिवार की संख्या	प्रतिशत
1.	कोई ब्याज की दर नही	53	6.4
2	1 से 3 प्रतिशत	3	0.4
3.	3 से 5 प्रतिशत	8	0.9
4.	6 से 9 प्रतिशत	42	5.0
5.	10 से 14 प्रतिशत	69	8.3
6.	15 से 18 प्रतिशत	32	3.9
7.	19 प्रतिशत से अधिक	202	24.2
8.	लागू नही होता या कोई ऋण नही लिया है।	382	45.9
9.	वस्तुओ के रूप में	42	5.0
	योग	833	100.0

ऋणों पर ऊँची ब्याज की दर का देना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है क्योंकि इन परिवारों द्वारा अधिकांशतः महाजनों द्वारा ऋण लिया जाता है जिसमें उन्हें

कोई भी वस्तु सुरक्षा के रूप में नही रखना पड़ता है। ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक है कि ऐसे ऋणों पर ऊँची ब्याज की दर देनी पड़ सकती है।

कृषि श्रमिक महिला परिवारों की गरीबी की स्थिति को ऋणों के अदायगी के प्रारूप पर विचार करके स्पष्ट किया जा सकता है। 55 प्रतिशत ऋणी परिवारों से 42.0 प्रतिशत परिवारों ने यह स्पष्ट किया कि ऋणों की कोई भी रकम वापस नहीं कर सके हैं। केवल 4.3 प्रतिशत परिवारों द्वारा लिए गये ऋण का चौथाइ हिस्से की अदायगी की जा सकी है। जबकि 2.3 प्रतिशत ऋणी परिवारों ने प्राप्त किये गये ऋणों के आधे भाग का भुगतान कर चुके थे तथा 1.4 प्रतिशत परिवारों ने प्राप्त किये ऋण के तीन चौथाई भाग की अदायगी कर सके थे। ऊँची ब्याज की दर, तथा दयनीय तरलता की स्थिति तथा भुगतान की प्रतिकूल दशायें इन परिवारों को लगान पर ऋणी की स्थिति में रहने के लिए बाध्य किया है।

ऋण प्राप्ति के स्त्रोत:

सर्वेक्षण के दौरान ऐसा अनुभव किया गया कि यद्यपि कृषि महिला श्रमिक बैंको के कार्य प्रणाली से परिचित नहीं है फिर भी उन्होंने यह विचार स्पष्ट किया कि बैंको से ऋण प्राप्त करना अधिक अच्छा है। यही बात सहकारी समितियों के सम्बन्ध में भी स्पष्ट की गई कि महाजनों के अलावा अन्य स्त्रोतो से बैंक एवं सहकारी समितियों से ऋण प्राप्त करना आसान नही है। केवल 19.3 प्रतिशत परिवारों ने यह स्पष्ट किया कि बैंको से ऋण लेना सरलता एवं लाभदायक है। 2.9 प्रतिशत परिवारों ने सहकारी समिति से ऋण लेना सरल एवं लाभदायक सपष्ट किया। तथा 11.6 प्रतिशत परिवारों ने महाजनों से ऋण लेना सरल एवं लाभदायक स्पष्ट किया। एक बड़ी संख्या

में लोगों का महाजनों के पक्ष में विचार स्पष्ट करने की व्याख्या स्पष्ट है। आसन शर्तो पर ऋण प्राप्ति, सरलता से आवश्यकतानुसार ऋण प्राप्त करना, तुरन्त प्राप्ति तथा सुविधानुसार भुगतान की सुविधा के कारण इन लोगों ने महाजन को अन्य संस्था की तुलना में सरल बताया है। केवल महाजन द्वारा ऊँची ब्याज दर प्राप्त करना ही एक ऐसा तथ्य है जिससे इन परिवारों में असंतोष की भावना बनी हुई है। इन सब बातों के होते हुए कृषि महिला परिवारों की स्थिति ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ऐसी बनी हुई है जिसके कारण उन्हें ऋण लेने के लिए मजदूर होना पड़ता है। मित्रों एवं रिश्तेदारों से ऋण लेना अधिकांश परिवारों ने अच्छा नहीं सपष्ट किया है भले ही उनसे ऋण लेना लाभदायक सिद्ध हो सकता है। ऋण के विभिन्न स्रोतो के सम्बन्ध में महिला श्रमिकों के विचारों को सारणी संख्या-17 में स्पष्ट किया गया है।

क्रमशः अगले पृष्ठ पर

सारणी संख्या-17
ऋण प्राप्ति के स्रोतों के सम्बन्ध में विचार

क्र.सं.	विचार	बैंक	प्रतिशत	सहकारी ऋण	प्रतिशत	महाजन से ऋण	प्रतिशत	रिश्तेदार से ऋण	प्रतिशत	दोस्त से ऋण	प्रतिशत
1.	सरल	6	0.8	11	1.3	3.33	39.9	63	7.6	4	4.8
2.	लाभदायक	280	33.9	179	21.5	18.32	2.2	7	0.8	8	0.9
3.	सरल एवं लाभदायक	160	19.4	107	12.9	97.62	11.6	74	8.9	69	8.3
4.	सरल नहीं है।	7	0.09	1	0.03	9.1	1.1	-	-	-	-
5.	लाभदायक नही है।	1	0.03	0	-	-	-	-	-	-	-
6.	कठिन एवं हानिकारक	226.4	27.3	382.0	45.8	223	26.7	536	64.3	562	67.4
7.	कुंछ नही कहा जा सकता।	4	0.5	4	0.5	4	0.5	4	0.5	4	0.5
8.	नही मालूम	149	17.9	149	17.9	149	17.9	149	17.9	149	17.9
	योग	833	100.0	833	100	833	100	833	100	833	100

रोजगार की अवधि

आय स्तर रोजगार स्तर पर निर्भर है। आय स्तर पर विचार करते समय यह पाया गया कि कृषि महिला श्रमिकों के अधिकांश परिवार गरीबी के रेखा के नीचे और गरीबी के रेखा पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। किसी परिवार में पुरूषों के अतिरिक्त महिलाओं का भी मजदूरी के आधार पर कार्य करना इस बात को स्पष्ट करता है कि उस परिवार के पुरूष सदस्यों द्वारा अर्जित की जाने वाली आय इतनी अपर्याप्त है कि परिवार में महिला सदस्यों को भी मजदूरी के आधार पर कार्य करने के लिए विवश करती है। कि यदि इन परिवारों की महिला सदस्य मजदूरी के आधार पर कार्य करना बंद कर दें तो ये परिवार भुखमरी के स्थिति को पहुँच जायेंगे, ऐसी स्थिति में इस बात पर विचार करना आवश्यक हो जाता है कि कृषि महिला श्रमिकों को ग्रामीण क्षेत्र में कृषि एवं गैर कृषि कार्यो को करने के लिए कितने समय तक कार्य मिल पाता है। सर्वेक्षण के दौरान ऐसा पाया गया कि इन कृषि महिला श्रमिकों द्वारा कृषि सम्बन्धी कार्य किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त जिन परिवारों के पास थोड़ी बहुत कृषि योग्ये भूमि है उसपर कृषि कार्य भी करती हैं। भूमि के स्वामित्व पर विचार करते समय यह पाया गया था कि इन परिवारों के पास अधिकांशतः कृषि योग्य ऐसी भूमि है जिसपर कृषि वर्षा के सहारे की जाती है। जिसे सूखी भूमि की संज्ञा दी गई है। इन दोनों तथ्यों द्वारा इस बात का संकेत मिलता है। कि कृषि महिला श्रमिकों को वर्ष में कितनी अवधि के लिए मजदूरी के आधार पर रोजगार प्राप्त होता है। भारत में कृषि एक मौसमी व्यवसाय है जिन क्षेत्रो में सिंचाई की सुविधा का अभाव है उनमें कृषि कार्य के लिए श्रमिकों को पूरे वर्ष मजदूरी के आधार पर रोजगार नहीं प्राप्त होता है। क्योंकि इन क्षेत्रो में बड़े किसान कार्य के अभाव में श्रमिकों को लगाने में असमर्थ होते हैं।

झांसी जनपद एक ऐसा जनपद है जो पहाड़ी और पठारी दोनो है इसमें विशेषकर नहरों का विकास किया है और इनका क्षेत्र सीमित है। अध्ययन के लिए चुना गया विकासखण्ड (चिरगांव) एक ऐसा गांव हे जिसमें पूर्णतः नहरों द्वारा सिंचाई किया जाता है। पर नहरों से प्राप्त जल इतना पर्याप्त नहीं होता है कि कृषि की या कृषि योग्य भूमि की पूरी क्षेत्र की सिंचाई पर्याप्त मात्रा में की जा सके। यदि क्षेत्र में उपलब्ध अन्य सिंचाई के साधनों का उपयोग कर लिया जाय तो कृषि महिला श्रमिकों को पूरे वर्ष भर रोजगार नहीं दिया जा सकता है। ऐसी महिला श्रमिक जिन्हें वर्ष भर रोजगार प्राप्त होती है। उनकी मात्रा अध्ययन में 43 प्रतिशत आती है। इसके अन्तर्गत उन महिलाओं को भी शामिल किया गया है जो किसी सरकारी और निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठान में नौकरी करती हैं। या गांव में चलने वाले किसी उद्योग या व्यवसाय में लगी हैं। यह बात स्थाई एवं आकस्मिक दोनों प्रकार के महिला श्रमिकों पर लागू होती है। कृषि महिला श्रमिक परिवारो में एक बहुत बड़े भाग या 48 प्रतिशत महिलाओं को 9 महीने तक कार्य मिलता है। इसके अतिरिक्त 33 प्रतिशत महिलाओं के परिवार ने स्पष्ट किया कि उन्हें वर्ष में 6 महीने कार्य मिल पाता है। तथा 9 प्रतिशत परिवार की महिला ने यह स्पष्ट किया कि उन्हें वर्ष में तीन महीने रोजगार मिल पाता है। अध्ययन में जिन परिवारों ने 3 और 6 महीने रोजगार प्राप्त करने के लिए कही है वे मुख्यतः महिलाओं और बच्चों पर लागू होती हैं।

रोजगार की अवधि का अधिक से अधिक निश्चित रूप से निर्धारण करने के लिए सामान्य सर्वेक्षण के अतिरिक्त चुने हुए विभिन्न गांवो से लगभग 25 प्रतिशत परिवारों को रैण्डम सैम्पलिग के आधार पर चुनकर उनका सघन अध्ययन किया गया है। जिसके लिए इन परिवारों में प्रत्येक पन्द्रह दिन पर इन गांवो में जाकर इन

परिवारों से पिछड़े 15 दिनों के रोजगार का ब्यौरा प्राप्त करने का प्रयास किया अतः उपरोक्त स्थिति का सम्बन्ध सैम्पुल परिवारों से जिसका सघन अध्ययन किया गया है। इन परिवारों मे वर्ष भर नियमित रूप से जाकर रोजगार सम्बन्धी जानकारी प्राप्त की गई है जिसे सारणी संख्या-18 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या-18

कृषि महिला श्रमिकों की रोजगार अवधि

महिला श्रमिकों की संख्या	वर्ष भर रोजगार		नौ माह		छः माह		3 माह	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
एक	52	25.98	30	15.20	28	14.68	10	5.26
दो	22	11.38	32	16.04	20	10.06	3	1.83
तीन	6	3.36	15	7.51	7	3.69	2	0.84
चार	2	1.14	9	4.71	4	2.19	1	0.45
पांच	1	0.45	4	2.04	2	0.81	1	0.12
छः	1	0.12	2	0.9	1	0.36	0	-
सात	1	0.03	1	0.33	1	0.18	1	0.03
आठ से अधिक	0	-	1	0.33	0	-	1	0.3
लागू नही होता है।	114	57.48	105	52.79	135	67.96	180	91.35
कोई जानकारी है/ कोई जवाब नही दिया	1	0.06	1	0.06	1	0.06	1	0.09
योग	200	100	200	100	200	100	200	100

यद्यपि कृषि श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए नियोजन काल के लगभग 50 वर्षों के समय में इनकी दशा सुधारने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को बनाया गया है जिससे सम्बन्धित कानून भी पास किये गये हैं। इन विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत मजदूरी के दरों का नियमन जिसके न्यूनतम मजदूरी एक्ट 1948, पुरूष और महिलाओं के समान मजदूरी दरों की व्यवस्था, बंधुआ मजदरों की समाप्ति, बाल श्रमिकों पर नियंत्रण, सामाजिक सुरक्षा के उपाय, आदि मुख्य रहे हैं। जहां तक इन प्रयासों के प्रभावी होने का प्रश्न है। इस सम्बन्ध में किये गये विभिन्न अध्ययनों एवं समय समय पर सरकार द्वारा नियुक्त श्रम जांच कमेटियों ने इस बात को स्पष्ट किया गया है। इन प्रयासों के लाभ ग्रामीण क्षेत्र के श्रमिकों को नही प्राप्त हो सके हैं। इस बात का अनुभव किया जाने लगा कि आर्थिक विकास के सामाजिक लाभ ग्रामीण क्षेत्र के श्रमिको या कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को उसी समय प्राप्त हो सकते हैं। जबकि उन्हें उपयुक्त रूप से संगठित और शिक्षित किया जाय। ग्रामीण श्रमिकों को संगठित करने के लिए भारत सरकार द्वारा एक योजना बनाई गई है जिसके अंतर्गत अवैतनिक ग्रामीण संगठनों की नियुक्ति की जाती है। विकास खण्ड स्तर पर नियुक्ति की जाती है। जो ग्रामीण श्रमिकों को संगठित करने का कार्य करते हैं। इन अवैतनिक संगठन का मुख्य कार्य ग्रमीण क्षेत्र के श्रमिको को संगठित करने की योजना बनाना तथा उनके कल्याण के लिए बनाये गये कानून की जानकारी देना है।

यह योजना राज्य सरकारों द्वारा चलाई जाती है। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह देशभर के सभी राज्यों में चालू की गई[5] पर वर्तमान अध्ययन के समय अध्ययन के लिए चुने गये विकासखण्ड में ऐसे कोई भी संगठन कार्यरत नहीं पाये गये और न ही जनपद स्तर पर इस प्रकार के संगठन की जानकारी प्राप्त हो सकी है।

---

5. इण्डिया 91 पेज नं. 768

रोजगार के अवधि को चार भागो में बांटना किसी सिद्धान्त पर आधारित नहीं है। बल्कि इस अध्ययन के व्याख्या के लिए ऐसा किया गया है। इसके पीछे केवल यही तर्क दिया जा सकता है कि कृषि कार्य मौसमी होता है। और अलग फसलो के तैयार होना भी अलग होता है। जिस क्षेत्र जैसे फसल उगाई जाती है। उसी के अनुसार रोजगार का निर्धारण किया जाता है क्योंकि कृषि महिला श्रमिको द्वारा कृषि सम्बन्धित विभिन्न कार्यो को अलग फसलों के लिए अलग अलग समय पर किये जाते हैं। उदाहरण के लिए कुछ फसलों की बुआई कुछ की चिराई कुछ की कटाई और कुछ की दवाई का कार्य किया जाता है।

यद्यपि कृषि श्रमिकों से सम्बन्धित विभिन्न कार्यो एवं अंगो के लिए कानून पिछले दशक से ही बनाये गये हैं। और उत्तर प्रदेश में बहुत से कानूनों को लागू भी किया गया है। पर कृषि रमिकों का कार्य ऐसा है जिसके कारण वे असंगठित बने रहते हैं। और अधिकांश कानूनों का सम्बन्ध पुरूष श्रमिकों से है। महिला श्रमिकों के लिए अलग से कोई कानून नहीं बनाये गये बल्कि इन्हीं कानूनों में महिलाओं से सम्बन्धित कुछ प्रावधान रखे गये पर इन प्रावधानों पर व्यवहार में अमल किया जाता है या नही। इस पर विशेष ध्यान नही दिया जाता है। कृषि महिला श्रमिकों के प्रति दिन कार्य करने के घण्टे नहीं निर्धारित किये गये हैं। पर वे सामान्यतः सुबह से शाम तक कार्य करती हैं। जबकि कृषि में व्यस्त समय होता है ऐसे समय में यह समय और भी बडा हो जाता है। इस कार्यकाल में थोड़ा समय दोपहर में भोजन करने के लिए दिया जाता है। कृषि सम्बन्धी कार्यो के मौसमी होने के कारण कृषि श्रमिक भी मौसमी होते हैं। वे एक ही कृषक के यहां रोजगार नहीं करते हैं यह बात पुरूष और महिला दोनों पर लागू होती है। इसके अतिरिक्त अधिकांश कृषि महिला श्रमिक अशिक्षित है। कृषि

का कार्य माननीय श्रम प्रधान होने कारण इन्हें पुरूषों की अपेक्षा अधिक परिश्रम से कार्य करना पड़ता है। अतः कार्य के पश्चात इनका थका होना स्वाभाविक होता है। अतः अगले दिन पुनः कार्य करने के लिए पर्याप्त आराम आवश्यक होता है। ऐसी स्थिति में उनके पास संगठित होने या सामान्य समस्याओं पर अन्य श्रमिकों के साथ विचार विमर्श करने के लिए समय नहीं मिल पाता है। कार्य के साथ विचार विमर्श करने के लिए समय नही मिल पाता है। कार्य के साथ किसी दिन आराम करने के लिए छुटटी और इस छुटटी के समय के भुगतान की बात किसी के द्वारा सर्वेक्षण में नहीं सुनी गई बल्कि कार्य नहीं तो दाम नहीं की बात, प्रत्येक महिला श्रमिकों ने सर्वेक्षण के दौरान प्रत्येक महिला श्रमिकों ने स्पष्ट किया। इस प्रकार इनके कार्यो में आराम का कोई वक्त नहीं पाया गया है। इसके अतिरिक्त यदि कार्य के बीच कोई बीमार पड़ जाता है तो उस दिन की मजदूरी उसे नही दी जाती है।

कृषि महिला श्रमिकों से कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्य किये जाने का विवरण ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। इन महिलाओं ने यह स्पष्ट किया कि कृषि कार्यो के अतिरिक्त गांव में उपलब्ध अन्य घरेलू कार्य भी समय समय पर उनके द्वारा किये जाते है पर ऐसे कार्य नियमित रूप से न मिलकर बल्कि समय समय पर मिला करते हैं।

अध्याय-पांच

रहन-सहन की दशायें

कृषि महिला श्रमिकों की वित्तीय स्थिति पर विचार करने के पश्चात उनके तथा उनके परिवारों के उपभोग स्तर एवं उसके दावे पर विचार करना आवश्यक हो जाता है। वर्तमान अध्याय का मुख्य उद्देश्य कृषि महिला श्रमिकों के विभिन्न आय वर्ग के अनुसार उपभोग ढांचे तथा उसके वर्तमान स्वरूप पर विचार करना है। जिसके अंतर्गत (1) प्रति परिवार तथा प्रति व्यक्ति के उपभोग के स्तर पर विचार (2) उपभोग ढांचे के अंतर्गत विभिन्न वस्तुओं के उपभोग की मात्रा और उसके स्वरूप पर विचार और (3) इन महिला श्रमिकों के बीच व्याप्त गरीबी के स्तर परविचार करना है।

कृषि महिला श्रमिकों के प्रति परिवार एवं प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय में विभिन्न परिवारों के बीच अंतर को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न आय वर्गो में विभिन्न वस्तुओं के व्यय के अनुपात को स्पष्ट करके उसकी कुल उपभोग विभिन्न वस्तुओं के उपभोग के सापेक्ष महत्व के अनुसार विभिन्न आय वर्गो के उपभोग के ढांचे को स्पष्ट किया गया है। साथ ही कृषि महिला श्रमिक के परिवारों के गरीबी का भी अनुमान लगाया गया है।

विभिन्न आय वर्गो के औसत उपभों को सारणी संख्या-1 में स्पष्ट किया गया है। सारणी से यह स्पष्ट है कि औसत कृषि महिला श्रमिक परिवार का वार्षिक उपभोग 6583 रू है।

---

1. इसके अंतर्गत वस्तु के रूप में प्राप्त मजदूरी जिसके अंतर्गत अनाज तथा अन्य वस्तुएं शामिल हैं। उन्हें उनके मूल्य के अनुसार शामिल किया गया है।

सारणी संख्या-1

कृषि महिला श्रमिकों के परिवारों का उपभोग स्तर (औसत मूल्य रू. में)

उपभोग के मद		ए	बी	सी	सभी आर्य वर्ग
1		2	3	4	5
(क)	चालू उपभोग वस्तुएं				
1.	खाद्यान्न				
अ)	खाद्य पदार्थ				
	गेहूँ	539	750	1186.11	767.70
	चावल	25.44	29.60	40.84	30.42
	मक्का	107.93	144.35	139.81	133.00
	बाजरा	38.29	40.73	25.96	37.38
ब)	दालें	98.70	149.33	201.22	144.00
स)	वस्तु के रूप में प्राप्त मजदूरी	498.04	900.03	1581.29	905.98
		1307.63	2014.87	3175.23	2018.48
2.	मसाले एवं मसाले दार वस्तुएं	81.06	102.32	128.43	100.86
3.	फल एवं सब्जियां				
अ)	फल	35.95	54.69	97.12	56.88
ब)	सब्जी	104.98	133.69	207.74	138.67
		140.93	188.38	304.86	195.55
4.	दूध एवं दूध से बनी वस्तुएं :				
अ)	घर में प्राप्त	213.99	894.62	1568.98	818.70.
ब)	खरीदी कर प्राप्त	247.75	125.03	67.35	150.19
स)	मजदूरी के रूप में प्राप्त	194.97	324.94	582.82	333.62
	योग	656.71	1344.59	2219.15	1302.51

सारणी संख्या एक का शेष

1	2	3	4	5	6
5.	खाद्य तेल	167.58	259.06	379.29	254.17
6.	चीनी खण्डसारी गुण और शक्कर	479.07	685.80	1035.60	688.76
7.	मांस एवं अण्डे	15.71	36.05	74.04	36.99
8.	चाय	108.53	166.25	216.61	158.51
9.	अचार	21.53	33.04	52.59	33.23
10.	बिस्कुट, पावरोटी और मिष्ठान	31.57	48.47	61.98	46.00
11.	नशीले पदार्थ				
अ)	तम्बाके	371.43	127.52	181.39	120.96
ब)	पेय पदार्थ	49.62	64.01	120.00	69.90
स)	अफीम एवं गांजा	11.34	31.90	20.41	23.88
		132.39	223.43	321.80	214.74
12.	ईधन एवं प्रकाश	46.68	64.96	92.80	64.67
13.	कपड़े	431.14	674.21	1178.57	694.40
14.	जूते एवं चप्पल	91.60	119.14	185.92	123.15
15.	कपड़े धोने के साबुन इत्यादि	79.66	117.94	180.45	118.08
	योग	3791.84	6078.51	9606.87	6050.10

सारणी संख्या-एक का शेष भाग

1		2	3	4	5
(ख)	टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं:				
1.	भवन निर्माण, अतिरिक्त नए कमरे का निर्माण तथा मरम्मत का कार्य	56.96	96.55	55.10	77.66
2.	रेडियो/ट्रांजिस्टर टेप/रिकार्डरस	0.63	0.48	-	0.44
3.	घड़िया	-	0.72	3.06	0.93
4.	विद्युत पंखे	1.01	4.43	-	2.65
5.	सिलाई मशीन	-	1.72	-	0.92
6.	चारपाईयां	4.56	0.84	12.25	3.96
7.	गड्ढ़ा एवं बिछावन	2.60	3.52	7.76	4.01
8.	बर्तन	3.89	9.58	36.94	12.84
9.	साइकिल	2.79	7.05	2.04	4.91
	योग	**72.44**	**124.89**	**117.15**	**108.32**

सारणी संख्या-एक का शेष भाग

1		2	3	4	5
(स)	सेंवायें :				
1.	शिक्षा सम्बन्धी	34.11	31.18	35.31	32.77
2.	स्वास्थ्य सम्बन्धी	124.43	170.68	247.54	171.09
3.	सवारिया	58.06	78.86	152.23	86.06
4.	मनोरंजन	1.01	0.41	3.88	1.21
	योग	217.61	281.13	439.23	291.13
(द)	विवाह एवं अन्य सामाजिक उत्सव	98.86	122.59	223.27	133.79
	कुल उपभोग	4180.75	6607.12	10386.52	6583.34
	कुल उपभोग व्यय विवाह एवं उत्सव व्ययों को छोड़कर	4081.89	6484.53	10163.25	6449.55

यदि विभिन्न आय वर्ग के उपभोग स्तर पर विचार किया जाय तो उनमें एक बड़ी मात्रा में अंतर स्पष्ट होता है। उच्चत्तम आय वर्ग (सी) में एक औसत कृषि श्रमिक वर्ग पर 10386.52 रूपया उपभोग व्यय हो रहा है। जो न्यूनतम आय वर्ग (ए) द्वारा किये गये व्यय का दुगने से भी अधिक है। न्यूनतम आय वर्ग का उपभोग व्यय 4180.75 रहा है। सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि आय अधिक होने पर उपभोग अधिक रहा है। और कम होने पर कम रहा है। सारणी से यह भी स्पष्ट है कि विभिन्न वस्तुओं पर विभिन्न आय वर्ग के परिवारों पर किस अनुपात में व्यय किया गया है। प्रत्येक वस्तु पर किया औसत व्यय आय स्तर बढ़ने के साथ बढ़ता गया है। कुछ वस्तुओं के सम्बनध में आय स्तर के अधिक होने पर इनपर किया गया व्यय निम्न आय वर्ग की तुलना में कम रहा है। इन वस्तुओं में मोटे अनाज (मक्का व बाजरा) यही बात टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के सम्बन्ध में लागू होती है। विशेष कर गृह निर्माण के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि उच्च आय वर्ग के द्वारा गृह निर्माण पर किया गया व्यय मध्य आय वर्ग (बी) की तुलना में कम रहा है। औसत कृषि महिला श्रमिक परिवारों के उपभोग की औसत प्रवृत्ति (ए बी सी) 1.13 आता है जिसे सारणी संख्या-2 में सपष्ट किया गया है। उपभेग की औसत प्रवृत्ति न्यूनतम आय वर्ग (ए) में सबसे अधिक रही है जो 1.30 रही है। और यह क्रमशः जैसे जैसे उच्च आय वर्ग की ओर बढ़ते हैं। कम होती गई है। विभिन्न आय वर्ग के परिवारों में उपभोग की औसत प्रवृत्ति का 1 से अधिक होने के कारण इन परिवारों में आय तब व्यय के बीच संतुलन नही रहा है। बल्कि आय कम और व्यय अधिक रहा है। ऐसी स्थिति में औसत कृषि महिला कृषि श्रमिक परिवार में आय और उपभोग के बीच का अंतर 765.94 पैसा रहा है। यह अंतर निम्न आय वर्ग के परिवारों में सबसे अधिक

रहा है। जिसे वर्तमान अध्ययन में 400 रू से कम या ए आय वर्ग कहागया है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इन कृषि परिवारो द्वारा एक न्यूनतम उपभोग स्तर को बनाये रखने का प्रयास किया जाता है चाहे उनकी आय उनके लिए पर्याप्त है या नही।

सारणी संख्या-2

कृषि महिला श्रमिक परिवारों की औसत उपभोग प्रवृत्ति

आय वर्ग	औसत उपयोग स	औसत आय रूपये में प	उपभोग की औसत प्रवृत्ति ह/प
ए	4180.75	3224.37	1.30
बी	6607.12	5743.12	1.15
सी	10386.52	10217.81	0.02
सभी आय वर्ग	9583.34	5817.40	1.13

उपभोग का ढांचा

कृषि महिला श्रमिक परिवारों को विभिन्न आय वर्गो में विभाजित करके उनके उपभोग व्यय पर विचार करने के पश्चात उपभोग के विभिन्न मदों पर विचार करके उनका तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। कृषि महिला श्रमिक परिवारों की आय अलग अलग रही है। इसी के आधार पर उन्हें ए, बी, सी तीन वर्गो में बांटा गया है। आय में अंतर होने के कारण उपभोग स्तर में अंतर होना आवश्यक है इन विभिन्न आय वर्गो के उपभोग ढपंचों पर विचार करने के लिए उपभोग के विभिन्न मदों पर विचार करके उसका तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है।

विभिन्न आय वर्गो के उपभोग के ढांचे में विभिन्न वस्तुतओं के उपभोग के अनुपात को संख्या तीन में स्पष्ट किया गया है। सारणी संख्या-3 से यह बात स्पष्ट है कि सभी आय वर्ग के परिवारों द्वारा चार उपभोक्ता वस्तुओं पर अन्य मदों की तुलना में अधिक व्यय किया जाता है। जहां तक उपभोक्ता वस्तुओं के क्रम में लगाने का सवाल है यह क्रम व्यक्तिगत दृष्टिकोण से सभी आय वर्गो के लिए एक सा रहा है। विभिन्न आय वर्गो में भी कुछ अपवादों को छोड़कर उपभोग व्यय प्रायः समान रहा है। केवल मध्यम आय वर्ग (बी) में टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं में व्यय तथा विवाह एवं अन्य उत्सव पर किया व्यय तीसरे और चौथे स्थान पर आता है। चार उपभोक्ता वस्तुओं में खाद्यान्नों पर किया गया व्यय सबसे अधिक रहा है। इसके पश्चात दूध तथा उससे बने पदार्थो का नंबर आता है। वस्त्रों पर किया गया व्यय तीसरे स्थान पर है। अगले क्रम पर चीनी और खण्डसारी का तथा खाद्य तेलों का स्थान रहा है। एक औसत कृषि श्रमिक परिवार द्वारा खाद्यान्नों पर अपनी आय का 31 प्रतिशत भाग व्यय किया जाता है। सभी आय वर्गो पर एक साथ विचार करने से यह बात स्पष्ट होती है कि खाद्यान्नों पर लगभग यही प्रतिशत में व्यय किया जाता है। दूध और दूध से बने पदार्थो पर व्यय आय के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता गया है। सभी आय वर्गो द्वारा औसतन अपनी आय का लगभग 20 प्रतिशत भाग दूध और दूध से प्राप्त पदार्थो पर व्यय किया जाता है।[2] उच्च आय वर्ग द्वारा सबसे अधिक या 21.37 प्रतिशत इसके पश्चात मध्यम आय वर्ग द्वारा 20.35 प्रतिशत तथा निम्न आय वर्ग (ए) द्वारा 15.71 प्रतिशत व्यय किया जाता है। औसत कृषि श्रमिक परिवारों द्वारा वस्त्रों पर अपनी आय का 10.55 प्रतिशत व्यय किया जाता है। उच्चतम आय वर्ग द्वारा 11.35 प्रतिशत मध्यम आय वर्ग द्वारा 10.20 प्रतिशत तथा निम्न आय वर्ग द्वारा 10.30 प्रतिशत वस्त्रों पर व्यय किया जाता है। औसतन कृषि श्रमिक परिवारों द्वारा गुड़ खांडसारी पर 10.46 प्रतिशत व्यय किया जाता है। न्यूनतम आय वर्ग द्वारा आय का 11.46 प्रतिशत व्यय किया जाता है।

---

2. दुध और दूध से बनी पदार्थो के अंतर्गत अधिकांशतः घर पर प्राप्त होने वाले पदाथहै।

सारणी संख्या-3
कृषि महिला श्रमिक परिवारों के उपभोग का ढांचा
(व्यय विभिन्न मदों पर किया गया प्रतिशत में)

उपभोग की मदें	ए	बी	सी	सभी आय वर्ग
1	2	3	4	5
(क) चालू उपभोग की वस्तुएं:				
1. खाद्यान्न				
(अ) अनाज				
गेहूँ	12.90	11.36	11.42	11.66
चावल	0.61	0.46	0.39	0.46
मक्का	2.58	2.18	1.35	2.02
बाजरा	0.92	0.62	0.25	0.57
(ब) दालें	2.36	2.26	1.94	2.19
(स) वस्तु के रूप में प्राप्त मजदूरी (खाद्यान्न)	11.91	13.62	15.22	13.76
योग	31.28	30.50	30.57	30.66
2. मसालेदार वस्तुएं एवं मसाले	1.93	1.55	1.24	1.53
3. फल एवं सब्जियां				
(अ) फल	0.86	0.83	0.94	0.86
(ब) सब्जी	2.51	2.02	2.00	2.11
योग	3.37	2.85	2.94	2.97
4. दूध एवे दूध से बने उत्पाद				
अ) घर से प्राप्त	5.12	13.54	15.11	12.44
ब) बाहर से खरीदी	5.93	1.89	0.65	2.28
स) मजदूरी के रूप में प्राप्त	4.66	4.92	5.61	5.07
	15.71	20.35	21.37	19.79

सारणी संख्या-तीन का शेष भाग

1		2	3	4	5
5.	खाद्य तेल	4.01	3.92	3.65	3.86
6.	चीनी, खण्डसारी गुड़ और शक्कर	1.46	10.38	9.97	10.46
7.	मांस एवं अण्डे	0.38	0.55	0.71	0.56
8.	चाय	2.60	2.52	2.07	2.41
9.	अचार	0.52	0.50	0.51	0.51
10.	बिस्कुट ब्रेड और मिष्ठान	0.75	0.73	0.60	0.70
11.	मादक पदार्थ				
अ)	तम्बाके	1.71	1.93	1.75	1.84
ब)	शराब	1.19	0.97	1.15	1.06
स)	अफीम और गांजा	0.27	0.48	0.20	0.36
		3.17	3.38	3.10	3.26
12.	ईंधन एवं प्रकाश	1.12	0.98	0.88	0.98
13.	कपड़े	10.30	10.20	11.35	10.55
14.	चप्पल, जूते	2.19	1.80	1.79	1.87
15.	नहारे और हाथ धोने. का सामान	1.91	1.79	1.74	1.79
	योग	90.70	92.00	92.49	91.90

सारणी संख्या-3 का शेष

1		2	3	4	5
ब)	टिकाऊ उपभेक्ता वस्तुएं				
1.	भवन निर्माण, नये कमरें का निर्माण, मरम्मत का कार्य	1.36	1.46	0.53	1.19
2.	रेडियो ट्रांसजीस्टर टेप रिकार्डर	0.02	0.01	-	0.01
3.	घड़ियां	-	0.01	0.03	0.02
4.	विद्युत पंखे	0.02	0.07	-	0.04
5.	सिलाई मशीन	-	0.03	-	0.01
6.	चारपाईयां	0.11	0.01	0.12	0.06
7.	गड्ढा एवं बिछौना	0.06	0.05	0.07	0.06
8.	बर्तन	0.09	0.14	0.36	0.20
9.	साईकिल	0.07	0.11	0.02	0.07
	योग	1.73	1.89	1.13	1.65

1	2	3	4	5
(स) सेवायें :				
1. शिक्षा संबंधी	0.82	0.47	0.34	0.50
2. स्वास्थ्य सम्बन्धी	2.98	2.58	2.38	12.60
3. सवारियां	1.39	1.19	1.47	1.30
4. मनोरंजन	6.02	0.01	0.04	0.04
	5.21	4.25	4.23	4.42
(द) विवाह एवं अन्य सामाजिक उत्सव	2.36	1.86	2.15	2.03
योग	100.00	100.00	100.00	100.00.
कुल उपभोग विवाह और अन्य सामाजिक उत्सव के अतिरिक्त	9.764	98.14	97.85	97.97

उपरोक्त उपभोग व्यय की व्याख्या से यह बात स्पष्ट होती है कि इन परिवारों द्वारा शिक्षा पर बहुत कम व्यय किया जाता है। यही बात मनोरंजन पर किये गये व्यय पर भी लागू होती है। कृषि महिला श्रमिकों के उपरोक्त उपभोग के ढांचे से यह स्पष्ट होती है कि उनके उपभोग में समानता है। सभी परिवारों द्वारा अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा खाद्यान्नों पर और दूध और दूध से बने पदार्थो, वस्त्रों पर, चीनी एवं खण्डसारी पर व्यय किया जाता है। इन परिवारों द्वारा सेवाओं पर विवाह एवं सामाजिक उत्सव पर तथा टिकाऊ वस्तुओं पर आय का बहुत कम भाग व्यय किया जाता है। अपनी आय का एक बहुत कम हिस्सा बच्चों की शिक्षा और मनोरंजन पर व्यय किया जाता है।

प्रति व्यक्ति उपभोग

कृषि महिला श्रमिक परिवारों के उपभोग व्यय एवं उपभोग के अंतर्गत विभिन्न वस्तुओं के व्यय के महत्व को प्रतिशत के रूप में स्पष्ट करके परिवारों के उपभोग व्यय पर विचार किया गया है। विभिन्न आय वर्गो में परिवार का आकार अलग अलग होने के कारण ऐसी स्थिति में विभिन्न आय वर्गो में विभाजित परिवारों के प्रति व्यक्ति उपभोग पर विचार करना आवश्यक हो जाता है।[3] विभिन्न आय वर्गो में विभाजित कृषि महिला परिवारों के प्रति व्यक्ति उपभोग को सारणी संख्या-4 में स्पष्ट किया गया है। औसत कृषि महिला परिवार में प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय ।12 रू मात्र है।

---

3. परिवार का आकार विभिन्न आय वर्गो में 5 से 8 के बीच रहा है।

पर विभिन्न आय वर्गो के प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय में अंतर है। उच्च आय स्तर (सी) आय वर्ग में प्रति व्यक्ति उपभोग सबसे अधिक रहा है। जो 1135 य है और मध्यम आय वर्ग (बी) के परिवारों का व्यय इससे कम है जो 1123.66 रू आता है और न्यूनतम आय वर्ग (ए) का उपभोग व्यय 887.33 पैसे मात्र आता है। सारणी संख्या-4 से यह बात स्पष्ट होती है कि विभिन्न आय वर्गो के उपभोग व्यय में विभिन्न आय वर्गो के अनुसार समानता है। जैसे जैसे आय स्तर के बदलते क्रम पर विचार किया जाता है। प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय बढ़ता जाता है। पर विभिन्न आय वर्गो के प्रति व्यक्ति उपभोग के ढांचे में कुछ महत्वपूर्ण अंतर पाये जाते हैं। इन मदो में टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं पर व्यय विवाह और अन्य सामाजिक उत्सव के सम्बन्ध में किये गये व्यय आदि एक कृषि महिला श्रमिक परिवार का टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं पर किया जाने वाला व्यय 18.42 पैसे मात्र है। यह मध्यम आय वर्ग के परिवारो में सबसे अधिक है जो 21.24 पैसे है इसके पश्चात् सबसे कम 15.38 पैसे आता है। इसी प्रकार विवाह एवं अन्य उत्सवों पर किया जाने वाला व्यय उच्चतम आय वर्ग (सी) मात्र 28.70 रू है। जबकि मध्यम आय वर्ग (बी) का यह व्यय सबसे कम जो 20.85 रू है।[4] प्रति व्यक्ति उपभोग की व्याख्या से यह बात स्पष्ट होती है कि कृषि महिला श्रमिक परिवारों के प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय परिवार के उपभोग व्यय के साथ बहुत अधिक मात्रा में सम्बन्धित है यद्यपि विभिन्न आय वर्गो के परिवार का आकार अलग अलग है। पर इन विभिन्न आय वर्गो के प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय में बहुत कम अंतर है। यह स्पष्ट है कि उच्चतम आय वर्ग (सी) का प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय न्यूनतम आय वर्ग (ए) की तुलना में 1.5 गुना अधिक है। जबकि प्रति परिवार के व्यय के बीच यह अंतर 2.48 का है। इस प्रकार आय के बढ़ने के साथ साथ परिवार के आकार में भी वृद्धि होती जाती है। पर प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय तुलनात्मक रूप में उच्च आय वर्ग में अधिक रहता है।

---

4. सैम्पुल में चुने गये परिवारों में से बहुत कम लोगो ने विवाह तथा अन्य उत्सवों पर किये गये व्यय के सम्बन्ध में बताया है। इसलिए इन व्ययों के सम्बन्ध में निकाली गई औसत रकम बहुत अधिक महत्वपूर्ण नही है।

सारणी संख्या-4

कृषि महिला श्रमिक परिवारो में प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (औसत मूल्य रू. में)

उपभोग की मदें	ए	बी	सी	डी
1	2	3	4	5
(क) उपभोक्ता वस्तुएं:				
1. खाद्यान्न:				
(अ) अनाज:				
गेहूं	106.93	156.10	107.29	130.56
चावल	6.30	3.82	6.71	5.17
मक्का	43.00	0.94	39.60	22.62
बाजरा	-	13.33	-	6.36
(ब) दाल	26.24	26.04	19.90	26.49
(ख) खाद्यान्न वस्तुओं के रूप में प्राप्त	180.43	148.46	82.33	155.08
	362.90	346.69	255.83	343.28
2. मसालेदार वस्तुएं एवं मसाले	16.34	17.80	17.15	17.15
3. फल एवं सब्जियां				
(अ) फल	8.69	11.37	6.04	9.68
(ब) सब्जी	23.92	26.01	12.15	23.58
	32.61	37.38	18.19	33.26
4. दूध और दूध से बने उत्पादित वस्तुएं:				
(अ) घर से प्राप्त	161.24	133.27	84.40	139.24
(ब) बाहर से प्राप्त	27.30	23.00	29.50	25.54
(स) मजदूरी के रूप में प्राप्त	61.12	58.59	32.97	56.74
योग	249.6	6214.86	146.87	221.52

सारणी संख्या-4 का शेष भाग

1		2	3	4	5
5.	खाद्य तेल	47.41	42.02	32.89	43.23
6.	चीनी खण्डसारी गुड़ और शक्कर	121.31	116.62	103.09	117.14
7.	मांस और अण्डे	4.03	9.38	1.48	6.20
8.	चाय	26.29	28.26	23.26	26.96
9.	अचार	6.00	6.41	1.24	5.65
10.	बिस्कुट ब्रेड और मिष्ठान	6.60	9.15	6.29	7.82
11.	मादक				
	(अ) तम्बाकू	23.97	19.33	13.43	20.57
	(ब) शराब	6.90	17.55	6.07	11.89
	(स) अफीम और गांजा	2.27	6.57	-	4.06
		13.73	10.62	2.78	11.00
12.	ईंधन और प्रकाश	13.73	10.62	2.78	11.00
13.	कपड़े	116.96	123.57	98.11	118.10
14.	जूते चप्पल	21.49	21.59	16.12	20.94
15.	कपड़े और हाथ धोने का साबुन	22.90	13.46	16.55	20.08
	योग	1081.55	1046.26	759.35	1028.93

सारणी संख्या-4 का शेष भाग

1		2	3	4	5
(ब)	टिकाऊ उपभोग वस्तुएः				
1.	गृह निर्माण, अतिरिक्त कमरे और मरम्मत	13.10	16.47	-	13.21
2.	रेडियो/ट्रान्सजिस्टर टेप रिकार्डर	0.18	-	-	0.07
3.	घड़ियां	0.39	-	-	0.16
4.	विद्युत पंखे	1.10	-	-	0.45
5.	सिलाई मशीन	0.38	-	-	0.16
6.	चारपाई	0.76	0.58	0.75	0.67
7.	गददा एवं बिछौना	0.66	0.46	1.64	0.68
8.	बर्तन	1.89	2.90	0.24	2.18
9.	साईकिल	1.03	0.88	-	0.84
	योग	19.49	21.29	2.63	18.42
(स)	सेवायें :				
1.	शिक्षा से सम्बन्धी	8.03	2.55	9.26	5.57
2.	स्वास्थ्य सम्बन्धी	30.84	28.98	23.05	29.10
3.	यातायात संबंधी	12.96	17.62	9.03	14.64
4.	मनोरंजन सम्बन्धी	0.11	0.34	-	0.21
	योग	51.67	49.49	41.34	49.52

सारणी संख्या-4 का शेष भाग

1	2	3	4	5
(द) विवाह और सामाजिक उत्सव	23.84	21.842	22.40	22.75
कुल उपभोग	1176.55	1138.86	825.81	1119.62
कुल उपभोग विवाह और सामाजिक उत्सव के अतिरिक्त	1152.71	1117.04	803.32	1096.87

स्वास्थ्य सम्बन्धी

आर्थिक पिछड़ापन लोगो को एक अच्छा और आरामदायक जीवन व्यतीत करने में एक बाधा उपस्थित करना है और इसी के परिणाम स्वरूप लोगों का स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। कृषि महिला श्रमिक परिवारों की आवासीय दशायें भोजन, वस्त्र रोजगार तथा शिक्षा आदि का भी प्रभाव किसी परिवार के स्वास्थ्य पर पड़ता है। उपरोक्त तथ्यों का स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव को अनदेखा नही किया जा सकता।

आवश्यकतायें इन परिवारों को कठिन परिस्थितियों के बीच कार्य करने के लिए बाध्य करती हैं। कभी कभी इन परिवारां को निकृष्ट कार्य करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। जिसका प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ता है। कुछ कृषि महिला श्रमिक परिवारों की रहन सहन की दशायें अत्यन्त दयनीय है।

अशिक्षा और अज्ञानता उनके इस विपत्ति को और अधिक कष्टदायक बनाने में सहायक होती है। यद्यपि 90प्रतिशत कृषि महिला श्रमिकों ने इस बात को स्पष्ट किया कि उनके घरो में कोई भी सदस्य एक लम्बे अरसे से बीमार नहीं है। सर्वेक्षण के दौरान यह पाया गया कि इन परिवारों के सामान्य स्वास्थ्य की दशायें अच्छी नहीं है। इनकी जनसंख्या सम्बन्धी विशेषताओं पर विचार करते समय यह स्पष्ट किया था कि ऐसी कृषि महिला श्रमिक जो निकृष्ट जाति वर्ग की है उनमें शिशु मृत्यु दर अधिक रही है। इसी प्रकार 55 वर्ष से अधिक प्रौढ़ व्यक्ति बहुत कम संख्या में जीवित रहते हैं। जो शिशु जीवित रह जाते हैं उनमें से थोड़ा भाग स्कूलों में जाने का अवसर प्राप्त करते हैं स्कूल जाने योग्य बच्चों के स्कूल न जाने से परिवार के दयनीय दशाओं के शिकार बने रहते हैं। ऐसा अनुभव किया गया है कि इन परिवारों को चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं को न प्राप्त होने के कारण इनका स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है। सरकारी नीति के दोषपूर्ण होने के कारण अधिकतर अच्छे डाक्टर शहरी क्षेत्रो में ही रह जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लोग इनकी इनकी सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में कम पढ़े लिखे तथा कम अनुभवी चिकित्सकों की सुविधायें ही प्राप्त कर पाते हैं। जिनके परिणामस्वरूप साधारण बीमारियों तो ठीक हो जाती है पर जटिल रोगो का इलाज सम्भव नहीं हो पाता है। इसके अतिरिक्त लोगो का दृष्टिकोण भी जटिल बीमारियों को दूर करने के मार्ग में बाधक बनता है। अधिकतर बीमारियों में लोगो को देशी दवाई का प्रयोग करते देखा गया है। इस सम्बन्ध में उस क्षेत्र के कुछ अच्छे चिकित्सकों से बात की गई और उनका विचार यह था कि लोग उनके पास किसी बीमारी के अन्तिम इलाज के लिए लोगो को लेकर आते हैं जिसमें सफलता के अवसरब हुत कम होते हैं जिसके परिणामस्वरूप उनका ग्रामीण क्षेत्रो में लोगो की चिकित्सा करना और दवाघर चलाना कठित

होता है। जन स्वास्थ्य संबंधी योजनायें, जैसे सेनेटरी की उत्तम व्यवस्था और सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था जो सामुदायिक विकास केन्द्रों तथा राष्ट्रीय प्रसार सेवाओं के अंतर्गत प्रदान की जाती है उनका प्रसान अधिक उपयुक्त नहीं है। क्योंकि इस प्रकार के कार्यक्रमों को ग्रामीणों के सहयोग द्वारा चलाया जाता है। जिसके अभाव में ऐसी बहुत सी योजनायें निष्क्रिय पड़ी रह जाती हैं। कृषि महिला श्रमिक के परिवार भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के एक अंग होते हैं पर इनके अंतर्गत इन योजनाओं को चलाने के लिए अपना सहयोग विभिन्न परिस्थितियो के कारण नहीं दे पाते हैं। इन परिवारों के सर्वेक्षण द्वारा ऐसे परिवारों में जिनमें बहुत लम्बे समय से बीमार व्यक्ति पाये गये उनमें स 5 प्रतिशत व्यक्ति तथा 4 प्रतिशत महिलाये थी। सामान्य लम्बी बीमारी वाले व्यक्तियों में 63 प्रतिशत प्रौढ़ व्यक्ति पाये गये बच्चों में इनका प्रतिशत केवल 2 रहा हे । जिन परिवारों में लम्बे समय से लोग बीमार थे उनमें से अधिकांश परिवार में एक व्यक्ति इस बीमारी का शिकार था। इनमें से एक वर्ष से कम अवधि के बीमार व्यक्ति 4.8 प्रतिशत थे। ऐसे लोग जो एक वर्ष से अधिक 2 या 3 वर्ष से अधिक से अधिक पांच वर्ष थे उनकी संख्या 1.2 प्रतिशत रही है। वे लोग जो लम्बे समय से बीमार थे उसमें से 6.6 प्रतिशत लोगों का ईलाज या तो अस्पताल में या प्राईवेट चिकित्सकों के द्वारा किया जा रहा था। सर्वेक्षण में ऐसी भी महिलायें पायी गई जिन्होंने यह जवाब दिया कि उनके घर में बीमार व्यक्ति को किसी अस्पताल या चिकित्सक के पास नहीं ले जाया गया है। इसका कारण पूछे जाने पर अधिकांश लोगों ने आर्थिक तंगी सपष्ट किया। ऐसा प्रायः अधिकाश महिलाओं द्वारा स्पष्ट किया गया जब एक बार कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो उसके जीवित होने की कम सम्भावना रहती है। जिन परिवारों में बीमार व्यक्ति थे उनमें से 2.6 प्रतिशत परिवारों द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि वे बीमार व्यक्ति पर केवल 100.00 रू प्रतिमाह

दवा के ऊपर व्यय कर सकते हैं। अधिकांश परिवारों जिनका प्रतिशत 4.6 रहा है। उन्होंने बीमार व्यक्ति की चिकित्सा की व्यवस्था ऋण लेकर की थी। केवल 1.5 प्रतिशत परिवारों ने यह स्पष्ट किया था कि उन्होंने बीमार व्यक्तियों का ईलाज अपनी बचत द्वारा किया गया है। इसके अतिरिक्त 1.2 प्रतिशत परिवारों ने यह स्पष्ट किया था कि उन्होंने अपने परिवार के बीमार व्यक्ति का ईलाज आंशिक रूप से ऋण लेकर तथा आंशिक रूप से अपनी बचत द्वारा किया था। यदि दशाओं में सुधार करना है तो इसके लिए बड़ी मात्रा में बच्चों के कुपोषण तथा उनकी माताओं के कुपोषण को रोकना होगा जिसके लिए उचित भोजन की व्यवस्था करनी होगी। साथ ही इन परिवारों के लिए पर्याप्त मात्रा में चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रो में करना होगा। चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं से जुड़े व्यक्तियों को उपयुक्त प्रशिक्षण देकर चिकित्सक के अभाव को पूरा किया जा सकता है। स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा ग्रामीण क्षेत्रो में विभिन्न क्षेत्रो में दिया जाना आवश्यक है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रो में बच्चों की शिक्षा में उनके स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा देकर उनकी दशाओं में सुधार किया जा सकता है।

वस्त्र :

भोजन और आवास के साथ वस्त्र को मानव जीवन की एक आवश्यक आवश्यकता कहा जा सकता है। यद्यपि अलग अलग क्षेत्रो में वस्त्रों का पहनावा अलग अलग होता है पर किसी परिवार के आर्थिक स्थिति द्वारा ही उस परिवार के वस्त्रों को निर्धारित किया जाता है। ऐसे परिवारों में जहां दो समय के भोजन का प्रबन्ध करने में कठिनाई होती है। उन परिवारो में अच्छे वस्त्र पहनना एक तर्कहीन बात मालूम होती है। कृषि महिला श्रमिक परिवारों की आय बहुत कम होने के कारण उन्हें या उनके परिवारों

को सभी आवश्यकताओं को पूरा करना एक स्वाभाविक स्तर तक पूरा करना कठिन होता है। कृषि महिला श्रमिक परिवारों के सर्वेक्षण के समय ऐसा पाया गया कि उनके शरीरों पर मुहिया किस्म के वस्त्र पाये गये और वे उनके पासऐसे वस्त्र नहीं थे वे जिनके द्वारा गर्मी और सर्दी में अपनी रक्षा कर सके। परिणाम स्वरूप वे मौसम के अनुसार विभिन्न प्रकार की बीमारियों का शिकार होते हैं। जिसके परिणामस्वरूप उनका स्वास्थ्य खराब बना रहता है। यह एक दुर्भाग्य की बात है कि ग्रामीण क्षेत्र की एक बड़ी जनसंख्या जिसे कृषि श्रमिक के श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है उसके पास अपनी रक्षा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में उपयुक्त मात्रा में वस्त्र न हो। इसके अतिरिक्त उन्हें उपर्युक्त जल आपूर्ति तथा आवास सम्बन्धी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। जिसके लिए उन्हें गन्दे रहने के लिए व गन्दे कपड़े पहनने के लिए बाध्य रहना पड़ता है। जिसके कारण वे विभिन्न बीमारियों के शिकार होते हैं और अंत में उनकी मृत्यु हो जाती है। अक्सर गुणात्मक वस्त्र इन कमजोर वर्ग के लिए पहनना कठिन होता हे जो सामान्य स्तर के वस्त्र होते हैं। इन्ही के सहारे ये परिवार गुजर बसर करते हैं। साथ ही निम्न कोटि के वस्त्र इतने टिकाऊ नहीं होते है जितना उच्च श्रेणी के वस्त्र हुआ करते हैं। इस प्रकार एक समय तक इन परिवारों द्वारा उच्च श्रेणी के गुण वाले वस्त्रों को खरीदना कठिन होता है दूसरी ओर निम्न श्रेणी के वस्त्र अधिक टिकाऊ नहीं रहते हैं। अतः इन परिवारों को एक ओर लागत और दूसरी ओर सस्ते और कम टिकाऊ वस्त्रों के बीच जूझना पड़ता है। परिणामस्वरूप वे फटेहाल बने रहते हैं। अधिकांश महिलाओं ने इस बात को स्पष्ट किया कि उनके पास बदलने के लिए दूसरे वस्त्र नहीं है। और न ही उनके परिवार के सदस्यों के पास उपयुक्त वस्त्र पहने के लिए नही है। इनमें अधिकांश महिलाओं ने स्पष्ट किया कि उनके परिवारों में परिवार के वस्त्र के क्रय करने के लिए बहुत

थोड़ी रकम व्यय की जाती है। इसके अतिरिक्त इन्हें सुबह से शाम तक दूसरे के खेतों पर कार्य करना होता है। इनके साथ इनके बच्चे भी लगते रहते हैं। अतः उन्हें अपने वस्त्रों को साफ करने के लिए समय नही मिल पाता है। इन परिवारों द्वारा कठिन मानवीय श्रम किया जाता है। अतः उन्हें उपयुक्त प्रकार के वस्त्र पहनना आवश्यक है। जिनकी इन परिवारों के पास कमी है। कुछ केसेस में इन महिलाओं ने स्पष्ट किया कि अच्छे गुणों एवं कीमती वस्त्र का पहनना गांव के उच्च वर्ग के महिलाओं को अच्छा नहीं लगता है जिसके कारण वे निम्न कोटि के वस्त्र पहना करती हैं। यह बात बहुत कम महिलाओं ने स्पष्ट की है। इन परिवारो के दयनीय रहन-सहन की दशायें इसी बात से स्पष्ट हो जाती है कि अध्ययन के लिए चुने गये परिवारों में से 83 प्रतिशत परिवारों ने यह स्पष्ट किया कि उनके परिवार में सदस्यों के वस्त्रों पर 400 रू व्यय किये जाते है तथा।5 प्रतिशत महिलाओं ने इस बात को स्पष्ट किया कि उनके परिवार में वस्त्रों पर केवल 100 रू. व्यय किया जाता है तथा 37 प्रतिशत परिवारों में वस्त्रों पर 100 से 200 रू व्यय किया जाता है। तथा इनमें से कुछ महिलाओं ने इस बात को स्पष्ट किया कि वे जिनके घर काम करती हैं उनके द्वारा पुरानी वस्त्रों को लेकर गुजारा करती है इन परिवारों द्वारा वस्त्रों पर किये गये व्यय को सारणी संख्या-- 5 में स्पष्ट किया गया है।

क्रमशः...

सारणी संख्या-5

कृषि महिला श्रमिक परिवारों द्वारा वस्त्रों पर किया गया व्यय

व्यय की गई रकम रूपये में	परिवार की संख्या	कुल में प्रतिशत
100 रू तक 31.6	15.80	
101 से 200 रू तक	75.8	37.07
201 से 400 तक	61	30.42
401 से 600 तक	19	9.64
601 से 800 रू तक	4	2.10
801 से 1000 रू तक	4	2.25
1000 से अधिक	2	1.29
लागू नही होता	1	0.75
रकम स्पष्ट नही कर सकती है	1	0.66
योग	200	100

परम्परायें विचार एवं विश्वास :

वर्तमान अध्यक्ष कृषि महिला श्रमिक परिवारों के आर्थिक दशाओं के साथ साथ उनकी सामाजिक दशाओं से भी संबंधित है। इसलिए विभिन्न आर्थिक पक्षों पर विचार करने के साथ विभिन्न सामाजिक पहलुओं पर विचार करने का प्रयास किया गया है। किसी वर्ग के सामाजिक जीवन को प्रभावित करने में दो महत्वपूर्ण तथ्य धर्म विचार और लोगों के विश्वास आदि का महत्वपूर्ण स्थान है। धर्म सामाजिक जीवन का एक

महत्वपूर्ण निर्धारक है। जिसके द्वारा लोगों की आर्थिक दशायें लोगो के व्यवहार तथा उनके क्रियाकलाप धर्म द्वारा प्रभावित होते हैं। मानव समाज द्वारा अभी भी सामाजिक नियंत्रण निर्धारित करने के लिए धर्म विचार एवं विश्वास के अतिरिक्त अन्य किसी तथ्य की खोज नही की जा सकी है। धर्म का आर्थिक दशाओं पर पड़ने वाले प्रभाव को मैक्स वेवर द्वारापूंजीवाद के विचार के रूप में स्पष्ट किया गया है। वेवर ने स्पष्ट रूप से अपनी रचनाओं में पश्चिमी देशों के आर्थिक समृद्धि के लिए इसाई धर्म की भूमिका को सपष्ट किया है।[5] हिन्दू धर्म के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि यह एक विस्तृत वाला शब्द है। जिसके अंतर्गत कुछ जातियों के धार्मिक विचारों द्वारा उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। और उत्पादन प्रक्रिया भी प्रभावित हुई है जिसका अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। धर्म से सम्बन्धित विश्वास और विचार किसी परिवार तक ही सीमित नही हुआ करते हैं। बल्कि वे विभिन्न सामाजिक संस्थाओं पर भी अपना प्रभाव डालते हैं। ग्रामीण समाज इन धार्मिक विचारों एवं परम्पराओं से अभी भी अधिक प्रभावित है जिसे समाप्त करने के लिए सामुदायिक विकास योजनायें तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं के कार्यक्रम चालू किये गये हैं। जिसकी व्याख्या एस.सी. दूबे द्वारा की गई है।[6] इस सम्बन्ध में अभी भी कोई विशेष परिवर्तन नही हुआ है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अभी भी बहुत कम किसान कृषि में आधुनिक तकनीक अपनाने में विश्वास करते हैं।

---

5. Weber max (Tr. by Talcott Parsons, 1956 'Protestant Ethic and spirit of Capitalism', London George Allen and Unwin P. 35.

6. Dube S.C. (1958) 'Indias Changing Villages' Routledge and Kegam Paul Ltd. London, PP. 132-146.

अभी भी लोग बरसात के समय के अनुसार कृषि का कार्य करते हैं। किसानों के अशिक्षा और अन्धविश्वासी होने की बात सर्वेक्षण में उस समय पाई गई जबकि उनके द्वारा रासायनिक खादों की तुलना में प्राकृतिक एवं गोबर की खादों को अधिक प्रभावशाली होने का विचार स्पष्ट किया गया है भले ही रासायनिक खाद उन्हें सरलता से प्राप्त होती है। जब समाज का पूरा ढांचा धर्म अन्धविश्वासों और परम्पराओं में विश्वास करता है। ऐसी स्थिति में कृषि महिला श्रमिक परिवारों की इससे दूर नही रखा जा सकता है। इन परिवारों में इनके अधिकांशतः हिन्दु होने कारण जन्म से मृत्यु तक धार्मिक विचारधाराओं से सम्बन्धित कार्य सम्पादित किये जाते हैं। अध्ययन में 80 प्रतिशत महिलाओं ने यह स्पष्ट किया कि विवाह शादी व अन्य सामाजिक उत्सव पर व्यय करना अनिवार्य है। अध्ययन में अधिकांश कृषि महिला श्रमिक अनुसूचित जाति वर्ग की थी यहां तक पिछड़ी जाति वर्ग की महिला श्रमिकों में समाज के उच्च जाति वर्ग के लोगों के प्रति असंतोषजनक विचार व्यक्त करने के अतिरिक्त पिछड़ी और अन्य अनुसूचित जातियों में यह पाया गया कि इन वर्गो में कुछ ऐसी अन्य जातियों के वर्ग है जिनमें आपस में छुआछूत व सामाजिक भेदभाव रखा जाता है। इन जातियों में भी उनके द्वारा किये जाने वाले व्यवसाय या कार्य के आधार पर उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा निर्धारित की जाती है। सर्वेक्षण के दौरान ऐसा पाया गया कि प्रत्येक महिला श्रमिक परिवारो में किसी विशेष देवी देवता का पूजन किया जाता है। क्योंकि अधिकांश महिला कृषि श्रमिक हिन्दु जाति वर्ग की है। लगभग 96.5 प्रतिशत महिलाओं ने यह स्पष्ट किया कि उनके परिवार में एवं एक विशेष देवी या देवता है। जिनकी पूजा उनके घरो पर होती है। यद्यपि इनके आवास के मकानों की स्थिति ऐसी नही है। जिनमें वे अलग से पूजा के लिए कोई स्थान निर्धारित करके बल्कि उन्होंने यह स्पष्ट कि जिन घरो में वे रहती है उन्हीं की दीवारों में पूजा करने के व्यवस्था उनके द्वारा की गई है।

अध्याय - छः

कृषि महिला श्रमिकों की आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु अपनाये गये कार्यक्रम:

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पुरूषों महिलाओं एवं बच्चों के सामाजिक एवं आर्थिक दशाओं में सुधार के लिए छवी पंचवर्षीय योजना से अलग अलग कार्यक्रम चालू किये गये हैं। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत गरीबी की रेखा के नीचे आवास करने वाले परिवारों को गरीबी की रेखा के ऊपर उठाने के लिए परिवार के पुरूष सदस्यों को आप सृजित सम्पत्तियां प्रदान की जाती है। जिनके द्वारा इन परिवारों की आय बढ़ सके और ये परिवार गरीबी की रेखा के ऊपर उठ सके। इसी प्रकार 18 से वर्ष से 35 वर्ष के उम्र के बीच के ग्रामीण युवकों को रोजगार के अवसर व स्वरोजगार प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने की योजना प्रदान की गई है। बाद में ऐसा अनुभव किया जाने लगा कि गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों में केवल पुरूषों को आर्थिक सहायता देना ही पर्याप्त नही बल्कि गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों में महिलाओं को भी स्वावलम्बी बनाना आवश्यक है। जिससे उनका और बच्चों का आर्थिक तथा सामाजिक विकास हो सके। इस सम्बन्ध में ग्रामीण क्षेत्रो में जो कार्यक्रम अपनाया गया है। उसे ग्रामीण महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम (ड्वाकरा) कहते हैं।

वर्तमान अध्याय का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र की महिलाऐं एवं बालकों के विकास के लिए अपनाये गये कार्यक्रम का अध्ययन के लिऐ चुने गये गांव की कृषि महिला श्रमिक परिवारों पर क्या प्रभाव पड़ा है। या इन महिलाओं को इस कार्यक्रम से किस सीमा तक लाभ पहुँचा है। इसे सर्वेक्षण के आधार पर एकत्र सूचनाओं के आधार पर स्पष्ट करने का प्रयास किया जायेगा। इसे स्पष्ट करने से पहले इस कार्यक्रम के विभिन्न अंगो पर संक्षेप में विचार करना आवश्यक है।

ग्रामीण महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम

महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम की आवश्यकता :

हमारे प्रदेश में महिलाओं एवं बच्चों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। महिलाओं और बच्चों के सामने सबसे प्रमुख तीन समस्यायें थी ‡1‡ पौष्टिक भोजन ‡2‡ अच्छा स्वास्थ्य व उचित शिक्षा।

इनके अभाव के कारण महिलाओं की मृत्यु दर अधिक थी और अशिक्षित होने के कारण वह अपने परिवार की आर्थिक मदद करने में सक्षम नही थी। धन व साधनों के अभाव के कारण वह अपने बच्चों का उचित पालन पोषण करने में असमर्थ थी।

अतः इन सभी कारणों को देखते हुये प्रदेश सरकार ने बच्चों व महिलाओं के लिए ड्वाकरा योजना प्रारम्भ की। जिसमें महिलाओं को प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गयी थी और जो स्त्रियां अशिक्षित है उनके लिऐ भी आय वृद्धि के अनेक कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये हैं। जिससे वे स्वयं धनोपार्जन करके अपने परिवार की आय में वृद्धि कर सके और अपने बच्चों को उचित शिक्षा प्रदान कर देश का भावी नागरिक बना सकें।

इस कार्यक्रम को प्रारम्भ करने का एक और कारण था वह यह कि जब मां शिंक्षित होगी तभी वह अपने भावी बच्चों को उचित शिक्षा प्रदान कर सकेगी। क्योंकि मां अपने बच्चो को अच्छी शिक्षा व स्वास्थ्य प्रदान करने में सक्षम होगी। यह कहा जाता है कि :-

"स्वस्थ्य शरीर में ही स्वस्थ्य मस्तिष्क निवास करता है।"

ग्रामीण महिलाओं के विकास के लिए सरकार ने प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम प्रारम्भ किया है। इसके अंतर्गत कामकाजी महिलाएं रात्रि के समय शिक्षा प्राप्त कर सकतो हैं। शिक्षा प्राप्त करने के उपरान्त देश की सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में योगदान कर सकती हैं।

यह समस्या अजगर के रूप में हमारे बीच विद्यमान है और यही कारण है कि सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाएं और कार्यक्रम कभी पूर्ण नहीं हो पाते हैं। यह जितना खाद्यान्न उत्पन्न करते हैं उससे कई गुना खाने वाले लोग उत्पन्न हो जाते हैं। और जितनों के लिए रोजगार जुटाती है उससे कई गुना बेरोजगार और उत्पन्न हो जाते हैं।

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम

भारत सरकार ने 8वीं पंचवर्षीय योजना में यह निर्धारित किया था कि जिन परिवारो की वार्षिक आय 11,000.00 रूपये है वे परिवार गरीबी की रेखा के नीचे आयेंगे। एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम अप्रैल 1981 से प्रारम्भ किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत लघु कृषक सीमान्त कृषक, कृषि श्रमिक, गैर कृषि श्रमिक, ग्रामीण दस्तकार एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के विकलांग व्यक्ति और ऐसे शिक्षित बेरोजगार ग्रामीण युवक जिन्होंने कक्षा 8 तक की पढ़ाई की है। उन सभी को रोजगार उपलब्ध कराये जायेंगे।

एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम के अंतर्गत लाभार्थियों की श्रेणी के अनुसार निम्नवत् अनुदान अनुमान्य किया गया :-

क्र0सं0		कुल योजना लागत का अनुमन्य प्रतिशत अनुदान।	अनुदान की धनराशि का अधिकतम अनुमन्य सीमा
1.	लघु कृषक	25 प्रतिशत	सामान्य क्षेत्रो में 4000 रूपये सूखा उन्मुख क्षेत्रो में 5000 रूपये प्रति परिवार।
2.	सीमान्त कृषक श्रमिक तथा ग्रामीण शिल्पकार	33 1/2 प्रतिशत	तदैव
3.	उपरोक्त में से अनु.जनजाति विकलांग	50 प्रतिशत	समस्त क्षेत्रो में से रूपये 6000 प्रति परिवार।
4.	गरीबी की रेखा के नीचें 8वीं कक्षा तक पढ़े ग्रामीण बेरोजगार युवक	50 प्रतिशत	समस्त क्षेत्रो में से 75000 प्रति परिवार

डवाकरा कार्यक्रम

अर्थः एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम के उप-कार्यक्रम के रूप में सन् 1983-84 से यह योजना प्रारम्भ की गयी है। जिसका अर्थ है ग्रामीण महिला एवं बालोत्थान योजना डी.डब्ल्यू.सी.आर.ए. इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं और बच्चों के विकास

के लिए अनेक कार्यक्रम चलाये गये हैं। जैसे बच्चों की देखभाल सम्बन्धी कार्य (चाइल्ड केयर एक्टीविटीज) सूचना शिक्षा एवं संचार के लिए (आई.ई.सी.) आदि कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये हैं ।

उद्देश्य :

डवाकरा कार्यक्रम के अनेक उद्देश्य हैं जो निम्नवत् है :-

(1) महिलाओं के लिए अधिक आय सृजन करने के अवसर सुनिश्चित कराना।

(2) महिलाओं में शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाना।

(3) महिलाओं की आय में वृद्धि कराने के लिए कार्यकलाप मुहैया कराने के साथ-साथ इन्हें संगठनात्मक ढांचा देकर क्षेत्र में उपलब्ध माल और सेवाओं को मुहैया कराने की कारगर भूमिका अदा करना।

(4) महिलाओं को वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं को उचित बाजार प्रदान करना।

(5) ग्रामीण महिलाओं को उच्च सामाजिक एवं आर्थिक स्तर प्रदान करना।

(6) डी. डब्ल्यू. सी. आर. ए. समूहों की समस्याओं को अपना रोजगार प्रारम्भ करने के सरकार से प्राप्त होने वाली ऋण सुविधा में आयु की छूट दी गयी। वैसे ट्राइसेम के मार्ग-निर्देशों के अनुसार सरकार से प्राप्त करने वाले लाभान्वितों की आयु 18 से 35 वर्ष रखी गयी थी। परन्तु इस कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं की आयु 18 से 45 वर्ष रखी गयी।

(7) ड्वाकरा कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं के अन्दर लोकतन्त्र की भावना का विकास करना।

(8) इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं के अन्दर बचत की भावना को जागरूक करना है। जिससे उन्हें आर्थिक संबल प्राप्त हो सके और इसके लिए 'थ्रिष्ट एण्ड क्रेडिट" सोसायटीज का गठन किया गया। उदाहरण के लिए 10 से 15 महिलाओं का समूह गठित किया जायेगा और इसके अंतर्गत प्रत्येक महिला 10 से 15 रूपये जमा कर सकती है। जिसके फलस्वरूप उसे उसके द्वारा जमा की गयी कुल धनराशि मैचिंग शेयर के रूप में आई.आर.डी.पी. अवस्थापना मद से मैचिंग शेयर के रूप में प्रदान की जायेगी और यह मैचिंग ग्रान्ट 15,000.00 रूपये तक ही होगा।

(9) डवाकरा कार्यक्रम का उद्देश्य महिला समस्याओं को उनके द्वारा चालित लघु उद्योग को सफल बनाने के लिए उचित प्रशिक्षण देना तथा उनके द्वारा उत्पादित सामान का उचित मूल्य दिलाना।

(10) ड्वाकरा समूहों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की बिक्री हेतु शोरूमों की व्यवस्था करना। इसी प्रकार का शोरूम वर्ष 1995-96 में विश्व युवक केन्द्र, चाण्क्यपुरी नई दिल्ली में खोला गया है।

(11) डवाकरा कार्यक्रम के अंतर्गत चलाई जा रही (चाइल्ड केयर एक्टीविटीज) और आई.इ.सी. योजना का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं के बच्चों की देखभाल करना उन्हें उचित शिक्षा व स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराना।

(12) लड़कियों को शिक्षित करने के लिए साक्षरता केन्द्रों की व्यवस्था करना। महिला शिशु व पुरूष शिशु की देखरेख में व्याप्त असामनता को समाप्त करना व महिला शिशुओं पर विशेष ध्यान देना।

(13) इ्वाकरा कार्यक्रम से सम्बद्ध महिलाओं के विकलांग बच्चों को सहायता उपलब्ध कराना और बालिकाओं के साथ दुर्व्यवहार होने की दशा में तत्काल आर्थिक सहायता एवं न्याय सुलभ कराना।

ग्रामीण विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु समूह का गठन एवं सदस्यता:

ड्वाकरा कार्यक्रम के सही क्रियान्वयन हेतु समूह गठित करने से पूर्व गांव का चयन किया जाता है। विकास खण्ड के पास वाले ग्रामों के स्तर के रूप में चुना जाता है। ग्रामों का चयन करते समय निम्न बातों का ध्यान रखा जाता है :-

1. चुने गये ग्रामों में आवागमन के साधन हा।
2. लघु उद्योगों की स्थापना हो।
3. बाजारों की निकटता हो।
4. कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो सके।
5. जो व्यवसाय सरकार द्वारा चलाये जाने का निश्चय किया गया है। इसमें पहले से योगदान दिया जाता है।
6. उत्पादित वस्तुओं के उचित विपणन की व्यवस्था हो।

उपरोक्त वर्णित विशेषाओं से युक्त गांव का चुनाव करने के पश्चात् इस ग्राम में समूह का गठन किया जाता है।

मध्य गठन :

प्रदेश सरकार ने जनपदवार भौतिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए समूहों का गठन निश्चित किया। साथ ही साथ यह भी निश्चित किया है कि उक्त योजना का

संचालन प्रदेश के प्रत्येक विकास खण्ड में किया जायेगा। प्रत्येक विकास खण्ड में 50 समूह गठित किये जायेंगे। यदि किसी विकास खण्ड में समूहों की संख्या 50 से कम है तो वहां पर जिलाधिकारी की अनुमति से और समूह गठित किये जा सकते हैं।

समूह के अंतर्गत सदस्यो की संख्या 10 से 15 के बीच रखी जाती है। समूह की सभी सदस्यायें गरीबी रेख्या के नीचे जीवन यापन करने वाली महिलायें होती है अर्थात् उनमें से किसी भी महिला के परिवार की वार्षिक आय 11,000.00 रूपये से अधिक न हो। सभी महिलाओं का सामाजिक व आर्थिक स्तर एक सा होना चाहिये जिससे उनमें विद्यमान रहे।

डवाकरा कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार ने महिलाओं की आयु में छूट प्रदान की है।

इस कार्यक्रम में महिलाओं की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच रखी है। जबकि ट्राइसेम के तहत प्रशिक्षार्थी की आयु 35 वर्ष से अधिक नही होना चाहिए। परन्तु डी.डब्लयू.सी.आर.ए. समूहों की सदस्यायें जिनकी आयु 35 वर्ष से अधिक है उन्हें भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

सबसे प्रमुख बात यह है कि आयु के अधिकता के कारण महिलाओं को प्रशिक्षण व ऋण की सुविधाओं से वंचित नहीं किया जाता है।

समूहों का गठन करने से पूर्व इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि समूह को ऐसे गांव की महिलाओं के माध्यम से गठित किये जायें जहां महिलायें कार्य करने की इच्छुक हों, और कार्यकलाप सफल होने की आशा हो। समूह का गठन

करने के दौरान समूह का गठन ऐसी महिला से हो जो पढ़ी लिखी हो, जिसमें नेतृत्व जिसमें नेतृत्व का गुण विद्यमान हो, कार्यक्रम में रूचि रखती हो और बिना वेतन कार्य करने की इच्छुक हों ऐसी महिला सदस्या को समूह की संयोजिका बनाया जाता है।

इसके अतिरिक्त थोड़ी पढी लिखी महिला को कोषाध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। एक वर्ष तक समूह संयोजिका को 50 रूपये प्रतिमाह रिवाल्विंग फण्ड से प्रदान किया जाता है। समूह के गठन के पश्चात् समूहों की सूची विकास खण्ड अधिकारी को प्रदान की जाती है।

ग्रामीण महिलाओं के विकास के लिए जो समूह गठित किये जाते हैं इसके दो अंग होते हैं :

1. साधारण सभा
2. प्रबन्धकारिणी समिति

साधारणसभा गठन एवं कर्तव्य

महिला समूह के सभी साधारण सदस्याओं को मिलाकर साधारण सभा गठित होती है। इस सभा की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य आयोजित की जाती है। बैठक की सूचना सदस्याओं को दो सप्ताह पूर्व प्रदान की जाती है। सभा की बैठक हेतु सदस्याओं की 1/3 उपस्थिति अनिवार्य है।

इस सभा के अनेक कर्तव्य है :-

1. प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव करना।
2. महिला समूहों का चयन करना।

3. आगामी वर्ष के लिए अनुमानित बजट का प्रस्ताव स्वीकृत करना।.

4. वार्षिक लेखा स्वीकृत करना।

5. महिला समूहों के कार्यक्रमों को स्वीकृत कराना तथा कार्यक्रमों का संचालन सुनिश्चित करना, कच्चे माल तथा विपणन की व्यवस्था करना।

6. संस्था के पदाधिकारियों की वित्तीय एवं प्रशासनिक सीमा निर्धारित करना।

7. महिला समूह द्वारा चलाये जा रहे कार्यकलाप की लाभ हानि का विवरण देना।

8. कार्यकारिणी की समस्याओं के कार्य विभाजन करना।

9. संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सभी विधिसम्मत कार्य करना।

प्रबन्धकारिणी समि :

इस समिति का गठन साधारण सभा की समदस्याओं में चुनाव द्वारा किया जा है। इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष अप्रैल से मार्च तक होता है। प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक वर्ष में कम से कम चार बार आयोजित की जा है। और एक सप्ताह पूर्व बैठक की सूचना प्रदान की जाती है।

प्रबन्धकारिणी समि में कम से कम 7 और अधिक से अधिक 9 सदस्यायें होगीं।

	पद	संख्या
1.	ग्रुप लीडर/अध्यक्षा	1
2.	संयोजिका/मंत्री	1
3.	कोषाध्यक्षा	1
4.	सदस्यायें	6

समिति के प्रत्येक पदाधिकारी के अलग अलग कार्य व अधिकार हैं जो निम्नवत् है :-

अध्यक्षा के कार्य

1. साधारण सभाव प्रबन्धकारिणी समिति की बैठकों की अध्यक्षता करना व अनुशासन बनाये रखना।
2. बैठको में विचारार्थ बिलों का अनुमोदन करना।
3. महिला समूह के कार्यक्रम में सुधार लाना।
4. महिला समूह की असाधारण बैठको में आयोजनों का आदेश पारित करना।
5. संस्था विरोधी कार्य न होने देना।

संयोजिका के कर्तव्य

1. बैठकों की कार्यवाही लिखना एवं उसका रिकार्ड रखना।
2. महिला समूह के कार्यों की प्रगति रिपोर्ट बनाना।
3. महिला समूह द्वारा किये गये कार्यो की सूचना उच्च अधिकारियों को देना।
4. बैठको में विचारणीय विषयों को सहमति से निश्चित करना।
5. अन्य सदस्याओं की सहायता करना।

समूह में केवल एक ही प्रकार की सदस्या होगी अर्थात् साधारण सदस्या है। जिसकी आयु 18 से 40 वर्ष है। ये सदस्यायें प्रतिवर्ष 10 अ0 वार्षिक शुल्क देती है। प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा स्वीकृति दिये जाने पर ही सदस्या मान्य होती हैं।

सदस्यता की समाप्ति

किन्ही कुछ कारणों से समिति अपनी सदस्याओं की सदस्यता समाप्त भी कर सकती हैं। यदि वह निम्न मियां पाती है :-

1. मृत्यु होने पर।

2. पागल या दिवालिया होने पर

3. राज्य सरकार या न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर।

4. संस्था का शुल्क समय पर न देने पर।

5. संस्था विरोधी कार्य करने व प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा निकाले जाने पर।

झांसी जनपद में डवाकरा कार्यक्रम के अंतर्गत समितियों के गठन के माध्यम से ग्रामीण महिला एवं बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जो कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं उनके प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है।

झांसी जनपद में डवाकरा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण के विषय एवं सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता:

डवाकरा कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं को अधिक धनोपार्जन करने के लिए प्रदेश सरकार ने अनेक विषय चुने हैं। जिनके माध्यम से वे आय प्राप्त कर सकती है। समिति ने ग्रामीण महिलाओं के लिए ऐसे लघु उद्योग निश्चित किये हैं जिन्हे वे अपने ग्रामों से प्राप्त कच्चे माल से आसानी से चला सकती हैं। प्रत्येक लघु उद्योग के प्रशिक्षण का समय भी अलग अलग है प्रदेश समिति द्वारा निम्न विषय चुने गये हैं :-

क्र0सं0	**कार्यकलाप का नाम**	**प्रशिक्षण अवधि**
1.	फल संरक्षण कार्यक्रम	एक माह
2.	कताई एवं बुनाई	छः माह
3.	रेशम कीट पालन	एक माह
4.	दुधारू पशुओं का प्रबंध	एक सप्ताह
5.	मुर्गी पालन प्रशिक्षण	दो सप्ताह

6.	मशीन द्वारा बुनाई	चार माह
7.	रेडीमेड गारमेन्ट्स	छः माह
8.	चिकन/जरी कढ़ाई	चार माह.
9.	टोकरी बनाना	तीन माह
10.	दियासलाई बनाना	तीन माह
11.	चटाई बनाना	दो माह
12.	मोमबत्ती बनाना	एक माह
13.	टाटपट्टी बनाना	तीन माह.
14.	अगरबत्ती बनाना	दो माह
15.	मसाला बनाना	एक माह
16.	बडी और पापड़ बनाना	एक माह
17.	दोना पत्तल बनाना	एक माह
18.	तारकशी	छः माह

उपरोक्त वर्णित सभी कार्य ऐसे हैं जिन्हें महिलायें अपने ग्राम में ही रहकर सम्पादित कर सकती हैं और उन्हें इसके अधिक धन की आवश्यकता नही होती है। इनमें से कुछ कार्य तो ग्रामीण क्षेत्रों के परम्परागत व्यवसाय भी हैं। अतः उन्हें आधुनिक बनाने के लिए समिति ने इनके प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत यह निश्चित किया गया कि महिलाओं को दो प्रकार का प्रशिक्षण प्रदान किया जाये। प्रथम प्रेरणात्मक प्रशिक्षण और द्वीय कौशल प्रशिक्षण

प्रेरणात्मक प्रशिक्षणः

प्रेरणात्मक प्रशिक्षण के अंतर्गत महिलाओ के आय वृद्धि के लिए चलाये

गये कार्यक्रम को अपनाने के लिए प्रेरित करना है। जिससे वे अपने परिवार की उन्नति में सहयोग प्रदान कर सकें।

इसके लिए वर्ष में अनेक पत्रक आयोजित किये जाते हैं। समस्त प्रशिक्षण एस.आई.आर.डी./आर.आई.डी. द्वारा सम्पादित किये जाते हैं।

प्रेरणात्मक प्रशिक्षण में निम्न प्रकार सत्र आयोजित किये जाते हैं :-

क्र0सं0	सत्र	कार्य दिवस	रेफ्रेसर दिवस	सत्र आयोजक संस्था
1.	ट्रेनर्स ट्रेनिंग	5 2	एक वर्ष छोड़कर	एस.आई.आर.डी.
2.	सहा.परि.अधि.	5 2	एक वर्ष छोड़कर	एस.आई.आर.डी.
3.	स.वि.अ.	12 4	एक वर्ष छोड़कर	आर.आई.आर.डी.
4.	ग्रा.वि.अ. (महि.)	7 4	एक वर्ष छोड़कर	आर.आई.आर.डी.
5.	जिला स्तरीय अधि कर्म.	1 1	एक वर्ष छोड़कर	आर.आई.आर.डी.
6.	विकास खण्ड स्तरीय स्तरीय अधिकारी	1 1		आर.आई.आर.डी.

कौशल प्रशिक्षण :

कौशल प्रशिक्षण का प्रारम्भ महिला कार्यकर्ताओं की कार्य कुशलता में वृद्धि करने के लिए प्रदान किया जाता है। जब महिलायें अपने कार्यकलाप का चयन कर लेती हैं उसके तुरंत बाद ही उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें 35 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। कौशल प्रशिक्षण होने वाला व्यय आई.आर.डी.पी. वहन करता है।

कौशल प्रशिक्षण अत्यन्त विख्यात संस्थाओं अथवा मास्टर क्राफ्टमैन द्वाराही

ाता है जिससे जो उत्पादित वस्तु हो उसकी गुणवत्ता उच्च स्तर की हो। किसी भी ट्रेड में प्रशिक्षण की अवधि 6 माह से अधिक नही होगी। प्रशिक्षण के उपरांत समूहों को 2 या 3 वर्ष तक कच्चा माल उपलब्ध कराया जाता है। महिला सहायक परियोजना व्यवस्था की जाती है। महिला सहायक परियोजना अधिकारी चयन किये गये कार्यो में प्रशिक्षण के लिए परियोजना निदेशक से अनुमति प्राप्त करती है। जिस समय महिला प्रशिक्षणार्थियों का प्रशिक्षण दिया जाता है उस समय तक उसका निरीक्षण आवश्यक रूप से किया जाता है। कौशल प्रशिक्षण के दौरान ग्राम विकास अधिकारी (महिला), खण्ड विकास अधिकारी (महिला) तथा परियोजना निदेशक, अनिवार्य रूप से निरीक्षण करते हैं उनका निरीक्षण निम्न कार्यक्रमानुसार होता है :-

	निरीक्षण	
1.	ग्राम विकास अधिकारी (महिला)	प्रति प्रशिक्षणरत् समूह सप्ताह में एक बार
2.	सहायक विकास अधिकारी(महिला)	-तदैव-
3.	खण्ड विकास अधिकारी	प्रत्येक शनिवार 5 प्रशिक्षणरत् समूह जनपद में हर प्रशि0
4.	सहा0पनि0 अधिकारी (महिला)	प्रशिक्षण समूह पक्ष में एक बार
5.	परियोजना निदेशक	सप्ताह में 5 प्रशिक्षणरत समूह

प्रत्येक प्रशिक्षण समूह में एक रजिस्टर बनाया गया है जिसके रखरखाव का दायित्व महिला ग्राम विकास अधिकारी का होता है। यह रजिस्टर प्रत्येक प्रशिक्षण स्थल पर उपलब्ध होता है जिससे निरीक्षण कर्ता इस रजिस्टर में तिथि एवं समय सहित अपनी टिप्पणी अंकित कर सके।

खण्ड विकास अधिकारी को छोड़कर उपरोक्त सभी अधिकारियों के निरीक्षण के दिन निश्चित नहीं किये गये हैं क्योंकि इनके द्वारा किया गया निरीक्षण आकस्मिक होता है। जिससे प्रशिक्षण की सही स्थिति ज्ञात हो जाती है।

प्रारम्भिक प्रशिक्षण काल में जिन वस्तुओं का उत्पादन होता है निश्चय ही वे गुणवत्ता की दृष्टि से कम अच्छी होगी इसीलिए महिलाओं के कौशल में अभिवृद्धि करने के लिए एक और प्रकार का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जिसे कौशल अभिवृद्धि प्रशिक्षण कहते हैं।

प्रारम्भिक प्रशिक्षण काल में जिन वस्तुओं उत्पादन होता है निश्चित ही वे गुणवत्ता की दृष्टि से कम अच्छी होगी इसीलिए महिलाओं के कौशल में अभिवृद्धि करने के लिए एक और प्रकार का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जिसे कौशल अभिवृद्धि प्रशिक्षण कहते हैं।

कौशल अभिवृद्धि प्रशिक्षण :

जनपद में कार्यरत ड्वाकरा समूहों द्वारा उत्पादित वस्तुओं में गुणात्मक सुधार लाने के उद्देश्य से कौशल अभिवृद्धि प्रशिक्षण दिया जाता है । इस प्रशिक्षण पर होने वाला व्यय यूनीसेफ वहन करता है।

महिला समूह वस्तु का उत्पादन करने लगते हैं तो यदि उन्हें धन की आवश्यकता पड़ती है तो वे सरकार से ऋण ले सकती हैं उन्हें ऋण में छूट भी प्रदान की जाती है।

सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता:

इस योजना के अंतर्गत समूहों की महिलायें व्यवसायिक बैंको से ऋण प्राप्त

कर सकती है। उनकों ऋण की धनराशि 4 % ब्याज पर देय होती है। महिलाओं को सामूहिक रूप से भी ऋण दिया जाता है।

प्रति महिला कम से कम 17000/- पूँजी निवेश कर सकती है। बैंकों के अतिरिक्त "खादी ग्रामोद्योग बोर्ड" ने भी 4 प्रतिशत ब्याज की दर से महिलाओं को ऋण प्रदान करने की सुविधा दी है।

कभी कभी यह समस्या दिखाई देती हे कि महिलाओं को उचित समय पर ऋण प्राप्त नहीं होता है। अतः अब यह सख्त निर्देश है कि जिन जनपदों में डवाकरा योजना लागू है वहां पर आई.आर.डी.पी. के अंतर्गत महिलाओं का लक्ष्य पूर्ण कराने हेतु सर्वप्रथम डी.डब्लू.सी.आर.ए. की सदस्याओं को ऋण सुविधा उपलब्ध हो। तत्पश्चात् व्यक्तिगत महिला लाभार्थियों के प्रार्थना पत्रों पर विचार किया जायेगा।

झाँसी जनपद में डवाकरा समूह द्वारा उत्पादित वस्तुओं के विपणन की व्यवस्था :

विपणन का अर्थ:

साधारण शब्दो में विपणन का अर्थ वस्तु के विक्रय से होता है। उत्पादक जिस वस्तु का उत्पादन करता है। उपभोक्ता द्वारा वह वस्तु क्रय कर ली जाती है। अतः उत्पादक विक्रेता है और उपभोक्ता क्रेता।

विक्रेता और क्रेता के आपसी सामंजस्य की प्रक्रिया ही विपणन कहलाती है। डवाकरा कार्यक्रम के अंतर्गत जहां एक ओर महिलाओं के द्वारा आयवृद्धि के रोजगार चलाये गये हैं वहीं दूसरी ओर यह भी निश्चय किया है कि समूहों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को उचित मूल्य पर बेचा जाये, जिससे महिला समूह का मनोबल बढ़े और उन्हें अपना

उद्योग चलाने के लिए समय समय पर धन उपलब्ध हो इसके अतिरिक्त उन्हें अपनी मेहनत का उचित प्रतिफल प्राप्त हो सके।

विपणन की व्यवस्था करने का एक प्रमुख कारण यह भी है कि महिला समूहों द्वारा प्रारम्भिक अवस्था में जिन वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। निःसंदेह उसकी गुणवत्ता कम होती है। इसलिए ट्रेनिंग की अवधि समाप्त होने पर महिला सहायक परियोजना अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत निगरानी में वस्तुओं की बिक्री होती है। प्रदेश सरकार ने वस्तुओं के उचित विपणन हेतु निम्नलिखित नियम निश्चित किये हैं।

1. ग्रामीण महिला एवं बालोत्थान योजना के अंतर्गत महिला समूहों द्वारा उत्पादित वस्तुओं हेतु कच्चे माल की आपूर्ति और आन्तरिक व वाहय स्तर पर वस्तुओं के विपणन की जिम्मेदारी सहायक परियोजना अधिकारी की होती है।

2. महिला समूहों के व्यवसाय, उत्पादन एवं विपणंन के सम्बन्ध में जिला उद्योग केन्द्र खादी ग्रामोद्योग बोर्ड तथा उत्पादन एवं विपणन में कार्यरत अन्य विभाग एवं संस्थाओं के परामर्श से क्षेत्रीय आवश्यकताओं एवं संस्थाओं के अनुरूप विकास खण्डों के वार्षिक उत्पादन की कार्य येाजना तेयार की जायेगी।

3. प्रदेश सरकार ने योजना में उत्पादन एवं विपणन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से यह निश्चित किया है कि डवाकरा कार्यक्रम के अंतर्गत महिला समूहों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को समाज कल्याण विभाग सामाजिक वानिकी विभाग, राज्य कृषि उत्पादन परिषद खादी ग्रामोद्योग बोर्ड तथा बाल विकास एवं पुष्टाहार विभागों द्वारा मण्डलीय/जनपद स्तर पर प्राथमिक आधार पर क्रय किये जायेंगे।

4. सरकार ने यह भी निश्चित किया कि जनपद स्तर पर आयोजित मेलों

में महिला समूहों द्वारा उत्पादित वस्तुयें रखी जायेंगी। इसके अतिरिक्त प्रदेश के अन्य भागों में भी महिला समूहों को अपने उत्पादित सामान के साथ भेजा जाये। इस प्रकार के कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए वस्तुओं का उत्पादन पहले से ही कराया जाये ताकि अधिकतम बिक्री हो सके। इसकी जिम्मेदारी सहायक परियोजना अधिकारी की होती है।

5. सरकार द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया है कि महिला समूहों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के विपणन हेतु प्रत्येक जनपद स्तर पर एक शोरूम खोला जाये और उसमें महिलाओं द्वारा उत्पादित वस्तुओं को ही बेचा जाये। इस प्रकार का एक शोरूम 1995 में विश्व युवक केन्द्र, चाणक्यपुरी नई दिल्ली में खोला गया है।

एक महत्वपूर्ण नियम यह भी बनाया गया है कि हो सकता है शोरूम में वस्तु की बिक्री में 3-4 माह का समय लग जाये अतएवं महिला समूहों द्वारा शोरूम में भेजी जाने वाली सामग्री का भुगतान ए.डी.एम.पी./परियोजना निदेशक/ए.पी.ओ. (महिला) खिल्विंग फन्ड अथवा उसके ब्याज से अर्जित धंनराशि से कर दी जाय।

6. डवाकरा कार्यक्रम के अंतर्गत महिला समूहों द्वारा उत्पादित सामग्री के विपणन से प्राप्त धनराशि का वितरण महिला समूह की सभी सदस्याओं में किया जाना चाहिये जिससे उनके उत्पादन करने का मनोबल बढ़ता रहे।

इसके अतिरिक्त यह भी निश्चित किया गया कि प्राप्त धनराशि का कुछ अंश रिवाल्विंग फंड में जमा कर दिया जाये जिससे फण्ड की प्रतिपूर्ति होती रहे क्योंकि कच्चे माल की आपूर्ति फण्ड से ही की जाती है। जिससे उत्पादन लागत व महिलाओं को प्राप्त लाभ में सामंजस्य बना रहे।

7. ड्वाकरा समूह की महिलाओं को उत्पादन में वृद्धि करने के लिए जनपद स्तर पर ऐसी समितियों का गठन किया जाये जो कच्चे माल की निरन्तर उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ साथ महिलाओं को उत्पादन पूरक प्रशिक्षण तथा उद्यमिता विकास का प्रबन्ध एवं विपणन की समुचित व्यवस्था करे।

8. प्रदेश सरकार ने महिला समूहों द्वारा उत्पादित उत्पादों की गुणवत्ता नियंत्रित करने के लिए एगमार्क तथा एफ.पी.ओ. प्रमाण पत्र प्रदान किये हैं क्योंकि प्रमाणीकरण के अभाव में खाद्य पदार्थो की बिक्री अनियमित न हो जाये।

9. प्रदेश सरकार ने यह भी अनिवार्य किया कि उत्पादों की अधिक बिक्री हेतु उत्पादों की आकर्षक पैकेजिंग तथा सामान्य ब्राण्ड का नाम पैकेट का भार तथा विक्रय मूल्य पैकेट पर छपा होना चाहिए।

10. डवाकरा कार्यक्रम के निदेशक मण्डल ने यह भी निश्चित किया कि महिला समूहों द्वारा उत्पादित निर्मित सामानों की बिक्री हेतु उनका प्रदर्शनी में शामिल होना आवश्यक होगा चाहे वे विकास खण्ड स्तर पर हों, जिला स्तर पर या राज्य स्तर व केन्द्र स्तर पर हों।

उपरोक्त वर्णित सरकार द्वारा बनाई गयी नीतियों का मूल उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं द्वारा निर्मित सामग्री का उचित मूल्य दिलवाना व समय पर उनका विक्रय करवाकर उत्पादन प्रणाली को सुचारू रूप प्रदान करना है। इसका प्रत्यक्ष लाभ देखने को भी मिला है।

झाँसी जनपद में यह योजना 1992-93 से संचालित है। इसके 5 विकास-खण्ड हैं।

1. चिरगांव
2. मऊरानीपुर
3. बबीना
4. बंगरा
5. बड़ा गांव

डवाकरा योजना के अंतर्गत आरम्भ से वर्ष 1996-97 तक 195 समूह गठित करने का लक्ष्य निर्धारित किया था जो कि पूर्ण हो चुका है। इन समूहों ने अब तक 9.89 लाख रूपये की सामग्री उत्पादित की है और 9-58 लाख रूपये बिक्री से प्राप्त किये हैं, इन सभी समूहों के पास उपलब्ध कुल धनराशि 4-66 लाख रूपये हैं।

प्रदेश सरकार द्वारा जो विपणन समिति गठित की है उसका उद्देश्य महिला समूहों द्वारा उत्पादित सामग्री का समय समय पर विक्रय करवाना तथा उनको उनकी मेहनत का उचित प्रतिफल प्राप्त करवाना, उत्पादित सामग्री की गुणवत्ता में वृद्धि करना ताकि समूहों द्वारा उत्पादित सामग्री आधुनिक बाजार की प्रतियोगिता में सफल हो सके। गुणवत्ता बढ़ाने के साथ साथ उसे आकर्षक रूप प्रदान करना ताकि उसके खरीदार बढ़ सकें और वे बाजार में अपनी जगह बनाने में सफल हों।

इसके अलावा कच्चे माल की आपूर्ति करना जिससे उत्पादित समूह निष्क्रिय न हो जाये। समूह की महिलाओं के अंदर बचत की भावना जाग्रत करने के लिए थ्रिप्ट एण्ड क्रेडिट सोसायटीज बनाई गयी। जिसमें महिला 10 से 15 रू. प्रतिमाह जमा कर सकती है।

डवाकरा योजना एक प्रमुख अंश चाइल्ड केयर एक्टीविटीज और आई.ई.सी. कार्यक्रम है।

चाइल्ड केयर एक्टीविटीज और आई. ई. सी.

डवाकरा येाजना मुख्यतः महिलाओं और बच्चों के लिए चलाई गयी योजना है, इसका मुख्य उद्‌देश्य महिलाओं को आर्थिक दृष्टि से समृद्ध बनाना व शिक्षित करना हैं तथा बच्चों को उचित शिक्षा व स्वास्थ्य तथा पौष्टिक भोजन की व्यवस्था करना है। चाइल्ड केयर एक्टीविटीज और आई. ई. सी. कार्यक्रम डवाकरा योजना का ही अंश है। इन कार्यक्रमों के द्वारा सरकार ने असंगठित ग्रामीण क्षेत्रो में कार्य करने वाली महिलाओं जिनकी संख्या बहुत अधिक है वे अपने बच्चों की उचित देखभाल नहीं कर पाती है अतः ऐसे बच्चों की देखभाल के लिए अलग से धन दिये जाने की व्यवस्था दी है।

हमारे देश के ग्रामीण लोगों का जीवन अत्यन्त शोचनीय है। वह निरक्षर होने के साथ साथ गरीब भी है।

भारतीय कृषक के सम्बन्ध में यह लोकोक्ति प्रचलित है :-

"वह कर्ज में ही जन्म लेता है और कर्ज के बोझ से दबकर व्यस्क होता है तथा एक दिनअपनी जीवन यात्रा भी इसी बोझ तले समाप्त देता है और विरासत में यह कर्ज का बोझ अपने उत्तराधिकारियें को दे जाता है।"'

जिस परिवार की आधारशिला ही गरीबी और लाचारी हो वह अपने बच्चों को क्या शिक्षा देगा और क्या स्वास्थ्य तथा पौष्टिक भोजन प्रदान करेगा?

अतः इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा डवाकरा योजना के अंतर्गत "बच्चों की देखभाल सम्बन्धी क्रियाकलाप" व "सूचना शिक्षा एवं संचार" कार्यक्रम प्रारम्भ किये हैं।

बच्चों की देखभाल सम्बन्धी क्रियाकलापः

इस कार्यक्रम के अंतर्गत डवाकरा समूह के बच्चों की क्रेश की सेवा प्रदान की जायेगी और बालिकाओं की असाक्षरता को समाप्त करने के लिए विद्यालयों की स्थापना की गयी है। शिशु महिला एवं शिशु पुरूष की देखभाल में व्याप्त असमानता को समाप्त करने की व्यवस्था की है और महिला शिशुओं की देखरेख पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

ऐसी व्यवस्था करने का प्रमुख कारण यह है कि हमारे समाज में स्त्री को अधिक सम्मान प्राप्त नहीं हैं। अतः यही कारण है कि पुरूषों की तुलना में महिलाओं को उन्नति के कम अवसर दिये जाते हैं उन्हें पौष्टिक भोजन भी नहीं दिया जाता है। उच्च शिक्षा के रास्ते भी सामान्यता उनके लिए बन्द ही रहते हैं। यदि कोई महिला आगे बढ़ना चाहती है तो उसे अपने विषयों की परीक्षा के साथ साथ पारिवारिक व सामाजिक अनेक अग्नि परीक्षाओं से गुजरना होता है।

ऐसी समाज व्यवस्था को देखते हुए सरकार ने ये कार्यक्रम चलाया है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण व शहरी दोनों ही क्षेत्रों के बच्चों को स्वस्थ्य व शिक्षा की उन्नत सेवा प्रदान करना हैं। क्योंकि आज के बच्चे ही कल देश की भावी नागरिक बनेंगे और जिस देश के नागरिक जितने सभ्य व स्वस्थ्य होते हैं वह देश उतनी ही तीव्र गति से उन्नति करता है।

अपने देश के बालक-बालिका स्वस्थ्य व शिक्षित हो इसी स्वप्न को साकार करने के लिए प्रदेश सरकार ने डवाकरा कार्यक्रम के तहत छः वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल के लिए क्रेशों की स्थापना की है। इनकी संख्या प्रत्येक जनपद

में 10 है। क्रेश का समय प्रातः 10.00 बजे से सांय 4.00 बजे तक होता है। इसके लिए एक पढ़ी लिखी महिला चुनी जाती हे उसे प्रतिमाह 400/- रूपये दिये जाते हैं। इसमें बच्चों के खेलने के लिए खिलौने भी होते हैं। क्रेश में रहने वाले प्रत्येक बच्चें को दलिया व खिचड़ी दी जाती है। और इन्हीं क्रशों के भवनो में सांय 4 बजे से 6 बजे तक प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम चलाया जाता है।

डवाकरा समूह की किसी महिला का बच्चा यदि विकलांग है तो उसे कृत्रिम अवयव भी उपलब्ध कराये जाते हैं और इसकी स्वीकृत धनराशि 500.00 रूपये है।

भारत सरकार ने पोलियो जैसे अभिशाप को जड़ से नष्ट कर देने के लिए प्रतिवर्ष दो अतिरिक्त खुराकें प्रदान करने की व्यवस्था की है। गत वर्ष 1995 में 9 दिसम्बर व 20 जनवरी को इसकी खुराकें देश के करोड़ों बच्चों को दी गयी थी और इस वर्ष 1996 में 7 दिसम्बर व 18 जनवरी 1997 में देना निश्चित किया गया है।

इस समाज कलयाण कार्यक्रम को जन आन्दोलन बनाने के लिए प्रत्येक शहर में स्कूली बच्चों ने रैली निकाली तथा उनके हाथों में पल्स पोलियों की खुराक से होने वाले लाभों का विवरण था। हमारे शहर झाँसी में भी जन जागरणं के लिए रैली निकाली गई थी जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है :-

उपरोक्त कार्यक्रमों के अतिरिक्त प्रदेश सरकार ने एक ओर कार्यक्रम चलाया है जिसको "ग्रामीण बच्चों को मध्यान्ह भोजन येाजना" का नाम दिया है। इस योजना उद्देश्य भी ग्रामीण बच्चों को पौष्टिक भोजन सुलभ कराना है। इस कार्यक्रम को पूरे प्रदेश में चलाया गया है प्रदेश के 38 जनपदों के 248 विकास खण्डो में यह योजना चल रही है। इसमें 30 जनपद मैदानी व 8 पर्वतीय है।

मैदानी क्षेत्र के 162 विकास खण्ड व पर्वतीय क्षेत्र 86 विकास खण्ड लिये हैं। इस योजना के तहत प्रत्येक विद्यार्थी जिसकी कक्षा में उपस्थिति 80% है उसे 100 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से 3 किलोग्राम महीने का खाद्यान्न देने की व्यवस्था की गयी है। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 15 अगस्त से 31 अक्तूबर 1995 तक 1.14 लाख कुन्तल खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया था। नवम्बर दिसम्बर 1995 के लिए 1.52 लाख कुन्टल खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया था।

इस योजना के लागू होने से स्कूल आने वाले बच्चों के प्रतिशत में आशातीत वृद्धि हुयी है। इस योजना को चलाने के मुख्य दो उद्देश्य है :-

1. ऐसे बच्चों को पढ़ने के लिए आकर्षित करना जो एक दो वर्ष विद्यालय जाने के बाद पढ़ना छोड़ देते हैं या महीने में केवल 10 या 15 दिन स्कूल जाते हैं।

2. ग्रामीण बच्चों को पौष्टिक भोजन के रूप में गेहूँ व चावल प्रदान करना।

सूचना शिक्षा एवं संचार - आई. ई. सी. :

ग्रामीण महिलायें विशेषत: जो कि गरीब हैं एवं गरीबी की रेखा के नीचे हैं उनका विकास काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मिलकर गरीब देश की आधी जनसंख्या बनाती हैं। सरकार द्वारा चलाये गये अनेक विकास कार्यक्रमों की जानकारी न होने के कारण उन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में कठिनाई उत्पन्न होती है। अत: 1995-96 में डवाकरा कार्यक्रम की तीव्र गति प्रदान करने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार का अभियान प्रारम्भ किया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को डवाकरा

एवं विशेष थ्रिप एण्ड क्रेडिट के सम्बन्ध में शिक्षित करना है।

यह पारम्परिंक सम्पर्क आडियो विजुअल एवं छपे हुए साहित्य के माध्यम से किया जाता है।

उद्देश्य :

डवाकरा योजना के अंतर्गत सूचना, शिक्षा एवं संचार (आई.ई.सी.) का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं विशेषतः वे महिलायें जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है उन ग्रामीण महिलाओं में निम्न कार्यक्रमों के सम्बन्ध में जागरूकता पैदा करना है :-

(1) विभिन्न विकास सम्बन्धी कार्यक्रम जो उनकी प्रगति तथा कल्याण के लिए चलाये जा रहे हैं।

(2) डवाकरा समूहों को और अधिक स्वावलम्बी बनाने हेतु थ्रिप्ट एण्ड क्रेडिट गतिविधियों के प्रति जागरूकता पैदा कर महिलाओं में बचत की भावना पैदा करना है।

(3) डवाकरा कार्य देखने वाले कार्यकर्ताओं एवं समूहों के सदस्यों को थ्रिप्ट एण्ड क्रेडिट का प्रशिक्षण।

गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं के उत्थान के लिए सूचना, शिक्षा एवं संचार के कार्यान्वयन हेंतु प्रत्येक जिला ग्राम्य विकास अँभिकरण को 1.50 लाख रूपये प्रदान किये जाते हैं।

इसके अतिरिक्त इस कार्यक्रम के अंतर्गत थ्रिप्ट एण्ड क्रेडिट कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षित भी किया जाता है और इस कार्यक्रम के लिए प्रति समूह 200.00 रू उपलब्ध भी कराया जाता है।

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि सूचना शिक्षा एवं संचार का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं और बच्चों को चहुँमुखी विकास करना है।

झाँसी जनपद में डवाकरा की प्रगति रिपोर्ट

हमारे समाज में महिलाओं की भागीदारी 50 प्रतिशत है। यदि महिलाओं को आर्थिक क्रियाकलापों से वंचित रखा गया तो समाज का सम्पूर्ण विकास नहीं हो सकता है। समाज आर्थिक दृष्टि से विकलांग रहेगा। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुये प्रदेश सरकार ने 1983-84 में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के रूप में चलाया जा रहा है। डवाकरा योजना इसी कार्यक्रम का उप कार्यक्रम है।

इस योजना में झाँसी जनपद में 1992-93 से संचालित की जा रही है। झाँसी जनपद में यह योजना 5 विकास खण्डो में चल रही है।

(1) बंगरा

(2) बड़ा गांव

(3) चिरगांव

(4) मऊरानीपुर

(5) बबीना

योजना के प्रारम्भ से सरकार ने 195 महिला समूहों के गठन का लक्ष्य निर्धारित किया है जिसे पूर्ण कर लिया गया है। डवाकरा योजना की प्रगति की दो खण्डो में विभाजित कर सकते हैं

(1) भैतिक प्रगति

(2) वित्तीय प्रगति व अन्य क्षेत्र

भौतिक प्रगति :

हमारी जनपद झाँसी में डवाकरा योजना के क्षेत्र में निम्न प्रगति हुयी है जो निम्नवत् है :-

वर्ष	समूह गठन का लक्ष्य	चयनित विकास खण्ड
1992-93	50	चिरगांव, बबीना, मऊरानीपुर,
1993-94	25	बंगरा, बड़ा गांव
1994-95	15	
1995-96	30	
1996-97	75	
योग	195 समूह	

झाँसी जनपद में गठित महिला समूहों की संख्या 195 है जिसमें कुल पंजीकृत समूह 160 हैं। सक्रिय समूहों की संख्या 90 है।

वित्तीय प्रगति :

झाँसी में डवाकरा योजना ने वित्तीय क्षेत्र में अग्रलिखित प्रगति की है।

समूहों की कुल उपलब्ध धनराशि 4.66 लाख है। सक्रिय समूहों ने 9-89 लाख रूपये की सामग्री का उत्पादन किया जिसकी बिक्री करने पर 9-58 लाख रूपये प्राप्त हुये। समूहों की अवशेष धनराशि 0-88 लाख रूपये है। समूहों को वर्षवार प्राप्त धनराशि 3-78 लाख रूपये है। 5 वर्षो के दौरान सक्रिय समूहों ने 2-345 लाख रूपये रिवाल्विंग फण्ड के उपभोग किये।

जनपद के मुख्य व्यवसाय :

डवाकरा योजना के अंतर्गत झाँसी जनपद में चल रहे व्यवसाय निम्नलिखित है - मिनी डेरी, रेडीमेड, गार्मेन्ट्स, अचार-मुरब्बा, हथकरघा, बाँस टोकरी, बरी पापड़, दरी कम्बल, रैकसीन, बैग, सोफा कवर, दरी-कालीन आदि है। झाँसी जनपद में बाँसी की टोकरी बनाने का व्यवसाय अधिक तीव्र गति से चल रहा है क्योंकि इसमें लागत कम लागत है और कच्चा माल आसानी से उपलबध हो जाता है।

डवाकरा योजना झाँसी जनपद के ग्रामीण क्षेत्रो के परिवारों के आर्थिक तथा पोषण स्तर को ऊँचा उठाने के लिए तथा महिलाओं और शिशुओं का विकास करने हेतु आय वृद्धि करने के कार्यकलाप मुहैया कराने के साथ साथ उन्हें संगठनात्मक ढांचा देकर क्षेत्र में उपलब्ध माल एवं सेवाओं को मुहैया कराने में कारगर भूमिका अदा कर रही है।

इस योजना का सही रीति से क्रियान्वयन होता रहा तो हमारे प्रदेश में महिलाओं व बच्चों का स्तर अवश्य ऊँचा उठ जायेगा।

समितियों की जांच एवं निरीक्षण

हमारे देश में सरकार ने जितने भी विकास कार्यक्रम चलाये हैं अथवा समितियों का निर्माण किया है उनके लिये सरकार ने यह प्रावधान रखा है कि विकास के लिये बनायी गई सभी समितियों का वर्ष में एक बार निरीक्षण व अंकेक्षण करवाया जाये। निरीक्षण व अंकेक्षण की क्रिया को आडिट कहा जाता है।

आडिट का अर्थ :

आडिट का सामान्य शब्दो में अर्थ अंकेक्षण से लगाया जाता है इसके अंतर्गत

समितियो के बहि-खातों का निरीक्षण किया जाता है तथा उसके लेनदेन व आय-व्यय के समस्त लेखे जोखे देखे जाते हैं। जिससे यह ज्ञात हो सके कि अमुक समिति ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन कर रही अथवा नहीं।

आडिट का अधिकार अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग विभागीय अधिकारी को होता है। डवाकरा योजना के अंतर्गत निरीक्षण का अधिकार ग्राम विकास अधिकारी (महिला) खण्ड विकास अधिकारी/सहायक विकास अधिकारी (महिला) तथा परियोजना निदेशक को है। उपरोक्त सभी अधिकारी प्रशिक्षण के दौरान निम्न कार्यक्रम के अनुसार निरीक्षण करते हैं।

1) ग्राम विकास अधिकारी (महिला)	प्रति प्रशिक्षणरत समूह सप्ताह में एक बार
2) सहायक विकास अधिकारी (महिला)	प्रति प्रशिक्षणरत समूह सप्ताह में एक बार
3) खण्ड विकास अधिकारी	प्रत्येक शनिवार 5 प्रशिक्षणरत समूह जनपद में हर प्रशि.
4) सहा. परियोजना अभि. (महिला)	प्रति प्रशिक्षणरत समूह पक्ष. मे एक बार
5) परियोजना निदेशक	सप्ताह में 5 प्रशिक्षणरत समूह

प्रत्येक प्रशिक्षणरत समूह के सम्बन्ध में एक रजिस्टर बनाया जाता है और यह रजिस्टर प्रशिक्षण स्तर पर हमेशा उपलब्ध रहता है। प्रत्येक निरीक्षणकर्ता द्वारा इस रजिस्टर में अपनी टिप्पणी तिथि एवं समय सहित अंकित की जाती है।

खण्ड विकास अधिकारी को छोड़कर सभी के दिन निश्चित नहीं रहते हैं। अतएवं उनके द्वारा किये गये निरीक्षण की प्रवृत्ति आकस्मिक होती हे जिससे सही स्थिति ज्ञात हो सकती है।

खण्ड विकास अधिकारी को छोड़कर सभी के दिन निश्चित नहीं रहते हैं। अतएवं उनके द्वारा किये गये निरीक्षण की प्रवृत्ति आकस्मिक होती हे जिससे स्थिति ज्ञात हो सकती है।

डवाकरा कार्यक्रम के अंतर्गत यह अनिवार्य किया गया है कि समूहों द्वारा उत्पादित वस्तुओं तथा उनके द्वारा उपभोग किये गये माल का विवरण एवं बिक्री से प्राप्त धनराशि का विवरण महिला विकास अधिकारी अपने से बड़े अधिकारियों को भेजती है।

इसके अतिरिक्त समूहों की वार्षिक व्यय विवरण भी रखना होता है जिसे निम्न शीर्षकों के अंतर्गत रखा जाता है :-

31 मार्च को समाप्त हुये वर्ष का वार्षिक व्यय विवरण

1) पिछले वर्श के दौरान प्राप्त हुई निधियां

(क) भारत सरकार का अंश

(ख) राज्य सरकार का अंश

(ग) यूनीसेफ का अंश

2) निम्नलिखित में से वास्तविक व्यय :

क) भारत सरकार एवं राज्य सरकार का अंश

ख) राज्य सरकार का अंश.

ग) यूनीसेफ का अंश

3) चालू वर्श की पहली अप्रैल को उपलब्ध खर्च न की गयी बकाया धनराशि

क) भारत सरकार और राज्य सरकार का अंश

ख) यूनीसेफ अंश के अंतर्गत

इसके अतिरिक्त डवाकरा योजना के अंतर्गत बच्चों के विकास के लिए जो देखभाल सम्बन्धी क्रियाकलाप और आई.ई.सी. कार्यक्रम चलाये गये हैं उनके भी निरीक्षण का प्राविधान रखा गया है। इस योजना के अंतर्गत जनपद द्वारा सम्पादित कार्यक्रमों का त्रैमासिक अनुश्रवण किया जाता है और इसकी प्रगति रिपोर्ट आयुक्त ग्राम विकास को भेजी जाती है।

उपरोक्त सभी प्रविधानों का मूल उद्देश्य सरकार द्वारा चलायी गयी योजनाओं को तीव्र गति से क्रियान्वित करना है ताकि ग्रामीण जीवन स्तर सुधर सके।

झाँसी जनपद में डवाकरा की समस्याएं एवं सुझाव

झाँसी जनपद में डवाकरा योजना 1992-93 से संचालित की जा रही है। इस योजना का मूल उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं और बच्चों का सर्वागीण विकास करना है। इसके अतिरिक्त इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना व बच्चों को उत्तम स्वास्थ्य, शिक्षा व पौष्टिक भोजन की व्यवस्था करना है। इस समस्त कार्यों के लिए सरकार समय समय पर अनुदान भी स्वीकृत करती है इसके अतिरिक्त डवाकरा योजना की अनेक समस्यायें हैं जिसके कारण यह योजना अपनी उपलब्धता की चरम सीमा नहीं प्राप्त कर सकी हैं इसके निम्न कारण हैं :-

(1) महिला समूहों द्वारा संचालित उ.ेगों को सुचारू रूप से चलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध नहीं हो पाता है। महिलाओं के अशिक्षित होने के कारण कच्चा माल उपलब्ध कराने वाले बिचौलिये अधिक मात्रा में मूल्य ले लेते हैं।

(2) महिलायें अपने रोजगार को बढ़ाने के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए प्रार्थना

पत्र बैंको को देती हैं वह उन्हें समय से प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि वर्तमान समय में प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि वर्तमान समय में सभी विभागो में भ्रष्टाचार व घूसखोरी विद्यमान है। बैंको के कार्यकर्ता यह चाहते हैं कि जितना महिला समूह ऋण चाहता है इसमें कुछ प्रतिशत उन्हें भी मिल जाये। जो महिलायें ऐसा करती है अन्यथा एक लम्बा समय लग जाता है।

(3) ग्रामीण क्षेत्रो में आवागमन का रास्ता अच्छा नही है सामान्यतः सड़के कच्ची है और वे भी बड़े - बड़े खण्डों से भरपूर हैं जिनमें वर्षा ऋतु में तो इतना पानी भर जाता है तब यह बताना भी असम्भव हो जाता है कि यहां पर सड़क थी भी या नहीं।

(4) समूहों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के विपणन की उचित व्यवस्था नहीं है। सरकार ने इसके लिए अनेक प्राविधान बनाये हैं परन्तु सिद्धान्त और व्यवहार में काफी अन्तर होता हे नियम बनाने व पुस्तकों में छापने और उसे व्यवहारिक जीवन में लागू करने में जमीन आसमान का अन्तर है। डवाकरा योजना के अंतर्गत यह प्राविधान है कि उत्पादित वस्तुओं के विक्रय के लिए मेले अथवा प्रदर्शनियां लगायी जायेंगी औरशोरूम खोले जायेंगे तथा उत्पादकों को उनकी वस्तुओं का मूल्य पहले ही प्रदान कर दिया जायेगा चाहे उनकी सामग्री बिके अथवा न बिके परन्तु व्यवहार में यह दिखाई नहीं देता है।

(5) सामान्यतया यह देखने में आता है कि अधिकारी वर्ग पूरा ध्यान नहीं देता है। अधिकारियों का कार्य केवल योजना सम्बन्धी निर्देश देना ही नहीं होता है बल्कि जनता को इस कार्यक्रम के प्रति जागरूक करना व उनकी सहायता करना होता है जिससे उनका विश्वास प्राप्त किया जा सके। इसकी पूरी जिम्मेदारी खण्ड विकास अधिकारी की होती है।

(6) डवाकरा योजना के अंतर्गत बच्चों के लिए जो उत्तम शिक्षा, स्वास्थ्य व पौष्टिक भोजन की व्यवस्था की गयी है उसके अंतर्गत ग्रामीण बच्चों को 3 किलोग्राम प्रत्येक बच्चे को अनाज देने की व्यवस्था की गयी है परन्तु वास्तव में कितना दिया जाता है। किलो या उससे भी कम। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मैने अपने मोहल्ले में रहने वाले ग्रामीण प्राइमरी स्कूल के प्रधानाचार्य के यहां रखे हुये 2 बोरे गेहूँ के देखे। प्रधानाचार्य महोदय स्वयं कह रहे थे कि सरकार ने 3 बोरे दिये थे । बांट दिया कौन देखता है।

(7) बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने जो योजना बनाई हे उसमें स्वच्छ पेयजल की भी व्यवस्था है क्योंकि जल मनुष्य का जीवन है। कारण उन्हीं परम्परागत साधनों को अपना कर व्यवसाय चलाये जाते हैं जिससे उत्पादन लागत अधिक आती है और लाभ कम होता है।

(8) डवाकरा के माध्यम से सरकार ने यह अनिवार्य किया है कि प्रत्येक बच्चें को कम से कम प्राइमरी स्कूल तक की शिक्षा अवश्य प्रदान की जायेगी और बाल श्रम अथवा बाल मजदूरी को कानून अपराध घोषित किया गया है।

(9) महिला समूहों को जो प्रशिक्षण प्रदान करते हैं उनमें अधिकांशत ग्रामों के कुशल कारीगर या पुराने व्यवसायी होते हैं अतः वे उन्हें आधुनिक उत्पादन प्रणाली व आधुनिक क्षेत्रो के प्रयोगों का उचित शिक्षण नहीं दे पाते हैं।

(10) ग्रामीण क्षेत्रो में ही नही शहरी क्षेत्र झांसी जनपद में भी पेयजल की बहुत ही विषम स्थिति है केवल हैण्डपम्पों की ही ऐसी स्थिति नहीं है बल्कि नदियों का भी वही हाल है लोग वहीं पर नहाते हैं कपड़े धोते है बर्तन मांजते है तथा गन्दे नालों का पानी भी उसी नदी में आकर मिल जाता है और वही पानी हमारे आपके घरो में आता है। आम तौर पर बारिश के महीने में दूषित पानी पीने के कारण हजारो आदमी बीमार हो जाते हैं और कई तो अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर देते हैं।

सुझावः

सरकार हो या मनुष्य जब वह कोई भी कार्य प्रारम्भ करते हैं तो उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है और जो व्यक्ति इन समस्याओं पर विजय प्राप्त कर लेता है उसका कार्य भी सफल हो जाता है।

यदि डवाकरा समिति निम्न सुझावों को अपना ले तो झांसी जनपद में उसे आशातीत सफलता मिल सकती है -

(1) जिस प्रकार डवाकरा समिति ने उत्पादन केन्द्रों की व्यवस्था की है उसी प्रकार कच्चे माल के भी केन्द्र बनाये जायें जिससे महिलाओं की दलालों पर निर्भरता कम हो सके।

(2) सरकार को इस प्रकार का नियम बनाना चाहिये कि यदि किसी महिला का प्रार्थना पत्र बैंक में एक सप्ताह से ज्यादा पड़ा रहता है और उस विषय

पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गयी है तो सरकार सम्बन्धित अधिकारी को तत्काल दण्डित करें।

(3) सरकार को समय समय पर अपने विश्वस्त अधिकारियों का एक दस्ता बना कर निरीक्षण करवाना चाहिये और यह आकस्मिक होना चाहिये। ताकि कोई अधिकारी अपने कार्यो में फेरबदल न कर सके।

(4) उत्पादन बढ़ाने के लिए आधुनिक ढंग से औजारों का प्रयोग किया जाना चाहिये जिससे लागत कम व लाभ अधिक होता है।

(5) सरकारी दस्ते का दौरा ग्रामीण सकूलो में न होकर ग्रामीण बच्चों के घर होना चाहिये। दस्ते को इसका विवरण प्रधानाचार्य के रजिस्टर में नहीं देना चाहिये बल्कि ग्रामीण बच्चों की जुबानी सुनना चाहिये जिससे असलियत ज्ञात हो सके।

(6) ग्रामीण बच्चों के अनाज से अपना घर भरने वाले अध्यापक को तुरन्त निलम्बित कर दिया जाये। ताकि आगे से कोई ऐसी गिरी हुयी हरकत न करे और शिक्षक के नाम पर कलंक न बन सके।

(7) बाल मजदूरी करवाने वाले मालिको के साथ साथ उन माता पिता को भी दण्डित किया जाना चाहिये जो उनहें मजबूरन काम पर भेजते हैं। इसके लिए सरकार दोषी नहीं है वे स्वयं दोषी है वे अपनी आय के अनुसार यदि अपने परिवार को सीमित रखे तो शायद उन्हें अपने बच्चों से मजदूरी नहीं करवानी पड़े।

(8) यदि सरकार ऐसा प्राविधान रखे कि कोई समूह अधिक व अच्छी मात्रा का सामान उत्पादित करेगा तो उसे ईनाम के रूप में कुछ राशि व प्रशस्ति पत्र प्रदान किये जायेंगे तो इसके लालच में समूह अधिक मात्रा में वस्तुएं उत्पादित करेंगे और उनकी किस्म भी उत्तम होगी।

(9) सरकार यदि पेयजल को आधुनिक तरीकों से स्वच्छ करके पाईप लाइनों में प्रवाहित करवायें तो इससे रोगो के होने की सम्भावना कम हो जायेगी और हमारा यह स्वप्न साकार हो जायेगा कि सभी स्वस्थ्य शरीर और शिक्षा एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध हो।

उपरोक्त वर्णित समस्याओं और सुझावों पर यदि हम गहन विचार करें तो यह बात स्पष्ट होती है कि हम समस्त अव्यवस्था के लिए सरकार या प्रशासन को ही दोषी ठहराते हैं।

अध्ययन के लिए चुने गये गांव में महिला विकास कार्यक्रम की वर्तमान स्थिति:

यद्यपि अध्ययन के लिए चुने गये विकास खण्ड चिरगांव में ग्रामीण महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम सरकारी सूचनाओं के आधार पर लागू किया जा चुका है। पर अभी इस विकास कार्यक्रम का स्पष्ट प्रभाव अध्ययन के लिए चुने गये गांवो में स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ा है। सर्वेक्षण के दौरान कृषि महिला श्रमिकों से इस विषय में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया पर बहुत कम मात्रा में कृषि महिला श्रमिकों ने महिला विकास कार्यक्रम के तहत कोई सहायता प्राप्त हो सकी है। विभिन्न योजनाओं के स्पष्ट प्रभाव न दिखाई देने का एक प्रमुख कारण यह भी है कि झांसी जनपद में इस योजना

को प्रारम्भ 1993-94 से किया गया है। और वर्तमान अध्ययन का सर्वेक्षण कार्य इससे पहले ही पूरा किया जा चुका था अतः इन महिला कृषिक परिवारों द्वारा योजना के प्रारूप उसके अंतर्गत प्राप्त होने वाली सहायता इत्यादि के सम्बन्ध में कोई भी विस्तृत जानकारी देने में महिलायें असमर्थ रही है। उन्होंने केवल योजना के सम्बन्ध में सुन रखा था पर अन्य बातों को बताने में वे असमर्थ थी।

अध्याय - सात

निष्कर्ष एवं सुझाव

वर्तमान अध्ययन झांसी जनपद में कृषि क्षेत्र के महिला श्रमिकों से सम्बन्धित है जिसके अंतर्गत इन परिवारों के सामाजिक और आर्थिक दशाओं को फील्ड सर्वेक्षण के आधार पर प्राप्त सूचनाओं एवं आंकड़ों द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। वर्तमान अध्याय में सुझाव दिये जा सकते है। जिनका उपयोग ग्रामीण क्षेत्र की कृषि महिला श्रमिकों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को सुधारने के नीति को बनाते समय इन सुझावों का प्रयोग किया जा सकता है। यद्यपि अध्ययन में प्राप्त कुछ बाते बिल्कुल नई नही है बल्कि अन्य अध्ययनो से मिलती जुलती है और जो लोग कृषि महिला श्रमिको की समस्याओं के सम्बन्ध में समय पर विचार किया है उनके द्वारा भी स्पष्ट की गई है। ऐसी सिथति में वर्तमान अध्ययन के सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त संरचनाओं और आंकड़ों के आधार पर की गई व्याख्या से प्राप्त निष्कर्षो को स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।

वर्तमान अध्ययन काम मुख्य उद्देश्य कृषि महिला श्रमिकों के रहन सहन की स्थिति को स्पष्ट करना था जिससे उनके सामाजिक आर्थिक विकास के लिए आवश्यक सुझाव दिये जा सके। जिसके अंतर्गत उनके आय के स्रोत, आय का वर्तमान ढांचा और प्रारूप तथा उपभोग स्तर परिवार की सम्पत्तियां और दायित्व के सम्बनध में सूचनायें एकत्र की गई थी। इसके अतिरिक्त इन परिवार के दायित्व एवं सम्पतितयों को स्पष्ट करके इनके गरीबी के स्थिति को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है।

इन महिला श्रमिकों के कृषि श्रमिक होने के कारण इनके आय का मुख्य स्त्रोत कृषि कार्यो को सम्पन्न करके मजदूरी प्राप्त करना रहा है। इसके अतिरिक्त कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्यो को भी करके अपनी आय को बढ़ाने का प्रयास इनके द्वारा किया जाता है। सर्वेक्षण के दौरान जितने कृषि महिला कृषि श्रमिकों को अध्ययन में शामिल किया गया है। उन्हें तीन वर्गो में बांटा जा सकता है। अधिकांश महिला श्रमिक ऐसी रही है जो कृषि कार्यो में मजदूरी करके अपने परिवार के जीविका अर्जित करने वाले पुरूषों की आय में वृद्धि करते हैं। इन परिवारों के जीविका अर्जित करने वाले पुरूषों की आय पर्याप्त न होने के कारण इन परिवारों की महिलाओं को मजदूरी करने के लिए विवश होना पड़ता है। परिणामस्वरूप इन परिवारों का भरण पोषण पुरूष और महिलाओं दोनो के आय अर्जित करने के आधार पर किया जाता है। इसके बावजूद भी ये परिवार अपने आय द्वारा एक न्यायसंगत रहन सहन के स्तर को बनाये रखने में असमर्थ है। और जिन्हें गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की श्रेणी में ही रखा जाता है। दूसरा वर्ग उन कृषि महिला श्रमिकों का है जिनके ऊपर परिवार के भरण पोषण की पूरी जिम्मेदारी, जिनके विधवा होने के कारण या परित्यक्ता होने के कारण उनके ऊपर है। उन महिला श्रमिकों द्वारा परिवार का भरण पोषण कृषि एवं गैर कृषि कार्यो का सम्पादन करके किया जाता है। इन महिला श्रमिकों को कृषि महिला श्रमिक न कह कर ग्रामीण महिला श्रमिक कहना अधिक उपयुक्त होगा क्योंकि इनके द्वारा केवल कृषि कार्य ही नही किया जाता है बल्कि अन्य सभी प्रकार के कार्य किये जाते है जो ग्रामीण क्षेत्र में उन्हें प्राप्त हो जाते है। यद्यपि इन महिला श्रमिको के आय में गुणात्मक अध्ययन रहा है। जिन महिला श्रमिकों को उक्त आय स्तर में रखा गया है उन्हें ग्रामीण

क्षेत्र के अमीर परिवारों ने वही पर रोजगार में बने रहने के अवसर प्राप्त है। जिन्हें स्थायी श्रमिक कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के अंतर्गत जिन महिलाओं को रखा गया वे अपनी आय आकस्मिक आय के रूप में कृषि से प्राप्त करती है और कृषि कार्य न होने पर गैर कृषि कार्य करके अपनी आय अर्जित करती है।

इन महिला श्रमिको के द्वारा अर्जित की जाने वाली प्रति व्यक्ति आय की व्याख्या द्वारा यह बात स्पष्ट होती है कि जैसे जैसे परिवार का आकार बड़ा होता गया है। वैसे वैसे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती गई है फिर भी परिवार के रहन-सहन का स्तर और प्रति व्यक्ति आय द्वारा किसी विकास की ओर संकेत नहीं करते है। गरीबी के मापक (पी) के रूप में गरीबी का आकार और प्रति व्यक्ति आय में उल्टा सम्बन्ध पाया गया है। सामान्य रूप से इनके उपभोग स्तर में भी समानता रही है। इन परिवारों द्वारा अपनी आय का एक बहुत बड़ा भाग खाद्यानों, कपड़ों, गुड़ और खाण्डसारी पर व्यय किया जाता है। जब अलग अलग आय के वर्गो के दावे पर विचार किया जाता है तो इनमें कुछ महत्वपूर्ण अंतर स्पष्ट होते हैं। इन परिवारों द्वारा टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं पर अपनी आय का बहुत कम भाग व्यय किया जाता है। या व्यय नही किया जाता है। इसी प्रकार विभिन्न सेवाओं पर भी आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा व्यय किया जाता है। उदाहरणं के लिए शिक्षा तथा मनोरंजन पर किया जाने वालेव्यय कोई महत्वपूर्ण नहीं रहा है। इन परिवारों द्वारा किया गया उपभोग व्यय में प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय तथा प्रति परिवार व्यय दोनो के बीच एक घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। इसी प्रकार उपभोग को आधार मानकर गरीबी का जो मापक ज्ञात किया गया है। गरीबी में तथा उपभोग स्तर में विलोम सम्बन्ध रहा है। इन महिला श्रमिक के परिवारो के टिकाऊ

वस्तुओं में घरेलू उपभोग की वस्तुओं का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। टिकाऊ वस्तुओ में अधिकांशत: उनके मकान या उनके झोपड़ियों का प्रमुख स्थान है। अध्ययन में प्राप्त आंकड़ों के आधार पर लगभग 3/4 कृषि महिला परिवार ऋणग्रस्तता की स्थिति में है। प्राय: विभिन्न आय स्तर के परिवारो में लगे हुए ऋण की रकम अधिक ऊँची रही है। और इस ऋण के अभी आगे बने रहने की सम्भावना है। क्योंकि इन परिवारों पर लगे हुए ऋण वर्तमान में बहुत अधिक है।

सामान्य रूप में यह कहा जा सकता है कि इसका पूरा प्रभाव इन परिवारों क‍ टज्ञर्थ्यक स्थिति को खराब करने में अधिक सहायक होगा क्योंकि इन ऋणों पर महाजनों द्वारा जो ब्याज लिया जाता है वह बहुत ऊँची है। तथा ऋण प्रदान करने की एजेंसियो में महाजनो का महत्वपूर्ण स्थान बना हुआ है।

जहां तक इन महिलाओं के आवासीय दशाओं का प्रतिशत है इनमें से 40 प्रतिशत महिलायें झोपड़ियो में तथा लगभग इतनी ही महिला श्रमिक थोड़े अच्छे प्रकार के घरो में रहती है। जहां तक घर के आकार और क्षेत्रफल का सम्बन्ध है। इस सम्बन्ध में केवल यही कहकर संतोष किया जा सकता है वे अपने निजी घरो में रहती है। जहां तक इन घरो में आधारभूत सुविधाओं का सम्बन्ध है उनकी स्थिति दयनीय है। अधिकांश मकान एक कमरे के है जिनमें स्थान घर और शौचालय की सुविधाओं का अभाव है। इन मकानों में इनके समान रखने की पर्याप्त जगह का अभाव है तथा पशुओं एवं जानवर रखने का स्थान भी अलग से नही है। सबसे दुर्भाग्य का विषय है कि महिला श्रमिको में जो महिलायें अनुसूचित जाति वर्ग की है। उन्हें गांव के सामान्य रूप से प्राप्त कुओं और नलों से जल नहीं प्राप्त करने दिया जाता है। सरकार की ओर से प्राप्त बहुत

सी सुविधायें भी इन्हें विभेदीकरण के आधार पर प्राप्त होती है। इनमें से लगभग 80 प्रतिशत कृषि महिला श्रमिक भूमिहीन कृषि परिवारो की है। इनमें से जिन परिवारों के थोड़ी बहुत भूमि है। उस पर सूखी कृषि की जाती है। इसी प्रकार जिन परिवारों के पास भूमि है वे अधिकांशतः गरीब है। उनके पास कृषि करने के लिए यंत्र और औजार तथा पशुओं का अभाव है। इनके पास सम्पत्तियों के नाम पर इनकी झोपड़ियां और मकान है। सर्वेक्षण के दौरान बहुत कम ऐसे परिवार पाये गये जिनके पास पशु, कृषि सम्बन्धी यंत्र औजार, बैलगाड़ी, साईकिल तथा अन्य घरेलू समान है। आधुनिक वस्तुएं जैसे मोटर साइकिल, बिजली, रेडियो, टेलीवीजन, घड़ियों का भी इन परिवारो में अभाव रहा है। जबकि इन परिवारो में कृषि की उपज बढ़ाने की आधुनिक तरीको की जानकारी रही है और इनका उपयोग भी ये कर सकते है। पर ये गांव में दूसरे के खेतो में मजदूरी के आधार पर कार्य करती है। इन महिला श्रमिको में जिन परिवारो में परम्परागत व्यवसाय किये जाते थे, उन व्यवसायों को लाभदायक या अनार्थिक होने के कारण छोड़ दिया गया है। इन व्यवसायों को करने के बजाय दूसरे खेतो पर मजदूरी के आधार पर कृषि कार्य करना अधिक लाभदायक समझे जाने लगा है। भले ही इनमे से अधिकांश को पूर्ण रूप से रोजगार के अवसर नही प्राप्त नही होते है और उनका विभिन्न तरीको से शोषण हो रहा है। इसके अतिरिक्त परिवार में जितने लोग कार्य करने योग्य है। उन सभी के द्वारा मजदूरी का कार्य करके परिवार की आय मे योगदान किया जाता है। मजदूरी की दरो के नीची होने के कारण इनके द्वारा जो भी आय प्राप्त की जाती है व उनके भरण पोषण मे ही समाप्त हो जाती है। वर्तमान में उनके द्वारा जो मजदूरी का कार्य किया रहा हे उसमे किसी उत्तम परिवर्तन की आशा उन्हें नही दिखाई पड़ती है। और

न ही सरकार की ओर से किसी अच्छे कार्य उचित और नियमित मजदूरी तथा अच्छे दशाओं को प्राप्त करने का विश्वास भी दिलाया जा सकता है। इन श्रमिक परिवारो के अधिकांश वित्तीय सम्बन्ध उन परिवार से जिनके यहां ये मजदूरी का कार्य करती है। यहां तक कि इनके परिवार के पुरूष सदस्य भी अपना लेनदेन भी उन्हीं परिवारो से करते है। उनके लिए बैंको तथा सहकारी समितियो का कोई महत्वपूर्ण स्थान नही है। इनमे से बहुत कम परिवार ऐसे पाये गये जिन्होंने बैंको में अपने खाते खोल रखे थे। और वे परिवार जो सहकारी समितियो से लाभ प्राप्त करने में समर्थ रहे हैं वे अधिकांशतः उपभोक्ता वस्तुएं ही प्राप्त करने में समर्थ रहे है। अज्ञानता एवं अशिक्षा के कारण ये परिवार विभिन्न प्रकार की संस्थाओं का लाभ उठाने में असमर्थ रहे है। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा किये जाने वाला लेन-देन का तरीका ऐसा है। जिसके अंतर्गत बैंको से ऋण प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अतः नके वित्त प्राप्त करने का उद्देश्य महाजन ही रहे है। महाजनो से लिये जाने वाले ऋण के प्रमुख सामाजिक कारण ही रहे है। क्योंकि इनसे बच्चो के शादी-विवाह मृत्यु के व्ययो को पूरा करने के लिए ऋण आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन प्रतिदिन के व्ययों की अधिकता के कारण उन्हें पूरा करने के लिए इन परिवारो की ऋण लेने के लिए बाध्य होना पड़ता है। ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक है कि बैंको तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा अन्य कारणों के लिए ऋण नहीं दिया जाता है। इसके अतिरिक्त इन परिवारो द्वारा महाजन को छोड़कर अन्य संस्थाओ से ऋण प्राप्त करना लाभ्ंदायक भी नही समझ जाता है। जहां तक ग्रामीण क्षेत्र के महिला के आर्थिक क्षेत्र में सुधार करने से सम्बन्धित कार्यक्रमों का प्रश्न है। वर्तमान में ग्रामीण महिलाओ और बच्चो के सुधार का कार्यक्रम देश के विभिन्न भागो

में लागू किया जा रहा है जिसके अंतर्गत गरीब परिवार की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने का कार्यक्रम अपनाया गया है। जहां तक वर्तमान अध्ययन में कार्यक्षेत्र का सम्बन्ध है। यह कार्यक्रम अभी हाल के वर्षो से लागू किया गया है। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित महिलाओ की संख्या बहुत कम है। आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं का प्रवेश इस बात को स्पष्ट करता है कि ग्रामीण क्षेत्र में कृषि क्षेत्र में लगी जनसंख्या एक न्यायसंगत आय स्तर को नहीं प्राप्त कर रही है। इसलिए पुरूषों के साथ स्त्रियों की भागीदारी दिनोदिन आर्थिक तंगी के कारण बढ़ती जा रही है।

सुझाव:

वर्तमान अध्ययन के आधार परयह कहा जा सकता है कि बुन्देलखण्ड में श्रमिक परिवार विभिन्न दृष्टिकोण से पिछड़े हुए है। वर्तमान अध्ययन के आधार पर कुछ सुझाव दिये जा सकते है। जिनके द्वारा इनकी आर्थिक कठिनाईयों को कम किया जा सकता है। इस अध्ययन के सुझाव मात्र सुझाव है। इन्हें सिफारिश नहीं कहा जा सकता है। इन सुझावों के अंतर्गत ऐसे सुझाव दिये जा सकते है। इनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए बनाइ्र गई अल्पकालीन और दीर्घकालीन नीतियों में इन्हें शामिल किया जा सकता है। कृषि श्रमिक परिवार विशेष कर महिला श्रमिक ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गो के प्रमुख अंग है। तथा सामाजिक सांस्कृतिक तथा धार्मिक दृष्टिकोण से भी इन्हें विभिन्न प्रकार की बाधाओ का सामना करना पड़ सकता है। शिक्षा तथा राजनीतिक दृष्टिकोण से इन परिवारो मे कुछ प्रगति हुई है। पर आर्थिक दृष्टिकोण से ये परिवार पिछड़े हुए है। यदि सरकार इनकी आर्थिक सिथति को सुधारना चाहती

तो वृहत आकार के बहुमुखी सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम को अपनाना होगा।

बहुत से सामाजिक बुराईयों पर गत वर्षो से नियंत्रण किया जा चुका है पर सामाजिक आर्थिक, शैक्षिक, राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक तयि एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अतः इन परिवारों के आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए ऐसे वृहत्त कार्यक्रम की आवश्यकता है जिसमें मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रो से सम्बन्धित कार्यक्रम होने चाहिए। इन सुझावों को कृषि श्रमिकों के जीवन को सुधारने के लिए संकलित रूप से इन कार्यक्रमो को लागू किया जा सके ताकि इनका संतुलित विकास हो सके। इन सुझावों को विभिन्न वर्गो में बांटकर स्पष्ट किया जा सकता है :-

(क) आर्थिक :

किसी भी कलयाणकारी सरकार के लिए समाज के कमजोर वर्गो के कल्याण तथा हित को ध्यान में रखकर बनाई जाने वाली योजनाओं के लिए निम्न तथ्यों पर विचार किया जाना आवश्यक है।

1. ग्रामीण क्षेत्र में कृषि श्रमिको, भूमिहीन मजदूरो तथा अन्य आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गो के लिए आवास की व्यवस्था या आवास के लिए भूमि प्रदान करने की व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

2. आवास की सुविधा और भूमि प्रदान करते समय इस बात में सतर्कता रखना आवश्यक है कि इन सुविधाओं को जाति तथा अन्य आधारो पर बिना किसी भेदभाव के सभी परिवारो को जिनको जिनकी आवश्यकता आवंटित की जानी चाहिए।

3. ग्रामीण क्षेत्रो में आवासीय सुविधायें प्रदान करने का दायित्व पंचायतों को दिया जाना चाहिए जिनके द्वारा ऐसी वस्तुओं के निर्माण और उसके आवंटन पर सामान्य रूप से जाति व धर्म को आधार न मानकर वितरित की जानी चाहिए जिससे समाज मे भूमिहीन मजदूरो को सामान्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था से अलग न रहकर मिलजुल कर रहने का अवसर प्राप्त हो सके।

4. आवासीय सुविधायें प्रदान करने के लिए मुद्रा तथा माल के रूप में दी जाने वाली सुविधायें व्यक्तियों को सीधे नही दी जानी चाहिए बल्कि यह सहायता ऐसी एजेंसियों के माध्यम से दी जानी चाहिए जो सरकार को जवाब दे सके साथ ही जनता के समक्ष गृह निर्माण से सम्बन्धित वस्तुओं और मालो के गुणात्मक आपूर्ति को बनाये रखा जा सके तथा गृह निर्माण में विभिन्न प्रकार के भ्रष्टाचार जैसे निम्न गुण वाले पदार्थो का प्रयोग तथा अन्य भ्रष्ट तरीको को रोका जा सके।

5. ग्रामीण क्षेत्र के भूमिहीन कृषि मजदूरों को कृषि से घोषित अतिरिक्त भूमि, सरकारी भूमि, भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारण से अधिक बची हुई भूमि, मन्दिरो के साथ लगी भूमि का राष्ट्रीकरण किया जाना चाहिए और इस भूमि को कृषि श्रमिको को आवंटित किया जाना चाहिए। इस प्रकार मिली हुई भूमि का उपयोग कृषि श्रमिको द्वारा मकान बनाने के अतिरिक्त कृषि कार्य तथा कृषि पर आधारित उद्योगो को चलाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिसके लिए सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता तथा विपणन सम्बन्धी सुविधायें प्रदान की जानी चाहिए।

6. उक्त तरीके से प्राप्त भूमि पर इन श्रमिको द्वारा मजदूरी के आधार पर भी कार्य कराया जा सकता है और उनकी मजदूरी उनके द्वारा किये जाने वाले कार्य के आधार पर निश्चित की जानी चाहिए जिससे उनके कामचोरी और आलसी प्रवृत्ति को रोका जा सके।

7. विभिन्न व्यवसायो से सम्बन्धित प्रशिक्षण देकर उन्हें अधिक योग्य बनाया जाय जिससे वे अपनी आय बढ़ाने में समर्थ हो सके।

8. ग्रामीण क्षेत्रो में छोटे पैमाने तथा बड़े पैमाने के उद्योग लगाये जा सके है और जिनमें इन परिवारों को वरीयता के आधार पर रोजगार दिया जा सकता है।

9. सरकारी क्षेत्रो के अंतर्गत करायें जाने वाले ग्रामीण क्षेत्रो के विभिन्न कार्यो में सरकारो द्वारा अपने नियंत्रण में श्रमिको को रखकर कार्य पूरा किया जाना चाहिए इसके लिए ठेकेदार प्रथा को पूरी तरह समाप्त कर देनी चाहिए।

10. ग्रामीण क्षेत्र के इन परिवारो के इन बेरोजगार और अल्प बेरोजगार व्यक्तियों को सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत रोजगार देने का प्रयास करना चाहिए और ऐसे लोगो को कार्यस्थल पर जाने के लिए प्रोत्साति किया जाना चाहिए।

11. ग्रामीण क्षेत्रो में इन परिवारों द्वारा किये जाने वाले विभिन्न कार्योमें बैंको और सहकारी समितियो द्वारा उनकी आवश्यकता को नगद और वस्तुओं के रूप में पूरा कियाजा सकता है।

12. इन परिवारो से सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमों को सुचारू रूप से लागू करनेके लिए स्वैच्छिक सक्रिय भागीदारी प्राप्त की जा सकती है।

उपरोक्त आर्थिक कार्यक्रमों के अतिरिक्त उनके शिक्षा स्वास्थ्य और कार्य करने की दशाओ में सुधार से सम्बन्धित कार्यक्रमो का अपनाया जाना आवश्यक है।

ग्रामीण क्षेत्र में भूस्वामी कृषकों के अतिरिक्त जितनी भी जनसंख्या कृषि श्रमिक य ग्रामीण श्रमिक के रूप में जीवन यापन कर रही हे उसी के लक्ष्य बनाकर उसके कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाया जाना नितान्त आवश्यक है तथा उनका प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन किया जाना आवश्यक है। इन परिवारों में महिलाओं का आर्थिक क्षेत्र में प्रवेश किया जाना इस बात को स्पष्ट करता है कि पुरूष कृषि श्रमिको द्वारा अर्जित की जाने वाली आय परिवार के भरण पोषण और एक न्याययुक्त रहन सहन का स्तर बनाये रखने के लिए अपर्याप्त है। और यहां तक कि महिला श्रमिको द्वारा आय अर्जित किये जाने पर भी इन परिवारों को एक न्यायसंगत रहन सहन का स्तर उपलब्ध कराने का विश्वास नही दिलाया जा सका है। इस सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण जीवन में पुरूषों के विकास के लिए एवं आर्थिक क्षेत्र में भाग लेने वाली महिलाओं के लिए अलग तथा युवको के लिए अलग तथा ऐसे आर्थिक सामाजिक कार्यक्रमो को बनाने की आवश्यकता है जिनके द्वारा उन्हें पर्याप्त रोजगार के अवसर प्रदान किये जा सके और उन्हें एक न्यायसंगत रहन सहन का स्तर बनाने के लिए उपयुक्त आय स्तर प्राप्त हो सके तभी सामाजिक न्याय के विचार को वास्तविक रूप में व्यवहारिक रूप दिया जा सकता है।

परिशिष्ट - एक

कृषि महिला श्रमिको के सर्वेक्षण की जानकारी

(1) सामान्य :

(1) नाम......... उम्र........जाति............

विवाहिता/विधवा.........

(2) परिवार के मुखिया का नाम ....मुखिया से सम्बन्ध..................

व्यवसाय...............उम्र...............

(3) परिवार के सदस्यो का विवरण :

क्रमांक	स्त्री/पुरूष	उम्र	शिक्षा	व्यवसाय
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

(4) बच्चो का विवरण:

नाम	उम्र	लिंग	वर्तमान में क्या करते हैं
(1)			
(2)			
(3)			
(4)			

(5) परिवार मे शिक्षा का स्तर:

नाम	लिंग	उम्र	शिक्षा

(6) क्या आपका मकान अपना है/किराये का है ....

(7) मकान के लिये भूमि कहां से/कैसे प्राप्त हुई..................................

(8) मकान पक्का/कच्चा है..................................

(9) कमरो की संख्य..................................

(10) मकान का क्षेत्रफल कितना है..................................

(11) किस वर्ष में बनवाया है..................................

(12) मकान में कौन सी सुविधायें है..................................

(क) स्नानगृह (ख) शौचालय (ग) अन्य

(2) **आय के श्रोत:**

(1) आपके परिवार में कितने लोग आय अर्जित करने वाले हैं...................

(क) पुरूष

(ख) स्त्रियां

(2) लोग क्या कार्य करते हैं?.................

(3) आपके आय के श्रोत कौन कौन से हैं..................

(क) कृषि (ख) मजदूरी (ग) अन्य व्यवसाय

(4) आपके परिवार में कितने भूमि है..................

(5) उस भूमि पर क्या कार्य करते हैं..................

(6) भूमि की उपज कितनी होती है..................

(7) उपज में क्या क्या पैदा होता है......................

(8) क्या यह उपज परिवार के लिए पर्याप्त है हां/नही.............

(9) कृषि भूमि पर कौन कौन सी सुविधायें प्राप्त हैं...........

(क) सिंचाई (ख) अन्य

(10) आपके परिवार में कौन कौन से लोग मजदूरी करते हैं..............................

(11). आप कृषि में कौन कौन से कार्य करती हैं :-

कार्य का विवरण	मजदूरी	समय
(1)		
(2)		

(12) आपके परिवार में अन्य स्त्रियो जो कार्य करती हैं :-

कार्य का विवरण	मजदूरी	समय

(13) आपके परिवार में पुरूष कृषि क्षेत्र में कौन कौन सा कार्य करते हैं :-.

कार्य का विवरण	मजदूरी	समय

(14) आप मजदूरी क्यों करती हैं.......................................

(15) आपको वर्ष में कितने दिनों तक कृषि कार्य मिल पाता है ....

(16) आपके कृषि मजदूरी का कार्य किसते यहां करती हैं...........................

(क) नाम.................... जाति.......................................

(17) क्या आप उनके घरेलू कार्य भी करती हैं हां/नहीं...........................

मजदूरी क्या हैं...............

(18) आपके परिवार की आय कितनी है...

(19) क्या यह आय वर्शभर प्राप्त होती है...

(20) क्या आपने कृषि कार्य में मालिको में परिवर्तन किया है.........................

(21) आप जिसके खेत पर कार्य कर रही हैं वहां कितने दिनो से कार्य कर रही है..........

(22) क्या आपने मालिक में परिवर्तन किया है हां/नहीं..........

(23) कया आपके परिवार के बच्चे भी कार्य करते हैं...............

(24) उनके द्वारा क्या कार्य किया जाता है..........................

(25) कितने समय तक कार्य किया जाता है........................

(26) क्या मजदूरी प्राप्त होती है...............

(27) आपको अपने मालिक द्वारा कौन कौन सी सुविधायें दी गई हैं............................

(28) क्या आपने स्वरोजगार प्राप्त करने के लिये प्रयास किया हैं हां/नहीं क्या................

(29) क्या आपको इस दिशा में आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है हां/नहीं किस उद्योग के लिये प्रशिक्षण प्राप्त किया है.....................

(30) आप कौन सा उद्योग/व्यवसाय/कार्य कर रही है.............................

(31) उससे आपको कितनी आय प्राप्त हो जाती है.................................

(3) **व्यय का स्वरूप**

(1) आपके परिवार की कुल आय कितनी है..................................

〔2〕 यह किस प्रकार व्यय की जाती है...

〔3〕 भोजन पर व्यय...

व्यय का विवरण............

〔4〕 कपड़े पर वयय ....

〔5〕 दूध/मांस/अण्डे आदे पर व्यय...........

〔6〕 मादक वस्तुयें : शराब, गांजा, अफीम, बीडी, सिगरेट, तम्बाकू, देशी शराब ताडी............

〔7〕 अन्य व्यय......................................

परिवार.....

〔4〕 परिवार की सम्पत्तियां =

〔1〕 आपके परिवार में कौन कौन सी सम्पत्तियां हैं :-

〔क〕 पशुधन का विवरण...........

〔ख〕 कृषि औजारों का विवरण................

〔1〕 भूमि ....

〔2〕 बैलगाड़ी.............................

〔3〕 कृषि के लिये हल तथा अन्य औजार.............

〔4〕 पम्प सैट..............................

〔5〕 ट्रैक्टर............

〔2〕 क्या आपके परिवार मे है/नहीं

〔क〕 साइकिल 〔ख〕 मोटर साइकिल

〔ग〕 टी.वी. 〔घ〕 रेडियो

〔6〕 अन्य सामान...................................

〔3〕 अन्य सामानो का विवरण जो आपके पास है.............

〔5〕 वित्तीय स्थिति :

〔1〕 क्या आपने/आपके पति या परिवार के मुखिया ने ऋण लिया है हां/नहीं

कितना .... कहां से............... किस ब्याज की दर से..........

〔2〕 ऋण लेकर उसका क्या उपयोग किया.......................................

〔3〕 आप या आपके परिवार को किन श्रोतो से ऋण प्राप्त हुआ है.....................

परिशिष्ट-दो

आय स्तर तथा रोजगार अवसर ज्ञात करने की प्रश्नावली

1. गाँव का नाम :

2. परिवार के महिला श्रमिको का नाम

   (1) (2) (3)

3. गत 15 दिनो में प्राप्त रोजगार का विवरण

   (1) कार्य (2) मजदूरी नकद

4. गत 15 दिनो में कितने दिनो कार्य मिला........

5. कितने दिनो तक कार्य नही मिला ....

   कारण ....

6. कार्य प्राप्त करने के लिए प्रयास किया या नही............

   क्या प्रयास किया.......................

7. कार्य प्राप्त करने के सम्बन्ध मे सुझाव दीजिए.....

B I B L I O G R A P H Y

Aggarwal, B.K. "Socio-Economic Development of Weaker Sections: A comparative of Farmers and Agricultural Labourers in the Rural Punjab," a Ph.D. thesis, Punjab Agricultural University, Ludhiana, 1980.

Aggarwal, B.K. and A. K. Gupta "Socio-Economic Disparities and Social Tension in Rural Punjab," Social Change, Vol. 11, No. 1, March 1981.

Aggarwal, P.C. "Impact of Green Revolution on Landless Labour, "Economic and Political Weekly, Vol. VI, No. 47, 20 Nov. 1971.

Aggarwal, P.C. The Green Revolution and Rural Labour A Study in Ludhiana, Shri Ram Centre for Industrial Relations and Hukan Resources (New Delhi, 1973).

Azad, N.S. "Small Peasantry in Punjab - An Analysis of production Conditions," a Ph.D. thesis, Punjabi University, Patiala, 1981.

Bagechi, B. and K. Sain. "Minimum Wages for Agricultural Labourers in West Bengal. " Indian Journal of Agricultural Economics, Vol. XXIX, No. 3, July-Sept. 1974.

Bal, H.S. and Gurbachan Singh. "Pattern of Income Distribution in Rural India, "Indian Journal of Agricultural Economics, Vol. 25, No. 3, Conference Number, July-Sept., 1970.

Bardhan, K. Factors Affecting Wage Rates for Agricultural Labour," Economic and Political Weekly, Vol. 8, No. 26, 30 June, 1973.

Bardhan, P. "Green Revolution and Agricultural Labourers" Economic and political Weekly, Vol. V. Nos. 29, 30 and 31, Special Number, July 1970.

Bhalla, G. S. Changing Agrarian Structure in Indian: a Study of the Impact of Green Revolution in Haryana, Meenakshi Parkashan, (Meerut-Delhi, 1974).

Bhalla, G. S. and G. K. Chadda. "Structural changes in Income Distribution: A Study of the Impact of Green Revolution in Punjab," Jawaharlal Nehru University, Unpublished report (New Delhi, 1981).

Bhalla, S. "Real Wage Rates of Agricultural Labourers in Punjab 1961-1977", Economic and Political Weekly, Vol. XIV, NO. 26, 30 June 1979.

Bhatti, I. Z. "Inequality and Poverty in Rural India, "Sankhya, Vol. 36, Series C, 1974.

Billings, H. M. and Arjun Singh. "Mechanisation and the Wheat Revolution : Effects on Female Labour in Punjab," Economic and Political Weekly, Vol. V, No. 52, 26 Decemember 1970.

Chattopadhyay, M. "Some Aspects of Employment and Unemployment in Agriculture", Economic and Political Weekly, Vol. XII, No. 39, 24 Sept. 1977.

Chattopadhyay, M. "Agricultural Labourers of Birbhum", Indian Journal of Agricultural Economics, Vol. 32, No. 3, July-Sept. 1979.

Chaudhari, Pramit, The Indian Economy : Poverty and Development, Vikas Publishing House Pvt. ltd. (New Delhi, 1979).

Chawdhury, B. K. "Disparity in Income in context of HYV," Economic and Political Weeky. Vol. V. No. 39, 26 Sept. 1970.

Dandekar, V. M. Foreword in M. L. Dantwala (ed.), Seminar on Problems of Small Farmers, Examiners Press, Bombay, 1968.

Dandekekar, V. M. and Nilakantha Rath. Poverty in India, Indian School of Political Economy (Pune, 1971).

Dantwala, M. L. Poverty in India then and Now, Macmillan Company of India (Delhi, 1973).

Das Gupta, A. K. (ed.), Analysis, Evaluation and Assessment of Poverty, National Council of Applied Economic Research (New Delhi, 1981).

Duesenbury, J. S. Income Savings and the Theory of Consumer Behaviour, Oxford University Press (New York, 1967).

Dwivedi, d. N., Economic Concentration and Poverty in India, Datta Book Centre (Delhi, 1974).

Foneseca, A. J. (Ed.), Challenge of Poverty in India, Vikas Publications (Delhi, 1972).

Galgalikar, V. D. et. al, "Pattern of Income Distribution, Savings and Expenditure in Rural Areas," "Indian Journal of Agricultural Economics, Vol. XXV, No. 3, July-Sept. 1977.

Ganguli, B. N. and D. B. Gupta, Levels of Living in India, s. Chand and Company Ltd. (New Delhi, 1976).

Garg J.S. et al "Impact of High Yielding Varieties of Crops on Patterns of Income Distribution", Indian Journal of Agricultural Economics, vol. XXV, No. 3, Conference Number, July-Sept. 1970.

Garg, J.S. et al. Impact of Modern Technology on Rural Unemployment" Indian Journal of Agricultural Economics, Vol. 27, No. 4, Oct.-Dec. 1972.

Garg, J.S. and H. L. Srivastava, "Income Savings and Investment in the Context of Modern Farm Technology", Indian Journal of Agricultural Economics, Vol. XXVII, No. 4, Oct. Dec. 1972.

Government of India, Agricultural Situation in India, Sept. 1980, New Delhi.

Government of India. Report of the National Commission on Agriculture, Part XV (New Delhi, 1976).

Government of India. Statistical Abstract of India, New Delhi for various years.

Grewal, S. S. and H.S. Bal "Impact of Green Revolution on Agricultural Wages in the Punjab", Indian Journal of Agricultural Economics, Vol. 39, No. 3, July-Sept. 1974.

Grover,D. K. and K. N. Rai. "Effects of the Agricultural Revolution on the Agricultural and Industrial Labour in Haryana." Indian Journal of Agricultural Economics, Vol. 29, No. 3, July-Sept. 1974.

Grover,D. K. and K. N. Rai. "Effects of the Agricultural Revolution on the Agricultural and Industrial Labour in Haryana". Indian Journal of Agricultural Economics, Vol. 29, No. 3, July-Sept. 1974.

Gupta, D.B. Consumtion Patterns in India, Tata McGraw Hills Publishing Company Limited (Bombay, 1973).

Herdt, R.W. and E.A. Baker. "Agricultural Wages, Production and the High Yielding Varieties, "Economic and Political Weekly, Vol. VII, No. 3, 25 March 1972.

International Labour Organisation, Employment Expansion in Indian Agriculture, (Bangkok, 1979).

Jindal, B.R. "A studyof the Nature of Rural Poverty in the Wake of Agricultural Development in Punjab", a Ph.D. Thesis, Punjab Agricultural University, Ludhiana, 1979.

Johar, R.S. and O.P. Sharma. "Agricultural Labour : A socio-economic survey" Indian Journal of Labour Economics. Vol. XXI, No. 3, Oct. 1978.

Jose, A. V. "Real Wages, Employment and Income of Agricultural Labourers", Economic and Political Weekly, Vol. XII. No. 12, 25 March 1978.

Joshi, P.C. "Agrarian Strucure and the Rural Poor", Social Change Vol. No. 4, 1974.

Kahlon, A. S. et al. "Savings and Investment Patterns of Farm Families in Punjab, "Indian Journal of Agricultural Economics, Vol. XXVII, No. 4, Oct. Dec. 1972.

Kalirajan, K. "Benefits from the High Yielding Varieties Programme and their Distribution in an Irrigated paddy Area", Indian Journal of Agricultural Economics, Vol. XXXV, No. 3, July-Sept. 1980.

Kaul, J. L. and S. S. Kahlon, Problems of Marginal Farmers and Agricultural Labourers in Hoshiarpur District of Punjab. a report published by Punjab Agricultural University (Ludhiana 1971).

Khaund, H.P. "Changes in Income Distribution Pattern and their significance in a Society in Transition", Indian Journal of Agricultural Economics, Vol. 25, Conference Number, 1972.

Kulkarni, Sumati. "Demographic Aspects of the Problem Poverty and Inequality, " Social Change, Vol. 11, No. 1, 1981.

Lal, Depak. " Agricultural Growth, Real Wages and the Rural Poor in India", Economic and Political Weekly, Vol. VI, No. 26, 26 June 1976.

Laxminarayan, H. "Changing Conditions of Agricultural Labourers " Economic and Political Weekly, Vol. XII, No. 43, 22 oct. 1977.

Lenin, V. I. The Development of Capitalism in Russia, Progress Publishers (Moscow, 1977).

Minhas, B.S. "Rural Poverty, Land Redistribution and Development", Indian Economic Review, Vol. 5, 1971.

Minhas,, B.S. and T. N. Srinivasan. "New Agricultural Strategy Analysed " Yojna, 21 January 1966.

Murlidharan, M.A. et al. "An Analysis of Nutrition Levels of Faremrs in eastern Uttar Pradesh", Indian Journal of Agricultural Economics, Vol. XXXII, 1977.

Nayyar, R. "Wages of Agricultural Labourers in Uttar Pradesh", Economic and political Weekly, Vol. XI, No. 45, 6 Nov. 1976.

Nandlal, D.S. "Pattern of Income, Investment and Savings of Demonstration Farms in Haryana," Indian Journal of Agricultural Economics, Vol. 27, Conference Number, 1972.

Pandey, S. M. Development of Marginal Farmers and Agricultural Labourers, Shri Ram Centre for Industrial Relations and Human Resources (New Delhi, 1974).

Pandey, S. M. (ed.) Rural Labour in India, Shri Ram Centre for Industrial Relations and Human Resources (New Delhi, 1976).

Pawar, J.R. and V. K. Gyakward. "Wages, Employment and Incomes of Small Farmers in Maharashtra, " Indian Jornal of Agricultural Economics, Vol. XXIX No. 3, July-Sept. 1974.

Panikar, P.G.K. "Employment, Income and Food Intake among Selected Agricultural Labour Households," Economic and Political Weekly, Vol. XII, Nos. 31, 32 and 33, Special Number, August, 1978.

Pradhan, H. P. "Employment and Income in Rural India,'. Economic and Political Weekly Vol. VII, No. 18, 29 April 1972.

Prasad. Kamta (ed.). Decision Making and Delivery System in the Context of the Problem of Poverty, National Council of Applied Economic Research (New Delhi, 1981).

Punjab Agricultural University An Analysis of Income and Expenditure Pattern of Punjab Farmers, Report, Punjab Agricultural University (Ludhiana, 1980).

Randhawa, M.S. Green Revolution : A Case Study of Punjab. Vikas Publishing House Pvt. Ltd. (Delhi. 1974).

Rao, C.H.H. Technological Change and Distribution of Gains in Indian Agriculture, The Macmillan Company of India Ltd. (Delhi, 1975).

Rao, M.S.A. (ed.). Goals of Social Science Research in India, National Council of Applied Economic Research (New Delhi, 1981).

Rao, V.M. Rural Development and the Village-Perspectives for Planning and Development, Sterling Publishers Pvt. Ltd. (New Delhi, 1980).

Ray, A. "An Aspect of Agricultural Income Distribution Pattern inDynamic Rural Economy," Indian Journal of Agricultural Economics, Vol. XXV, No. 3, July-Sept. 1970.

Rudra, A. and R. Biswas, "Seasonality of Employment in Agriculture", Economic and Political Weekly, Vol. VIII, No. 39, 29 Sept. 1973.

Sadhu, A. N. and A. Singh. "Agricultural Growth and Farm Employment," Indian Journal of Labour Economics, Vol. XXI, No. 4 (1), Jan. 1979.

Saini, G. R. "Economics of Farm Management," a Ph.D. thesis, University of Delhi, 1973.

Saini, G. R. "Green Revolution and the Distribution of Farm Incomes", Economic and Political Weekly, Vol. XI, No. 13, 27 March, 1976.

Sarma, M.T.R. "Rapporteur's Report on Income Savings and Investment in Agriculture", Indian Journal of Agricultural Economics. Vol. XXVII, No. 4, Oct.-Dec. 1972.

Schulter. M. and W. John Mellor. "New Seeds Varieties & the Small Farmers, "Economic and Political Weekly, Vol. VII, NO. 13, 25 March, 1972.

Sen, A. "Poverty, Inequality and Unemployment, "in T. N. Srinivasan and P. K. Pardhn (ed.) Poverty and Income Distribution in India, Statistical Publishing Society, (Calcutta, 1974).

Sen, A. "Poverty : A Ordinal Approach to Measurement", Econometrica, Vol. 44 No. 2, March 1976.

Senthuraman,S.V. "Seasonal Variations in Unemployment and Wage Rate", Economic and PoliticalWeekly, Vol. VII, No. 24, 10 June, 1972.

Shah, S. L. and R. C. Aggarkar. "Impact of New Technology onthe Levels of Income, Pattern of IncomeDistribution and Savings of Farmers in Central Uttar Pradesh," Indian Journal of Agricultural Economics, Vol. XXV, No. 3, July Sept. 1970.

Shanin, Teodor (ed.). Peasants and Peasant Societies, Penguin Books Ltd. (Harmondsworth, Middlesex, England, 1971).

Sharma, A. C.et al, "Impact of HighYielding Varieties of Crops on Pattern of Income Distribtuion," Indian Journal of Agricultural Economics, Vol. 25 No. 3, Conference Number, July-Sept. 1970.

Singh, et. al. "Impact of New Agricultural Technology and Mechanisation on Labour Employment," Indian Journal of AgriculturalEconomics, Vol. XXVII, No. 4 Oct.-Dec. 1972.

Singh, Baldev. "Capital Formation in Haryana Agriculture," a Ph.D. thesis, Kurukshetra University, 1973.

Singh, Charan, India's Economic Policy, Vikas Publishing House Pvt. Ltd. (New Delhi, 1979).

Singh, Gian. "Levels of Living of Landless Workers in Ludhiana District (A Case Study of Three villages), "M. Phil dissertation, Punjabi University, Patiala, 1980.

Singh, H.K. Manmohan. "Population Pressure and Labour Absorbability in Agriculture and RelatedActivities," Economic and Political Weekly, Vol. XIV, No. 11, 17 March 1979.

Singh, Kartar. "The Impact of New Technology on Agricultural Wage Rates and Employment in I.A.D.P. Districts," Indian Journal of Agricultural Economics, Vol. XXVII, No. 4, Oct.-Dec. 1972.

Singh, Kartar, "TheImpact of NewTechnology on FarmIncome Distribution in Aligarh District of Uttar Pradesh", Indian Journal of Agricultural Economics, Vol. XXVIII, No. 2, April-June 1973.

Singh, M. L.and K.K.Singh."Factors Determining Agricultural Wages", Indian Journal of AgriculturalEconomics, Vol. 39, No 3,July-Sept. 1974.

Singh, S. Modernisation of Agriculture : A CaseStudyin Eastern UttarPradesh, Heritage Publishers, New Delhi 1976.

Singh, Satwant.Farmers Organization,the New Age Press. GaushalaRoad, Patiala.

Singh, Surendar. Technological Transformation in Agriculture of Rajasthan Ariana Publishing House (New Delhi 1984).

Sinha, C. and J.K. Singh. "Removal of Poverty and SFDA," Social Change, Vol. 11 No. 1, March 1981.

Sisodia, J. S. and V. L. Aggarkar. "Income, Savings and Expenditure in Rural Areas of the Malwa Region of Madhya Pradesh", Indian Journal of Agricultural Economics, Vol. XXV, No. 3. July-Sept. 1970.

Soni, R. N. "The Recent Agricultural Revolution and the Agricultural Labour," Indian Journal of Agricultural Economics, Vol. XXV. No. 3, July-Sept. 1970.

Srinivasan, T. N. and R. K. (ed.) bardhan, Poverty and Income Distribution in India, Statistical Publishing Society (Calcutta, 1974).

Subramaniam, C. The New Strategy in Indian Agriculture, Vikas Publishing House Pvt. Ltd. (New Delhi, 1979).

Sukhamte, P. V. "Level of Food Consumption among Rural Labour Households," Social Change, Vol. 4, 1974.

Swenson, C. G. "The Distribution of Benefits from Increased Rice Production Thanjavur District, South India," Indian Journal of Agricultural Economics, Vol. XXXI, No. 1, January-March 1976.

Vyas, V.S. et al "New Agricultural Strategy and Small Farm a Case Study in Gujarat," Economic and Political Weekly, Vol. IV, No. 13, 29 March 1969.

Vyas, V.S. and G. Mathai. " Farm and Non-Farm Employment in Rural Areas" Economic and Political Weekly, Nos. 6-7, Annual Number, 1978.

(A) BOOKS :

Agrawal, A. N., Indian Agriculture, Delhi, 1981.

Arora, R. C., Integrated Rural Development, S. Chand and Company, New Delhi.

Backman, Jules, Wage Determination - An Analysis of Wage Criteria, New York, 1959.

Balkrishna, R., Studies in Indian Economic Problems, Bangalore, 1958.

Bhattacharya, Dhires, Understanding India's Economy, Calcutta, 1959.

Bose, S. R. Economy of Bihar, Calcutta, 1971.

Chaudhary, P.C. Roy, Bihar District Gazetters, Munger, 1960.

Dandekar, V. M. and Rath, N. K., Poverty in India, Pune, 1971.

Dantwala, M. L., Agriculture in a Developing Economy -The Indian Experience, Bombay,1966.

Datar, B. N., Labour Economics, New Delhi, 1968.

Daniel and Thorner, Alice, Land and Labour in India, Bombay, 1965.

Gadgil, D. R. Regulation of Wages and Other problems of Industrial Labour in India 1945.--- Planning and Economic Policy in India, Bombay,1965.

Giri, V.V., Labour Problems in India, Bombay, 1965.

Gopal, Giridhar, A Hand Book of Rural manpower, Uttar Pradesh, New Delhi, 1967.

Hicks, J.R., The Theory of Wages, Macmillan and Co. London, 1964.

Jain,S.C., Agricultural Policy in India, Bombay 1965.

Jha, P. K., Economics of North Bihar, A Case study, Darbhanga, 1977.

John Friedman and William Alonso, Regional Development and Planning, A Reader, Cambridge : M.I.T. Press, 1964.

J. Koreak, Economic Regions as Geographical, Czechoslovakia, 1965.

Kainth, G.S., Impact of New Form Technology on Farm Produce in Punjab.

Khushro, A. M., Economic Development with no population Transfers, Delhi, 1962.

Lefeber, L., Allocation in Space, North Holland, Amsterdam, 1958.

Lester, Richard A. Economics of Labour, New York, 1964.

Malhotra, V. K., Bihar Minimum Wages Manual,1985, Malhotra, Brothers, Patna.

Mehta,V. L., An Action Plan, 1983-93, for Removal of unemployment in Rural India.--A Short Summary of Regional Dev. in South Asia, UNRTSD/69/CLM

Memoria, C. B., Agricultural Problems of India, Allahabad 1960.

Minhas, B.S., Planning and the Poor, New Delhi, 1974.

Mukherjee, R. K., Land Problems of India, London, 1933.

Myrdal, G., Economic Theory and Under-Develcped Regions, new York, 1956.

-- Rich Land and Poor : The Road to Prosparity, New York, Harpur, 1957.

-- Asian Drama.

Nag, Das, Problems of Underdeveloped Economy, Agra, 1962.

Namekar, K.R. and Khandelwala, S.V., Bhoodan and the Landless , Bombay.

Nanavati, M. Band, Indian Rural Problems, Bombay,1970.

Anjaria, J.J. and Patel, S.J., Agricultural Labour in Modern India and Pakistan, Bombay, 1952.

Prakash, Brahm, Education and Rural Development, National Institute of Education, Delhi, 1984.

Prasad, K.N., Economics of a Backward Region in a Backward Economy, Calcutta, 1967.

Puri, V. K. and Mishra, S.K., Indian Economy, Bombay,1983

Rao, C. Rajeshwar Sen, Problems of India's Agrarian Sector, 1970.

Bhowani and Rao, Y.V. Krishna, Rao, V.K.R.V. (ed.), Agricultural Labour in India, Bombay, 1962.

Rastogi,Sita Ram, Wage Regulation in India--A Case Study of Kanpur, Bombay, 1977.

Singh, Moninder, The Depressed Classes, Their Economic and Social Problems, Bombay, 1947.

Singh, Baljit, Next Step in Village India.

Sukhatme, P.V. Feeding India's Growing Millions, Bombay, 1965.

Sahultz, T.W., The Production and Distribution of Agriculture Chicago, 1981.

Bonded Labour in India, Indian School in Social Sciences, Calcutta,1976.

Economics Gains and Political Costs, Oxford University Press, Bombay, 1971.

(B) ARTICLES AND JOURNALS:

Alexander, W. C. "Emerging Farm Labour Relations Kuttand", Economic and Political Weekly, Vol. VIII, Bombay, August 25, 1973.

Aulakh, H.S. and Raikhy, P.S., "Structure Employment and unorganised Agricultural Labour (A study of Amritstar district), July-October, 1973, Productivity.

Bandy opadhya, D., "Why are our Farm workers the Least organised and the Most Exploited?" Yojana, Vol. XIX, New Delhi, May 1975.

Bhalla, G.S., "Agrarian Changes in India since Independence", Essays in honour of Dr. Gyan Chand, New Delhi, 1981.

Bhatt, M.L., Poor Wages and Indebtedness", The Economic Times, Calcutta, 2 August, 1973.

Billings, Martin H. and Singh, Arjan, "Mechanisation and Rural Employment with some Implications for Rural Income Distribution", Economic and Political Weekly, Bombay, June 27, 1970.

Chandolia, R.N., "Problems of Bonded Labour, A Study", Yojana, Vol. XXIII, New Delhi, July 1979.

Das Gupta, Biplab and Roy Laishley, "Migration from Villages", Economic and Political Weekly, Vol. No. 42, Bombay, Oct. 18, 1975.

Garg, J.C. and Prasad, V. "Impact of New Farm Technology on Wages and Employment, A cae study, The Economic Times, Calcutta, jan. 6, 1975.

Gupta, Tirath, "For betterment of Rural Work', The Economic Times, Calcutta, April 10, 1981.

Hanumanta Rao, C. H., "Green Revolution and the Labourers Shares in Output", Agricultural Situation in India, Delhi, Aug. 1971.

Jain C.L., "Assault on Poverty", Yojana, Vol. XXIII, New Delhi, 1979.

Jha, S.M., "Risk and Uncertainties in Indian Farm Economy", Khadi Gramodyog, May, 1982.

Krishna Jee, N., "Wages of Agricultural Labour, "Economic and Political Weekly, Bombay, 1971.

Lal, Deepak, "Agricultural Growth, Real Wages and the Rural Poor in India, "Economic and Political Weekly, June 1976.

Mukherjee, M., "Share of Agricultural Labour in National Income", India's Journal of Industrial Relations, April 4,1974.

Madan, G.S., "Agricultural Labour, A Study in Restrospect Kurukshetra, Vol. XXVIII, New Delhi, March, 1981.

Muthiah, C., "Agricultural labour Problem in Thanjavur and New Agricultural Strategy", Indian Journal of Agricultural Economic, Vol. XXV, No. 2, Bombay, July-September 1970.

Narasimham, P.S., "Labour Problems in Contemporary India", Pacific Affairs, March 1953, quoted in Journal of Farm Economics, Vol. 38, 1956.

Prasad, K.N., "Bihar's Economic Malaise", Essays in honour of Dr. Gyanchand, New Delhi, 1981.

Raj Krishna, "Antyodaya", Yojana, Vol. XXII, New Delhi, 1979.

Rao, V. M., "Agricultural Wages in India, A Reliability Analysis", Indian Journal of Agricultural Economics, Bombay, July, 1972.

Sahni, Bela, "Freeing from Fetters", Youth Times, February 1977.

Sah, S.D., and Singh, L.R., "Impact of New Technology on Rural Employment in North West, U.P." Indian Journal of Agricultural Economics, Vol. XXV, No. 2, Bombay, July-Sept. 1970.

Sharma, R. N., "Minimum Wages for Agricultural Workers in Bihar," Paper submitted in the Summer Institute Department of Labour and Social Welfare, Patna University, June 13, 1978.

Singh, Surendra, "Abolition of Bonded Labour," Indian Journal of Social Work, Bombay, May 1976.

Tilak, J.B.G., "Education and Agricultural Development in India", Indian Economics Almanac, Oct.-Dec. 1984.

Agricultural Situation in India, New Delhi, July 1966. --- New Delhi, Sept. 1976.

Eastern Economics, New Delhi, 1971,

The Economic Times, Calcutta,Sept 28, 1974.
-- July 15,1975
-- Dec. 25,1975
-- January 31, 1981.

Hindustan Times, Delhi, Dec. 7, 1973.
-- Delhi, May 3, 1976.

Janshakti, Patna, March 20, 1976.

GOVERNMENT PUBLICATIONS :

Government of India, Planning Commission :

The First Five Year Plan of India, New Delhi 1952
The Second " " 1956
The Third " " 1961
The Fourth " " 1969
The Fifth " " 1974-79
The Sixth " " 1980-85

Census of India, 1961, Paper No. 1, New Delhi, 1962.

New Delhi, 1971, Paper of 1971 Supplement, Provisional Popularies Total.

Census of 1971, Bihar.

Census of India, 1981, Series 1, Part IIB(1)

Census of Bihar, 1981.

Census of Munger district, 1981.

Government of India, Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation, Report on the National Commission on Labour. Civil Lines, Delhi, 1969.

Report of the Royal Commission on Labour, In India, London, 1931.

Government of India, Ministry of Labour, Agricultural Enquiry Report, 1950-51, New Delhi.

Government of India, Ministry of Labour, Second Agricultural Enquiry Report, 1950-51, New Delhi.

Government of India, Ministry of Labour Second Agricultural Labour Enquiry Report, 1955-56, New Delhi.

-- Second Agricultural Labour Enquiry Report (Bihar). Vol. XIV, 1956-57.

-- Agricultural Labour Enquiry Report on Intensive, Survey of Agricultural Labour, Employment, Unemployment, Wages and Levels of Living, Vol. I, All - India, New Delhi, 1954.

Department of Labour and Employment, Government of India, Agricultural Labour in India-A Compendiany of Basic Facts, New Delhi, 1969.

Ministry of Finance Government of India - Report of the Study Group on Wages, Income and Price issued by the Bureau of Public Enterprises, New Delhi-1978.

Government of India, Ministry of Labour and Employment, Rural Urban Migration in India, paper presented at the All India Seminar on Agricultural Labour, New Delhi, 1965.

Government of India, Ministry of Agriculture and Irrigation, The Report of the National Commission on Agriculture, Delhi,1976.

National Sample Survey, 25th Round, No. 134, New Delhi, July 1970, June 1971.

Government of Bihar, The Third Five Year Plan, 1961. Agricultural Survey of Bihar, Patna, 1969.

-- Agricultural Labour in Bihar, Patna, 1956.
-- Agro-Economic Survey of Bihar, Patna,1969.
-- Annual Season and Crop Report, Patna, 1955-56, 1961-62, 1966-67.

Government of Bihar, Report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Trihes, 1955-57.

Government of Bihar, Planning Development, Draft Annual Plan, 1979-80.

Directorate of Statistical and Evaluation.

Government of Bihar - Bihar Statistical Hand Book, 1978.

-- Bihar Through Figures, 1979.
- Report on Agricultural Census, 1971.
-- Bihar Information, June 1985.

Annual Action Plan, 1984-85 of Integrated Rural Development Programme to Munger District (Bihar), D.R.D.A., Munger (Bihar).

MISCELLANEOUS :

Labour Bureau, Ministry of Labour and Rehabilitation, Government of India, New Delhi.
Pocket Book of Labour Statistics, 1985.

National Council of Applied Economic Research, New Delhi.
-- Techno Economics Survey of Bihar, Bombay, 1959.

Government of India, New Delhi, Economic Survey, 1985.

Chaudhary, D. P., Education and Agricultural Productivity in India, Ph.D. Thesis, University of Delhi.

Sinha, Kamlesh, K., Antyodayen and Development, Study of Scheduled Castes Beneficiagries, Harijan Cell, A. N. Sinha Institute of Social Studies, Patna, 1980.

General Secretary Report of the Second Conference of the Bharatiya Khet Majdoor Union, 1972.

Ram, J. "The working Man", Part II.

Guru, D.D., "S.F.D.A., Purnea, An Evaluations", A.N. Sinha, Institute, Patna, 1978-80.

pandey, M.P., "Land Records and Agrarian Structure in Bihar", A.N. Sinha Institute, Patna, 1980.
Wages, I.L.O. (General), 1967.

I.C.S.S.R., A Survey of Research in Economic, Vol. IV, Agriculture, Part II, New Delhi-1975.

*****